सत्यमेव जयते

वार्षिक रिपोर्ट

वर्ष 2017–18 में सकल संबधित मूल्य के लिए विभिन्न क्षेत्रों का योगदान

लोक प्रशासन, रक्षा एवं अन्य सेवाएं
14.3%

वित्त, रियल एस्टेट तथा व्यावसायिक सेवाएं
21.0%

व्यापार, होटल, परिवहन संचार व प्रसारण संबंधी सेवाएं
18.2%

विजली, गैस, जल आपूर्ति और अन्य उपयोगी सेवाएं
2.7%

कृषि, वानिकी तथा मत्स्य पालन
17.2%

खनन एवं उत्खनन
2.3%

विनिर्माण
16.4%

निर्माण
7.8%

2018-19

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली–110001
www.mospi.gov.in

MOS&PI MOS&PI MOS&PI MOS&PI MOS&PI

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
सरदार पटेल भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली—110001
hthtp://www.mospi.gov.in

विषय सूची

क्र.सं.	अध्याय	पृष्ठ सं.
I	प्रस्तावना	1-5
II	घटनाक्रम और विशिष्टताएं	6-10
III	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग	11
IV	केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय	12-56
V	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय	57-73
VI	सांख्यिकीय सेवाएं	74-77
VII	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान	78-88
VIII	बीस सूत्री कार्यक्रम	89-100
IX	आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी	101-124
X	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	125-131
XI	राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग	132-134
XII	अन्य कार्यकलाप	135-141
	अनुबंध	
Iक	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का संगठन चार्ट	142
Iख	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग का संगठन चार्ट	144
Iग	प्रयुक्त संक्षिप्त रूप	145
II	सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य	146-148
IIIक	वर्ष 2018-19 के लिए बजट अनुमान विवरण (एसबीई)	149
IIIख	उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2017-18 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	150
IIIग	उत्त्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2018-19 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)	151
IV	बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अधीन मासिक प्रबोधित मदों का निष्पादन (अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018)	152-153
V	2018-19 के दौरान पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची	154-163
VI	आधारी संरचना क्षेत्र का निष्पादन मुख्य-मुख्य बातें अप्रैल 2018-जनवरी 2019	164-165

VII	**सीएसओ/एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी प्रकाशनों की सूची**	**166**
VIII	**वर्ष 2018-19 के दौरान की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति**	**169**

अध्याय-I
प्रस्तावना

1.1 सांख्यिकी विभाग और कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग के विलय के पश्चात 15 अक्तूबर, 1999 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक स्वतंत्र मंत्रालय के रुप में अस्तित्व में आया । मंत्रालय में दो स्कंध है, इनमें से एक सांख्यिकी से संबंधित है तथा दूसरा कार्यक्रम. कार्यान्वयन से । सांख्यिकी स्कंध, जिसका नाम बदलकर अब राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) कर दिया गया है, में केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (सीएसओ) और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) हैं । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सीएसओ एक संबद्ध तथा एनएसएसओ एक अधीनस्थ कार्यालय है । कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध में तीन प्रभाग अर्थात (i) बीस सूत्री कार्यक्रम (ii) आधारी संरचना और परियोजना प्रबोधन तथा (iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है । इन दोनों स्कन्धों के अतिरिक्त भारत सरकार (सां. और कार्य. कार्या.) के एक संकल्प के माध्यम से सृजित राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग तथा संसद के एक अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रुप में घोषित एक स्वायत्त संस्थान अर्थात् भारतीय सांख्यिकीय संस्थान है । मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट **अनुबंध-Iक से Iख** में दिया गया है । रिपोर्ट में प्रयोग किए गए संक्षिप्त रूप **अनुबंध-Iग** में दिए गए हैं ।

1.2 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में जारी सांख्यिकी के विस्तार और गुणवत्ता के पहलुओं को पर्याप्त महत्व देता है । जारी की गई सांख्यिकी, प्रशासनिक स्रोतों, सर्वेक्षण और केन्द्र तथा राज्य सरकारों और गैर-सरकारी स्रोतों द्वारा आयोजित गणना तथा अध्ययनों पर आधारित होती है । मंत्रालय द्वारा आयोजित सर्वेक्षण वैज्ञानिक प्रतिदर्श पद्धति पर आधारित हैं और इसका पर्यवेक्षण राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग द्वारा किया जाता है । समर्पित क्षेत्रीय स्टाफ के जरिए आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं, स्टाफ को मदों की संकल्पनाओं तथा परिभाषाओं और सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र के बारे में नियमित रुप से प्रशिक्षित किया जाता है । मंत्रालय द्वारा जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता पर बल देते हुए राष्ट्रीय लेखों के समेकन से संबंधित रीति विधानात्मक मुद्दों की जांच राष्ट्रीय लेखा संबंधी सलाहकार समिति, औद्योगिक सांख्यिकी की जांच, औद्योगिक सांख्यिकी संबंधी स्थायी समिति द्वारा और मूल्य सूचकांकों संबंधी तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा मूल्य सूचकांकों की जांच की जाती है । मंत्रालय मानक सांख्यिकीय तकनीकों को अपनाते हुए और व्यापक जांच तथा निरीक्षण के बाद, मौजूदा आंकड़ों पर आधारित डाटासेटों को संकलित करता है ।

1.3 भारत, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रसार मानक (एसडीडीएस) का अभिदाता है और वर्तमान में मानकों को पूरा कर रहा है । मंत्रालय एसडीडीएस के अंतर्गत आने वाली आंकड़ा श्रेणियों के लिए 'अग्रिम रिलीज कैलेंडर' का रख-रखाव करता है, जिसका प्रचार-प्रसार मंत्रालय की वेबसाइट और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के प्रसार मानक बुलेटिन बोर्ड (डीएसबीबी) पर भी किया जाता है । मंत्रालय एसडीडीएस के वास्तविक क्षेत्र के अंतर्गत शामिल डाटासेटों को प्रेस नोट और अपनी वेबसाइट के माध्यम से साथ-साथ जारी करता है । मंत्रालय को भारत में सार्क सामाजिक चार्टर के कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाने के लिए एक नोडल मंत्रालय के रुप में नामित किया गया है । मंत्रालय को भारत में सहस्त्राब्दि विकास लक्ष्यों की सांख्यिकीय ट्रैकिंग का कार्य सौंपा गया है । मंत्रालय, प्रणाली में आंकड़ा-अंतरालों (डाटा गैप्स) का मूल्यांकन करने के लिए और वर्तमान में जारी सांख्यिकी की गुणवत्ता के विभिन्न विषयों पर नियमित आधार पर तकनीकी बैठकें आयोजित करता है । केन्द्रीय सांख्यिकीय कार्यालय का स्टाफ एशिया और प्रशांत के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक आयोग जैसे अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संगठनों द्वारा सांख्यिकीय समेकन और अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं पर आयोजित बैठकों और सेमिनारों में भाग लेता है । भारत में आधिकारिक सांख्यिकी की मजबूत पद्धति है तथा यह आधिकारिक सांख्यिकी के क्षेत्र में अग्रणी देशों में से एक है । मंत्रालय के अधिकारी पद्धतियों के विकास, विशेष तौर पर राष्ट्रीय लेखा, अनौपचारिक क्षेत्र सांख्यिकी, बृहद-पैमाने के प्रतिदर्श सर्वेक्षण, जनगणना का आयोजन, सेवा क्षेत्र सांख्यिकी, परोक्ष अर्थव्यवस्था, सामाजिक क्षेत्र सांख्यिकी, पर्यावरण सांख्यिकी और वर्गीकरण के क्षेत्रों में अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों के साथ संबद्ध रहे हैं । अंतर्राष्ट्रीय बैठकों में इन विषयों पर मंत्रालय के अधिकारियों के योगदान की अत्यधिक सराहना की गई है ।

1.4 **सांख्यिकी दिवस:** आर्थिक नियोजन और सांख्यिकीय विकास के क्षेत्र में (स्व.) **प्रो.प्रशांत चन्द्र महालनोबिस** के उल्लेखनीय योगदान के सम्मान में, भारत सरकार ने उनके जन्म दिवस, 29 जून को विशेष-दिवस का दर्जा देते हुए, हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय स्तर पर सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है । सांख्यिकी-दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आम लोगों, खासकर युवाओं को, (स्व.) प्रो. महालनोबिस से प्रेरणा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना है, ताकि वे समाजार्थिक नियोजन और नीति निर्माण में सांख्यिकी के महत्व को समझ सकें ।

1.5 पूरे देश में 29 जून 2018 को, 12वां सांख्यिकी दिवस और प्रो.प्रशांत चन्द्र महालनोबिस की 125वीं जन्मशती का समापन समारोह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, राज्य सरकारों, पूरे देश में फैले हुए राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालयों, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, विश्वविद्यालयों/विभागों, आदि द्वारा संगोष्ठियां, सम्मेलन, वाद विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यानमाला, निबंध लेखन प्रतियोगिता आदि करवाकर मनाया । मुख्य समारोह 29 जून

2018 को कोलकाता में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और भारतीय सांख्यिकी संस्थान द्‌वारा संयुक्त रूप से मनाया गया। प्रो. महालनोबिस के प्रति सम्मान प्रकट करने के उद्देश्य से इस अवसर पर 125 रुपए का स्मारक सिक्का तथा 5 रुपए का सिक्का जारी किया गया।

केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों का सम्मेलन (काक्सो)

1.6 केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी के क्षेत्र से संबंधित गतिविधियों के समन्वयन हेतु सरकार द्‌वारा स्थापित प्रणाली के भाग के रूप में मंत्रालय प्रत्येक वर्ष केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (कॉक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है । यह केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्‌वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर विचार-विमर्श के लिए एक प्रमुख मंच है जिसका उद्देश्य सही निर्णय और सुशासन के उद्देश्य से योजनाकर्ताओं और नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय और समयबद्ध सांख्यिकी उपलब्ध करवाने के लिए समन्वित प्रयत्न करना है ।

1.7 मंत्रालय ने 25वां कॉक्सो 18-19 जनवरी, 2018 को बंगलूरू, कर्नाटक में अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, कर्नाटक सरकार के सहयोग से आयोजित किया । सम्मेलन का विषय "सरकारी सांख्यिकी" था । 26वां काक्सो 15-16 मार्च, 2018 को अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, हिमाचल प्रदेश के सहयोग से धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में मनाया गया । सम्मेलन का विषय "सरकारी सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन था" ।

1.8 मंत्रालय के सांख्यिकी स्कंध के उत्तरदायित्वों में निम्नलिखित शामिल है:-

(i) देश में सांख्यिकीय प्रणाली के योजनाबद्ध विकास के लिए एक नोडल एजेन्सी के रुप में कार्य करना, सांख्यिकी के क्षेत्र में मानदंडों और मानकों का निर्धारण और अनुरक्षण करना जिसमें अवधारणाओं और परिभाषाओं, आंकड़ा संग्रहण के रीति-विधान, समंक विधायन एवं परिणामों का प्रसार-प्रचार शामिल है;

(ii) भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वय करना, सांख्यिकीय रीति-विधान और आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों को सलाह देना;

(iii) राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय उत्पाद, सरकारी तथा निजी उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा स्थाई पूंजी के उपभोग के अनुमानों तथा अधि-क्षेत्रीय

क्षेत्रों (सुप्रा-रीजनल सैक्टर्स) के राज्य स्तरीय सकल पूंजी निर्माण प्रकाशित करना तथा वर्तमान मूल्यों पर राज्य परिवार उत्पाद (एसडीपी) के तुलनीय अनुमान तैयार करना;

(iv) अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठनों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (यूएनएसडी), एशिया तथा प्रशान्त के लिए आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (एस्केप), एशिया तथा प्रशान्त के लिए सांख्यिकीय संस्थान (सियाप), अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), एशियाई विकास बैंक (एडीबी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (आईएलओ) आदि से सम्पर्क बनाए रखना;

(v) "त्वरित अनुमानों" के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) संकलित तथा जारी करना, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा संगठित विनिर्माण क्षेत्र के विकास, गठन तथा संरचना में परिवर्तनों का आकलन तथा मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना;

(vi) अखिल भारतीय आर्थिक गणनाओं का संगठन करना व आवधिक आयोजन तथा अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों पर कार्रवाई करना । विभिन्न समाजार्थिक सर्वेक्षणों तथा आर्थिक गणनाओं के अनुवर्ती उद्यम सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित आंकड़ों का संसाधन करने के लिए इन-हाउस सुविधा प्रदान करना;

(vii) रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति तथा पर्यावरण, साक्षरता स्तर, स्वास्थ्य पोषाहार, परिवार कल्याण आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक क्षेत्रों में विभिन्न जनसंख्या समूहों के लाभ के लिए विशिष्ट समस्याओं के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए आवश्यक आंकड़ा आधार तैयार करने हेतु बड़े पैमाने पर अखिल भारतीय प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन करना;

(viii) तकनीकी दृष्टिकोण से सर्वेक्षण रिपोर्टों की जांच करना तथा राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय तथा अन्य केन्द्रीय मंत्रालयों और विभागों द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के संबंध में सर्वेक्षण सम्भाव्यता अध्ययनों सहित प्रतिदर्श अभिकल्प का मूल्यांकन करना;

(ix) सरकारी, अर्धसरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/ एजेंसियों को वितरित किए जाने वाले अनेक प्रकाशनों के माध्यम से विभिन्न पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना का प्रसार करना और अनुरोध पर संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों जैसे यूएनएसडी, एस्केप, आईएलओ तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियों को आंकड़ा प्रसार करना; तथा

(x) पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों तथा प्रसिद्ध अनुसंधान संस्थानों को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण आरम्भ करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान जारी करना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से सम्बन्धित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्त-पोषण करना ।

1.9 मंत्रालय के कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध पर निम्नलिखित जिम्मेदारियां है:-

(i) देश के ग्यारह प्रमुख आधारी संरचना क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, रेलवे, दूरसंचार, बंदरगाह, उर्वरक, सीमेंट, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस, सड़क तथा नागरिक विमानन संबंधी कार्य निष्पादन की निगरानी;

(ii) 150 करोड़ रु. तथा इससे अधिक की लागत की सभी केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की निगरानी; और

(iii) सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) का कार्यान्वयन ।

1.10 **मंत्रालय का प्रशासन प्रभाग:**

कैरियर प्रगति तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा और अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा का प्रबंधन करने के लिए संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के रूप में कार्य करता है ।

1.11 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करना तथा भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959 (1959 का 57) के प्रावधानों के अनुसार इसकी कार्य प्रणाली सुनिश्चित करना ।

1.12 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यों का आबंटन **अनुबंध-II** पर दिया गया है । मंत्रालय की वेबसाइट **(http://www.mospi.gov.in)** बना ली गई है और संगणक केंद्र द्वारा मंत्रालय के सीएसओ के आंकड़ा भंडारण तथा आंकड़ा प्रसार प्रभागों के तहत अनुरक्षित किया जा रहा है । मंत्रालय की अधिकतर रिपोर्टें प्रयोक्ताओं तक पहुंच बनाने/विभिन्न हितधारकों द्वारा उपयोग करने हेतु वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई हैं । रिपोर्ट डाउनलोड करने/देखने के लिए ऑन-लाइन पंजीकरण प्रणाली भी शुरू कर दी गई है ।

1.13 वर्ष 2018-19 के लिए मंत्रालय को कुल **4859.00 करोड़ रु.** (योजना और गैर-योजना) का बजट आबंटित किया गया था, जिसमें से **3950.00 करोड़ रु.** एमपीलैडस, **4158.00 करोड़ रु.** योजना (एमपीलैड्स सहित) और **701.00 करोड़ रु.** गैर-योजना के लिए थे । मंत्रालय द्वारा अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों का बजटीय आबंटन करते समय उनकी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं का ध्यान रखा जाता है ।

अध्याय II
घटनाक्रम एवं विशिष्टताएं

मंत्रालय की वर्ष 2018-19 के दौरान (31 मार्च 2019 तक) उपलब्धियां निम्नानुसार हैं:

2. **केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ)**

2.1 राष्ट्रीय लेखा प्रभाग

- केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) पर राष्ट्रीय लेखे तैयार करने का दायित्व है, इसमें, सकल परिवार उत्पाद के अनुमान, राष्ट्रीय आय, सरकार/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थानगत क्षेत्रों के लेन-देन ब्योरों के साथ बचत शामिल है । राष्ट्रीय लेखा प्रभाग इन आंकड़ों पर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" नाम से एक वार्षिक पत्रिका प्रकाशित करता है ।
- एनएडी पर समय-समय पर आपूर्ति - उपयोग तालिकाओं और इनपुट-आऊटपुट लेन-देन तालिकाओं को तैयार करने और जारी करने का भी दायित्व है ।

- एनएडी राष्ट्रीय लेखों से संबंधित सांख्यिकीय मामलों पर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क बनाए रखता है ।
- **2.2 मूल्य सांख्यिकी प्रभाग**
  - **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण, शहरी, संयुक्त)**: केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जनवरी 2011 से अखिल भारत तथा राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए आधार वर्ष (2010=100) वाले उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलित करना आरंभ किया । बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को, अंतर्राष्ट्रीय प्रथाओं के अनुरूप उसमें कई कार्यप्रणाली सुधार शामिल करते हुए, 2010=100 से बदलकर 2012=100 कर दिया गया । अप्रैल 2018 से मार्च 2019 (अनंतिम) के दौरान संयुक्त क्षेत्र (अर्थात पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में वर्तमान माह) के उपभोक्त मूल्य सूचकांक (सामान्य) पर आधारित अखिल भारत *वर्ष दर वर्ष* मुद्रास्फीति दर सबसे अधिक जून 2019 में 4.92% तथा जनवरी 2019 में सबसे कम 1.97% रही ।
  - **अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी):** भारत वर्ष 1970 से अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम में भाग लेता आ रहा है । वर्तमान आईसीपी दौर, आईसीपी-2017 अप्रैल-2017 में आरंभ किया गया जिसके लिए परिवार क्षेत्र हेतु मूल्य संग्रहण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) और मशीनरी तथा उपकरण और निर्माण

क्षेत्र के लिए मूल्य सांख्यिकी प्रभाग द्वारा किया गया । इन मूल्यों का आईसीपी-2017 के तहत क्रय क्षमता समानता के संकलन हेतु अंतर-देश वैधीकरण के लिए एशियाई विकास बैंक को प्रस्तुत किया गया । इस संकेतक से दुनिया-भर में विभिन्न देशों/अर्थव्यवस्थाओं के लिए सकल परिवार उत्पाद की तुलना करने में मदद मिलती है।

2.3 **आर्थिक सांख्यिकी प्रभाग**

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) जो फैक्ट्रियों के निर्धारित पैनल से निर्धारित मदों के आंकड़ों पर आधारित ऐसी यूनिट-मुक्त संख्या है जो विनिर्माण क्षेत्र में अल्पावधि परिवर्तनों को दर्शाता है और यह 6 सप्ताह के समय अंतराल पर मासिक आधार पर जारी किये गये थे ।

वर्ष के दौरान, आधार वर्ष (2011-12 = 100) के साथ अखिल भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक नियत तिथि को प्रत्येक माह में जारी किया जाता है । अखिल भारत आईआईपी नियमित रूप से जारी करने के अलावा आंकड़ा संग्रहण को सुदृढ बनाने के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला सितम्बर, 2018 को आयोजित की गई । इसके अलावा, राज्य स्तर पर आईआईपी जारी करना सुसाध्य बनाने के लिए वर्ष 2018-19 में पांच क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किए गए ।

मेटाडेटा और उसकी कार्य प्रणाली के ब्योरों के साथ अखिल भारत आईआईपी (क्षेत्रवार तथा उपयोग आधारित श्रेणी) आम लोगों की पहुंच के लिए मंत्रालय की वेबसाइट ((http://www.mospi.gov.in//iip-2011-12-series) पर उपलब्ध है ।

सातवीं आर्थिक गणना: सातवीं आर्थिक गणना शुरू कराने के लिए प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है । सातवीं आर्थिक गणना का कार्य वर्ष 2019 में इलेक्ट्रानिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा उसके अंतर्गत आने वाले एक विशेष प्रयोजन साधन ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड द्वारा सीएससी के आईटी प्लेटफार्म पर, एक कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर किया जा रहा है।

2.4 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी)

सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग, वर्ष 2018-19 के महत्वपूर्ण घटनाक्रम:- सरकार ने, राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की आवधिक समीक्षा और उसमें संशोधन करने के लिए, नीति आयोग, गृह

मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सदस्यों वाली भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् तथा सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति गठित करने का अनुमोदन कर दिया है ।

नई प्रोद्योगिकी के उपयोग सहित एसडीजी की लक्ष्यों और ध्येयों की सांख्यिकीय निगरानी से संबंधित मुद्दों पर सहयोग करने के समग्र उद्देश्य के साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक के बीच 15 मार्च, 2018 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित निकाले गए प्रकाशन: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की एक गतिविधि पर्यावरण तथा विभिन्न सामाजिक और जनांकिकीय पहलुओं पर सांख्यिकीय सूचना प्रसारित करना है तदनुसार एसएसडी द्वारा वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए ।

- वार्षिक प्रकाशन "भारत में महिला एवं पुरूष 2017" और 'भारत में महिला एवं पुरूष-2018' जनवरी 2018 और मार्च 2019 में क्रमश: में प्रकाशित किए गए । प्रकाशन में स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेने, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक अड़चने आदि सहित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं पर विभिन्न लैंगिक आंकड़ा उपलब्ध कराता है ।
- वार्षिक पत्रिका 'सार्क सोशल चार्टर - इंडिया कंट्री रिपोर्ट - 2018' जनवरी 2019 में प्रकाशित की गई थी । सार्क सोशल चार्टर वैकल्पिक वर्षों में प्रकाशित सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफलता को निर्धारित करने के लिए सांख्यिकीय उपकरण प्रदान करता है, जो सार्क के प्रमुख लक्ष्यों के अनुरूप है ।
- "पर्यावरण सांख्यिकी का सार - भारत" नामक वार्षिक प्रकाशन को "एन्वीस्टैट इंडिया" नामक प्रकाशन से प्रतिस्थापित किया गया जो मार्च 2018 में जारी की गई । प्रकाशन एफडीईएस-2013 पर आधारित है जो पर्यावरण सांख्यिकी पर यूएनएसडी द्वारा निर्धारित है ।
- "चिल्ड्रन इन इंडिया- 2018 - एक सांख्यिकीय मूल्यांकन" नामक तदर्थ प्रकाशन अप्रैल 2018 में जारी किया गया । प्रकाशन में भारत में बच्चों की स्थिति पर समेकित और अद्यतन आंकड़े दिए गए हैं ।
- "भारत आंकड़ों में - 2018" नामक प्रकाशन जून 2018 में जारी किया गया । प्रकाशन में सामाजिक-आर्थिक संकेतकों, गरीबी, अवसंरचना, शिक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण

आदि जैसे विभिन्न क्षेत्रों का बड़े पैमाने पर कवर करते हुए आंकड़ों का एक स्नैपशाट दिया गया है ।

- "एन्वीस्टैट इंडिया" नामक पत्रिका का पूरक प्रकाशन सितम्बर 2018 में जारी किया गया जो पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन - केंद्रीय फ्रेमवर्क प्रणाली पर आधारित है । इसमें भारत के चार महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों- वन, भूमि, खनिज और जल के वास्तविक मूल्यों के साथ भारत के कुल पर्यावरणीय लेखा दिया गया है । देश में पर्यावरणीय सांख्यिकी पर यह पहला सरकारी प्रकाशन है ।
- पर्यावरण आंकड़ों का वार्षिक प्रकाशन 'एन्वीस्टैट इंडिया - 2019 - भाग । - पर्यावरण सांख्यिकी' मार्च 2019 में जारी किया गया । यह प्रकाशन यूएनएसडी द्वारा पर्यावरण आंकड़ों के संकलन के लिए निर्धारित एफडीईएस-2013 पर आधारित है ।
- 'सतत विकास लक्ष्यों - राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16' को मार्च 2019 में अनंतिम रूप से प्रकाशित किया गया था और मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया । प्रकाशन में डेटा स्नैपशार, लक्ष्यवार अध्याय विवरण शामिल है, जिसमें परिभाषा, संगणना, स्रोत मेटाडाटा और राष्ट्रीय संकेतकों के डेटा शामिल हैं ।

2.5 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ)

- राष्ट्र्व्यापी श्रम बल सर्वेक्षण, नामत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 1 अप्रैल 2017 से आरंभ किया गया था । पीएलएफएस का मुख्य उद्देश्य शहरी क्षेत्र में श्रम बाजार के विभिन्न सूचकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना तथा ग्रामीण एवं शहरी, दोनो क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल सूचकों के वार्षिक अनुमानों को तैयार करना है । पीएलएफएस के प्रथम परिणाम दिसम्बर 2019 तक तथा उसके पश्चात नियमित आधार पर उपलब्ध करवाए जाएंगे ।
- एनएसएसओ अपने 75वें दौर (जुलाई 2017-जून 2018) सर्वेक्षण के साथ-साथ 'स्वच्छ भारत सर्वेक्षण' का आयोजन किया । स्वच्छ भारत सर्वेक्षण, 75वें दौर के प्रथम दो उप-दौरों (जुलाई - दिसम्बर 2017)के दौरान कराया गया है । सर्वेक्षण रिपोर्ट अक्तूबर 2018 जारी की गई । यह रिपोर्ट परिवारों द्वारा शौचालय के प्रयोग और ठोस तथा द्रव्य अपशिष्ट के निस्तारण संबंधी संकेतक उपलब्ध करवाती है । अप्रैल 2016 में जारी पहली रिपोर्ट के बाद यह इस प्रकार की दूसरी रिपोर्ट है ।
- शहरी ढांचा सर्वेक्षण (2017-2022) का अगला चरण नवंबर 2017 से आरंभ हो चुका है। यूएफएस के इस चरण के दौरान फ्रेम तथा संबंधित ब्यौरों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है । राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद के सहयोग से विकसित मोबाइल/वेब एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए विभिन्न शहरी ढांचा सर्वेक्षण अभियान चलाये जा रहे हैं । क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए भुवन पोर्टल से प्राप्त

सैटेलाइट चित्रण पर ब्लॉक/वार्ड/अन्वेषक इकाई/ivयूनिट/कस्बों की सीमाएं खींची जा रही हैं। यूएफएस कार्य के लिए मोबाइल एप्प विकसित किया जा चुका है तथा वेबपोर्टल तथा यह काफी उन्नत स्तर पर है ।

- 1 जनवरी, 2019 से दिसंबर, 2019 के दौरान पहली बार राष्ट्रव्यापी समय उपयोग सर्वेक्षण (टीयूएस) कराया जा रहा है । समय उपयोग सर्वेक्षण से विभिन्न गतिविधियों पर व्यक्तियों द्वारा व्यतीत समय का पता लगाया जा सकेगा । समय उपयोग सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य देय तथा अदेय गतिविधियों में पुरूष, स्त्री तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों की सहभागिता को आंकना है ।

वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण

2.6 वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के परिणाम के संकलन के लिए आंकड़ा संग्रहण की वेब-आधारित प्रणाली के माध्यम से सीधे विनिर्माण इकाइयों से आंकड़े संग्रहित किये जाते हैं ।

2.7 **संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास (एमपीलैड्स) योजना**

- इस योजना की शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2019 तक **50,462.25 करोड़ रूपये** जारी किये जा चुके हैं ।
- जिलों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च 2019 तक **48,997.07 करोड़ रूपये** का व्यय किया जा चुका है ।
- इस योजना के आरंभ से, राशि जारी किये जाने और व्यय किये जाने का प्रतिशत 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार **97.1%** है ।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष में 31 मार्च 2019 तक **3949.50 करोड़ रूपये** जारी किये जा चुके हैं तथा **5012.13 करोड़ रूपये** का व्यय (पिछले वर्ष की खर्च न की गई राशि सहित) किया जा चुका है ।
- राज्यों/संघ-राज्य-क्षेत्रों में जारी निधियों की निगरानी के लिए तथा योजना के कार्यान्वयन की जानकारी लेने हेतु राज्य नोडल विभागों के सचिवों के साथ नियमित रूप से वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं । वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान 'अखिल भारत समीक्षा बैठक' 30.08.2018 को आयोजित की गई ।
- इस योजना के बेहतर कार्यान्वयन में मदद के लिए राज्य/जिला पदाधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करवायी जा रही है । मंत्रालय नये विकसित समेकित एमपीलैड्स वेबसाइट को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

अध्याय-III

राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी)

3.1 भारत सरकार ने दिनांक 1 जून, 2005 के एक संकल्प द्‌वारा राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग (एनएससी) का गठन करने का निर्णय लिया । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना वर्ष 2001 में रंगराजन आयोग द्‌वारा भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा करने तथा मंत्रिमंडल द्‌वारा इस सिफारिश को स्वीकार करने के उपरांत की गई थी । राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का गठन 12 जुलाई, 2006 को किया गया था और यह तबसे कार्य कर रहा है । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग में एक अंशकालिक अध्यक्ष तथा चार अंशकालिक सदस्य हैं जो विशिष्ट सांख्यिकीय क्षेत्रों में विशेषज्ञता रखने वाले तथा अनुभवी व्यक्ति हैं । इसके अलावा, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नीति आयोग एनएससी के पदेन सदस्य हैं । अंशकालिक अध्यक्ष/सदस्य का अधिकतम कार्यकाल तीन वर्ष का होता है । भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के सचिव हैं । वे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में भारत सरकार के सचिव भी हैं ।

3.2 31 मार्च, 2019 की स्थिति के अनुसार एनएससी के अध्यक्ष और चार अंशकालिक सदस्यों के पद रिक्त हैं ।

3.3 राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग के कार्यों का ब्यौरा दिनांक 1 जून, 2005 को प्रकाशित भारत सरकार के संकल्प में दिया गया है । संकल्प में आयोग द्‌वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अपने कार्यकलापों की एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा इसमें निहित सिफारिशों पर की गई कार्रवाई के ज्ञापन के साथ संसद के दोनों सदनों अथवा संबंधित राज्य की विधानसभा में, जैसा भी मामला हो, रखने का प्रावधान है । तदनुसार आयोग के कार्यकलापों के बारे में अलग से एक रिपोर्ट संसद के सदनों में रखी जाएगी ।

अध्याय-IV

केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय

4.1 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ), इस मंत्रालय का संबद्ध कार्यालय है और यह देश में सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय तथा सांख्यिकीय मानकों का विकास करता है । इसके कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, राष्ट्रीय लेखा के संकलन, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, शहरी/ग्रामीण/संयुक्त के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जेंडर सांख्यिकी सहित मानव विकास सांख्यिकी, उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण और आर्थिक गणना का आयोजन और सरकारी सांख्यिकी में प्रशिक्षण देना शामिल है । सीएसओ राज्यों तथा संघ-राज्य क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास में भी सहायता करता है और ऊर्जा सांख्यिकी, सामाजिक तथा पर्यावरण सांख्यिकी का प्रसार करता है तथा राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण तैयार करता है ।

राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी)

4.2 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय का राष्ट्रीय लेखा प्रभाग (एनएडी) राष्ट्रीय लेखा को तैयार करता है, जिसमें सकल परिवार उत्पाद, राष्ट्रीय आय, सरकारी/निजी अंतिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण तथा संस्थागत क्षेत्र के लेन-देन के विस्तृत ब्योरों के साथ बचत के अनुमान शामिल हैं। यह प्रभाग इन आंकड़ों को शामिल कर "राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी" शीर्षक से एक वार्षिक प्रकाशन प्रकाशित करता है । एनएडी समय-समय पर आपूर्ति-उपयोग तालिकाएं तथा इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिकाएं तैयार करने तथा जारी करने के लिए भी उत्तरदायी है । एनएडी सांख्यिकी मामलों संबंधी अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ सम्पर्क में रहता है ।

4.3 एनएडी राज्य के परिवार उत्पाद के अनुमानों सहित राज्य लेखाओं के संकलन और इन्हें जारी करने के संबंध में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है । इस प्रयोजनार्थ राष्ट्रीय लेखा प्रभाग बड़े क्षेत्रीय सेक्टरों अर्थात रेलवे, संचार, प्रसारण से संबंधित सेवाओं, वित्तीय सेवाओं और केंद्रीय सरकार प्रशासन के संबंध में सकल मूल्यवर्धन और सकल नियत पूंजी सृजन के राज्य स्तरीय अनुमान भेजे जाते हैं ।

4.4 राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय अनुमानों में तुलनात्मकता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, यह प्रभाग राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों के परामर्श से आर्थिक क्रियाकलाप और प्रति व्यक्ति आय के अनुमानों द्वारा सकल और निवल राज्य परिवार उत्पाद के तुलनात्मक अनुमानों का संकलन करता है ।

4.5 अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) के विशेष आंकड़ा प्रचार-प्रसार मानकों के अनुपालनार्थ तथा इसकी अपनी नीति के अनुसार, राष्ट्रीय लेखा प्रभाग अग्रिम रिलीज कैलेण्डर में दी गई पूर्व निर्दिष्ट सूची के अनुसार समय-समय पर जीडीपी के वार्षिक और तिमाही अनुमान जारी करता है। ब्योरा नीचे दिया गया है :-

<u>जीडीपी के तिमाही अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2018-19 की तीसरी तिमाही : 28 फरवरी 2019
(2) वर्ष 2018-19 की चौथी तिमाही : 31 मई 2019
(3) वर्ष 2019-20 की प्रथम तिमाही : 30 अगस्त 2019
(4) वर्ष 2019-20 की दूसरी तिमाही : 29 मार्च 2019

प्रथम तिमाही: अप्रैल-जून, दूसरी तिमाही: जुलाई-सितम्बर, तीसरी तिमाही: अक्तूबर-दिसम्बर, चौथी तिमाही: जनवरी-मार्च

<u>जीडीपी के वार्षिक अनुमानों का कैलेण्डर</u>

(1) वर्ष 2018-19 के प्रथम अग्रिम अनुमान : 07 जनवरी 2019
(2) वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमान : 31 जनवरी 2019
(3) वर्ष 2018-19 के दूसरे अग्रिम अनुमान : 28 फरवरी 2019
(4) वर्ष 2018-19 के अनंतिम अनुमान : 31 मई 2019

4.6 वर्ष 2018 (31 मार्च, 2019 तक) के दौरान जारी एनएडी प्रकाशनों, आंकड़ा रिलीज और प्रकाशित रिपोर्टें, जो सरकारी वेबसाइट पर भी उपलब्ध हैं, नीचे दी गई हैं:

तालिका-4.1

क्र.सं.	प्रकाशन/डेटा रिलीज/रिपोर्ट का विवरण	जारी करने की तिथि	जारी करने का तरीका
1	राष्ट्रीय आय, 2017-18 के प्रथम अग्रिम अनुमान	5 जनवरी 2018	प्रेस नोट
2	राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण के प्रथम संशोधित अनुमान (2016-17)	31 जनवरी 2018	प्रेस नोट
3	तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर), 2017-18	28 फरवरी 2018	प्रेस नोट

	के लिए राष्ट्रीय आय, 2017-18 के द्वितीय अग्रिम अनुमान और सकल परिवार उत्पाद के तिमाही अनुमान		
4	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य	2 मई 2018	प्रेस नोट
5	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य	25 मई 2018	प्रेस नोट
6	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2017-18 के अनंतिम अनुमान तथा वर्ष 2017-18 की चौथी तिमाही हेतु सकल परिवार उत्पाद के त्रैमासिक अनुमान	31 मई 2018	प्रेस नोट
7	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य अप्रैल 2018	25 जून 2018	प्रेस नोट
8	नए आधार वर्ष 2011-12 (2011-12 से 2015-16), 2018 के साथ कृषि और सहायक क्षेत्रों से आउटपुट के मूल्य के राज्य वार और मद-वार अनुमान	जुलाई 2018	ई-प्रकाशन
9	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य मई 2018	25 जुलाई 2018	प्रेस नोट
10	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी–2018	अगस्त 2018	ई-प्रकाशन
11	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य	24 अगस्त 2018	प्रेस नोट
12	वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) हेतु सकल परिवार उत्पाद के अनुमान	31 अगस्त 2018	प्रेस नोट
13	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य जुलाई 2018	25 सितम्बर 2018	प्रेस नोट
14	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य अगस्त 2018	25 अक्तूबर 2018	प्रेस नोट
15	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य सितम्बर 2018	22 मार्च 2018	प्रेस नोट
16	भारत में भुगतान रिपोर्टिंग: एक वर्ष और उससे आगे का विश्लेषण	23 मार्च 2018	प्रेस नोट

17	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी प्रेस नोट बैक सीरीज 2004-05 से 2011-12	28 मार्च 2018	प्रेस नोट
18	वर्ष 2018-19 के द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितम्बर) हेतु सकल परिवार उत्पाद के अनुमान	30 मार्च 2018	प्रेस नोट
19	भारत में भुगतान रजिस्टर रिपोर्टिंग: रोजगार परिप्रेक्ष्य अक्टूबर 2018	24 दिसम्बर 2018	प्रेस नोट
20	राष्ट्रीय आय 2018-19 के प्रथम अग्रिम अनुमानों पर प्रेस नोट	7 जनवरी 2019	प्रेस नोट
21	भारत में भुगतान रिपोर्टिंग रजिस्टर: रोजगार परिप्रेक्ष्य नवंबर 2018	25 जनवरी 2019	प्रेस नोट
22	राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, बचत और पूंजी निरूपण के वर्ष 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमानों पर प्रेस नोट	31 जनवरी 2019	प्रेस नोट
23	भारत में भुगतान रिपोर्टिंग रजिस्टर: रोजगार परिप्रेक्ष्य दिसंबर 2018	25 फरवरी 2019	प्रेस नोट
24	राष्ट्रीय आय 2018-19 के द्वितीय अग्रिम अनुमानों और 2018-19 की तीसरी तिमाही (अक्टूबर-दिसंबर) के लिए सकल परिवार उत्पाद के त्रैमासिक अनुमानों पर प्रेस नोट	28 फरवरी 2019	प्रेस नोट
25	भारत में भुगतान रजिस्टर: रोजगार परिप्रेक्ष्य जनवरी 2019	25 मार्च 2019	प्रेस नोट

4.7 वर्ष 2018-19 (मार्च, 2019 तक) के दौरान आयोजित बैठकों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं का ब्योरा नीचे दिया गया है:

- वर्ष 2015-16 तथा 2016-17 के लिए राज्य परिवार उत्पाद के अनुमानों पर राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के डीईएस के प्रतिनिधियों के साथ वार्षिक विचार-विमर्श मई-जून 2018 के दौरान किए गए ।
- राज्य परिवार उत्पाद तथा अन्य संबंधित समाहारों के संकलन पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सांख्यिकी कार्मिकों की तीन क्षेत्रीय कार्यशालाएं पुदुचेरी (29 अक्तूबर - 2 नवम्बर 2018) और भुवनेश्वर, उड़ीसा (12-16 मार्च 2018) । तीसरी कार्यशाला 10-14 दिसम्बर 2018 के दौरान पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित की की गई ।

- बैक सीरीज अनुमानों (2011-12 श्रृंखला हेतु) के संकलन के लिए कार्यप्रणाली पर विचार-विमर्श करने/अंतिम रूप देने हेतु राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी संबंधी सलाहकार समिति की एक बैठक 26 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।
- आईएमएफ आर्टिकल IV मिशन टीम पर परिचर्चाएं 17 मई 2018 के दौरान की गई ।
- रीयल सेक्टर सांख्यिकी समिति की तीन बैठकें 25 अप्रैल 2018 को बेंगलुरू, कर्नाटक 04 जून, 2018 तथा 13 जुलाई 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।
- उप-राष्ट्रीय लेखा संबंधी समिति की दूसरी और तीसरी बैठक प्रोफेसर आर. ढोलकिया की अध्यक्षता में 11 -12 फरवरी, 2019 को सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई।
- सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की सरकारी सांख्यिकी को रिलीज़ पूर्व सुलभ कराने की मौज़ूदा पद्धतियों की समीक्षा करने के लिए समिति की प्रथम बैठक सरदार पटेल भवन, नई दिल्ली में महानिदेशक के चेंबर में 27 फरवरी 2019 को आयोजित की गई।
- आईएमएफ-एसएआरटीटीएसी राष्ट्रीय लेखा तकनीकी सहायता मिशन के साथ चर्चा 26 - 28 मार्च 2019 को आयोजित की गई ।
- 'परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से बचत और निवेश का अनुमान लगाने' की देख-रेख के लिए गठित विशेषज्ञ समूह ने मार्च 2019 तक 6 बैठकें कीं । इस समूह ने एक राष्ट्रव्यापी समेकित आय उपभोग - बचत सर्वेक्षण आयोजित करने का आधार उपलब्ध कराने के लिए परिवार सर्वेक्षण के माध्यम से प्रायोगिक अध्ययन आयोजित करने हेतु कार्यप्रणालीगत ब्योरा तैयार किया। संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन इस अध्ययन को शुरू करने में एनएसएसओ के लिए यह कार्यप्रणाली उपयोगी रहेगी । प्रायोगिक अध्ययन अभी शुरू किया जाना है।

4.8 भारतीय राष्ट्रीय आय और सम्पत्ति अनुसंधान संघ (आईएआरएनआईडब्ल्यू): आईएआरएनआईडब्ल्यू सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय का एक लाभ-निरपेक्ष स्वायत्त निकाय है । यह संघ बहुधा भारतीय सांख्यिकी सेवा संवर्ग के अधिकारियों द्वारा स्वैच्छिक आधार पर चलाया जाता है । राष्ट्रीय लेखा प्रभाग आईएआरएनआईडब्ल्यू का सचिवालय है । संघ राष्ट्रीय आय और सम्बद्ध विषयों पर सम्मेलन और संगोष्ठियां आयोजित करता है । इस संघ की फरवरी 1954 में प्रस्तुत की गई राष्ट्रीय आय समिति की अंतिम रिपोर्ट की अनुशंसा के आधार पर अगस्त 1964 में सोसायटीज पंजीकरण अधिनियम XXI 1860 के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था । राष्ट्रीय आय समिति को 4 अगस्त, 1949 के भारत सरकार के संकल्प संख्या 15 (33)-पी/49 के अंतर्गत नियुक्त किया गया था । संघ के क्रियाकलापों में

मुख्य रूप से वार्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों को आयोजित करना तथा अर्थव्यवस्था के ढांचे और ढांचागत परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित करने वाले वृहत-आर्थिक समाहारों की अवधारणाओं, परिभाषाओं और सांख्यिकीय आकलनों से संबंधित अध्ययनों पर वर्ष में दो बार आय तथा सम्पत्ति जर्नल प्रकाशित करना शामिल है । वर्ष 2017-18 के लिए, 15-16 मार्च, 2018 के दौरान एनआईआरडी एण्ड पीआर, हैदराबाद में वार्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया । जनवरी-जून 2017 तथा जुलाई-दिसंबर 2017 की अवधियों हेतु आय और सम्पत्ति जर्नल प्रकाशित किए गए ।

4.9 आईएआरएनआईडब्ल्यू के पास आय का कोई नियमित स्रोत नहीं है । संघ को दैनंदिन चलाने और वार्षिक सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि को आयोजित करने का व्यय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से प्राप्त सहायतानुदान से वहन किया जाता है । आरबीआई संघ को जर्नल प्रकाशित करने में वित्तीय सहायता भी देता है । संघ की सदस्यता राष्ट्रीय आय तथा सम्बद्ध विषयों में अभिस्वीकृत अनुसंधान अथवा सतत रूचि रखने पर आधारित है । वर्ष 2017-18 के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी सहायतानुदान 5.85 लाख रुपए रहा तथा कथित व्ययित 6.8 लाख रुपए थी । अतिरिक्त धनराशि अंशदानों और बैंक ब्याज के माध्यम से वहन की गई । वर्तमान वर्ष 2018-19 के दौरान 6.9 लाख रुपए का बजट रखा गया है ।

4.10 आईएसओ 9001 वर्जन के अद्यतनीकरण के बाद एनएडी ने आईएसओ 9001: 2008 प्रमाणन, जिसे 2015 में प्राप्त किया गया से आईएसओ 9001:2015 में परिवर्तन की प्रक्रिया प्रारंभ की । एनएडी के स्टॉफ को भारतीय मानक ब्यूरो के विशेषज्ञों द्वारा दो दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से परिवर्तनों से परिचित कराया गया, नए गुणवत्ता दस्तावेज तैयार किए गए, आंतरिक लेखा-परीक्षा की गई तथा रिपोटें प्रबंधन समीक्षा समिति को प्रस्तुत की गई । अवधि के दौरान, प्रभाग ने नए प्रमाणन प्राप्ति हेतु बीआईएस द्वारा बाह्य रूप से स्वंय लेखा-परीक्षा की ।

मूल्य सांख्यिकी

4.11 केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय ने अखिल भारत तथा सभी राज्यों/संघ-राज्य क्षेत्रों के लिए ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या हेतु पृथक रूप से (2010=100) आधार पर जनवरी 2011 के आगे से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संकलन करना आरंभ किया । सीएसओ ने अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के सामंजस्य से अधिकांश कार्यप्रणाली संबंधी सुधारों को समाहित करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष को 2010=100 से 2012=100 में संशोधित किया है । संशोधित श्रृंखला के लिए मदों तथा अधिमान रेखाचित्रों को राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 68वें

दौर के उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) के मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आंकड़ों का उपयोग करके तैयार किया गया है । इसके अलावा, उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) दस उप-समूहों नामत: 'अनाज तथा उत्पाद; 'मांस तथा मछली'; 'अंडा'; 'दूध तथा उत्पाद'; 'तेल एवं वसा'; 'फल'; 'वनस्पति'; 'दलहन तथा उत्पाद'; 'चीनी एवं मिष्ठान'; तथा 'मसाले' के अधिमान औसत सूचकांकों के रूप में भी जारी किए जा रहे हैं । इसमें 'गैर-एल्कोहलिक पेय' तथा 'तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाइयां आदि' शामिल नहीं हैं ।

सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति रूझान

4.12 तालिका 4.2 में दिए गए अनुसार, संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें मार्च, 2018 से मार्च, 2019 तक की अवधि में (अर्थात पिछले वर्ष के उसी माह की तुलना में वर्तमान माह में) दिसम्बर, 2017 में 5.00**%** से नीचे रहीं । उच्चतम दर उक्त उल्लिखित अवधि के दौरान जून 2018 में 4.92**%** तथा जनवरी 2019 में 1.97**%** न्यूनतम पंजीकृत की गई ।

संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर मुद्रास्फीति दर (%)

तालिका 4.2

महीना और वर्ष	मार्च -18	अप्रैल -18	मई-18	जून 18	जुलाई -18	अग. -18	सित. -18	अक्तू. -18	नव. -18	दिस. -18	जन. -19	फर. -19	मार्च-19 (P)
मुद्रास्फीति दर	**4.28**	**4.58**	**4.87**	**4.92**	**4.17**	**3.69**	**3.70**	**3.38**	**2.33**	**2.11**	**1.97**	**2.57**	**2.86**

संयुक्त क्षेत्र के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर मुद्रास्फीति दर (%)

चार्ट-1

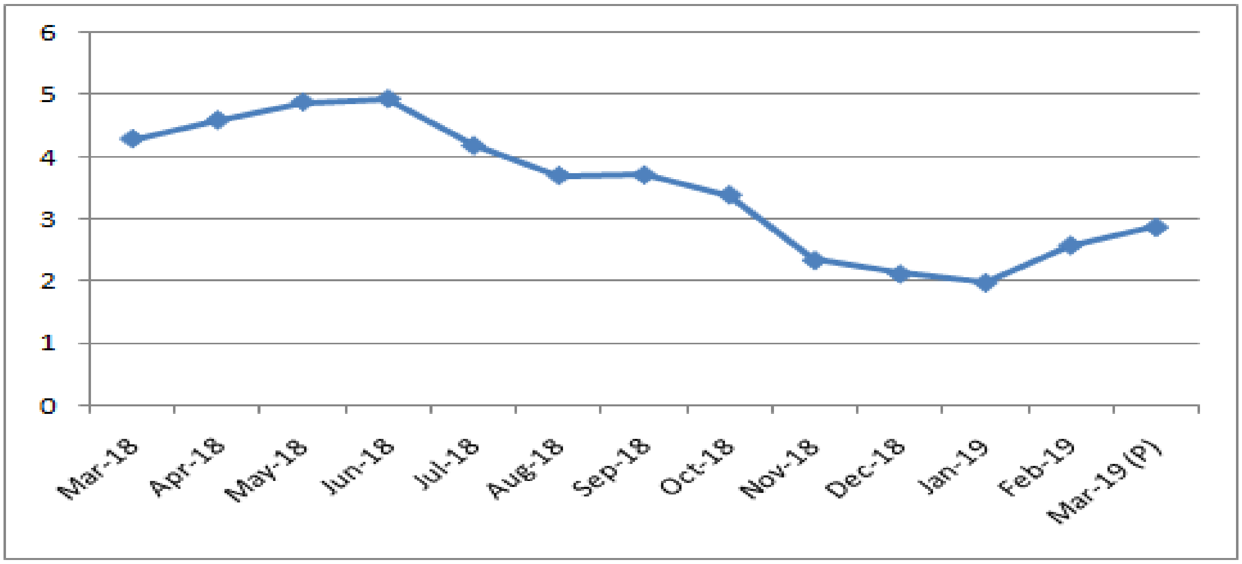

4.13 तालिका 4.3 में दिए गए संयुक्त क्षेत्र सीएफपीआई (सामान्य) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरों (% में) को देखते हुए हम पाते हैं कि मार्च 2018 से मार्च 2019 (अनंतिम) के दौरान खाद्य मदों की औसत मुद्रास्फीति दर 0.38% थी । सीएफपीआई मुद्रास्फीति ने मई 2018 में 3.10% के उच्चतम स्तर को छुआ और दिसम्बर 18 (अनंतिम) में यह न्यूनतम -2.65 रही ।

संयुक्त क्षेत्र के लिए सीएफपीआई पर आधारित अखिल भारतीय वर्ष दर मुद्रास्फीति दर (%)।

तालिका 4.3

महीना और वर्ष	मार्च -18	अप्रैल -18	मई-18	जून 18	जुलाई -18	अग. -18	सित. -18	अक्तू.-18	नव. - 18	दिस. - 18	जन. - 19	फर. - 19	मार्च-19 (P)
मुद्रास्फीति दर	2.81	2.80	3.10	2.91	1.30	0.29	0.51	-0.86	-2.61	-2.65	-2.24	-0.73	0.30

पी-अनंतिम

सीएफपीआई (संयुक्त) पर आधारित अखिल भारत वर्ष-दर-वर्ष मुद्रास्फीति दरें (% में)

चार्ट-2

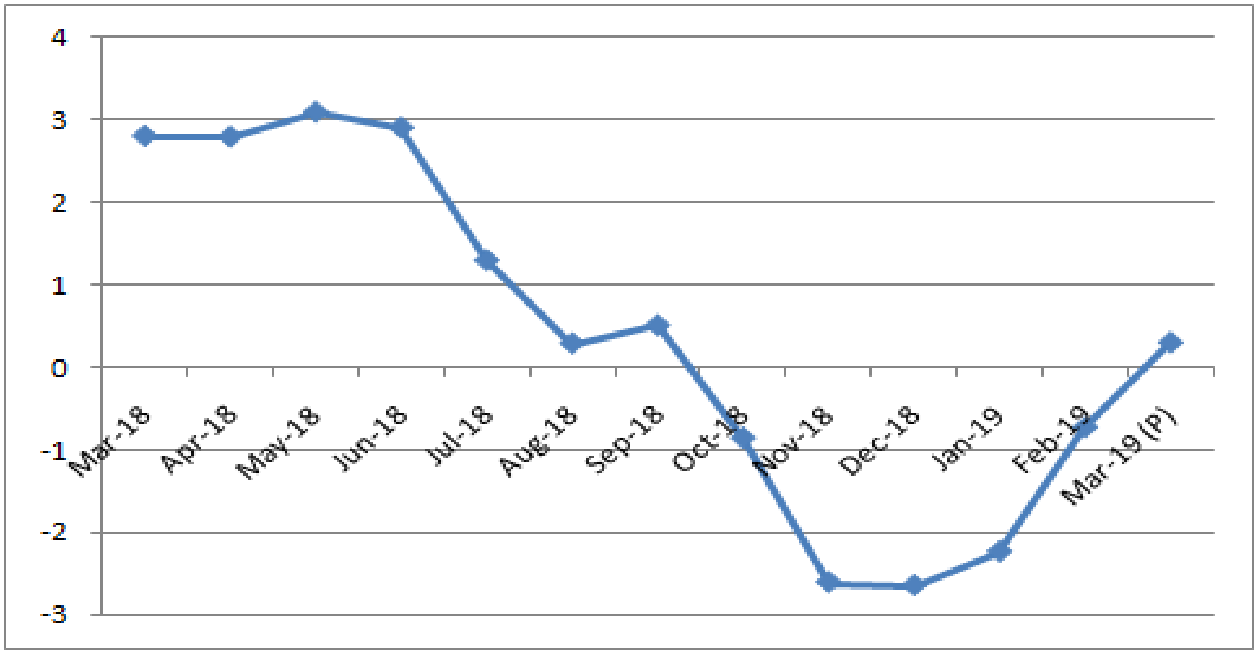

4.14 सीएसओ समूह और उप-समूह स्तरों पर भी ग्रामीण, शहरी तथा संयुक्त क्षेत्रों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जारी करता है । यह उल्लेखनीय है कि परिपूर्ण रूप में 'खाद्य और पेय पदार्थ' का 45.86**%** शेयर है जिसमें संयुक्त क्षेत्र के सीपीआई बॉस्केट में सीएफपीआई का 39.06% शेयर शामिल है **।** अत:, खाद्य मदें आमतौर पर सीपीआई आधारित समग्र मुद्रास्फीति दर की प्रमुख संचालक होती हैं । पिछले एक वर्ष में समग्र मुद्रास्फीति दर के ऐसे उतार-चढ़ाव के कारणों को जानने के लिए, उप-समूह स्तरीय मुद्रास्फीति का विश्लेषण अपेक्षित है । उप-समूह/समूहवार मुद्रास्फीति दर और उनके संबंधित शेयर (अधिभार के संबंध में) को मार्च 2018 से मार्च 2019 (अनंतिम) के दौरान प्रत्येक माह समग्र मुद्रास्फीति दर में उनका योगदान जानने के लिए एक साथ जोड़ा गया है । ये योगदान तालिका 4.4 में दिए गए हैं ।

संयुक्त क्षेत्रों के लिए सीपीआई (सामान्य) पर आधारित समूह/उप-समूह-वार मुद्रास्फीति दरों में समग्र मुद्रास्फीति का ब्योरा

तालिका 4.4

समूह कोड	उप-समूह कोड	विवरण	भार	मार्च 18	अप्रै. 18	मई 18	जून 18	जुला 18	अग. 18	सित. 18	अक्तू 18	नव. 18	दिस.18	जन. 19	फर. 19	मार्च. 19 (पी)
	1.1.01	अनाज और उत्पाद	9.67	0.21	0.25	0.27	0.26	0.28	0.29	0.27	0.25	0.12	0.12	0.08	0.12	0.12
	1.1.02	मांस व मछली	3.61	0.13	0.14	0.14	0.09	0.09	0.12	0.09	0.12	0.18	0.18	0.19	0.23	0.25
	1.1.03	अंडा	0.43	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.02	0.01	-0.02	-0.02	-0.01	0.00	0.01

	1.1.04	दूध और उत्पाद	6.61	0.25	0.22	0.22	0.21	0.19	0.18	0.16	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05
	1.1.05	तेल और वसा	3.56	0.05	0.07	0.08	0.08	0.09	0.11	0.10	0.07	0.05	0.04	0.03	0.04	0.03
	1.1.06	फल	2.89	0.17	0.30	0.37	0.31	0.21	0.11	0.05	0.02	0.01	-0.04	-0.12	-0.14	-0.18
	1.1.07	सब्जियां	6.04	0.65	0.43	0.46	0.47	-0.16	-0.54	-0.29	-0.59	-1.19	-1.14	-0.88	-0.48	-0.09
	1.1.08	दालें और उत्पाद	2.38	-0.35	-0.32	-0.29	-0.27	-0.21	-0.18	-0.20	-0.24	-0.21	-0.16	-0.12	-0.08	-0.05
	1.1.09	चीनी और मिष्टान	1.36	-0.02	-0.05	-0.10	-0.09	-0.07	-0.07	-0.08	-0.09	-0.11	-0.11	-0.09	-0.08	-0.07
	1.1.10	मसाले	2.5	0.00	0.03	0.04	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.03	0.04	0.03
	1.2.11	गैर-अल्कोहलिक पेय पदार्थ	1.26	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04
	1.1.12	तैयार भोजन, स्नैक्स, मिठाईयां आदि	5.55	0.27	0.30	0.31	0.29	0.27	0.26	0.26	0.23	0.23	0.22	0.20	0.22	0.20
1		खाद्य और पेय पदार्थ	45.86	1.41	1.43	1.55	1.47	0.80	0.40	0.47	-0.08	-0.78	-0.75	-0.61	-0.02	0.34
2		पान, तंबाकू, और मादक पदार्थ	2.38	0.20	0.21	0.21	0.21	0.16	0.14	0.15	0.16	0.16	0.15	0.15	0.15	0.12
	3.1.01	कपड़े	5.58	0.30	0.31	0.33	0.33	0.31	0.29	0.27	0.21	0.20	0.20	0.16	0.16	0.15
	3.1.02	जूते-चप्पल	0.95	0.04	0.04	0.04	0.05	0.04	0.04	0.04	0.03	0.03	0.03	0.02	0.03	0.03
3		कपड़े और जूते-चप्पल	6.53	0.34	0.36	0.38	0.38	0.35	0.33	0.31	0.24	0.23	0.23	0.19	0.19	0.17
4		हाउसिंग	10.07	0.84	0.87	0.86	0.85	0.82	0.77	0.70	0.67	0.61	0.53	0.53	0.54	0.51
5		ईंधन और प्रकाश	6.84	0.39	0.35	0.39	0.48	0.52	0.57	0.56	0.57	0.49	0.30	0.14	0.09	0.16
	6.1.01	परिवार वस्तुएं और सेवाएं	3.8	0.16	0.18	0.19	0.19	0.19	0.19	0.18	0.23	0.22	0.23	0.24	0.24	0.23
	6.1.02	स्वास्थ्य	5.89	0.29	0.32	0.34	0.34	0.33	0.33	0.33	0.45	0.41	0.49	0.50	0.51	0.51
	6.1.03	परिवहन और संचार	8.59	0.22	0.35	0.41	0.47	0.48	0.45	0.48	0.58	0.45	0.31	0.25	0.23	0.23
	6.1.04	मनोरंजन और मनोविनोद	1.68	0.07	0.08	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09	0.09	0.08	0.09	0.09
	6.1.05	शिक्षा	4.46	0.20	0.24	0.25	0.25	0.26	0.28	0.29	0.29	0.30	0.37	0.36	0.37	0.34
	6.1.06	व्यक्तिगत देखभाल और सामान	3.89	0.17	0.18	0.21	0.20	0.19	0.16	0.15	0.19	0.15	0.16	0.15	0.18	0.15

6		विविध	28.32	1.11	1.36	1.48	1.54	1.52	1.49	1.51	1.81	1.62	1.65	1.58	1.63	1.54
		सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	100.00	4.28	4.58	4.87	4.92	4.17	3.69	3.70	3.38	2.33	2.11	1.97	2.57	2.86

चार्ट 3 (जहां महत्वपूर्ण उप-समूहों के योगदान को पृथक रूप से दर्शाया गया है, तथा अन्य के योगदान को 'अन्य उप-समूहों' के रूप में साथ-साथ मिलाया गया है), से स्पष्ट है कि मार्च 2018 से मार्च 2019 के दौरान सभी महीनों के लिए समग्र मुद्रास्फीति दरों के योगदान में ''वनस्पतियों'' तथा "आवास" को श्रेय दिया गया है । 'आवास' का मुख्य रूप से महत्वपूर्ण अधिमान होने की वजह से, पूरी अवधि में समग्र मुद्रास्फीति दर में संवहनीय रूप से उच्च योगदान दर्ज किया गया । वनस्पतियों' में जुलाई 2018 से मार्च 2019 (अनंतिम) तक निरन्तर अपस्फीति दर्शायी । 'दालों और उत्पादों' ने नवंबर 2018 से मार्च 2019 (अनंतिम) तक निरन्तर अपस्फीति में योगदान दर्शाया ।

समग्र मुद्रास्फीति दर में विभिन्न उप-समूहों/समूहों का योगदान

चार्ट 3

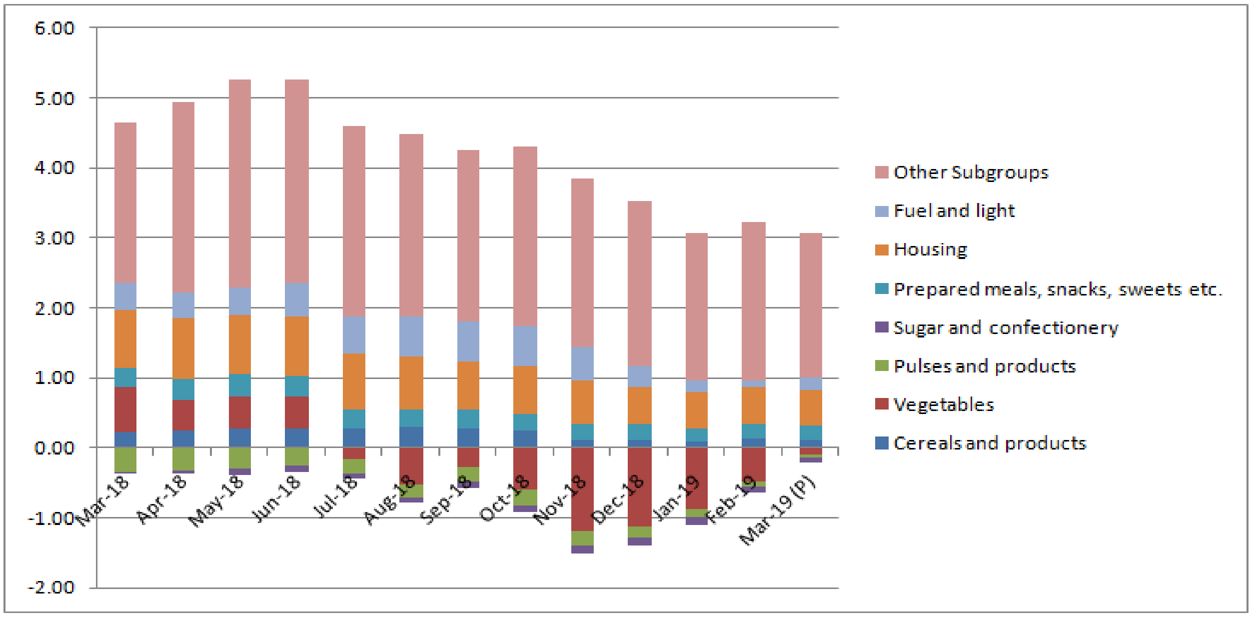

अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम

4.15 अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम (आईसीपी): अंतर्राष्ट्रीय तुलना कार्यक्रम वैश्विक स्तर पर विश्व बैंक द्वारा समन्वित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग (यूएनएससी) तथा एशिया-प्रशांत प्रतिभागी देशों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर एशियाई विकास बैंक के तत्वावधान में एक वैश्विक सांख्यिकी पहल है ।

4.16 यूएनएससी के 47वें सत्र के निर्णय के अनुसार, आईसीपी वैश्विक सांख्यिकी कार्यक्रम का एक स्थाई तत्व बन गया है । इसके अलावा, भारत के मुख्य सांख्यिकीविद आईसीपी के वर्तमान दौर के आईसीपी शासी बोर्ड स्टैटिटिक्स आस्ट्रिया के साथ-सह अध्यक्ष हैं । भारत ने आईसीपी 2017 में भाग लिया । आईसीपी 2017 के लिए मूल्य संग्रहण की संदर्भ अवधि (वर्तमान दौर) अप्रैल 2017 से मार्च 2018 है । आईसीपी के इस चक्र के अंतर्गत, 928 उत्पादों/मदों को परिवार सेक्टर के अंतर्गत विभिन्न उपभोग श्रेणियों के मूल्य स्थिर किए गए । इस समय, 'खाद्य, वस्त्रों और जूते-चप्पलों' और शिक्षा से संबंधित मदों के लिए प्रथम चरण में 320 ग्रामीण बाजारों तथा 577 शहरी बाजारों से तथा 'खाद्य, वस्त्र और जूते-चप्पलों के अलावा अन्य मदों के लिए सर्वेक्षण अवधि के दूसरे चरण में 108 शहरी बाजारों से कीमतें एकत्र की जा रही हैं। मशीनरी तथा उपकरण श्रेणी में 196 मदों का मूल्य स्थिर किया गया तथा विनिर्माण श्रेणी में 58 मदों के मूल्य स्थिर किए गए ।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी)

4.17 सीएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त माध्यमिक डेटा का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।

4.18 आईआईपी आईएमएफ के विशेष डेटा प्रसार मानक (एसडीडीएस) मानदंडों के अनुसार 6 सप्ताह के समय-अंतराल के साथ त्वरित अनुमान के रूप में हर महीने जारी किया जाता है। खनन, विनिर्माण और बिजली क्षेत्रों के लिए सूचकांक के ब्रेकअप के अलावा, अनुमान उपयोग-आधारित वर्गीकरण अर्थात, प्राथमिक सामान, पूंजीगत सामान, मध्यवर्ती माल, बुनियादी ढांचा / निर्माण माल, उपभोक्ता टिकाऊ और उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ के अनुसार जारी भी किए जा रहे हैं। । इन अनुमानों को बाद में 14 स्रोत एजेंसियों से अद्यतन उत्पादन डेटा प्राप्त होने पर संशोधित किया जाता है । हालांकि, आईआईपी के लिए डेटा का प्रमुख स्रोत औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग है, जो कुल आईआईपी में 47.54% के अधिभार के साथ 407 मद समूहों में से 322 के लिए डेटा की आपूर्ति करता है।

4.19 सार्वजनिक पहुंच के लिए, प्रेस विज्ञप्ति, डेटा (क्षेत्रीय और उपयोग आधारित श्रेणी) मेटाडेटा, और आधार वर्ष 2011-12 के साथ अखिल भारतीय आईआईपी की कार्यप्रणाली का विवरण वेबसाइट (http://www.mospi.gov.in/iip-2011-2-सीरीज़)) में उपलब्ध कराया गया है ।

4.20 औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्रवार वार्षिक सूचकांक और इसकी वृद्धि दर 2012-13 से 2017-18 जनवरी 2018 से जनवरी 2019 तक मासिक सूचकांक और विकास दर और 2012-13 से 2018-19 तक वार्षिक सूचकांक और विकास दर (जनवरी 2019 तक)) नीचे दिए गए चार्ट में दर्शाया गया है:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (वार्षिक): 2012-13 से 2017-18: क्षेत्रवार

चार्ट 4

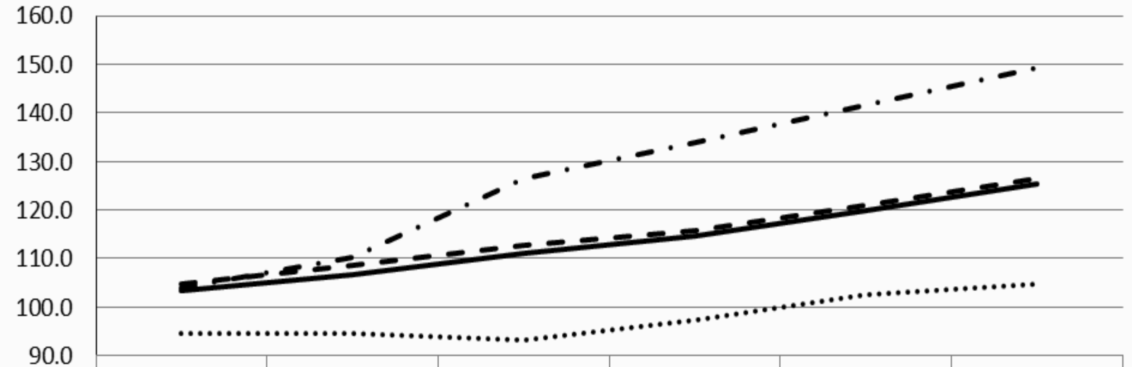

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Mining	94.7	94.6	93.3	97.3	102.5	104.9
Manf.	104.8	108.6	112.7	115.9	121.0	126.6
Elect.	104.0	110.3	126.6	133.8	141.6	149.2
General	103.3	106.7	111.0	114.7	120.0	125.3

नोट: वि. विनिर्माण; इलेक्ट्रोनिक- बिजली

आईआईपी: 2012-13 से 2017-18 के लिए क्षेत्र-वार वार्षिक वृद्धि दरों (पिछले वर्ष के संदर्भ में) की तुलना

चाट्र 5

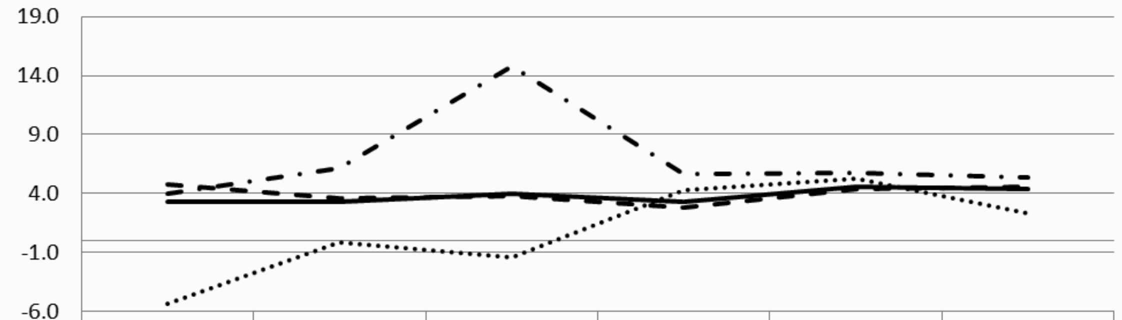

	2012-2013	2013-2014	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018
Mining	-5.3	-0.1	-1.4	4.3	5.3	2.3
Manf.	4.8	3.6	3.8	2.8	4.4	4.6
Elect.	4.0	6.1	14.8	5.7	5.8	5.4
General	3.3	3.3	4.0	3.3	4.6	4.4

नोट: वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक - बिजली

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (मासिक): जनवरी 2018 से जनवरी 2019 - क्षेत्रीय सूचकांक

चार्ट 6

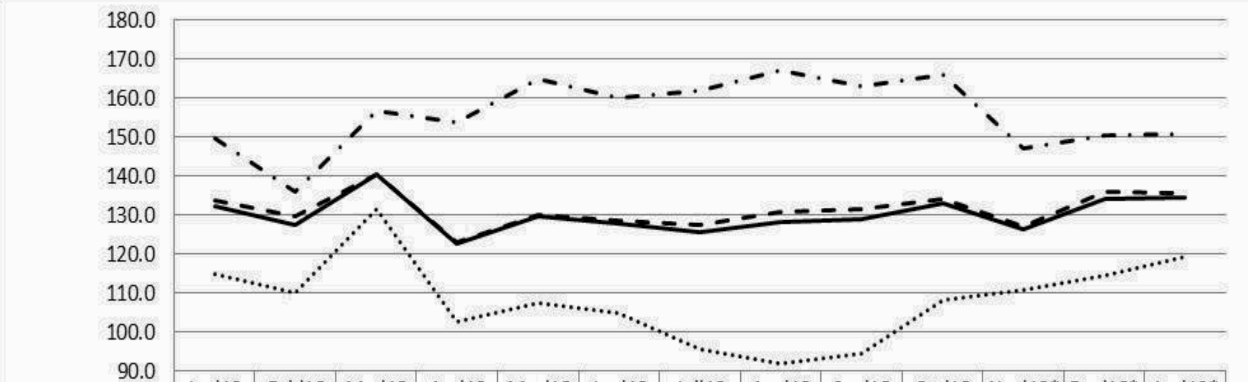

	Jan'18	Feb'18	Mar'18	Apr'18	May'18	Jun'18	Jul'18	Aug'18	Sep'18	Oct'18	Nov'18*	Dec'18*	Jan'19*
Mining	114.7	110.1	131.6	102.6	107.6	104.9	95.5	92.0	94.5	108.2	110.6	114.4	119.2
Manf.	133.8	129.7	140.2	123.1	130.1	128.6	127.6	130.6	131.6	133.9	126.9	135.9	135.6
Elect.	149.5	136.1	156.7	153.7	164.7	159.9	162.0	167.2	162.9	166.0	147.2	150.3	150.7
General	132.3	127.4	140.3	122.6	129.6	127.7	125.7	128.0	128.8	132.8	126.2	134.0	134.5

∗ अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक- बिजली

क्षेत्रवार आईआईपी वृद्धि दर (पिछले वर्ष से संबंधित): जनवरी 2018 से जनवरी 2019

चार्ट 7

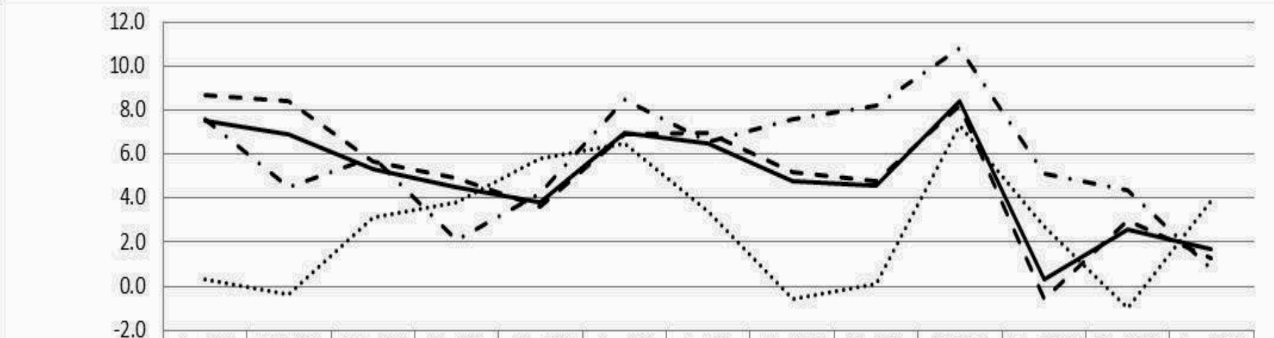

	Jan'18	Feb'18	Mar'18	Apr'18	May'18	Jun'18	Jul'18	Aug'18	Sep'18	Oct'18	Nov'18*	Dec'18*	Jan'19*
Mining	0.3	-0.4	3.1	3.8	5.8	6.5	3.4	-0.6	0.1	7.3	2.7	-1.0	3.9
Manf.	8.7	8.4	5.7	4.9	3.6	6.9	7.0	5.2	4.8	8.2	-0.6	3.0	1.3
Elect.	7.6	4.5	5.9	2.1	4.2	8.5	6.6	7.6	8.2	10.8	5.1	4.4	0.8
General	7.5	6.9	5.3	4.5	3.8	7.0	6.5	4.8	4.6	8.4	0.3	2.6	1.7

∗ अनंतिम

नोट: वि; इलेक्ट्रानिक - बिजली

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (अप्रैल-जनवरी के लिए संचयी): 2012-13 से 2018-19- क्षेत्रवार

चार्ट 8

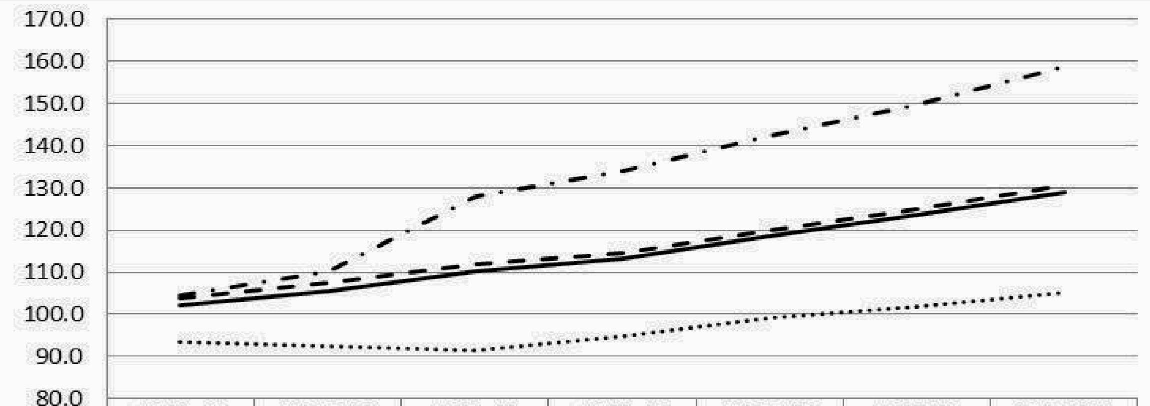

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
Mining	93.5	92.3	91.4	94.7	99.2	101.7	105.0
Manf.	103.8	107.5	111.7	114.4	119.9	124.9	130.4
Elect.	104.4	110.3	127.8	133.8	142.2	149.7	158.5
General	102.3	105.5	110.1	113.1	118.7	123.6	129.0

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक - बिजली

2012-13 से 2018-19 के दौरान अप्रैल से जनवरी की अवधि के लिए सेक्टर-वार आईआईपी विकास दर (पिछले वर्ष) की तुलना

चार्ट 9

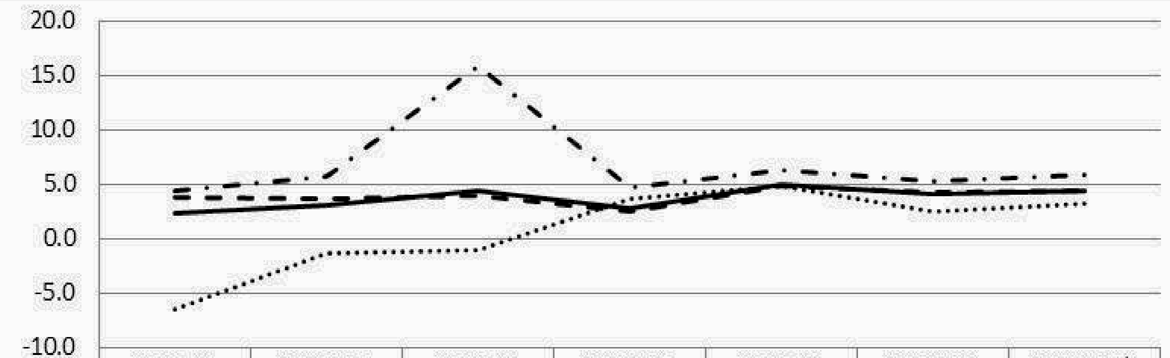

	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19*
Mining	-6.5	-1.3	-1.0	3.6	4.8	2.5	3.2
Manf.	3.8	3.6	3.9	2.4	4.8	4.2	4.4
Elect.	4.4	5.7	15.9	4.7	6.3	5.3	5.9
General	2.3	3.1	4.4	2.7	5.0	4.1	4.4

* अनंतिम

नोट: वि. - विनिर्माण, इलेक्ट्रोनिक- बिजली

राज्य आईआईपी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

4.21 2011-12 के आधार पर अखिल भारतीय आईआईपी के संकलन के अनुरूप राज्य स्तर के आईआईपी के संकलन की सुविधा के लिए, सीएसओ ने राज्य सरकारों के सहयोग से वर्ष 2019 के दौरान राज्यों के साथ पांच क्षेत्रीय सम्मेलन किए । केंद्रीय तथा पूर्वी क्षेत्रीय राज्यों के पांच क्षेत्रीय सम्मेलन 18 जनवरी 2019 को भूवनेश्वर, उड़ीसा में, पश्चिमी क्षेत्रीय राज्यों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन 24 जनवरी 2019 को पणजी, गोवा में, उत्तरी क्षेत्रीय राज्यों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन 19 फरवरी 2019 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में, पूर्वोत्तर राज्यों के क्षेत्रीय सम्मेलन 15 मार्च 2019 को आइजोल, मिजोरम में तथा दक्षिण राज्यों के लिए क्षेत्रीय सम्मेलन 26 मार्च 2019 को तिरूवनन्तपुरम, केरल में आयोजित किए गए । आधार वर्ष 2011-12 के साथ राज्य के आईआईपी के डेटा संग्रह और गुणवत्ता, संकलन, और प्रसार कार्यनीतियों में सुधार से संबंधित मामलों पर चर्चा की गई।

अब तक, 18 राज्य नामत: पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और त्रिपुरा राज्य 2011-12 के आधार के साथ राज्य स्तर के आईआईपी का संकलन कर रहे हैं। कुछ अन्य राज्य अर्थात् गुजरात, गोवा, असम, छत्तीसगढ़, मेघालय, सिक्किम और उत्तराखंड राज्य स्तर के आईआईपी के संकलन के अंतिम चरण में हैं।

18 जनवरी 2019 को भूवनेश्वर, उड़ीसा में आयोजित केंद्रीय और पूर्वी क्षेत्रों की राज्य आईआईपी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

19 फरवरी 2019 को शिमला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राज्य आईआईपी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

15 मार्च 2019 को आइजोल, मिजोरम में आयोजित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए राज्य आईआईपी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

26 मार्च 2019 को तिरूवनन्तपुरम, केरल में आयोजित दक्षिणी क्षेत्र के लिए राज्य आईआईपी पर क्षेत्रीय सम्मेलन

सांख्यिकी अधिनियम, 2008 के संग्रह के कार्यान्वयन पर कार्यशाला

4.22 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के लिए डेटा के मासिक संग्रह के लिए सांख्यिकी (सांख्यिकी संग्रहण) अधिनियम, 2008 के प्रावधानों का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों के तहत विभिन्न डेटा स्रोत एजेंसियों को प्रोत्साहित करने के लिए, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन पर 5 सितम्बर 2018 को नई दिल्ली के सरदार पटेल भवन में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी । सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 के प्रावधानों के बारे में प्रतिभागियों को जागरूक किया गया था, और डेटा संग्रह के लिए अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के लिए आवश्यक कदम विस्तृत रूप से बताए गए थे। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने कार्यशाला में भाग लेने वाली अन्य एजेंसियों के साथ वार्षिक सर्वेक्षण उद्योग के लिए डेटा संग्रह के लिए सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 को लागू करने में अपने अनुभव साझा किए।

ऊर्जा सांख्यिकी

4.23 केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय (सीएसओ) ऊर्जा सांख्यिकी नाम से प्रत्येक वर्ष प्रकाशन निकालता है तथा "ऊर्जा सांख्यिकी-2019" (26वां संस्करण) इस श्रृंखला में नवीनतम प्रकाशन है जिसे मार्च, 2018 में जारी किया गया । यह विभिन्न स्रोतों यथा कोयला, अपरिष्कृत पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस तथा विद्युत के आरक्षित भंडार, संस्थापित क्षमता, उत्पादन, उपभोग, आयात, निर्यात तथा थोक कीमतों का समन्वित तथा अद्यतन किया गया डेटाबेस है । एनर्जी बैलेंस तथा सैंकी डाइग्राम (ऊर्जा प्रवाह डाइग्राम) आगे इसकी उपयोगिता को बढ़ाने पर केंद्रित है । प्रकाशन के इस संस्करण में ऊर्जा संकेतकों (आर्थिक डाइग्राम) को पहली बार शामिल किया गया था । यह प्रकाशन योजनाकारों, नीति-निर्माताओं तथा अनुसंधानकर्ताओं को एक ही जगह पर ऊर्जा संबंधित आंकड़े उपलब्ध करवाकर, उनकी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करता है ।

आर्थिक गणना

4.24 क्षमता विकास योजना के तहत ईएसडी, सीएसओ द्वारा वर्ष 2019 में 7वीं आर्थिक गणना (ईसी) की जा रही है । सीसीईए ने 913 करोड़ रुपए की लागत से 7वीं आर्थिक गणना कराने की मंजूरी दे दी है ।

7वीं आर्थिक गणना आईटी आधारित प्लेटफार्म पहली बार की जा रही है । इस संबंध में, इलेक्ट्रानिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई), भारत सरकार के एक विशेष प्रयोजन साधन (एसपीवी), सीएससी, ई-गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड को कार्यान्वयन एजेंसी के तौर पर लगाया गया है । पूरे देश में सीएससी, एसपीवी की 3 लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्र

(सीएससी) हैं, जिसका संचालन ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) द्वारा किया जाता है, जो कि सामान्यत: स्थानीय लोग होते हैं ।

7वीं आर्थिक गणना के प्रयोजनार्थ निम्नलिखित समितियां गठित की गई हैं:

- 7वीं आर्थिक गणना के संपूर्ण दिशा-निर्देश, संचालन, कार्यान्वन तथा देख-रेख हेतु सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन) की अध्यक्षता में एक स्थाई समिति गठित की गई है ।
- तकनीकी पहलुओं पर दिशा-निर्देश देने हेतु महानिदेशक (अर्थ सांख्यिकी) की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति भी गठित की गई है ।

7वीं आर्थिक गणना के कार्यों के पर्यवेक्षण तथा देख-रेख हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को भी शामिल किया गया है । 7वीं आर्थिक गणना के सुचारू रूप से संचालन हेतु राज्य सरकारों से भी राज्य स्तरीय समन्वय समिति (एसएलसीसी) तथा जिला स्तरीय समन्वय समितियां (डीएलसीसी) गठित करने का अनुरोध किया गया है ।

प्रारंभिक कार्य, यथा आईटी एप्लिकेशन, एमआईएस डैशबोर्ड्स, प्रशिक्षण मैनुअल, एफएक्यू, मीडिया सामग्री तथा क्षमता विकास कार्य प्रगति पर है तथा जून-जुलाई 2019 में फील्ड कार्य शुरू होने की संभावना है ।

सामाजिक सांख्यिकी

4.25 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग सामाजिक, पर्यावरण तथा बहु-पहलू सांख्यिकी के विकास के समन्वय के लिए उत्तरदायी है । सामाजिक सांख्यिकी के दायरे में जनसंख्या, स्वास्थ्य तथा शिक्षा सहित मानव विकास, रोजगार, सामाजिक न्याय तथा समय उपयोग आता है जबकि बहु-पहलू सांख्यिकी में गरीबी, जेंडर, विकलांगता, निशक्तता तथा सहस्राब्दि विकास ध्येयों, संवहनीय विकास ध्येयों, सार्क विकास ध्येयों और सार्क सामाजिक चार्टर संबंधी संकेतक आते हैं ।

संवहनीय विकास ध्येयों के लिए वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क का विकास

4.26 25 सितंबर 2015 को न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय पर राष्ट्र व सरकारों के अध्यक्ष तथा उच्च प्रतिनिधियों की बैठक में वैश्विक संवहनीय विकास लक्ष्यों के एक सैट को अंगीकार करने के लिए 'ट्रांसफार्मिंग आवर वर्ल्ड संवहनीय विकास के लिए 2030 एजेंडा' नामक संकल्प को अंगीकार किया, जो विश्व को वर्ष 2030 तक परिणत करेंगे । इन सार्वभौमिक ध्येयों तथा लक्ष्यों, में समग्र विश्व, विकसित तथा विकासशील देश शामिल हैं । इन्हीं सतत विकास के तीन आयामों, आर्थिक, सामाजिक तथा पर्यावरणीय में समेकित और आविभाज्य तथा संतुलित किया गया है ।

4.27 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एसडीजी की वैश्विक निगरानी के लिए संकेतक फ्रेमवर्क का विकास करने तथा परिष्कार करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग द्वारा वैश्विक प्रयासों में शामिल है । भारत संवहनीय विकास लक्ष्य संकेतकों संबंधी अंतर-एजेंसी तथा विशेषज्ञ समूह (आईएईजी-एसडीजी) का एक सदस्य है । आईएईजी-एसडीजी की चौथी बैठक में, एसडीजी के वैश्विक संकेतकों की सूची को अंतिम रूप दिया गया, जिसे बाद में 6 जुलाई 2017 को अंगीकार किया गया । वैश्विक संकेतक फ्रेमवर्क में 232 अनन्य संकेतक हैं ।

4.28 भारत में, नीति आयोग को राष्ट्रीय लक्ष्यों की पहचान करने तथा कार्यान्वयन हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उन्हें सौंपने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय संकेतक (एनआईएफ) फ्रेमवर्क विकसित किया है, जो संबंधित एसडीजी का कार्यान्वयन करने के लिए विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रदत्त आंकड़ों के आधार पर एसडीजी और सम्बद्ध लक्ष्यों की प्रगति का आकलन करने में सहायता करेगा ।

4.29 एसडीजी और संबद्ध लक्ष्यों की निगरानी के लिए समय-समय पर राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क की समीक्षा तथा परिष्कर करने हेतु सरकार ने भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) के गठन को अनुमोदित किया है, जिसमें नीति आयोग, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और किसान कल्याण मंत्रालय, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, वित्त मंत्रालय तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय से सदस्य शामिल हैं ।

4.30 एनआईएफ को एक राष्ट्रीय परामर्श प्रक्रिया के आधार पर विकसित किया गया है जिसमें सरकार, राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग संयुक्त राष्ट्र एजेंसियां तथा अन्य हितधारक शामिल

हैं । 306 संकेतकों वाली एनआईएफ को मार्च 2018 में मंत्रालय की वेबसाइट http:mospi.gov.in पर अपलोड किया गया ।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय आधार वर्ष 2015-16 वाली एनआईएफ की बेसलाइन रिपोर्ट को पूरा करने की प्रक्रिया में है, जो वर्ष 2030 तक मंत्रालय से एकत्र आंकड़ों का उपयोग करने तथा एसडीजी और इनसे सम्बद्ध लक्ष्यों का आकलन करने हेतु बेंचमार्क की सैटिंग में सहायता करेगी । रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट पर रखी जाती है ।

4.31 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय यूएनआरसी, भारत के कार्यालय के सहयोग से राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क संबंधी एक एसडीजी डैशबोर्ड विकसित कर रहा है । इसके अलावा, एसडीजी पर एक वेबपेज का सृजन किया गया हे तथा इसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है ।

समझौता ज्ञापन नई प्रौद्योगिकी के उपयोग सहित एसडीजी के ध्येयों तथा लक्ष्यों की सांख्यिकी निगरानी से संबंधित मुद्दों पर साथ मिलकर काम करने के समग्र उद्देश्य के साथ 15 मार्च 2018 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र स्थानिक समन्वयक (युएनआरसी) के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए ।

4.32 भारत में 20 नवंबर, 2018 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के बीच भारत के मुख्य सांख्यिकीविद और सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्री प्रवीण श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित की गई । यह बैठक भारत में संस्थापित संयुक्त राष्ट्र की सभी एजेंसियों और एसडीजी निगरानी पर विभिन्न प्रमुख मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ कार्य कर रही एजेंसियों तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय एक साझा फ्रेमवर्क के तहत अनुभवों और विशेषताओं को साझा करने के लिए एक मंच पर एक साथ लाई है ।

पर्यावरण सांख्यिकी और लेखा

4.33 भारत में पर्यावरण संबंधी शासकीय सांख्यिकी के संबंध में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के कार्यकलाप दो प्रमुख क्षेत्रों में वर्गीकृत किए जा सकते हैं-पर्यावरण सांख्यिकी और पर्यावरण लेखा। इन क्षेत्रों में वर्ष 2018-19 के दौरान इस संदर्भ में प्रभाग द्वारा शुरू किए गए कुछ कार्यकलापों को निम्नलिखित पैराग्राफों में उजागर किया गया है:

पर्यावरण सांख्यिकी

4.34 पर्यावरण के सभी पहलुओं पर सांख्यिकी सूचना जारी करने तथा मिलान करने के अपने प्रयासों को सतत रखते हुए मार्च 2019 में ''एनवी स्टेटस-इंडिया, 2019; वाल्युम-I - पर्यावरण सांख्यिकी प्रकाशन जारी किए । यह प्रकाशन पर्यावरण सांख्यिकी के संकलनार्थ यूएनएसडी द्वारा विहित एफडीईएस 2013 पर आधारित है तथा एफडीईएस 2013 में विहित छह मौलिक घटकों नामत: (i) पर्यावरण स्थितियां और गुणवत्ता; (ii) पर्यावरण संसाधन और उनका उपयोग; (iii) अवशिष्टों (iv) चरम घटनाओं और आपदाओं; (v) मानव अवस्थापन और पर्यावरणीय स्वास्थ्य; (vi) पर्यावरण संरक्षण, प्रबंधन और कार्य पर सूचना उपलब्ध कराता है । प्रकाशन इन वर्षों में आय महत्वपूर्ण बदलावों की ओर ध्यान दिलाता है, जिससे नीति-निर्माताओं को महत्वपूर्ण मामलों तथा/या विशेष संबंधित क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी ।

पर्यावरण लेखा

4.35 पर्यावरणीय लेखा प्राकृतिक पूंजी की वैल्यू को पूंजी के अन्य रूपों के साथ-साथ राष्ट्रीय लेखांकन फ्रेमवर्क में शामिल करने में सहायता करते हैं । समेकित पर्यावरणीय -आर्थिक लेखा पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संबंधों को समझने में सहायता कर सकते हैं, जो प्राकृतिक पूंजी के सतत उपयोग को समर्थ बनाता है । इस दिशा में पहले माइलस्टोन के रूप में, इस प्रभाग ने 'एन्वीस्टेट्स-इंडिया 2018: सप्लीमेंट ऑन एन्वायरन्मेन्टल एकाउंट्स' प्रकाशन में चार महत्वपूर्ण स्रोतों -वन, भूमि,खनिजों और जल के परिसम्पत्ति लेखा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सितम्बर 2018 में जारी किए ।

इस प्रभाग के अलावा, निर्णय-निर्माण में प्राकृतिक पूंजी लेखाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए, प्रभाग "प्राकृतिक पूंजी लेखांकन और पारिस्थितिकी-प्रणाली सेवाओं के वैल्यूशन' पर परियोजना का समन्वय कर रहा है । यह ईयू-वित्त पोषित परियोजना का संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण और जैविक भिन्नता कन्वेंशन के सचिवालय के मध्य साझा परियोजना के रूप में कार्यान्वयन किया जा रहा है तथा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखाओं के संकलन के पथ पर, भारत के आगे बढ़ने की संभावना है । इस परियोजना के अंतर्गत, भारत में मौजूदा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखांकन पहलों तथा साहित्य की समीक्षा करने तथा पारिस्थितिकी प्रणाली लेखाओं का संकलन करने के लिए आंकड़ा स्रोतों के लिए लैंड स्केप मूल्यांकन किया गया, जिसकी रिपोर्ट यूएनएसडी की वेबसाइट पर

अपलोड की गई है । इस मूल्यांकन ने पारिस्थितिकी प्रणाली लेखांकन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए कार्य योजना तैयार करने में प्रभाग की सहायता की ।

जेंडर सांख्यिकी

4.36 सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग देश में जेंडर सांख्यिकी के संग्रहण, समेकन से संबंधित मामलों पर अन्य मंत्रालयों/विभागों को तकनीकी मार्ग-दर्शन देता है । भारत जेंडर सांख्यिकी पर इंटर-एजेंसी तथा विशेष समूह और अन्य अंतर्राष्ट्रीय मंचों में सदस्य है । मंत्रालय जेंडर सांख्यिकी पर सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेता है ताकि अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य में इसके विकास को समझा जा सके तथा भारत के दृष्टिकोण को आगे रखा जा सके । मंत्रालय के सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग (एसएसडी) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने जेण्डर सांख्यिकी पर अन्तर-एजेंसी विशेषज्ञ समूह की 12वीं बैठक तथा जेण्डर सांख्यिकी पर सातवें वैश्विक मंच पर 13-16 नवम्बर 2018 के दौरान टोक्यो, जापान में भाग लिया ।

सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सामाजिक चार्टर

4.37 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय देश में सार्क सामाजिक चार्टर के लक्ष्यों के समन्वय एवं कार्यान्वयन की निगरानी हेतु नोडल मंत्रालय के रूप में नामित है। सार्क विकास लक्ष्य और सार्क सामाजिक चार्टर गरीबी उन्मूलन, आय के स्तर बढ़ाने, बेहतर स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं उपलब्ध कराने, साक्षरता स्तर बढ़ाने की दिशा में सरकारी नीतियों की उपलब्धियों को मापता है और इसके द्वारा नागरिकों का जीवन स्तर बेहतर बनाता है। सार्क विकास लक्ष्यों और सार्क सामाजिक चार्टर संबंधी प्रकाशन एकांतर वर्षों में प्रकाशित किए जाते हैं जो सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए सफलता का आकलन करने हेतु सांख्यिकी साधन उपलब्ध कराता है, जो सार्क के प्रमुख ध्येयों की पुष्टि करते हैं ।

खाद्य और पोषण सुरक्षा विश्लेषण

4.38 भारत सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यूएफपी) के बीच एक देशव्यापी कार्यनीतिक योजना (सीएसपी) 2015-18 पर अगस्त 2015 में हस्ताक्षर किए गए, जिसके माध्यम से डब्ल्यूएफपी निम्नलिखित दो उद्देश्यों i)सभी लोगों के लिए वर्षभर सुरक्षित, पौष्टिक तथा पर्याप्त भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करना । ii) 5 वर्ष से कम आयु के अविकसित और दुर्बल बच्चों पर ध्यान देते हुए तथा किशोरियों, गर्भवती और शिशुवती महिलाओं तथा वृद्ध व्यक्तियों की पौष्टिक जरूरतों पर ध्यान देते हुए अंतर्राष्ट्रीय रूप से सहमत लक्ष्यों के अनुसार कुपोषण की समाप्ति सुनिश्चित करने के संबंध में महत्वपूर्ण एवं अनुमानित प्रगति के लिए भारत सरकार को ध्यान केंद्रित करने का समर्थन करता है ।

मानव संसाधन विकास

4.39 ग्रेटर नोएडा स्थित राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी (एनएसएसटीए) और मदनगीर रोड़, नई दिल्ली स्थित पुष्पा भवन में स्थित प्रशिक्षण एकक, केन्द्रीय सांख्यिकी कार्यालय के प्रशिक्षण प्रभाग के रूप में कार्य करता है।

4.40 राष्ट्रीय सांख्यिकी पद्धति प्रशिक्षण अकादमी, जो राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रशासन अकादमी (नासा) के रूप में जाना जाता था, को 13 फरवरी 2009 को स्थापित किया गया था जो राष्ट्रीय तथा राज्य स्तर पर आधिकारिक सांख्यिकी में मानव संसाधन विकास को मुख्य रूप से पोषित करने वाला प्राथमिक संस्थान है। यह अकादमी सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में और राष्ट्रीय/उप-राष्ट्रीय तथा साथ ही, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विशेषकर विकासशील और सार्क देशों के स्तर पर संबंधित विषयों में क्षमता-निर्माण में सक्रिय रूप से संलग्न है । सामाजिक-आर्थिक माहौल व अग्रिम प्रौद्योगिकी और कार्यप्रणाली के अनुरूप सांख्यिकी कार्यदल बनाने की चुनौती का सामना करते हुए यह अकादमी न केवल अद्यतन पाठ्यसामग्री/पाठ्यक्रमों आदि को संशोधित करने का संवहनीय प्रयास करता रहता है बल्कि शिक्षण-विधि, जिसमें केंद्र तथा राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों में नए भर्ती तथा सेवारत सांख्यिकी कार्मिकों को निर्देशित इसकी संकेन्द्रित प्रशिक्षण कार्यनीति में सम्मिलित करते हुए कारगर प्रदायगी तंत्रों का कार्यान्वयन भी करता है। इस अकादमी के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:

- देश के लिए नीतियां और योजनाएं बेहतर तरीके से तैयार करने के लिए आंकड़ा संग्रहण, मिलान, विश्लेषण और प्रचार की वर्तमान तथा उभरती चुनौतियों के प्रबंधन हेतु सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षित जनशक्ति का पूल सृजित करना;
- विशिष्ट लघु/मध्यम अवधि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से व्यापक स्तरीय कार्यक्रमों/परियोजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन के लिए सांख्यिकी और गैर-सांख्यिकी जनशक्ति को प्रशिक्षित करना; तथा
- विश्वविद्यालयों, विदेशी व्यावसायिक संस्थाओं तथा यूएन/द्विपक्षी एजेंसियों से शिक्षाविदों, अनुसंधानकर्ताओं तथा व्यवसायविदों के परामर्श और सहयोग से कोर्स-वेयर के माध्यम से प्रशिक्षण सामग्री विकसित करना तथा प्रशिक्षकों का पूल तैयार करना ।

4.41 अंगीकृत प्रशिक्षण कार्यनीति एनएसएसटीए में प्रवेशन तथा पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम, दोनों को आयोजित करना तथा अनेक अन्य अभिज्ञात प्रतिष्ठित व विशेषज्ञ संस्थाओं को बाह्य स्रोतों से प्रशिक्षण दिलवाना अपरिहार्य है। ये कार्यालय केंद्र सरकार में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों नामत: भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) अधिकारियों तथा केंद्र सरकार की अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) पदाधिकारियों और अभिज्ञात विषय क्षेत्रों में राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र सरकारों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से सांख्यिकी अधिकारियों को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

4.42 एनएसएसटीए मित्र और पड़ोसी एशियाई और अफ्रीकी देशों के सांख्यिकी कार्मिकों के क्षमता-निर्माण के विषय में नियमित रूप से तकनीकी सहायता भी प्रदान करता है । इसके परिणामस्वरूप, एनएसएसटीए में अनुरोध आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का नियमित तौर पर आयोजन किया जाता है ।

4.43 एनएसएसटीए अपने परिसर तथा विभिन्न विश्वविद्यालयों, दोनों में आधिकारिक सांख्यिकी में जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से संभावित मानव संसाधनों के प्रति संचेतना पैदा करने के प्रयास भी करता है। इन कार्यक्रमों में एनएसएसटीए में विभिन्न विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों और विद्यार्थियों का प्रशिक्षण तथा अकादमी और सीएसओ के अधिकारियों द्वारा चुनिंदा विश्वविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करना भी शामिल है। एनएसएसटीए प्रत्येक वर्ष इस क्रियाकलाप को निरंतर आयोजित करता है, क्योंकि इसे शासकीय सांख्यिकी के प्रयोक्ता समुदाय हेतु अत्यंत उपयोगी पाया गया है ।

सुविधाएं:

4.44 एनएसएसटीए प्रशिक्षणार्थियों के प्रशिक्षण तथा उनके ठहरने और खान-पान संबंधी अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त है। संस्थान के परिसर में तीन सुव्यवस्थित ब्लॉक नामत: शिक्षण और प्रशासनिक ब्लॉक, हॉस्टल ब्लॉक, तथा आवासीय ब्लॉक हैं, जिनके चारों तरफ सुव्यवस्थित परिदृश्य हैं। शैक्षणिक तथा प्रशासनिक ब्लॉक में उपलब्ध सुविधाओं के अंतर्गत एक सम्मेलन कक्ष भी है जिसमें लगभग 60 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, एक केन्द्रीकृत वातानुकूलित ऑडिटोरियम जिसका नाम महालनोबिस ऑडिटोरियम है, में लगभग 160 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता है, पांच व्याख्यान/प्रशिक्षण/सेमिनार भवन हैं जो अद्यतन कंप्यूटरीकृत शिक्षण उपकरणों से युक्त हैं, एक पुस्तकालय है जिसका नाम 'सुखात्मे पुस्तकालय' है, आईटी शिक्षण कंप्यूटर प्रयोगशाला है जो किसी भी समय, मौजूदा प्रशिक्षण के निमित्त लगभग 30 प्रशिक्षणार्थियों हेतु प्रशिक्षण संचालन संबंधी पर्याप्त अवसंरचना से युक्त है। साथ ही, 100 प्रशिक्षणार्थियों के लिए रहने की सुविधाएं हैं, जिनमें 40 सिंगल बेड तथा 30 डबल बेड वातानुकूलित कक्ष हैं। परिसर में उपलब्ध मनोरंजन संबंधी सुविधाओं में बिलियर्ड्स, टेबल टेनिस इत्यादि जैसे इंडोर खेल तथा वॉलीबॉल और बैडमिंटन जैसे आउटडोर खेल शामिल हैं।

4.45 नई प्रौद्योगिकियों, विशेषकर सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उभरती हुई नई प्रौद्योगिकियों के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए एनएसएसटीए ने कार्यालय ऑटोमेशन की दिशा में विभिन्न उपाय किए हैं। इसके लिए, सर्वरों जैसे कि ब्लेड सर्वर, डेटाबेस सर्वर, एक्सचेंज सर्वर इत्यादि के संदर्भ में, संस्थान के परिसर के भीतर आवश्यक सॉफ्टवेयर के साथ एक महत्वपूर्ण आईटी अवसंरचना स्थापित की गई है ताकि न केवल एनएसएसटीए के अधिकारियों बल्कि प्रशिक्षणार्थियों को भी जरूरी आईटी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी)

4.46 विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों पर ध्यान देने और एनएसएसटीए का मार्गदर्शन करने के उद्देश्य से भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों और प्रतिष्ठित संस्थानों के विशेषज्ञों को सदस्यों के रूप में शामिल करते हुए 'प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति' (टीपीएसी) नामक एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है। यह समिति सभी मॉड्यूल्स के लिए पाठ्यक्रम, अवधि और प्रशिक्षण विधियों की पुनरीक्षा के अलावा आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण कैलेंडर का मूल्यांकन और अनुमोदन करती है। अधिकतर पाठ्यक्रमों का संचालन एनएसएसटीए में किया जाता है, जबकि कुछ विशिष्ट पाठ्यक्रम दिल्ली या बाहर स्थित अतिविश्वसनीय प्रतिष्ठित संस्थानों/संगठनों के माध्यम से आयोजित किए जाते हैं। एनएसएसटीए द्वारा संचालित विभिन्न कार्यक्रमों/शामिल विषयों में मुख्यत: शासकीय सांख्यिकीय पद्धति, सैद्धांतिक तथा अनुप्रयोग सांख्यिकी, वृहत स्तरीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण, एसएनए 1993 और 2008, आंकड़ा प्रबंधन तकनीक, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, लघु और वृहत अर्थशास्त्र, इकॉनोमेट्रिक्स आदि शामिल हैं ।

एनएसएसटीए में नियमित प्रशिक्षण कार्यक्रम सूची

4.47 एनएसएसटीए द्वारा संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

- भारतीय सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु छह महीने की 'ऑन-दी-प्रशिक्षण जॉब सहित दो वर्षीय प्रवेशन प्रशिक्षण कार्यकम;
- अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा के अधिकारियों हेतु प्रवेशन एवं एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम, इनमें इन पाठ्यक्रमों के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी शामिल है;
- केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों और इसी तरह के विभागों से सेवाकालीन अधिकारियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों हेतु पुनश्चर्या प्रशिक्षण पाठ्यक्रम/संगोष्ठियां/कार्यशालाएं;
- केंद्रीय/राज्य/संघ-राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए अनुरोध आधारित पुनश्चर्या प्रशिक्षण कार्यक्रम;
- भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता और इसके अन्य केंद्रों के एम-स्टैट विद्यार्थियों को शासकीय सांख्यिकी पद्धति से अवगत कराने संबंधी कार्यक्रम;
- विश्वविद्यालयों के संकाय सदस्यों तथा विद्यार्थियों के लिए शासकीय सांख्यिकी पर जागरूकता कार्यक्रम;
- भारतीय विश्वविद्यालयों में स्नातकोत्तर छात्रों के लिए सांख्यिकी में इंटर्नशिप कार्यक्रम ।

4.48 विशेषीकृत प्रशिक्षण के प्रयोजनार्थ, एनएसएसटीए विभिन्न प्रतिष्ठित/विशेषीकृत संस्थानों अर्थात आईआईएम, आईआईआरएस, देहरादून, एएससीआई, हैदराबाद, श्रम ब्यूरो, शिमला, आईआईपीए,दिल्ली, आईआईपीएस, मुम्बई, सी.आर.रॉव एआईएमएससी, हैदराबाद, डॉ.

एमसीआरएचआरडी, हैदराबाद, आईएसआई, कोलकाता, दिल्ली स्कूल ऑफ इकॉनामिक्स दिल्ली, आईएएसआरआई, दिल्ली, आईएसईसी, बैंगलौर आदि के साथ सहयोग करता है ।

4.49 राज्य सांख्यिकीय कार्मिकों के लिए प्रशिक्षणः- राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र के अधिकारियों हेतु उनकी रूचि के कतिपय विशिष्ट विषय-क्षेत्रों के लिए समय-समय पर नियमित और मांग आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, एनएसएसटीए में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त विशेष अनुरोधों के आधार पर समुचित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं।

4.50 **अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम:**

i. अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केंद्र (आएसईसी) कोलकाता के सहयोग से भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) कोलकाता के तहत अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभागियों हेतु अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी शिक्षा केंद्र पाठ्यक्रम के लिए 'शासकीय सांख्यिकी और संबद्ध विधि-विज्ञान' पर 10 माह की अवधि में से चार सप्ताह का एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आईएसआई, कोलकाता द्वारा आयोजित किया गया ।
ii. एशिया और प्रशांत क्षेत्र सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी), एशिया और प्रशांत क्षेत्र संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), खाद्य और कृषि संगठन (एफएओ), विश्व बैंक या देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के अनुरोध पर सार्क क्षेत्र, एशिया और प्रशांत, अफ्रीका तथा अन्य देशों के सांख्यिकीय कार्मिकों/प्रतिभागियों के लिए लघु अवधि अर्थात एक-दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम और अध्ययन आयोजित किए गए ।
iii. एनएसएसटीए द्वारा शासकीय सांख्यिकी के उभरते हुए क्षेत्रों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, संगोष्ठियां और कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

आंकड़ा भंडारण तथा प्रसार प्रभाग (डीएसडीडी)

4.51 इस प्रभाग में अब अत्याधुनिक कंप्यूटर डिवाइसेस तथा सर्वर स्थापित किए गए हैं। मंत्रालय का आंकड़ा केंद्र राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय उपयोक्ताओं की आंकड़ा जरूरतों की पूर्ति के लिए हर समय अर्थात 365x24x7 काम करता है। डीएसडीडी के मुखिया अपर महानिदेशक (आईएसएस) हैं।

यह प्रभाग भारत सरकार की उन क्लाउड सेवाओं के जरिए क्लाउड कंप्यूटिंग के लाभों को भी उपयोग में लाता है जिसमें सीपीआई, आईएचएसएन तथा सीएपीआई आदि जैसे मंत्रालयों के कई वेब अनुप्रयोग अवसंरचना तथा स्पीड के बेहतर उपयोग के लिए हैं।

डीएसडीडी की प्रमुख परियोजनाएं:

4.52 **आंकड़ा तैयारी, विधायन तथा प्रसार :**

मंत्रिमंडल द्वारा सितम्बर, 1999 में अनुमोदित “सांख्यिकीय आंकड़ों के प्रचार-प्रसार संबंधी राष्ट्रीय नीति” के अनुसार, डीएसडीडी (जिसे पूर्व में कंप्यूटर केंद्र के तौर पर जाना जाता था) को शासकीय सांख्यिकी के राष्ट्रीय डेटा वेयरहाउस का सृजन तथा अनुरक्षण एवं उपयोगकर्ताओं तक यूनिट स्तर के आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करने की जिम्मेदारी दी गई है।

प्रभाग एनएसएसओ तथा सीएसओ द्वारा आयोजित विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों, आर्थिक गणनाओं, उद्यम सवेक्षणों तथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणों के माध्यम से तैयार लघु आंकड़ों के एक बड़े वॉल्युम का आधान है । इन आंकड़ों का बड़ी संख्या में राष्ट्रीय तथा अंतर-राष्ट्रीय प्रयोक्ताओं में नियमित रूप से प्रचार किया जा रहा है ।

उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

4.53 डीसडीडी ग्रामीण और शहरी सेक्टरों से प्राप्त, मूल्य आंकड़ों का विधायन करता है तथा सीएसओ द्वारा सीपीआई की रिलीज के लिए सीपीआई का संकलन करता है । कम्प्यूटर सेंटर द्वारा विकसित मूल्य संग्रहण सॉफ्टवेयर जो शहरी सेक्टर में सभी क्षेत्र संवर्ग प्रभाग कार्यालयों में चलाया जा रहा है, को आयोजित किया गया है । कम्प्यूटर सेंटर ने सीपीआई डेटा को सुगमता से पुन: प्राप्ति के लिए सीपीआई आर्काइवल पोर्टल सॉफ्टवेयर विकसित किया है ।

4.54 प्रेस रिलीज के उपरांत, निम्नलिखित सूचकांकों को समय श्रृंखला सूचकांकों, कल्पना, मुद्रास्फीति दरों, प्रेस रिलीज, अधिमान दर्शाने के लिए सीपीआई वेब पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा इन्हें विभिन्न प्रारूपों में डाउनलोड किया जा सकता है:-

क) राज्य/अखिल भारत/समूह-उप-समूह सूचकांक
ख) अखिल भारत मद सूचकांक
ग) वार्षिक मुद्रास्फीति दर
घ) अखिल भारत मद मुद्रास्फीति दरें
ड़) प्रेस रिलीज

अखिल भारत सामान्य सूचकांक (सभी समूह) आधार: 2012:100

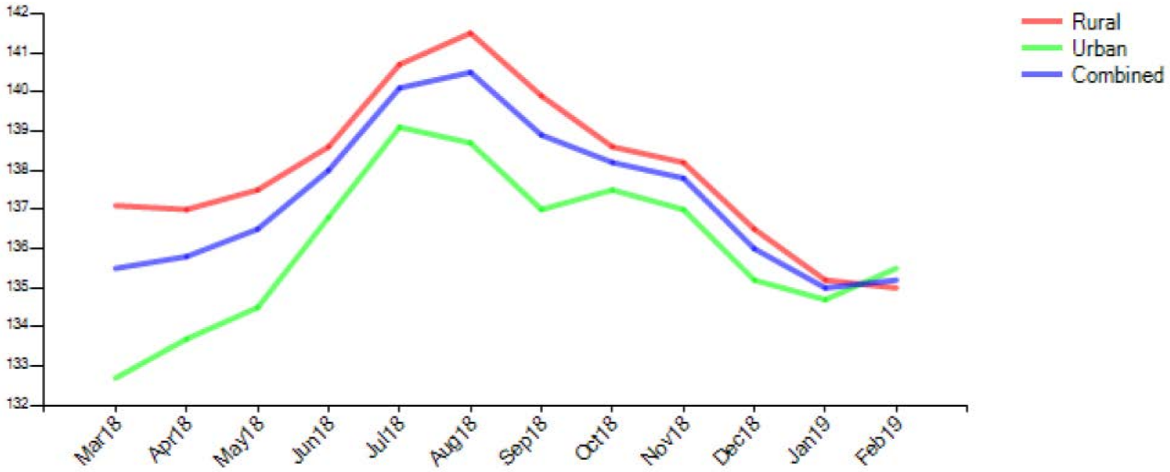

अखिल भारत उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक आधार: 2012=100

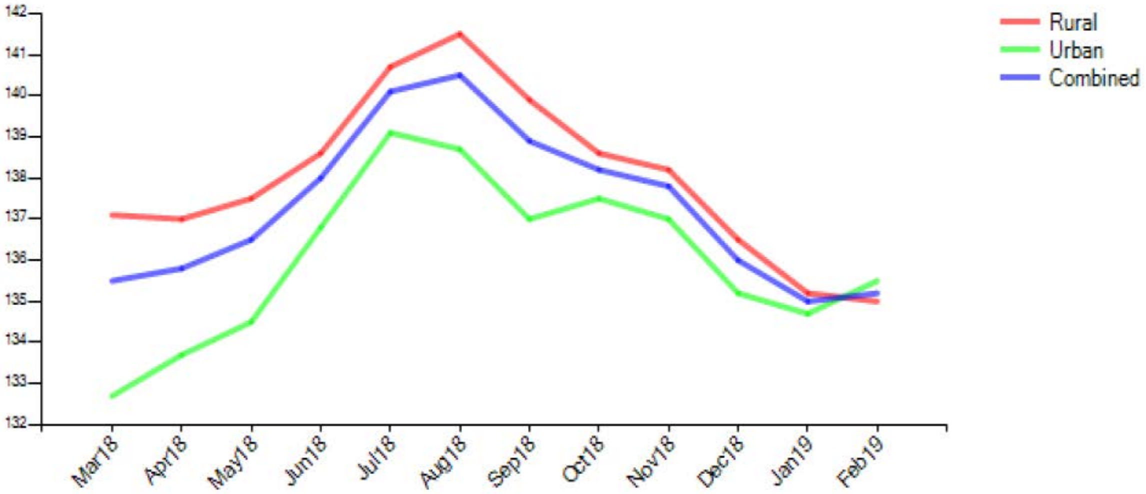

राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी आंकड़ा भन्डारण

4.55 आंकड़ा भण्डारण और आंकड़ा प्रचार प्रभाग (कम्प्यूटर सेन्टर सहित) एनएसएसओ तथा सीएसओ द्वारा किए गए विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों, आर्थिक गणनाओं, अद्यतन सर्वेक्षणों, मूल्य सर्वेक्षणों तथा वार्षिक उद्योग सर्वेक्षणों के माध्यम से एकत्रित बड़ी संख्या में माइक्रो डेटा का आधान है जिनका आंकड़ों के प्रचार संबंधी राष्ट्रीय नीति के अनुसार पूरे विश्व के प्रयोक्ताओं को प्रचार किया जाता है ।

आंकड़ा भण्डारण और आंकड़ा प्रचार प्रभाग (कम्प्यूटर सेक्टर सहित) राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी आंकड़ा भण्डारण के सृजन और रख-रखाव तथा प्रयोक्ताओं को इसके स्तरीय आंकड़ों के प्रचार के लिए उत्तरदायी है ।

आंकड़ा संग्रहण, वैधीकरण, विश्लेषण, प्रचार की चुनौतियों के निराकरण तथा शासकीय सांख्यिकी आंकड़ों के इष्टतम उपयोग के लिए एक वेब-आधारित समेकित सूचना पोर्टल (राष्ट्रीय शासकीय सांख्यिकी आंकड़ा) का प्रस्ताव किया जा रहा है ।

मंत्रालय की वेबसाइट

4.56 डीएसडीडी, इस मंत्रालय की वेबसाइट (**http:www.mospi.gov.in**) के विकास, अद्यतन तथा रख-रखाव के लिए एक नोडल एजेंसी है । समस्त प्रकाशन रिपोर्ट, मेटाडेटा, सीपीआई और आईआईपी तथा एसडीजी के बाह्य लिंक रखने वाले इस मंत्रालय के सभी प्रभागों के लिए एक समेकित मंच है ।

आईएचएसएन टूल किट साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण आंकड़ा सूचीयन

4.57 इस प्रभाग ने अंतर-राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन) तथा माइक्रो डेटा मैनेजमेंट टूल किट साफ्टवेयर द्वारा प्रदत्त एनएडीए 4.0 साफ्टवेयर का उपयोग करते हुए अंतर-राष्ट्रीय मानक पद्धति को अंगीकार करके गणना का मेटाडेटा और माइक्रो डेटा प्रचार हेतु प्रयोक्ता अनुकूल वेब-पोर्टल विकसित किया है । इन डेटासेट को एसपीएसएस, एसएएस, स्टेटा, सीएसवी और सीमांकित पाठ फाइल जैसे विभिन्न फार्मेटों में निर्यात किया जा सकता है ।

4.58 माइक्रो डेटा आर्काइव राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण तथा आर्थिक गणनाओं के अंतर्गत कराए गए 142 से अधिक सर्वेक्षण तथा गणनाओं की इस समय मंत्रालय की वेबसाइट पर उपलब्ध सम्पूर्ण मेटाडेटा तक वेब आधारित पहुंच प्रदान करता है । प्रत्येक माह एक लाख से अधिक प्रयोक्ताओं ने वर्ष 2018-19 के दौरान मेटाडेटा को देखा/डाउनलोड किया । इसने अंतर-राष्ट्रीय मानक वाले एक स्रोत से सम्पूर्ण डेटा सुलभ/डाउनलोड कराने के लिए प्रयोक्ता को समर्थ बनाया है ।

अप्रैल, 2018 से मार्च, 2019 के दौरान इकाई-वार आईएचएसएन हिट्स

माह	एएसआई	ईसी	एनएसएस	अन्य	कुल
अप्रैल-18	7194	832	107786	226	116038
मई-18	6245	5358	46389	76	58068
जून-18	5413	2272	24117	255	32057
जुलाई-18	13456	10248	91021	419	115144
अगस्त-18	10684	5019	58092	265	74060
सितंबर-18	29673	22399	1295655	853	1348580
अक्तूबर-18	31767	20305	175917	753	228742

नवंबर-18	28000	13132	149130	773	191035
दिसम्बर-18	29619	26503	209400	987	266509
जनवरी-19	31497	18045	164056	699	214297
फरवरी-19	23561	15163	136193	779	175696
मार्च-19	23372	18453	178986	681	221492

क्लाउड कम्प्यूटिंग

4.59 प्रभाग एनआईसी क्लाउड सेवाओं के माध्यम से क्लाउड कम्प्यूटिंग के लाभों को भी उपयोग में ला रहा है, जिसमें मंत्रालय की वेबसाइट, देवइन्फो, ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस), प्रत्यक्ष लाभ अन्तरण (डीबीटी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई), अंतर्राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण नेटवर्क (आईएचएसएन), कम्प्यूटर-सहायता प्राप्त वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई), पीएलएफएस सर्वेक्षण करना, वूरबर्ग आदि जैसी मंत्रालय की लगभग 10 वेब एप्लीकेशन डाली गई हैं जो अवसंरचना व जनशक्ति और बेहतर सुरक्षा की लागत को न्यूनतम करती हैं ।

प्रशिक्षण गतिविधियां

4.60 प्रभाग राज्य-संघ राज्य क्षेत्रों तथा केंद्र सरकार के विभागों के अधिकारियों/पदाधिकारियों हेतु आईटी पाठ्यक्रमों के आयोजन के लिए नस्ता को संकाय सुविधाएं उपलब्ध करता है । डीएसडीडी का संकाय नस्ता, ग्रेटर नोएडा में 21 मई, 2018 से 20 अगस्त, 2018 तक आईएसएस परीवीक्षाधीन, 40 वां बैच के लिए ''बिग डेटा, डीडब्ल्यूएच और आंकड़ा विश्लेषण के एक भाग सहित कोर'' व्याख्यान देने के लिए नामित किया गया है ।

यह प्रभाग आईटी संबंधी परियोजनाओं के लिए विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों द्वारा प्रायोजित छात्रों को इंटर्नशिप भी उपलब्ध करा रहा है । विश्लेषण आर साफ्टवेयर से अध्ययन और विश्लेषण के लिए विभिन्न दौर के एनएसएस आंकड़ों का उपयोग करके मंत्रालय की ''स्नातकोत्तर/शोधकर्ता स्कोलर्स हेतु इंटर्नशिप की स्कीम में वर्ष 2018-19 के दौरान इटर्नशिप कार्यक्रम में चार इंटर्न सफलतापूर्वक पूरी की गई ।

4.61 डीएसडीडी, कम्प्यूटर सेंटर ने सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अधिकारियों/पदाधिकारियों के ज्ञान और कौशलों को सुदृढ़ करने के लिए 25.07.2018 की प्रशिक्षण कार्यक्रम अनुमोदन समिति (टीपीएसी) बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार वर्ष 2018-19 के दौरान कम्प्यूटर सेंटर में व्याख्यान श्रृंखलाएं/कार्यशालाएं आयोजित कीं । निम्नलिखित व्याख्यान/कार्यशालाएं आयोजित की गईं ।

क्र.सं.	तिथि	विषय
1.	30-10-2018	कृत्रिम ज्ञान के मूलभूत तत्व
2.	11-12-2018	कृत्रिम ज्ञान
3.	12-12-2018	सुदूर संवेदी और जी.आई.एस.
4.	13-12-2018	जनोपयोगी सेवा मैंपिंग के संदर्भ में स्मार्ट सिटीज
5.	14-12-2018	भारत नक्शे और प्रमुख जीआईएस एप्लीकेशन्स
6.	18-12-2018	मुक्त स्रोत साधनों का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग
7.	19-12-2018	मुक्त स्रोत साधन -पीएचपी
8.	20-12-2018	आर का उपयोग करते हुए मुक्त स्रोत साधन

एनआईसी द्वारा डीएसडीडी में क्लाउड गणना संबंधी व्याख्यान

आंकड़ा केंद्र

4.62 आंकड़ा आधार 100 एमबीपीएस लीज लाइन, सिस्को राउटर/स्वीचों और 9 सर्वरों (1 आईबीएम वेब सर्वर, 2 एचजीएल सर्वर, 2 ओसीएमएस सर्वरों तथा 4 एमपीलैड्स सर्वरों) से लैस है । मंत्रालय का आंकड़ा केंद्र प्रयोक्ताओं को सुविधा देने के आधार पर अनवरत अर्थात 365x24x7 दिन प्रचालन में

रहता है । डेस्कटॉपों तथा प्रिंटरों और नेटवर्क सेटअप में बाधा निवारण प्रयोक्ता की जरूरत के अनुसार की जाती है ।

प्रभाग ने स्क्रीन सहित 1 प्रोजेक्ट, 30 डेस्कटॉप, 16 एफ प्रिन्टर, 37 एमएस आफिस 2019 प्रोप्लस, 2 स्केनर की खरीद की है तथा आउट लाइव्ड हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर को बदलने के लिए जेम पर 2 वर्क स्टेशन और 5 लेपटाप का आदेश दिया है । आईटी उपकरणों को मंत्रालय की वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपग्रेड किया जा रहा है ।

राजभाषा हिंदी प्रगामी प्रयोग

4.63 संघ की राजभाषा नीति के अनुरूप, राजभाषा के तौर पर हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए ठोस प्रयास किए जा रहे हैं। अपर महानिदेशक, डीएसडीडी की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति हिंदी की प्रगति तथा राजभाषा अधिनियम और उसके अंतर्गत नियमों के पालन की समीक्षा करती है। प्रत्येक तिमाही में, इस समिति की बैठक सफलतापूर्वक आयोजित की गई । हिंदी के प्रयोग की स्थिति का मूल्यांकन करने तथा पाई गई कमियों पर आवश्यक अनुदेश देने के लिए वर्ष के दौरान अनुभागों के निरीक्षण किए गए । अपने कार्मिकों को हिंदी का ज्ञान प्रदान करने की दृष्टि से केंद्र में वर्ष 2018-19 के दौरान चार हिंदी कार्यशालाएं आयोजित की गईं । सितम्बर, 2018 में हिंदी पखवाड़ा आयोजित किया गया । इस दौरान प्रतियोगिताएं आयोजित की गई और प्रतिभागियों को 20,500 रुपए नकद पुरस्कार तथा प्रमाण-पत्र प्रदान किए गए ।

डीएसडीडी में हिंदी महोत्सव के दौरान 03 अक्तूबर, 2018 को पुरस्कार वितरण समारोह

समन्वय तथा प्रकाशन (सीएपी)

4.64 समन्वय तथा प्रकाशन (सीएपी) प्रभाग सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों के सांख्यिकीय कार्यकलापों का समन्वय करने और केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों और अन्य सांख्यिकीय एजेंसियों के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। यह प्रभाग कुल मिलाकर मंत्रालय के योजना समन्वय के लिए जिम्मेदार है। यह सीएपी प्रभाग मंत्रालय की वार्षिक कार्य-योजना तथा परिणाम बजट तैयार करने के लिए भी जिम्मेदार है। इस प्रभाग पर 'सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण सहायता' (एसएसएस) उप-योजना संचालित करने, सांख्यिकीय संग्रहण अधिनियम, 2008 के कार्यान्वयन के समन्वय कार्य तथा राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की सिफारिशों के अनुपालन की भी जिम्मेदारी है।

केंद्रीय और राज्य सांख्यिकी संगठनों का सम्मेलन (काक्सो)

4.65 आंकड़ों के क्षेत्र में गतिविधियों के लिए विभिन्न राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रालयों/ विभागों के बीच समन्वय बढ़ाने के लिए, मंत्रालय हर साल केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का सम्मेलन आयोजित करता है। इस मंच का उपयोग केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय एजेंसियों द्वारा महत्वपूर्ण सांख्यिकीय मुद्दों पर चर्चा करने के उद्देश्य से किया जाता है ताकि सूचित निर्णय और सुशासन के लिए योजनाकारों और नीति-निर्माताओं को विश्वसनीय और समय पर आंकड़ों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके।

4.66 केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का 25 वां सम्मेलन 18-19 जनवरी, 2018 के दौरान बेंगलुरु, कर्नाटक में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का उद्घाटन श्री डीवी सदानंद गौड़ा, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री और श्री एमआर सीताराम, माननीय मंत्री, योजना, सांख्यिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कर्नाटक सरकार, की उपस्थिति में किया गया। सरकार दो दिनों के सम्मेलन में विभिन्न केंद्रीय/राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों ने भाग लिया। 25 वें काक्सो का विषय "प्रशासनिक सांख्यिकी" था। सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

• "प्रशासनिक सांख्यिकी" विषय पर चर्चा/दस्तावेज प्रस्तुतियाँ औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, वाणिज्यिक खुफिया और सांख्यिकी महानिदेशालय, सीबीईसी में राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय के डेटा प्रबंधन निदेशालय तथा श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा की गई थीं ।

• सात राज्यों (कर्नाटक, गुजरात, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और गोवा) के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के प्रतिनिधियों ने अपने संबंधित प्रशासनिक सांख्यिकीय प्रणालियों पर प्रस्तुतियाँ दीं। इन प्रस्तुतियों ने उनकी ताकत/सुविधाओं, पहल और विशेष उपलब्धियों और कुछ मामलों में उनकी बाधाओं पर जोर देने के साथ उनकी सामान्य सांख्यिकीय गतिविधियों पर प्रकाश डाला।

• सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण योजना के लिए सहायता की प्रगति;

• केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा भविष्य के काक्सो की कार्यसूची में शामिल करने के लिए सांख्यिकीय पहल/नवाचार।

• राज्य/संघराज्य क्षेत्रों के एसडीएस संकेतक फ्रेमवर्क के साथ राज्य स्तर की योजनाओं को संरेखित करने और उनकी निगरानी के लिए जिला और उप-जिला स्तरों से नियमित डेटा प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए अपने डेटा सिस्टम को मजबूत करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय द्वारा उठाए जाने वाले कदम।

दाएं से बाएं: 25 वें काक्सो में 18-19 जनवरी, 2018 को बेंगलुरु, कर्नाटक में श्री राजीव लोचन, महानिदेशक (सामाजिक सांख्यिकी) सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्री एम.आर. सीताराम, माननीय मंत्री, योजना, सांख्यिकी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कर्नाटक सरकार । श्री डीवी सदानंद गौड़ा, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, श्री विजय गोयल, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री और श्री एम.वी.एस रंगनाधम, महानिदेशक (आर्थिक सांख्यिकी) ।

काक्सो में की गई सिफारिशों को केंद्र सरकार में संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए कार्रवाई बिंदुओं के रूप में लिया गया था।

4.67 केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठनों (काक्सो) का 26 वां सम्मेलन 15-16 नवंबर, 2018 के दौरान धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में आयोजित किया गया था। सम्मेलन का विषय "शासकीय सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन" था । सम्मेलन का उद्घाटन श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन द्वारा किया गया । श्री किशन कपूर, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, मंत्री हिमाचल प्रदेश सरकार, श्री ज्योतिर्मय पोद्दार, महानिदेशक (आर्थिक सांख्यिकी), सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्री डी. पी. मोंडल, महानिदेशक (सर्वेक्षण), एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, और श्री टी.के. साहा, महानिदेशक (सांख्यिकी), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, गण्यमान्य व्यक्तियों में से थे, जो उद्घाटन सत्र में उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान, निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की गई:

• स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय (श्रम मंत्रालय) सर्वेक्षण डिजाइन और अनुसंधान प्रभाग (एसडीआरडी) और सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा "शासकीय सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन" विषय पर चर्चा और प्रस्तुतियाँ।

• नौ राज्यों (आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, उत्तराखंड, गोवा और बिहार) के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों के प्रतिनिधियों ने अपनी संबंधित सांख्यिकीय प्रणालियों पर प्रस्तुतियाँ दीं।

• सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण योजना के लिए सहायता की प्रगति;

• कर्नाटक के बेंगलुरु में 18-19 जनवरी, 2018 के दौरान आयोजित 25 वें काक्सो की लंबित सिफारिशों पर चर्चा।

दाएं से बाएं: धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में 15-16 नवंबर, 2018 को 26 वें काक्सो में श्री टी. के. बसु, अपर महानिदेशक, सीएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, श्री ज्योतिर्मय पोद्दार, महानिदेशक (आर्थिक सांख्यिकी), श्री किशन कपूर, माननीय खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले, मंत्री, हिमाचल प्रदेश सरकार, श्री विजय गोयल, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री, श्री पीसी मोहनन, कार्यवाहक अध्यक्ष, एनएससी और श्री अनिल के. खाची, अपर मुख्य सचिव (वित्त, योजना, अर्थशास्त्र और सांख्यिकी), हिमाचल प्रदेश सरकार ।

सांख्यिकी दिवस

4.68 पूरे भारत में 29 जून, 2018 को 12 वां सांख्यिकी दिवस, 2018 मनाया गया। 12 वें सांख्यिकी दिवस के लिए चयनित विषय शासकीय सांख्यिकी में गुणवत्ता आश्वासन था। सांख्यिकीय प्रणालियों और उत्पादों में गुणवत्ता के आवश्यक मापदंडों के अनुपालन के महत्व को चिह्नित करने के लिए विषय को चुना गया है। मुख्य समारोह सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) द्वारा संयुक्त रूप से 29 जून, 2018 को कोलकाता में आयोजित किया गया था। 29 जून, 2017 को प्रो. पी.सी. महालनोबिस के जन्म के 125 वें वर्ष की शुरुआत हुई। । भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) ने साल भर चलने वाले समारोहों का आयोजन किया, जिसका समापन 29 जून, 2018 को हुआ। श्री एम. वेंकैया नायडू, माननीय उपराष्ट्रपति इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री, श्री ब्रात्वा बसु, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, आईएसआई के अध्यक्ष डॉ. विजय केलकर और आईएसआई परिषद के अध्यक्ष प्रो. गोवर्धन मेहता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने प्रो. महालनोबिस को सम्मान और श्रद्धांजलि के निशान के रूप में 125 रुपये का एक स्मारक सिक्का और 5 मूल्य का प्रचलन सिक्का जारी किया । प्रो. पी.वी. सुखात्मे पुरस्कार 2018 और प्रो. सी.आर. राव पुरस्कार 2017 विजेताओं को सांख्यिकी के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित किया गया । राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, राज्य सरकारों

और विश्वविद्यालयों/विभागों के सेमिनार, सम्मेलन, वाद-विवाद, प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, व्याख्यान, निबंध प्रतियोगिता, आदि के आयोजन द्वारा पूरे देश में सांख्यिकी दिवस समारोह भी आयोजित किए गए।

दाएं से बाएं: 29 जून, 2017, को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में 12 वें सांख्यिकी दिवस पर श्री ब्रात्वा बसु, माननीय सूचना प्रौद्योगिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार, श्री एम. वेंकैया नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति और श्री डी. वी. सदानंद गौड़ा, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ।

4.69 समन्वय और प्रकाशन प्रभाग रंगराजन आयोग की सिफारिशों और अन्य सांख्यिकीय मामलों से संबंधित मामलों के लिए संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों द्वारा नामित सांख्यिकीय समन्वयकों के माध्यम से केंद्रीय विषय मंत्रालयों के साथ समन्वय करता है। यह प्रभाग एनएसएसओ के उप महानिदेशकों के माध्यम से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय (डीईएस) के साथ महत्वपूर्ण मुद्दे पर समन्वय भी करता है, राज्य मुख्यालय में तैनात क्षेत्रीय संकार्य प्रभाग, राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समन्वय करने के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा राज्य समन्वयक के रूप में नामित किया गया ।

स्मार्ट इंडिया हैकाथन (एसआईएच) 2019

4.70 मंत्रालय ने सरकारी सांख्यिकी में प्रौद्योगिकीय नवाचारों का पता लगाने के लिए 1-2 मार्च 2019 के दौरान गुवाहाटी में आयोजित स्मार्ट इंडिया हैकाथन (एसआईएच) 2019 में भाग लिया । निम्नलिखित समस्या निवेदनों पर एसआईएच 2019 में भाग लिया । निम्नलिखित समस्या निवेदनों पर एसआईएच 2019 के लिए विचार किया गया:-

- सांख्यिकीय सूचना संकलन प्रक्रिया का स्वचल
- सकल मूल्यवर्धन (जीवीए) की तैयारी तथा आंकड़ा आधार में भण्डारण
- राष्ट्रीय लेखाओं के लिए डैशबोर्ड की तैयारी

- सांसदों के लिए कार्यों की क्राउड सोर्सिंग
- सूचना प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस)

न्यू इंडिया के लिए डेटा पर गोलमेज सम्मेलन

4.71 9-10 जुलाई, 2018 को नई दिल्ली में विज्ञान भवन में डेटा के लिए गोलमेज सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। श्री सदानंद गौड़ा, माननीय केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री ने श्री विजय गोयल, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री की उपस्थिति में सम्मेलन का उद्घाटन किया ।

4.72 सम्मेलन के दौरान चर्चा भारत के मुख्य सांख्यिकीविद् और सचिव (एस एंड पीआई) के नेतृत्व में हुई। सम्मेलन में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली के सुधार एजेंडे पर चर्चा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय लगभग 100 प्रतिभागियों ने भाग लिया । यू.के., कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय सांख्यिकीविदों ने भाग लिया। राउंड टेबल सम्मेलन, क्षमता विकास योजना और विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सुधारों के अंतर्गत सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा शुरू किए जा रहे सुधारों की श्रेणी का अग्रदूत है।

सांख्यिकी और सूचना विज्ञान प्रभाग (एसआईडी), बांग्लादेश सरकार की अध्ययन यात्रा:

4.73 समन्वय और प्रकाशन प्रभाग ने सांख्यिकी और सूचना विज्ञान प्रभाग (एसआईडी), बांग्लादेश सरकार के 31.07.2018 से 03.08.2018 तक के अध्ययन दौरे समन्वय किया । एसआईडी बांग्लादेश सांख्यिकी ब्यूरो (बीबीएस), बांग्लादेश के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का प्रशासनिक प्राधिकरण है, और अपने कार्यों के बेहतर कार्यान्वयन के लिए कार्यक्रमों और नीतियों के निर्माण में बीबीएस का समर्थन करने के लिए जिम्मेदार है।

4.74 इसका प्रयोजन सांख्यिकी (एनएसडीएस) के विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति के कार्यान्वयन के भाग के रूप में सांख्यिकीय प्रणालियों का अध्ययन करना है, यह एक राष्ट्रीय स्वामित्व वाली सांख्यिकीय मास्टर योजना है, जो बांग्लादेश के राष्ट्रीय सांख्यिकीय प्रणाली (एनएसएस) के व्यवस्थित विकास के लिए डिज़ाइन की गई है । एसआईडी ने एसआईडी/बीबीएस अधिकारियों के क्षमता विकास के लिए एसआईडी का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण नामक एक परियोजना भी शुरू की है।

4.75 एसआईडी ने शासकीय आंकड़ों के निर्माण के प्रासंगिक क्षेत्रों में भारत की विशेषज्ञता और अनुभव को स्वीकार किया, और विशेष रूप से प्रतिदर्श सर्वेक्षणों के लिए भारत की सांख्यिकीय प्रणाली को जानने की उत्सुकता व्यक्त की। उन्हें यह भी आशा थी कि भारतीय सांख्यिकी प्रणाली पर अनुभव से उन्हें काफी लाभ होगा।

भारत कोड पोर्टल (आईसीपी) पर केंद्रीय अधिनियमों का अद्यतन और अपलोड करना:

4.76 समन्वय और प्रकाशन प्रभाग ने केंद्रीय अधिनियमों के अपडेशन और होस्टिंग के लिए गतिविधियों को समन्वित किया, अर्थात, "सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008", "भारतीय सांख्यिकी संस्थान अधिनियम, 1959" और नियम, विनियम, अधिसूचनाएँ और परिपत्र सहित अधीनस्थ विधान भारत कोड पोर्टल (आईसीपी) पर अपलोड किए गए ।

सरकारी सांख्यिकी के लिए गुणवत्ता आश्वासन संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश

4.77 संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग के व्यापक राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन ढ़ांचों के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 6 अप्रैल 2018 को सरकारी सांख्यिकी के लिए गुणवत्ता आश्वासन को प्रशासनिक आंकड़ों सहित सांख्यिकीय मामलों पर काम करने वाले सभी अधिकारियों को उपयोग और स्वैच्छिक अनुपालन के लिए सामान्य दिशा-निर्देश अधिसूचित किए हैं । ये दिशा-निर्देश किसी सांख्यिकीय संग्रहण अथवा उत्पाद के अभिकल्पन में सरकारी सांख्यिकी को तैयार करने वालों के लिए उपयोगी है, और उपयोगकर्ताओं के लिए सांख्यिकीय आंकड़ों के उपयोग के बारे में मिली सूचना के आधार पर निर्णय लेने में भी सहायक है ।

सामाजिक-आर्थिक सूचकांक संबंधी सामान्य दिशा-निर्देश

4.78 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 25 अप्रैल 2018 को विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सूचकांक को तैयार करने और प्रचार-प्रसार के लिए विभिन्न आधिकारिक एजेंसियों के उपयोग के लिए व्यापक दिशा-निर्देश अधिसूचित किया है । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग की अनुशंसा के आधार पर तैयार किए गए दिशा-निर्देश नीति-निर्माताओं, शोधकर्ताओं, व्यवसायों और जनता को बड़े पैमाने पर बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए आधिकारिक आंकड़ों की प्रणाली को सुप्रवाही और आगे मजबूत बनायेंगे।

भारतीय सांख्यिकीय प्रणाली की आधुनिकीकरण परियोजना

4.79 विश्व बैंक ने 26.11.2018 से 07.12.2018 की अवधि के दौरान देश में सांख्यिकीय प्रणाली की समीक्षा की है। सांख्यिकीय उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम नामक विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित परियोजना के संबंध में, सीएसओ और एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों के अलावा टीम ने केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों अर्थात् कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, जीएसटीएन, भारतीय रिज़र्व बैंक और श्रम ब्यूरो का दौरा किया और उनके संबंधित डेटा प्रबंधन प्रणाली को समझा। टीम ने डीईएस, महाराष्ट्र और डीईएस, हरियाणा के साथ बातचीत की, ताकि उनकी वर्तमान प्रणाली, चुनौतियों और उनकी दृष्टि की सराहना की जा सके। विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के अधिकारियों ने भी अपने सांख्यिकीय उत्पादों के बारे में मिशन के समक्ष प्रस्तुतियाँ दीं। सीएपी प्रभाग ने विश्व बैंक टीम के साथ समन्वय किया।

सांख्यिकीय सुदृढ़ीकरण परियोजना (एसएसएसपी) के लिए सहायता

4.80 सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता (एसएसएस) एक जारी योजना है जिसका उद्देश्य विश्वसनीय शासकीय आँकड़ों को एकत्र करने, संकलन और प्रसार के लिए राज्य सांख्यिकीय प्रणालियों की सांख्यिकीय क्षमता और संचालन में सुधार करना है। इस स्कीम के लिए प्रारंभ में कुल 650.43 करोड़ रुपए अनुमोदित किए गए थे । सितम्बर 2018 में स्कीम का मार्च 2020 तक जारी रखने के लिए सीसीईए का अंतिम अनुमोदन प्राप्त होने तक वर्ष 2017-18 से 2019-20 तक की 3 वर्ष की अवधि के लिए 264 करोड़ रुपए की राशि प्राप्त हुई । योजना को राज्य सरकार के अर्थ और सांख्यिकी निदेशालय के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जो भारत सरकार और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हस्ताक्षरित राज्य के विशिष्ट समझौता ज्ञापनों में स्वीकृत अनुमोदित गतिविधियों/लक्ष्यों के अनुसार होता है।

यह स्कीम राज्य एवं अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों के माध्यम से भारत सरकार और संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच हस्ताक्षरित राज्य विशिष्ट समझौता ज्ञापनों में विस्तृत रूप से अनुमोदित कार्यों/लक्ष्यों/आउटपुटों के अनुसार कार्यान्वित की जाती है ।वर्तमान में मंत्रालय की क्षमता विकास योजना के तहत केंद्र से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र की उप-योजना है। यह वर्तमान में 20 राज्यों में लागू किया जा रहा है और 2017-18 से 2019-20 के दौरान 13 शेष/नए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विस्तारित किया जाना प्रस्तावित है।

4.81 राज्यों में, इस योजना के कार्यान्वयन से कोर संकेतकों के संकलन, राज्यों और उप-राज्यों के स्तर में नीति नियोजन के लिए डेटा बेस का निर्माण और क्षमता निर्माण में सुधार हुआ है। योजना का बल अब मूर्त सांख्यिकीय परिणामों/उत्पादों को प्राप्त करने पर है, जिससे राज्यों के सांख्यिकीय प्रणालियों में सुधार होगा और उन्हें विकास के अगले स्तर पर ले जाया जाएगा।

4.82 **2018 में कुछ प्रमुख गतिविधियाँ**

- सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में एसएसएस योजना पर उच्च स्तरीय संचालन समिति (एचएलएससी) की 2 बैठकें आयोजित की गई तथा 24 मई को दूसरी बैठक में पुदुचेरी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और मेघालय के राज्य कार्यक्रम अनुमोदित किए गए । तदनुसार, समझौता ज्ञापनों पर छह नए राज्यों अर्थात हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पुदुचेरी, असम और मेघालय ने हस्ताक्षर किए तथा वे स्कीम के साथ जुड़े ।
- पूर्वोत्तर राज्यों के साथ समीक्षा शिलांग में 26 अप्रैल, 2018 को डीएसडीडी द्वारा आयोजित कार्यशाला के साथ की गई थी। मिज़ोरम, मणिपुर और सिक्किम के वर्तमान कार्यान्वयन राज्यों की स्थिति की समीक्षा की गई। अपने राज्य कार्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए नए राज्यों मेघालय,

त्रिपुरा और नागालैंड के साथ विचार-विमर्श किया गया। मेघालय के राज्य कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया गया।

- 21.05.2018 को विज्ञान भवन में आयोजित बैठक में सचिव, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अध्यक्षता में राज्य/उप-राज्य स्तर के सांख्यिकीय संकेतकों के विकास की स्थिति और विभिन्न राज्यों में लंबित गतिविधियों की समीक्षा की, जिन नए राज्यों ने अभी तक अपने कार्यक्रमों को अंतिम रूप नहीं दिया था, उन्हें भी शीघ्र करने को कहा गया।
- माननीय मंत्री ने 15 जुलाई 2018 को मिजोरम में योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की। उन्होंने उचित कार्यान्वयन और 94% उपयोग पर संतोष व्यक्त किया।
- 15 -16 नवंबर, 2018 के दौरान हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला में केंद्रीय और राज्य सांख्यिकीय संगठन (काक्सो) के 26 वें सम्मेलन में, सभी कार्यान्वयन करने वाले राज्यों में एसएसएस योजना के कार्यान्वयन की समीक्षा की गई।
- माननीय केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में 1 अक्टूबर 2018 को कोलकाता में पूर्वी आंचलिक परिषद की 23 वीं बैठक हुई, जिसमें पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के उप-मुख्यमंत्री और झारखंड के मुख्यमंत्री और ओडिशा के वित्त मंत्री उपस्थित थे और झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा राज्यों के साथ एजेंडा मुद्दों पर चर्चा की गई थी।
- स्कीम के कार्यान्वयन में सुधार करने के मुद्दों के प्रक्षेत्र को समझने के लिए तथा निधि के तीव्र उपयोग हेतु महानिदेशक की अध्यक्षता में सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता उप-स्कम की तकनीकी सलाहकार समिति का गठन किया गया । टीएसी की अनुशंसाओं के आधार पर, स्कीम के प्रचालन संबंधी दिशा-निर्देशों में संशोधन किया गया ।

पीएफएमएस

4.83 पीएफएमएस प्रणाली का प्रचालन करने के लिए कदम उठाए गए हैं । इस संबध में सभी राज्यों को पीएफएमएस पोर्टल पर अपने बैंक खातों को पंजीकृत कराने तथा नियमित रूप से पीएफएमएस के 'व्यय, अग्रिम और अन्तरण' माड्यूल के अंतर्गत समस्त लेन-देन को बुक करने के लिए लिखा गया है।

सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (सीओएस अधिनियम, 2008) का संग्रह

4.84 सांख्यिकी नियमों के संग्रह 2011 के प्रावधानों के अनुसार, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में सांख्यिकीय समन्वय का संचालन करने वाले अपर महानिदेशक को दिनांक 13 सितंबर, 2018 की अधिसूचना के माध्यम से, उपरोक्त नियमों के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और कर्तव्यों को निभाने के लिए नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है।

एनएससी अनुशंसाओं का समन्वय और अनुगमन

4.85 समन्वय और प्रकाशन प्रभाग और रंगराजन आयोग की सिफारिशों का पालन करने के लिए भी जिम्मेदार है । डॉ. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में आयोग ने अपनी व्यापक रिपोर्ट (अगस्त, 2001) में भारतीय सांख्यिकी प्रणाली में सुधार के लिए 623 सिफारिशें कीं। सितंबर, 2013 को आयोजित 60 वीं बैठक में समीक्षा के दौरान, सभी में 623 सिफारिशों में से, 147 सिफारिशों को लागू किया गया है, 09 सिफारिशें खारिज/हटा दी गई हैं और 467 सिफारिशें अभी भी लंबित हैं । एनएससी ने पाया कि वर्तमान संदर्भ में जिन सिफारिशों की आवश्यकता है, उनकी एक नई सूची तैयार करने के लिए गहन समीक्षा की आवश्यकता है। समिति ने अपनी 8 वीं बैठक में अपर महानिदेशक (समन्वय और प्रकाशन प्रभाग) की अध्यक्षता में रंगराजन आयोग की सिफारिशों की समीक्षा की है। बैठक के आधार पर, 478 सिफारिशें लागू की गई हैं, 17 सिफारिशें खारिज/हटा दी गई हैं और 116 सिफारिशें अभी भी लंबित हैं।

4.86 राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग को अन्य बातों के साथ-साथ शासकीय सांख्यिकी में मानक सांख्यिकीय अवधारणाओं, परिभाषाओं, वर्गीकरणों और विभिन्न क्षेत्रों में कार्यप्रणाली को विकसित करने, निर्धारित नीतियों, मानक और कार्यप्रणाली के आलोक में सांख्यिकीय प्रणाली के कार्यकरण की निगरानी और समीक्षा करने तथा संवर्धित निष्पादन के लिए उपायों की अनुशंसा करने का अधिकार प्राप्त है ।

4.87 वर्ष 2017-18 के दौरान, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग ने मंत्रालय की कुछ सांख्यिकीय गतिविधियों की समीक्षा की। एनएससी द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर, सीएपी प्रभाग अनुवर्ती हितधारकों के साथ समन्वय कर रहा है।

4.88 वर्ष 2016-17 और 2017-18 के लिए एटीआर के साथ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग (एनएससी) की वार्षिक रिपोर्टें लोकसभा और राज्यसभा में रखी गई हैं।

समझौता ज्ञापन (एमओयू)

4.89 सरकारी सांख्यिकी के क्षेत्र में 29 जनवरी 2019 को नई आंकड़ा प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने, ज्ञान बढ़ाने और जानकारी बांटने तथा क्षमता-निर्णय के लिए सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर हुए।

डाटा का प्रचार-प्रसार

4.90 सांख्यिकीय और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के संशोधित आंकड़ा प्रसार दिशा-निर्देश को अंतिम रूप दे दिया गया है ।

संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग का 50वां सत्र

4.91 मंत्रालय ने 5-8 मार्च, 2019 के दौरान न्यूयार्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के 50वें सत्र में मुक्त डाटा, राष्ट्रीय लेखाओं, पर्यावरण संबंधी आंकड़ों, शिक्षा संबंधी आकड़ों, स्वास्थ्य संबंधी आकड़ों इत्यादि को लेकर परिचर्चा में भाग लिया ।

मीडिया सेल

4.92 मंत्रालय ने 18.03.2019 को मीडिया सेल की सेवाएँ और संचार विश्लेष्णात्मक संबंधी रखरखाव तथा मंत्रालय को सामाजिक मीडिया मार्केटिंग उपलब्ध कराने के लिए ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसलटैंट इंडिया लिमिटेड (बीईसीआईएल) को नियुक्त किया है ।

अध्याय-V
राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

कार्यालय एवं गतिविधियां:

5.1 राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पर अखिल भारत स्तर पर विभिन्न फील्डों में बड़े पैमाने पर प्रतिदर्श सर्वेक्षण आयोजित करने का दायित्व है। आर्थिक गणना की अनुवर्तन कार्रवाई के तौर पर विभिन्न सामाजार्थिक विषयों पर राष्ट्रव्यापी परिवार सर्वेक्षणों, सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण तथा उद्यम सर्वेक्षण के माध्यम से नियमित रूप से प्राथमिक आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं । इन सर्वेक्षणों के अलावा, एनएसएसओ ग्रामीण तथा शहरी मूल्यों से संबंधित आंकड़े एकत्रित करने तथा राज्य अभिकरणों के क्षेत्रीय गणना एवं फसल अनुमान सर्वेक्षणों के माध्यम से फसल संबंधी सांख्यिकी के सुधार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है । यह शहरी क्षेत्रों में सामाजार्थिक सर्वेक्षणों में प्रतिदर्श तैयार करने हेतु शहरी क्षेत्रीय इकाइयों का एक फ्रेम भी तैयार करता है ।

5.2 एनएसएसओ को आंकड़ा संग्रहण, विधायन तथा प्रकाशन/सर्वेक्षणों के आधार पर परिणामों/आंकड़ों के प्रसार से संबंधित कार्यों में अपेक्षित स्वायत्तता प्राप्त है । राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग इनके लिए अपने सर्वेक्षणों तथा पद्धतियों हेतु सर्वेक्षण साधनों को अंतिम रूप देने के लिए पृथक-पृथक विषयों से संबंधित सरकारी और गैर-सरकारी सदस्यों वाले कार्यकारी दलों/तकनीकी समितियों को नियुक्त करता है और उनके समग्र मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण में अपने सर्वेक्षणों पर आधारित नतीजों और आंकड़ों का प्रकाशन/प्रसार करता है । एनएसएसओ के समस्त कार्यकलापों में समग्र समन्वय करने और इनके पर्यवेक्षण का दायित्व महानिदेशक (सर्वेक्षण) को सौंपा गया है तथा इनकी सहायता के लिए चार अपर महानिदेशक हैं, जिन पर अपने-अपने प्रभाग से संबंधित प्रत्येक ऐसे बड़े पैमाने के सर्वेक्षणों के चार विभिन्न पहलुओं यथा उनके अभिकल्प एवं योजना, फील्ड कार्य/आंकड़ा संग्रहण आंकड़ा विधायन तथा एनएसएसओ के विभिन्न प्रभागों के बीच समन्वय करने का दायित्व है ।

5.3 **एनएसएसओ के प्रभाग:**

- सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग कोलकाता में स्थित है । इस प्रभाग पर सर्वेक्षण के लिए तकनीकी योजना बनाने, प्रतिदर्श अभिकल्प तैयार करने, पूछताछ अनुसूचियां, अवधारणाओं तथा परिभाषाओं को तैयार करने, सारणीयन योजना तैयार करने तथा परिणामों का विश्लेषण तथा प्रस्तुतीकरण एवं सर्वेक्षण रिपोर्टें तैयार करने का दायित्व है।

- क्षेत्र संकार्य प्रभाग (एफओडी) का मुख्यालय दिल्ली/फरीदाबाद में है तथा इसके 6 आंचलिक कार्यालय, 51 क्षेत्रीय कार्यालय तथा 116 उप-क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है । यह एनएसएसओ द्वारा किए गए सर्वेक्षण हेतु प्राथमिक आंकड़ों के संग्रहण का कार्य करता है ।
- समंक विधायन प्रभाग का मुख्यालय कोलकाता में है । अहमदाबाद, बंगलौर, कोलकाता, दिल्ली, गिरीडीह तथा नागपुर में इसके छह समंक विधायन केन्द्र हैं । यह प्रतिदर्श चयन, सॉफ्टवेयर विकास तथा सर्वेक्षणों के द्वारा एकत्रित आंकड़ों के संसाधन एवं सारणीयन के लिए उत्तरदायी है । यह आंकड़ों की प्रविष्टि हेतु सॉफ्टवेयर विकास, आंकड़ों के सत्यापन, कम्प्यूटर द्वारा इसमें सुधार (संपादन), अन्य आंकड़ों की पुष्टि, सारणीयन आदि का कार्य करता है । यह राज्यों को सभी समंक विधायन संबंधी गतिविधियों में आईटी समाधान द्वारा तथा आवधिक प्रशिक्षण/कार्यशाला तथा अन्य परस्पर संवादात्मक तरीके से भी सहायता करता है । औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध भी इस प्रभाग के अधीन कार्य करता है । औद्योगिक सांख्यिकी स्कंध का मुख्य कार्य वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) के संबंध में अवधारणा, अभिकल्प तैयार करना, वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण के संबंध में वैधीकरण करना है । वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण भारत में औद्योगिक आंकड़ों का प्रमुख स्रोत है । समर्पित एएसआई वेब पोर्टल के माध्यम से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण से संबंधित आंकड़े एकत्र किए जाते हैं और उनका रख-रखाव किया जाता है, जिसके कारण समय बचता है तथा सही आंकड़ों का पता चलता है । इसका उद्देश्य उद्योगों के वार्षिक आंकड़ों को बिना किसी वास्तविक छेड़छाड़ के समय पर, पारदर्शी तथा कार्यक्रम में विश्वसनीय तरीके से सुरक्षित वातावरण में प्रस्तुत करना है ।
- दिल्ली स्थित समन्वय एवं प्रकाशन प्रभाग (सीपीडी) विभिन्न प्रभागों के समस्त कार्यकलापों के समन्वय का कार्य करता है । इसके अलावा, सीपीडी, एनएसएसओ द्वारा संचालित विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के सर्वेक्षण परिणामों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने की जिम्मेदारी भी निभाता है । यह एनएसएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षणा' भी प्रकाशित करता है जिसमें एनएसएसओ के विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षणों के शोध लेख भी शामिल होते हैं ।

एनएसएस के हाल के दौरों के कार्यकारी समूह:

5.4 एनएसएस के 74वें दौर की तकनीकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए, एनएसएस के 74वें दौर के कार्यकारी समूह के कोर ग्रुप की चौथी बैठक 28 मार्च 2019 को आयोजित की गई ।

5.5 i) परिवार उपभोक्ता व्यय और ii) स्वास्थ्य एवं शिक्षा पर परिवार सामाजिक उपभोग सर्वेक्षण के लिए सारणियन योजना और अनुमानन प्रक्रिया को अंतिम रूप देने हेतु एनएसएस के 75वें दौर के कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 4 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में आयोजित की गई ।

5.6 एनएसएस 76 वें दौर के कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक 20 जनवरी 2018 को कोलकाता में (i) पेयजल, स्वच्छता, सफाई तथा आवासों की स्थिति और (ii) दिव्यांगजनों पर सर्वेक्षण हेतु सर्वेक्षण साधन को अंतिम रूप देने के लिए आयोजित की गई । दिनांक 17 अगस्त, 2018 को कोलकाता में, एनएसएस के 76वें दौर के कार्यकारी समूह की चौथी बैठक एनएसएस के 76वें दौर के सर्वेक्षणों हेतु सारणियन योजना और अनुमानन प्रक्रिया को अंतिम रूप दने के लिए, आयोजित की गई थी ।

5.7 प्रो.पी.एस. बीरथल, राष्ट्रीय प्रोफेसर, राष्ट्रीय कृषि आर्थिकी एवं नीति अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली की अध्यक्षता में 77वें दौर (जनवरी - दिसम्बर 2019) के कार्यकारी समूह की पहली और दूसरी बैठक क्रमश: 15-16 जून 2018 और 19-20 जुलाई 2018 को नई दिल्ली और कोलकाता में (i) परिवार की भूमि और पशुधन होल्डिंग तथा कृषक परिवारों की स्थिति मूल्यांकन और (ii) ऋण एवं निवेश संबंधी सर्वेक्षण के लिए सर्वेक्षण साधन पर विचार-विमर्श करने के लिए आयोजित की गई । एनएसएस के 77वें दौर के कार्यकारी समूह की तीसरी बैठक, एनएसएस के 77वें दौर के सर्वेक्षणों हेतु सर्वेक्षण साधन को अंतिम रूप देने के लिए प्रो. पी.एस. बीरथल की अध्यक्षता में 10 अगस्त 2018 को नई दिल्ली में आयोजित की गई ।

श्रम बल सांख्यिकी पर स्थायी समिति

5.8 डा. एस.पी. मुखर्जी, सेवामुक्त प्रोफेसर, कोलकाता विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा संचालित किए गए श्रम बल सर्वेक्षणों के एकीकरण तथा समन्वय के लिए तंत्र सुझाने के अलावा, विविध सर्वेक्षणों तथा गणनाओं से प्राप्त श्रम बल सांख्यिकी का प्रसार तथा संकलन, संग्रह की पद्धति तथा सर्वेक्षण के संचालन का पर्यवेक्षण करने के लिए 12 मार्च 2014 को श्रम बल सांख्यिकी स्थायी समिति का गठन किया गया था ।

5.9 श्रम बल सांख्यिकी (एससीएलएफएस) संबंधी स्थायी समिति ने 23 मार्च 2017 को आयोजित अपनी बैठक में 19 वें अन्तर्राष्ट्रीय श्रम सांख्यिकीविद सम्मेलन (आईसीएलएस) द्वारा की गई कुछ सिफारिशों का कार्यान्वयन करने की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिए

प्रायोगिक सर्वेक्षण से पूर्व तथा इसके दौरान इसके पहले विचार किये जाने वाले तथा हल किये जाने वाले विषयों की पहचान करने के लिए एक उपसमिति का गठन करने की सिफारिश की थी।

5.10 पायलट स्टडी के संचालन के लिए 19वीं आईसीएलएस की सिफारिशों की पहचान करने के लिए उप-समिति की रिपोर्ट पर 16 अगस्त 2018 को आयोजित एससीएलएफएस की आठवीं बैठक में विस्तार से चर्चा की गई । बैठक में महानिदेशक (सर्वेक्षण) के परामर्श से तैयारकी गई अनुसूची की जांच की संरचना और सामग्री की गहन समीक्षा की गई । इस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि पायलट सर्वेक्षण को पूरे देश में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र के स्तर पर अपेक्षित प्रतिदर्श आकार के अनुसार फैलाया जाएगा जिससे कि राष्ट्रीय स्तर पर केवल विश्वसनीय अनुमान प्रदान किए जा सकें ।

5.11 7 सितम्बर 2018 को आयोजित राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की 103वीं बैठक में, आयोग को यह बताने के लिए एक प्रस्तुति दी गई कि श्रम सांख्यिकी (आईसीएलएस) पर 19वें अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन की सिफारिशों के आधार पर रोजगार के लिए पायलट सर्वेक्षण के लिए कार्यप्रणाली तैयार की गई है । आयोग ने सुझाव दिया कि एनसएसओ को एक अवधारणा नोट तैयार करना चाहिए और विभिन्न हितधारकों और शिक्षाविदों के विचारों को आमंत्रित करने वाले 19वें आईसीएलएस पर आधारित रोजगार-बेरोजगारी के लिए पायलट सर्वेक्षण के प्रस्ताव पर निर्णय टाल दिया गया था ।

सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों को अन्य विभिन्न एनएसएस दौरों से संबंधित गतिविधियां ।

5.12 एनएसएस का 73वां दौर (जुलाई, 2015- जून, 2016) अनिगमित गैर-कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर) विषय को समर्पित था । एनएसएस रिपोर्ट संख्या 581 जिसका विषय 'भारत में अनिगमित गैर-कृषिगत उद्यमों की प्रचालनात्मक विशेषताएं (निर्माण को छोड़कर) था और एनएसएस रिपोर्ट सं. 582 जिसका विषय 'भारत में अनिगमित गैर-कृषि उद्यम (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताएं' था क्रमश: मार्च 2018 और जुलाई 2018 को जारी की गई।

5.13 एनएसएस का 74 वां दौर (जुलाई 2016-जून 2017) 'सेवा क्षेत्र का सर्वेक्षण' को समर्पित था । यह सेवा क्षेत्र पर सूची फ्रेम आधारित उद्यम सर्वेक्षण है । इस सर्वेक्षण में कार्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए), आर्थिक गणना (ईसी) तथा व्यवसाय रजिस्टर (बीआर) को मिलाकर संयुक्त फ्रेम में 63,659 उद्यम हैं । आंकड़ा संग्रहण कार्य पूरा किया जा चुका है । सर्वे के परिणामों पर 'तकनीकी रिपोर्ट' तैयार की जा रही है ।

5.14 एनएसएस का 75वां दौर (जुलाई 2017-जून 2018) i) परिवार उपभोक्ता व्यय तथा ii) स्वास्थ्य और शिक्षा पर सामाजिक उपभोग व्यय पर सर्वेक्षण को समर्पित था । आंकड़ा संग्रहण कार्य जून 2018 में पूरा कर लिया गया । एनएसएस के 75वें दौर के अनुरूप सारणियन योजना तथा अनुमानन प्रक्रिया को पूरा कर लिया गया है । वर्तमान में इस दौर से संबंधित आंकड़ा वैधीकरण का कार्य प्रगति पर है । इस दौर के प्रमुख संकेतक रिपोर्ट और डेटा जून, 2018 में जारी होने की उम्मीद है ।

5.15 एनएसएस का 76वां दौर (जुलाई-दिसम्बर, 2018) (i) दिव्यांगता तथा (ii) पेयजल, स्वच्छता, सफाई तथा आवास की स्थिति विषयों को समर्पित है । एनएसएस के 76वां दौर के लिए प्रशिक्षकों के लिए अखिल भारत कार्यशाला 5-6 अप्रैल, 2018 को हैदराबाद में आयोजित की गई । सर्वेक्षण 1 जुलाई, 2018 को आरंभ हुआ । एनएसएस के 76वां दौर से संबंधित सारणियन योजना तथा अनुमानन प्रक्रिया को अंतिम रूप दिया जा चुका है । इस दौर की रिपोर्ट के आंकड़े मई 2019 में जारी होने की उम्मीद है ।

5.16 आंकड़ा ई-अनुसूची के माध्यम से एकत्रित किया जा रहा है । क्षेत्रों से आंकड़ा फाइलें प्राप्त होती हैं और डीपीडी में उनका वैधीकरण किया जाता है । एनएसएस के 76वां दौर के लिए आंकड़ा विधायन सम्मेलन 24-25 जुलाई 2018 को आयेजित किया गया । तत्पश्चात प्रत्येक विशिष्ट आंकड़ा संसाधन केन्द्र पर कार्यशालाओं की श्रृंखलाएं आयोजित की गई ।

5.17 एनएसएस का 77वां दौर (जनवरी-दिसम्बर, 2019) (i) परिवारों की भूमि तथा पशुधन होल्डिंग तथा कृषक परिवारों की स्थिति मूल्यांकन (ii) ऋण एवं निवेश विषय को समर्पित है । एनएसएस के 77वां दौर के लिए प्रशिक्षकों के लिए अखिल भारत कार्यशाला 27-29 सितम्बर 2018 को गुवाहाटी में आयोजित की गई । सर्वेक्षण 1 जनवरी 2019 से आरंभ किया गया । एनएसएस के 77वें दौर की सारणीयन योजना और अनुमानन प्रक्रिया का कार्य प्रगति पर है ।

<u>सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों के लिए राज्य सहायता</u>

5.18 विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मापदण्डों के लिए उप-राज्य स्तरीय अनुमानों को तैयार करने के लिए राज्य भी एनएसएस के सर्वेक्षणों में भाग लेते हैं । अत: डाटा प्रसंस्करण के संबंध में राज्य स्तरीय क्षमता के विकास की आवश्यकता है । समंक विधायन प्रभाग राज्यों को डाटा प्रसंस्करण उपकरणों (प्रतिदर्श सूची, आंकड़ा प्रविष्टि के लिए सॉफ्टवेयर, वैधीकरण तथा सारणीयन) की आपूर्ति कर सभी प्रकार का तकनीकी मार्गदर्शन उपलब्ध करवा रहा है, जो केन्द्रीय तथा राज्य प्रतिदर्श डेटा के संग्रहीकरण

तथा राज्य प्रतिदर्श डाटा के प्रसंस्करण में सहायता करता है। उसके बाद एकत्रित अनुमान पर राज्य स्तरीय रिपोर्ट राज्यों द्वारा प्रकाशित की जाती हैं ।

5.19 वर्ष 2018-19 के दौरान समंक विधायन प्रभाग ने केंद्रीय प्रतिदर्श डाटा प्रसंस्करण के लिए एनएसएस के 76वें दौर के लिए डाटा प्रसंस्करण कार्यशालाएं आयोजित की । इस अवधि के दौरान समंक विधायन प्रभाग ने अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अधिकारियों के लिए एनएसएस के 72वें दौर के केंद्रीय तथा राज्य प्रतिदर्श डाटा से संबंधी पूलिंग कार्यशालाएं तथा 73वें दौर संबंधी सारणीयन कार्यशालाएं आयोजित की । इन कार्यशालाओं में सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक प्रशिक्षण भी दिया गया । जब कभी भी राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय द्वारा अनुरोध किया गया, प्रशिक्षण देने वाले अधिकारियों की उपलब्धता के आधार पर समंक विधायन प्रभाग द्वारा राज्यों के लिए विशेष आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण का प्रबंध किया गया ।

एनएसएस 71वें और 72वें दौरों के परिणामों पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

5.20 एनएसएस का 71वां दौर (जनवरी-जून 2014) “सामाजिक उपभोग: स्वास्थ्य और शिक्षा” विषय को समर्पित था और एनएसएस का 72वां दौर (जुलाई 2014-जून 2015) “परिवार पर्यटन व्यय” एवं “सेवाओं एवं टिकाऊ वस्तुओं पर परिवार व्यय” विषय को समर्पित था । 23-24 अगस्त 2018 के दौरान आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम में एनएसएस के 71वें दौर और एनएसएस के 72वें दौर के परिणामों पर आधारित एक राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया था । उक्त सेमिनार के दौरान, उपर्युक्त दौरों पर प्रभागीय कागजातों सहित कुल 17 तकनीकी पेपर प्रस्तुत किए गए ।

कृषि सांख्यिकीः

5.21 क्षेत्रफल तथा फसल के अनुमान का विश्वसनीय तथा सामयिक अनुमान प्राप्त करने के लिए उपयुक्त तकनीक विकसित करने तथा राज्यों को फसल-क्षेत्रफल तथा फसल सांख्यिकी के संग्रहण हेतु एकसमान संकल्पनाएं, परिभाषाएं और प्रक्रियाओं के अंगीकरण को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों के मार्गदर्शन की जिम्मेदारी एनएसएसओ (एफओडी) की है । यह फसल सांख्यिकी सुधार (आईसीएस) नामक योजना के माध्यम से फसल सांख्यिकी की गुणवत्ता पर निरन्तर निगरानी रखता है । इस योजना के अंतर्गत रा.प्र.सर्वे. कार्यालय का क्षेत्र संकार्य प्रभाग प्रत्येक कृषि ऋतु में लगभग 5,000 गांवों के क्षेत्र-गणना तथा क्षेत्र परिगणना से संबंधित प्रारंभिक क्षेत्र-कार्य के प्रतिदर्श जांच तथा प्रत्येक कृषि वर्ष में लगभग 16,000 फसल कटाई प्रयोगों का पर्यवेक्षण करता है । राज्य भी समान आकार में मेल खाते प्रतिदर्श जांच कार्यक्रम में भाग लेते हैं । फसल कटाई के चरण पर फसल कटाई परीक्षणों का पर्यवेक्षण

के माध्यम से एकत्र आंकड़ों का आईसीएस स्कीम के अंतर्गत विशिष्ट फसलों की उपज दर के **186** अनुमानों की गणना करने के लिए भी उपयोग किया जाता है ।

शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस)

5.22 शहरी ढांचा सर्वेक्षण (यूएफएस) नियमित योजना है, जो चरणबद्ध तरीके से 5 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाती है । इस सर्वेक्षण का उद्देश्य एनएसएसओ के विभिन्न सामाजार्थिक सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए शहरी क्षेत्रों में पहले स्तर की प्रतिचयन इकाइयों को चुनने के लिए एक फ्रेम उपलब्ध कराना और इस प्रयोजन के लिए शहरी प्रखण्ड बनाना और इन्हें अद्यतन बनाना है।

5.23 मोबाइल और पोर्टल आधारित एप्लीकेशनों का उपयोग करके डिजिटल प्लेटफार्म पर शहरी फ्रेम सर्वेक्षण(यूएफएस) 2017-22 पर चरणबद्ध रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया । जिसके लिए राष्ट्रीय संवेदी दूरस्थ केंद्र (एनआरएससी), हैदराबाद द्वारा प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है । क्षेत्रीय कार्यालयों को क्षेत्र कार्य आरंभ करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन उपलब्ध कराया गया है । वेब पोर्टल का बीटा संस्करण प्राप्त हो गया है और फील्ड कार्यालयों द्वारा उपयोग किया जा रहा है । पोर्टल का उन्नत संस्करण अप्रैल 2019 के आरंभ में आने की आशा है जिसमें अन्य विशिष्टताओं सहित पोर्टल के महत्वपूर्ण भाग के रूप में परिमाण भौगोलिक सूचना प्रणाली (प्लग-इन) है, जिससे फील्ड अधिकारियों का कार्य आसान होगा । फील्ड अधिकारियों को मोबाइल एप्लीकेशन के उपयोग और खींची गई तस्वीरों के संपादन एवं सीमाएं खींचने के लिए क्यूजीआईएस संबंधी प्रशिक्षण दिया गया है ।

आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण

5.24 आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) नामक राष्ट्रव्यापी श्रम बल सर्वेक्षण 1 अप्रैल 2017 से शुरू किया गया था । आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का प्रमुख उद्देश्य शहरी क्षेत्रों में श्रम बाजार के विभिन्न संकेतकों के तिमाही परिवर्तनों को मापना तथा शहरी तथा ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में विभिन्न श्रम बल संकेतकों के वार्षिक अनुमानों को तैयार करना है ।

5.25 फील्ड में पीएलएफएस के लिए डाटा कम्प्यूटर सहायक वैयक्तिक साक्षात्कार समाधान (सीएपीआई) के माध्यम से की जाती है । सीएपीआई समाधान का विकास, एनएसएसओ द्वारा सर्वेक्षणों के लिए आंकड़ा संग्रहण में पेपर अनुसूचियों के स्थान पर हैंड हैल्ड आईटी उपकरणों के माध्यम से आयोजित करने के लिए, विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहायता से किया गया था । वर्तमान में उपयोग की जा रही सीएपीआई सर्वेक्षण संस्करण को बदलकर 18.12 करने की कार्रवाई आरंभ कर दी गई है जिसका उपयोग 9वीं तिमाही (अप्रैल-2011) से किया जाएगा ।

5.26 अब तक, पीएलएफएस की आठ तिमाहियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ।

कम्प्यूटर सहाय्यित वैयक्तिक साक्षात्कार (सीएपीआई) समाधान

5.27 एनएसएसओ ने कागजी अनुसूची के स्थान पर हैंडहेल्ड आई टी उपकरण का उपयोग करते हुए एनएसएसओ द्वारा आयोजित सर्वेक्षणों के लिए आंकड़ें एकत्र करने हेतु विश्व बैंक से प्राप्त तकनीकी सहायता से एक कंप्यूटर सहायक वैयक्तिक साक्षात्कार समाधान (सीएपीआई) विकसित किया है । एनएसएसओ अप्रैल 2017 से पीएलएफएस में सर्वेक्षण समाधान सीएपीआई (संस्करण 5.19) का उपयोग कर रहा है, वह कागज अनुसूची में आंकड़ा एकत्र करने की अपनी मौजूदा प्रणाली के स्थान पर, एंडरायड आधारित टेबलेटस में सीधे डाटा एकत्र कर डाटा को एनआईसी सर्वर पर अपलोड कर रहा है । वर्तमान में एनएसएसओ दिसंबर 2018 तक सीएपीआई समाधानों के 18.10 संस्करण में परिवर्तित करने की प्रक्रिया में है ।

समय उपयोग सर्वेक्षण

5.28 सर्वेक्षण 1 जनवरी 2019 से एक वर्ष की अवधि के लिए आरंभ किया गया था । समय उपयोग सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य पुरूषों, महिलाओं तथा व्यक्तियों के अन्य समूहों की वैतनिक तथा अवैतनिक गतिविधियों में भागीदारी को मापना है । अखिल भारत स्तर पर समय उपयोग सर्वेक्षण के लिए लगभग 10,000 प्रथम स्तर की इकाइयों का सर्वेक्षण किया जाएगा इससे सतत विकास लक्ष्यों के कुछ ध्येयों की प्राप्ति की प्रगति की निगरानी में मदद मिलेगी ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई)

5.29 भारत में वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) औद्योगिक सांख्यिकी का मुख्य स्रोत है । यह संगठित विनिर्माण क्षेत्र के गठन और संरचना, वृद्धि संबंधी परिवर्तन का उद्देश्यपरक और यथार्थ रूप से निर्धारण एवं मूल्यांकन करने के लिए सांख्यिकीय सूचना उपलब्ध कराता है जिसमें विनिर्माण प्रक्रियाओं, मरम्मत सेवाओं, उत्पादन, बिजली का पारेषण आदि, गैस एवं जल आपूर्ति तथा कोल्ड स्टोरेज से जुड़े कार्यकलाप शामिल हैं । यह सर्वेक्षण सांख्यिकी संग्रहण अधिनियम, 2008 (वर्ष 2017 में यथा संशोधित) तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत सांविधिक है।

5.30 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण पूरे भारत में किया जाता है । सर्वेक्षण में कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2 एम(i) तथा 2 एम (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त कारखाने शामिल हैं ।

सर्वेक्षण में बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के अंतर्गत पंजीकृत सभी बीड़ी एवं सिगार निर्माणकारी प्रतिष्ठानों को भी शामिल किया जाता है । केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) में पंजीकृत बिजली के उत्पादन, पारेषण तथा वितरण में लगे सभी बिजली उपक्रम, उनके रोजगार का आकार चाहे कुछ भी हो, वर्ष 1997-98 तक वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल किए गए थे । कोल्ड स्टोरेज, जल आपूर्ति, मोटर वाहनों तथा घड़ी आदि जैसी उपभोग की अन्य टिकाऊ वस्तुओं की मरम्मत जैसी कुछ सेवाओं और कार्यकलापों को सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल किया गया है । रक्षा प्रतिष्ठानों, तेल भंडारण तथा वितरण डिपो, जलपान-गृहों, होटलों, कैफे और कम्प्यूटर सेवाओं तथा तकनीकी प्रशिक्षण संस्थानों को भी सर्वेक्षण के कार्यक्षेत्र से बाहर रखा गया है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत बिजली उपक्रमों को वर्ष 1998-99 से वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में शामिल नहीं किया जा रहा है तथापि, वे कैप्टिव इकाइयां जो केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में पंजीकृत नहीं हैं, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत शामिल की जा रही हैं ।

5.31 उक्त के अलावा, अब एएसआई की कवरेज का एएसआई के प्रतिचयन डिजाइन संबंधी उप-समूह द्वारा संस्तुति के अनुसार कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के अनुसार बीड़ी एवं सिगार कर्मगार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम, 1966 के दायरे से परे विस्तार किया गया है । इस प्रयोजनार्थ संबंधित राज्यों के लिए तैयार किए गए प्रतिष्ठान कार्य रजिस्टर (बीआरई) तथा छठी आर्थिक गणना आधारित प्रतिष्ठान निर्देशिका का सीएसओ (आईएस विंग) द्वारा उपयोग किया जाएगा ।

5.32 संवर्धित ढांचे के कार्यान्वयन से, 100 या अधिक कर्मचारियों वाली इकाइयों को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2एम (i) तथा 2एम (ii) के तहत पंजीकृत नहीं किया गया परंतु संबंधित राज्यों के बीआरई में शामिल इकाइयों को एएसआई फ्रेम में शामिल किया जाएगा । इसके लिए, आन्ध्र प्रदेश के बीआरई को एएसआई 2014-15 के लिए आन्ध्र प्रदेश के फ्रेम में शामिल किया गया तथा मणिपुर, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान का बीआरई, एफओडी द्वारा ऐसी इकाइयों के सत्यापन के उपरांत एएसआई 2015-16 के लिए संबंधित राज्यों के फ्रेम में शामिल किया गया । यह पिछली पद्धति से महत्पूर्ण प्रस्थान है तथा पंजीकृत विनिर्माण सेक्टर की कवरेज में सुधार है ।

5.33 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से एकत्र किए गए आंकड़े पूंजी, रोजगार तथा परिलब्धियों, ईंधन एवं लुब्रिकेंट्स की खपत, कच्चा माल एवं अन्य लागत/उत्पादन, मूल्यवर्धन, श्रम टर्नओवर और कारखानों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों की अन्य विशेषताओं से सम्बद्ध है । फील्ड-

कार्य रा.प्र.सर्वे.सं. के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्वारा किया जाता है । आईएस विंग आंकड़ों को संसाधित करता है और परिणाम प्रकाशित करता है ।

एएसआई में राज्य भागीदारी

5.34 राज्य अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को एएसआई में भागीदारी के प्रयोजनों से आवश्यक तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण दिया गया है । अन्य इच्छुक राज्यों के साथ प्रतिभागी राज्यों को एएसआई सर्वेक्षण कार्य में भाग लेने के लिए राज्य प्रतिदर्श सूची मुहैय्या कराई गयी है । आईएस विंग डीपीडी राज्यों को सभी सर्वेक्षण और आंकड़ा विधायन साधन (प्रतिदर्श सूची, शेड्यूल, अनुदेश पुस्तिका, आंकड़ा प्रविष्टि पैकेज (ई-शेड्यूल), वैधीकरण नियम, पूलिंग कार्यप्रणाली आदि) उपलब्ध कराता है । संबंधित राज्यों के लिए केंद्रीय प्रतिदर्श यूनिट स्तरीय आंकड़े भी राज्य डीईएस के साथ साझा किए गए थे ताकि यदि आवश्यक हो तो प्रतिदर्शों को उन्नत करके जिला/माइक्रो स्तरीय अनुमानों को तैयार करने में उन्हें सशक्त किया जा सके ।

5.35 एएसआई से संबंधित वर्तमान प्लान स्कीम नामत: क्षमता विकास के मुख्य उद्देश्य इस प्रकार हैं:-

- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के समंक विधायन की गुणवत्ता में सुधार लाना ।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण समंक विधायन के लिए (आईएस विंग, कोलकाता) के कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर का उन्नयन एवं संपूर्ण ऑनलाइन आंकड़ा संसाधन के विस्तार के रूप में चरणबद्ध तरीके से ई-प्रशासन का कार्यान्वयन ।
- वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण में भागीदारी के लिए राज्य के अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालयों को सहायता ।

5.36 पिछले कुछ दशकों में, पंजीकृत कारखानों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है और परिणामत: ऐसी इकाइयों की संख्या में भी वृद्धि हुई है जिनसे आंकड़े वार्षिक रूप से संग्रहित और विश्लेषित किए जाने होते हैं । एनएसएसओ (एफओडी) की प्रचालनात्मक बाधाओं को देखते हुए, एएसआई 2012-13, एएसआई 2013-14, एएसआई 2014-15, एएसआई 2015-16 और 2016-17 के दौरान प्रतिदर्श आकार क्रमश: 65,972, 66,283, 70,943, 73,841 और 76,977 इकाइयां थीं । एएसआई 2017-18 में 76,613 इकाइयां सर्वेक्षण के लिए चयनित की गई, इसमें 51,569 गणना इकाईयां तथा 25,044 प्रतिदर्श इकाईयों का चयन सर्वेक्षण के लिए किया गया । एएसआई 2017-18 का फील्ड कार्य प्रांरभ किया जा चुका है । एएसआई 2012-13 से आगे की सभी अनुसूचियों को एएसआई की वेब पोर्टल के माध्यम से प्रसारित किया गया है।

5.37 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण परिणामों को जारी करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए एक कार्य योजना तैयार की गई है । एएसआई 1998-99 से विस्तृत परिणाम (दो खंडों में) संतोषजनक रूप से जारी किए जा रहे हैं । एएसआई 2016-17 के अंतिम परिणाम सर्वेक्षण समाप्त होने के छह माह के अंदर एएसआई के वेब पोर्टल पर दो खंडों में जारी किए गए हैं (खंड-I तथा खंड-II सीडी में कारखाना क्षेत्र के परिणामों का सार) । एएसआई 2009-10 से आगे खंड-I के परिणाम इलैक्ट्रानिक मीडिया के उपयोगकर्ताओं को आसानी से उपलब्ध हैं और मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) से डाउनलोड किए जा सकते हैं तथा खंड-II, भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है ।

वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणामों की झलक

5.38 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016-17 के अंतिम परिणाम मार्च 2019 में जारी किए गए थे। एएसआई 2016-17 में पूरे देश को शामिल किया गया । एएसआई 2016-17 का फील्ड कार्य वित्त वर्ष 2016-17 के साथ पड़ने वाली संदर्भ अवधि में देश भर में जनवरी 2018 से सितम्बर 2018 के दौरान कराया गया था ।

5.39 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण 2016-17 के सर्वेक्षण की कुछ मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं:-

- 2016-17 के दौरान, चल रहे कारखानों की अनुमानित संख्या 2,34,865 थी ।
- इन कारखानों द्वारा लगभग 149 लाख लोगों को काम पर लगाया गया था।
- इन सभी कारखानों की कुल निवेशित पूंजी 42,96,255 करोड़ रुपए थी ।
- कारखानों द्वारा कुल निवल मूल्य संवर्धन 11,45,919 करोड़ रुपए था ।

5.40 एएसआई के अंतर्गत यथाशामिल उद्योगों की प्रमुख विशेषताओं संबंधित तुलनात्मक विवरण नीचे दिया गया है:

सारणी-5.1

विशेषताएं	ईकाई	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
कारखाने	संख्या	222120	224576	230435	233116	234865
नियत पूंजी	लाख रु.	218026022	237371903	247445461	280964722	319038649
उत्पादक पूंजी	लाख रु.	278367129	303640480	311529492	355017720	385346936
निवेशित पूंजी	लाख रु.	314411215	338455535	351396431	385309984	429625490

कामगार	संख्या	10051626	10444404	10755288	11136133	11662947
कार्मिक	संख्या	12873853	13462061	13808327	14227645	14840929
श्रमिकों को मजदूरी	लाख रु.	11089620	12649644	14048488	15600116	17353716
परिलब्धियां	लाख रु.	23805727	27241503	30741306	33975074	37516385
कुल निवेश	लाख रु.	501866586	549013952	571910956	558907407	589746374
उत्पादन	लाख रु.	602594536	655525116	688381205	686235375	726551423
अवमूल्यन	लाख रु.	15533081	16976977	18954077	20079459	22213138
निवल मूल्य संवर्धन	लाख रु.	85194869	89534187	97516172	107248509	114591911
निवल नियत पूंजी निर्माण	लाख रु.	20219540	18396832	13405511	17879299	14696869
निवल आय	लाख रु.	71928627	75152048	81228119	90165276	97221421
दिया गया किराया	लाख रु.	1642164	1527272	1709361	1774760	1964321
दिया गया ब्याज	लाख रु.	13807327	15485061	17286008	18213736	18940173
लाभ	लाख रु.	44426292	43956552	46028299	51319338	53935285

एएसआई वेब-पोर्टल

5.41 वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण का वेबपोर्टल औद्योगिकी सांख्यिकी विंग, कोलकाता द्वारा एएसआई अनुसूचियों के संग्रहण और संकलन हेतु एनआईसी के सहयोग से विकसित किया गया है । इस पोर्टल का मुख्य उद्देश्य इनबिल्ट वेलिडेशन की सुविधा के साथ स्रोत पर ही एएसआई आंकड़े एकत्र करना है जिससे आंकड़ों की सटीकता बढ़ेगी और समय की बचत होगी । इसका एक अतिरिक्त लाभ यह है कि यह सुरक्षित वातावरण में 24x7 उपलब्ध रहेगा । उद्देश्य है कि इससे अनुसूचियों को भौतिक रूप से इधर-उधर ले जाए बगैर सुरक्षित वातावरण में एएसआई आंकड़े समय से, पारदर्शी तथा विश्वसनीय तरीके से प्रदान किए जा सकेंगे। एएसआई 2012-13 से एएसआई अनुसूची के फ्रेम के अपडेशन, प्रतिदर्श चयन और ई-संकलन के लिए एएसआई वेबपोर्टल सफलतापूर्वक शुरू किया गया है ।

राज्य अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों के सांख्यिकीय कर्मिकों के लिए एएसआई संबंधी अखिल भारतीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण

5.42 राज्य अर्थ और सांख्यिकी निदेशालयों के सांख्यिकी कार्मिकों के लिए एएसआई संबंधी अखिल भारतीय प्रशिक्षक प्रशिक्षण 6-7 सितम्बर 2018 के दौरान सांख्यिकी भवन दिल्ली में आयोजित किया गया था । कार्यक्रम का उद्घाटन महानिदेशक, एनएसएसओ, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किया गया तथा इसमें एनएसएसओ के अधिकारियों सहित 20 राज्यों के 38 प्रतिभागियों ने भाग लिया । एएसआई की अवधारणाएं और परिभाषाएं,

एएसआई शेड्यूल और संबंधित अवधारणाओं में हाल ही में हुए परिवर्तनों, ई-शेड्यूल के माध्यम से एएसआई रिटर्न को भरना, केन्द्र और राज्य प्रतिदर्श आंकड़ों की पूलिंग वैधीकरण साफ्टवेयर का उपयोग करके एएसआई आंकड़ों की संवीक्षा और वैधीकरण तथा एएसआई फ्रेम संबंधित मुद्दों पर उक्त कार्यशाला में विचार-विमर्श किया गया था ।

औद्योगिक सांख्यिकी पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

5.43 औद्योगिक सांख्यिकी पर नौंवी राष्ट्रीय संगोष्ठी 14 दिसम्बर, 2018 को कोलकाता में आयोजित की गई थी, जहां इस संगोष्ठी में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों, अनेक ख्यातिप्राप्त अर्थशास्त्रियों, सांख्यिकीविदों, शोधकर्ताओं ने भाग लिया और शैक्षिक, उद्योग, सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों ने अपने-अपने आलेख प्रस्तुत किए ।

मूल्य आंकड़ा

5.44 ग्रामीण खुदरा मूल्य संग्रहण (आरपीसी, 3.01 (आर): राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय कृषि तथा ग्रामीण श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के संकलन के लिए नियमित मासिक ग्रामीण मूल्य आंकड़ा संग्रहीत करता है । मूल्य आंकड़ा के साथ-साथ 12 प्रमुख कृषि तथा 13 प्रमुख गैर-कृषि व्यवसायों की दैनिक मजदूरी दरें भी अनुसूची 3.01 (आर) में एकत्रित की जा रही हैं । महत्वपूर्ण कृषि प्रचालनों की दैनिक मजदूरी दरों के आंकड़े राज्य सरकारों द्वारा मासिक आधार रिपोर्ट की जाती है। श्रम ब्यूरो, श्रम तथा रोजगार मंत्रालय सीपीआई (एल/आरएल) को संकलित करता है तथा प्रकाशित करता है । आरपीसी के लिए आंकड़ा 26 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र में स्थित 603 गांवों से किया जाता है । आरपीसी का आधार वर्ष 1986=100 है, जिसे प्रत्येक राज्य तथा अखिल भारत स्तर पर प्रत्येक माह (20 तारीख अथवा 20 तारीख के बाद के पहले कार्य दिवस को) जारी किया जाता है । राज्य सरकारें महत्वपूर्ण कृषि संबंधी अभियानों के दैनिक मजदूरी दरों संबंधी आंकड़े की सूचना मासिक आधार पर देती है ।

5.45 "ग्रामीण भारत में मूल्य तथा मजदूरी" नामक आरपीसी बुलेटिन प्रत्येक तिमाही के लिए प्रकाशित किया जाता है और यह 260 वस्तुओं के संबंध में केवल राष्ट्रीय स्तर का मूल्य आंकड़ा तथा 25 प्रमुख राज्यों का राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मजदूरी आंकड़े उपलब्ध करवाता है । अप्रैल-जून 2018 तक की तिमाही का आरपीसी बुलेटिन प्रकाशित किया जा चुका है तथा जुलाई-सितम्बर 2018 तिमाही के लिए बुलेटिन का आंकड़ा प्रसंस्करण कार्य दिसम्बर 2018 में प्रकाशित किया गया है ।

5.46 सीपीआई (एएल/आरएल) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण कार्य अप्रैल 2019 में पूरा कर लिया गया है । नई श्रृंखला में नियमित मूल्य संग्रहण देश भर में लगभग 739 गांवों में शुरू

कर दिया गया है । मौजूदा आधार वर्ष 1986=100 के अंतर्गत खुदरा मूल्य संग्रहण दिसम्बर 2020 तक चलता रहेगा ।

5.47 **उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (शहरी):** उपभोक्ता मूल्य सूचकांक परिवारों द्‌वारा उपभोग के उद्देश्य से प्राप्त की जाने वाली वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्यों के सामान्य स्तर में समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को मापता है । उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (यू) का मूल्य संग्रहण मई 2008 से मूल्य सांख्यिकी प्रभाग, सीएसओ की ओर से एनएसएसओ के क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्‌वारा एकत्रित किया जाता है । सीपीआई (यू) का आधार वर्ष 2012=100 है । मूल्य आंकड़ा संग्रहण प्रतिमाह 310 कस्बों से 1078 कोटेशन के लिए किया जाता है । सीपीआई (यू) की वेबपोर्टल में मासिक खुदरा मूल्य का संग्रहण/पारेषण एफओडी द्‌वारा नियमित रूप से किया जा रहा है ।

5.48 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (ग्रामीण): एनएसएसओ (एफओडी) को, डाक विभाग (डीओपी) से कार्य हस्तांतरित करने के बाद, सितंबर 2018 से सीपीआई (ग्रामीण) का काम सौंपा गया है। सीपीआई (ग्रामीण) का आधार वर्ष सीपीआई (शहरी) के समान है, अर्थात, 2012=100 देश भर के 1181 गांवों में स्थित बाजारों से मूल्य डेटा संग्रह किया जा रहा है। बाजारों और दुकानों के साथ कर्मचारियों को परिचित कराने के लिए, सितंबर 2018 से अक्टूबर 2018 तक दो महीने की अवधि के लिए डाक विभाग के अधिकारियों की सहायता से संयुक्त मूल्य संग्रह किया गया। नवंबर 2018 से एनएसएसओ (एफओडी) द्‌वारा स्वतंत्र रूप से मूल्य संग्रह गतिविधि ठेका कर्मचारियों के माध्यम से करवाई जा रही है।

5.49 सीपीआई (शहरी) और सीपीआई (ग्रामीण) के आधार वर्ष संशोधन के लिए बाजार सर्वेक्षण का काम अप्रैल 2019 में ही पूरा हो चुका है। नई श्रृंखला के तहत नियमित मूल्य संग्रह सीपीआई (शहरी) के लिए 1150 कोटेशनों और सीपीआई (ग्रामीण) के मामले में पूरे देश में फैले लगभग 1214 गांवों से किया जा रहा है । मौजूदा आधार वर्ष 2012=100 के तहत खुदरा मूल्यों का संग्रह दिसंबर 2019 तक जारी रहेगा।

5.50 **थोक बिक्री मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) जारी:** डब्ल्यूपीआई का उपयोग भारत में मुद्रास्फीति का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण उपाय है । राजकोषीय और मौद्रिक नीति परिवर्तन डब्ल्यूपीआई में परिवर्तनों से अत्याधिक प्रभावित हैं । यह सर्वेक्षण आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, औद्‌योगिक नीति और संवर्धन विभाग (डीआईपीपी), की ओर से क्षेत्र संकार्य प्रभाग द्‌वारा आयोजित किया जाता है ।

5.51 डब्ल्यूपीआई का आधार वर्ष 2011-12=100 है । संगठित क्षेत्र की 5648 विनिर्माण इकाईयों/फैक्ट्रियों को शामिल करते हुए मासिक आधार पर 6765 कोटेशनों के लिए आंकड़ा संग्रहण/पारेषन क्रियाकलाप संविदात्मक जनशक्ति को लगाकर नियमित रूप से निष्पादित किया जाता है।

योजना स्कीम

5.52 एनएसएसओ पर मंत्रालय की योजना स्कीम 'क्षमता विकास' के एक उपघटक नामतः 'एनएसएसओ की सर्वेक्षण क्षमताओं का सुदृढ़ीकरण' को कार्यान्वित करने का दायित्व है । इस घटक के तहत, वर्ष 2018-19 के दौरान एनएसएस सर्वेक्षण करने के लिए 1039.09 लाख रुपए की कुल राशि सहायता अनुदान के रूप में अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा तथा सिक्किम के उत्तर-पूर्वी राज्यों को प्रथम किस्त के रूप में जारी की गई है ।

5.53 'एनएसएसओ की आंकड़ा विधायन क्षमताओं के सुदृढ़ीकरण' के अंतर्गत, अवसंरचना तैयार करने, प्रौद्योगिकी उन्नयन और मानव संसाधन विकास के अलावा, दो योजना केंद्र नामत: समंक विधायन केंद्र, बंगलौर तथा समंक विधायन केंद्र अहमदाबाद 10वीं योजना के दौरान संस्थापित किए गए । इन दोनों समंक विधायन केंद्रों ने आंकड़ा विधायन की समयपरकता से प्राप्त करने तथा परिणामों को जारी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया तथा 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उनके योगदान ने सर्वेक्षण के आयोजन के एक वर्ष के भीतर इसके परिणामों को जारी करने के लक्ष्य को पाने के लिए एनएसएसओ को समर्थ बनाया ।

5.54 **क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए भूमि की खरीद/आवास का निर्माण**: एफओडी के फील्ड कार्यालयों में अवसरंचना विकसित तथा सुदृढ़ की गई । रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान मैसूर उप क्षेत्रीय कार्यालय तथा हुबली क्षेत्रीय कार्यालय का निर्माण पूरा किया गया और वर्ष 2018-19 में उनका उद्घाटन किया गया ।

5.55 **प्रशिक्षण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण:** एनएसएसओ अपने आंचलिक प्रशिक्षण केन्द्रों और कृषि सांख्यिकी स्कंध, फरीदाबाद के माध्यम से अपने कर्मचारियों के लिए नियमित सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करता है । वर्ष 2018-19 (अप्रैल 2019-मार्च 2019) के दौरान, सामान्य प्रशासनिक मामलों पर प्रशिक्षण तथा सूचना का अधिकार के अलावा, सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण, एएसआई/एएसआई वेब पोर्टल, कृषि सांख्यिकी, यूएफएस जैसी विभिन्न तकनीकी स्कीमों पर लगभग 1751 अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया ।

5.56 **एनएसएसओ का प्रचार:** एनएसएसओ के ब्रैंड नाम के सृजन के लिए तथा आंकड़ों की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से उत्तरदाताओं से सहयोग प्राप्त करने के लिए वर्ष 2018-19 में निम्नलिखित कदम उठाए गएः

- डाटा संग्रहण कार्य में लोगों का सहयोग मांगने संबंधी अपील राष्ट्रीय तथा प्रादेशिक समाचार-पत्रों में की गई है ।
- लोक सभा टी.वी. पर वीडियो स्पॉट का प्रसारण चल रहा है ।

सर्वेक्षणा:

5.57 इसके विभिन्न अंकों की विषय-वस्तु को अंतिम रूप देने के लिए एनएसएसओ की तकनीकी गृह पत्रिका 'सर्वेक्षणा' के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड को कारगर सचिवालयी सहायता दी गई । सर्वेक्षणा के सम्पादकीय सलाहकार बोर्ड (ईएबी) की बैठक एनएसएसओ की तकनीकी पत्रिका 'सर्वेक्षणा' के 106वें अंक की हस्तलिपि को अंतिम रूप देने के लिए प्रो. यू.शंकर की अध्यक्षता में 18 मार्च 2019 को आयोजित की गई ।

5.58 सर्वेक्षणा का 104वां अंक प्रकाशित किया गया तथा साथ ही मार्च 2018 के दौरान मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया गया तथा 'सर्वेक्षणा' का 105वां और 106वां अंक सितम्बर 2018 के दौरान मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड किए गए ।

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग/नई पहलें

5.59 एनएसएस के 76वें दौर में 'दिव्यांगता, पेयजल, स्वच्छता, साफ-सफाई तथा घरों की स्थिति के विषयों को शामिल किया गया । सर्वेक्षण जुलाई 2018 में प्रारंभ हुआ तथा दिसम्बर 2018 में समाप्त हुआ । इस दौर में, फील्ड में आंकड़ों का संग्रहण सामान्य की तरह कागजों पर किया गया और आंकड़ा प्रविष्टि में आंतरिक रूप से विकसित एमएस एक्सेस आधारित ई-शेड्यूल का प्रयोग किया गया है । फील्ड कार्यालय आंकड़ों को अग्रिम प्रक्रिया हेतु आंकड़ा प्रसंस्करण प्रभाग को ई-मेल भेजने थे । यह ई-शेड्यूल आरंभ की गई वैधीकरण जांच के माध्यम से आंकड़ों की गुणवत्ता को बढ़ाने में सहायता कर सकता है तथा डाटा संसाधन केन्द्रों द्वारा आंकड़ों की प्रविष्टि की आवश्यकता को खत्म कर देगा और इस तरह से रिपोर्टों को जारी करने में लगने वाले समय को कम कर देगा ।

5.60 एक कदम आगे बढ़ाते हुए, 1 जनवरी 2019 से आरंभ होने वाले एनएसएस के 77वें दौर से सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण के सम्पूर्ण डिजिटलीकरण की परिकल्पना को पूर्ण रूप दे दिया गया है । इसमें कागजी अनुसूचियों का डिजिटल शेड्यूल में डिजिटलीकरण संभव होगा । फील्ड में डाटा कैप्चरिंग टेबलेट्स का प्रयोग करते हुए आईएसआई द्वारा विकसित वेब ब्राउसर मॉडयूल के माध्यम से किया

जाएगा। इससे फील्ड डाटा की गुणवत्ता में सुधार करने के साथ-साथ, रिपोर्ट के जारी होने में लगने वाले समय अन्तराल को कम किया जा सकेगा ।

- एसडीआरडी ने पुरानी एनएसएस रिपोर्टों तथा सर्वेक्षणा के पुराने अंकों के आर्काईविंग संबंधी कार्य आरंभ कर दिया गया है । 536 पुरानी एनएसएस रिपोर्टों (एनएसएस के प्रथम दौर 47वें दौर तक) में से कुल 531 रिपोर्टों का डिजिटलीकरण किया जा चुका है और सां.और कार्य.कार्या.मंत्रालय की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए सीपीडी को भेज दिया गया है ।
- सर्वेक्षणा के पुराने अंकों के डिजीटलीकरण का कार्य भी आरंभ कर दिया गया है । पुराने 104 अंकों में से 101 अंकों का डिजिटाइजेशन करके, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए सीपीडी को भेज दिए गए है ।

5.61 यूएफएस (2017-2022) का अगला चरण नवम्बर 2017 से आरंभ हो चुका है । यूएफएस का यह चरण पूर्णतया डिजिटल किया गया है । राष्ट्रीय सुदूर संवेदी केन्द्र (एनआरएससी), हैदराबाद के सहयोग से विकसित मोबाइल/वेब एप्लीकेशन का प्रयोग करते हुए विभिन्न यूएफएस अभियान चलाए जाएंगे । ब्लॉक/वार्ड/यूनिट/कस्बों की सीमा क्यूजीआईएस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए भूवन पोर्टल से प्राप्त सेटेलाइट चित्रण पर खींची जायेगी । दिए गए स्थान का भू-समन्वय (अक्षांशों तथा देशान्तरों), संरचना तथा संबंधित विशेषताएं मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा प्राप्त की जाएगी तथा सेटेलाइट चित्रण पर लगाई जाएंगी । संबंधित विशेषताओं के साथ इस तरह से खींचा गया नक्शा भूवन पोर्टल पर सेव किया जाएगा ताकि सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों का संचालन करने के लिए सेम्पलिंग फ्रेम के रूप में इसका उपयोग किया जा सके ।

5.62 दो नवीन उद्यम सर्वेक्षण जैसे सेवा क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसएसएसई) तथा अनिगमित क्षेत्र उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) अक्तूबर 2019 तथा जनवरी 2020 में आरंभ किए जाने का प्रस्ताव है। डॉ. प्रणव सेन, कार्यक्रम निदेशक, अंतर्राष्ट्रीय विकास केंद्र, की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का गठन कर दिया गया है । स्थायी समिति की पहली बैठक दिनांक 24 अक्तूबर 2018 को आयोजित की गई थी । मार्च 2019 तक प्रस्तावित सर्वेक्षणों के ब्लूप्रिंट को अंतिम रूप देने के लिए स्थायी समिति की तीन बैठके आयोजित की जा चुकी हैं ।

अध्याय-VI
सांख्यिकीय सेवाएं

भारतीय सांख्यिकीय सेवा

6.1 भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस), का गठन सरकार द्वारा योजना बनाने, नीति-निर्माण और निर्णय लेने की महत्वपूर्ण सांख्यिकीय जरूरतों को चित्रित करने तथा राष्ट्रीय और अन्तर-राष्ट्रीय स्तर पर इनको समेकित और प्रसारित करने के उद्देश्य से सांख्यिकी के मुख्य क्षेत्रों में विभिन्न सांख्यिकीय प्रणाली पर नियंत्रण, समन्वय, प्रबोधन और परिचालन हेतु दक्ष व्यावसायिकों के संवर्ग के रूप में 1 नवम्बर, 1961 को किया गया था ।

6.2 विभिन्न ग्रेडों पर आईएसएस के पदों को विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संगठनों में इस उद्देश्य के साथ वितरित किया गया है कि मंत्रालयों/विभागों में उचित सांख्यिकीय सेट-अप हो जिससे वे वास्तविक समय, वस्तुनिष्ठ आंकड़े उपलब्ध करा सकें व (क) नीति-निर्माण, कार्यान्वयन और निगरानी (समवर्ती निगरानी व मूल्यांकन और परिणाम/अंतिम मूल्यांकन सहित); और (ख) निर्णय करने के लिए विश्लेषण कर सकें ।

6.3 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारतीय सांख्यिकीय सेवा के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी के तौर पर कार्य करता है । मंत्रालय भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामलों को देखता है । तथापि, आईएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की देखभाल उन मंत्रालयों/विभागों द्वारा की जाती है जिनमें कि वे तैनात होते हैं ।

6.4 इस सेवा की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित भारतीय सांख्यिकीय सेवा, फीडर संवर्ग अर्थात् अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) से प्रोन्नति तथा अन्य मंत्रालयों/विभागों में कार्यरत सांख्यिकीय अधिकारियों के आमेलन के माध्यम से की जाती है । गत वर्षों में प्रासंगिकता व पदों की संख्या के दृष्टिकोण से इस सेवा में विकास हुआ है । विभिन्न ग्रेडों में स्वीकृत पद और वर्तमान में आबंटित पदों की संख्या **तालिका 6.1** में दी गई है।

तालिका 6.1

ग्रेड	संस्वीकृत संख्या	31 मार्च, 2019 को संवर्ग क्षमता
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी+)	05	02
उच्च प्रशासनिक ग्रेड (एचएजी)	18	14
वरिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (एसएजी)	136	134
कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड (जेएजी)	176#	136
वरिष्ठ समयमान (एसटीएस)	179	179
कनिष्ठ समयमान (जेटीएस)	300*	174
कुल	**814**	**639**

इनमें से 30% सीनियर ड्यूटी के पद (नामत: वरिष्ठ समयमान और उसके ऊपर के पद) एनएफएसजी में रखे गए हैं ।

*अवकाश, प्रतिनियुक्ति और प्रशिक्षण हेतु रखे गए 50 पदों सहित ।

6.5 इस सेवा में सीधी भर्ती की प्रथम परीक्षा वर्ष 1967 में आयोजित की गई थी तथा इस सेवा के प्रथम बैच की नियुक्ति वर्ष 1968 में की गई थी । अभी तक, सीधी भर्ती के 41 बैचों ने सेवा को ज्वाइन किया है । 29 अधिकारियों के नवीनतम बैच ने फरवरी 2019 को ज्वाइन कर लिया है ।

6.6 आईएसएस नियमावली, 2016 में कनिष्ठ समयमान (जेटीएस) में 50 प्रतिशत पदों की सीधी भर्ती और 50 प्रतिशत अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा (एसएसएस) संवर्ग से पदोन्नति द्वारा भरने का प्रावधान है । इस सेवा में कनिष्ठ समयमान के अतिरिक्त और किसी स्तर पर सीधी भर्ती नहीं होती है । अन्य ग्रेडों में सभी रिक्तियां पदोन्नति द्वारा भरी जाती हैं ।

अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस)

6.7 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस) का गठन सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था में नियोजन, नीति-निर्माण और सरकार की निर्णय लेने की क्षमता को सुविधाजनक बनाने जैसे विभिन्न मुद्दों को कवर करने के लिए महत्वपूर्ण सांख्यिकीय आंकड़ा आधार निर्मित करने में सहायता करने के लिए मूल सांख्यिकी क्षेत्र में अर्हता प्राप्त कार्मिकों के संवर्ग के रूप में 12 फरवरी, 2002 को किया गया था ।

6.8 अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा (एसएसएस), सांख्यिकीय कार्य पदों की समूह-ख केन्द्रीय सिविल सेवा है जो भारतीय सांख्यिकी सेवा (आईएसएस) के लिए फीडर कैडर है । इसमें छठे

केंद्रीय वेतन आयोग के अंतर्गत पूर्व-संशोधित वेतन संरचना 9300-34800 रु. के पे बैंड में 4600/- रु. ग्रेड पे (ग्रुप ख राजपत्रित) में वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (एसएसओ) तथा इसी पे बैंड में 4200/- रु. के ग्रेड पे (ग्रुप ख अराजपत्रित) में कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी (जेएसओ) हैं। 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार, वरिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का वेतनमान क्रमश: मैट्रिक्स के लेवल-7 और कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी का लेवल-6 है । एसएसएस संवर्ग के अधिकारी पूरे देश में भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/संगठनों में कार्यरत हैं ।

6.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अधीनस्थ सांख्यिकी सेवा का संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारी भी है । मंत्रालय इस सेवा में, जिसमें भर्ती, प्रोन्नति, प्रशिक्षण, कैरियर तथा जनशक्ति नियोजन आदि सहित सेवा से संबंधित सभी मामले शामिल हैं, की देख-रेख करता है । तथापि, एसएसएस अधिकारियों के दिन-प्रति-दिन के प्रशासनिक मामलों की उन मंत्रालयों/विभागों/संगठनों जिनमें ये अधिकारी तैनात हैं, द्वारा देखरेख की जाती है ।

6.10 एसएसएस नियम, 2013 के अन्तर्गत कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी के 90 प्रतिशत पदों पर खुली प्रतिस्पर्धा परीक्षा अर्थात कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा (सीजीएलई) के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरा जाता है, जबकि 10 प्रतिशत पद फीडर पद धारकों से पदोन्नति के माध्यम से भरे जाने का प्रावधान है । इस सेवा में एसएसओ के पदों पर कोई सीधी भर्ती नहीं की जाती है ।

6.11 31 मार्च 2019 की स्थिति के अनुसार, स्वीकृत पदों की संख्या तथा तैनात पद धारकों की संख्या नीचे दी गई हैः

तालिका 6.2

क्र.सं.	**पद का नाम**	**स्वीकृत पद**	**तैनात**
1.	वरिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	1781	1710
2.	कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारी	2168	1615
	कुल संख्या	3949	3325

6.12 वर्ष 2018-19 के दौरान महत्वपूर्ण क्रियाकलापों के क्षेत्र इस प्रकार हैं:-

- एसएसएस संवर्ग में नए भर्ती कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारियों के लिए नस्ता, ग्रेटर नोएडा के माध्यम से प्रवेश प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मार्च, 2019 तक 280 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया जा चुका है ।
- स्मार्ट परफोरमेन्स एप्रेजल रिपोर्ट रिकार्डिंग (स्पेरो) पर एसएसएस अधिकारियों के लिए वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्टिंग ऑनलाइन की प्रक्रिया कार्यान्वित की गई थी और काम कर ही है । ऑनलाइन एपीएआर भरने के लिए एसएसएस संवर्ग के लगभग 3,500 अधिकारी+अधिकारी एसपीपीएआरआरओडब्ल्यू पर पंजीकृत किए जा चुके हैं । कुल पंजीकृत 3,500+ पंजीकृत अधिकारियों में से, वर्ष 2017-18 के लिए लगभग 3767 (पार्ट-एपीएआर ऑनलाइन+ एनआरसी) तैयार किए जा चुके हैं ।
- कर्मचारी चयन आयोग (सीजीएलई-2016) के माध्यमय से जेएसओ के पद पर नियुक्त 621 उम्मीदवारों को नियुक्ति आदेश जारी किए गए ।
- कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसरण में, एसएसएस संवर्ग में संशोधित सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एमएसीपी)/सुनिश्चित कैरियर उन्नयन (एसीपी) स्कीम कार्यान्वित की गई तथा इसका नियमित रूप से प्रबोधन किया जा रहा है । वर्ष के दौरान एसएसएस के लगभग 87 अधिकारियों को पहली, दूसरी और तीसरी एमएसीपी दी गई ।
- परिवीक्षा अवधि के सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर वर्ष 2018-19 को 351 कनिष्ठ सांख्यिकीय अधिकारियों की सेवा स्थायी की गई ।

अध्याय-VII

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

7.1 उन्नीस सौ तीस के दशक के प्रारम्भ में भारत में सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी के उत्कर्ष की आवश्यकता को महसूस करते हुए पथप्रदर्शक के रूप में प्रोफेसर पी.सी. महालनोबिस की पहल और प्रयासों के फलस्वरूप भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अस्तित्व में आया। भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का रजिस्ट्री पश्चिम बंगाल सोसाइटी रजिस्ट्री अधिनियम, XXI के 1860 के अधीन एक अलाभकारी विद्या प्रसारक सोसाइटी के रूप में दिनांक 28 अप्रैल 1932 को किया गया। प्रारम्भ से ही संस्थान अपने तरीके से अपनी उत्कृष्टता प्रदर्शित करने लगा । जब संस्थान ने अपने अनुसंधान, शिक्षण, प्रशिक्षण और परियोजना कार्यकलापों का विस्तार किया तो इसे राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिलने लगी। सैद्धान्तिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकीय कार्य में संस्थान के उत्कृष्ट योगदान के कारण उसे संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम (1959 का 57) द्वारा "राष्ट्रीय महत्व के संस्थान" के रूप में मान्यता प्राप्त हुई जिससे संस्थान को सांख्यिकी की परीक्षा आयोजित करने और डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने का अधिकार मिला । महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने वर्ष 1959 में स्वयं उक्त बिल संसद में पेश किया ।

7.2 इसके परिणामस्वरूप डिग्री पाठ्यक्रम यथा-सांख्यिकी स्नातक (बी. स्टैट) और सांख्यिकी निष्णात (एम. स्टैट) तथा एस क्यू सी एवं ओ आर और कंप्यूटर विज्ञान में स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम जून 1960 से शुरू किए गए। उसी वर्ष से संस्थान को पी.एच.डी./डी.एससी.डिग्री प्रदान करने के लिए भी सशक्त किया गया। बाद में कंप्यूटर विज्ञान (सी एस) और गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान (क्यू आर ओ आर) में प्रौद्योगिकी निष्णात (एम. टेक) पाठ्यक्रम भी चलाए गए । इसके क्षेत्र का और विस्तार किया गया तथा संस्थान को संसद के एक अधिनियम, भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (संशोधन) अधिनियम, 1995 (1995 का 38) द्वारा न केवल सांख्यिकी बल्कि गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान और सांख्यिकी से संबंधित अन्य विषयों में डिग्री/डिप्लोमा प्रदान करने के लिए सशक्त किया गया जिससे न केवल सांख्यिकी/गणित में बल्कि कंप्यूटर एवं संचार विज्ञान की विभिन्न शाखाओं, प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञान, भौतिकी एवं पृथ्वी विज्ञान, जैविक विज्ञान, सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण एवं संक्रियात्मक अनुसंधान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में बड़े पैमाने पर अनुसंधान कार्यकलाप को काफी बढ़ावा मिला ।

7.3 वर्षों से संस्थान प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं व्यावहारिक अनुप्रयोग को बढ़ावा देकर सांख्यिकीय सिद्धान्त एवं विधि के विकास में प्रमुख भूमिका निभा रहा है ।

संस्थान द्वारा वर्ष 1933 से प्रकाशित की जाने वाली "सांख्यिकी की भारतीय पत्रिका- सांख्य" की गणना अभी भी संसार की एक अग्रणी सांख्यिकीय पत्रिका के रूप में की जाती है। सांख्यिकीय सिद्धान्त के कई क्षेत्रों, विशेषकर बहुविध विश्लेषण, प्रतिदर्श सर्वेक्षण एवं प्रयोग के डिजाइन जैसे प्रमुख क्षेत्रों में पुरगामी अनुसंधान कार्य किए गए । उन्नीस सौ चालीस के दशक में संस्थान में कार्यग्रहण करने वाले प्रोफेसर सी॰आर॰ राव एवं अन्य द्वारा ऐसे कार्यकलापों को और मजबूती प्रदान की गई तथा नई दिशाओं की खोज की गई और वह परंपरा अभी भी जारी है। अर्थशास्त्र में अनुसंधान को उस समय काफी बढ़ावा मिला जब तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वर्ष 1954 में प्रोफेसर महालनोबीस और संस्थान को देश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्रारूप तैयार करने का दायित्व सौंपा। प्रोफेसर महालनोबीस के नेतृत्व में संस्थान द्वारा सौंपे गए योजना मॉडल सहित "प्रारूप" को अभी भी भारत की आर्थिक आयोजना में महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है।

7.4 कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में संस्थान की समृद्ध परंपरा रही है। वर्ष 1953 में संस्थान में एक छोटे एनालॉग कंप्यूटर का डिजाइन तैयार किया गया और उसका निर्माण किया गया । वर्ष 1956 में संस्थान ने यूनाइटेड किंगडम से एक एचईसी-2एम मशीन अर्जित की जो भारत का पहला डिजिटल कंप्यूटर था। साठ के दशक के प्रारम्भ में संस्थान ने जादवपुर विश्वविद्यालय के सहयोग से आईएसआईजेयू-1 नामक एक पूर्णत: ट्रांजिस्टरीकृत डिजिटल कंप्यूटर का डिजाइन बनाने, उसे विकसित करने एवं उसके निर्माण का कार्य हाथ में लिया जिसे वर्ष 1966 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री, भारत सरकार द्वारा चालू किया गया । पिछले छह दशकों से संस्थान के अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कंप्यूटर वैज्ञानिकों ने कंप्यूटर विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में उच्च कोटि के अनुसंधान, प्रकाशन एवं विकास का कार्य किया और उनके अथक प्रयासों ने संस्थान को राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अग्रभाग में ला खड़ा किया है।

7.5 भारत में सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण (एस क्यू सी) आंदोलन का आरंभ करने में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान ने नवंबर 1947 में एसक्यूसी के जनक प्रोफेसर डब्ल्यू.ए. श्योहार्ट और बाद में डब्ल्यू.ई. डेमिंग, डॉ. एलिस आर. ओट, डॉ. एच.सी.टिप्पेट और जेनिशी तागुशी जैसे अन्य विशेषज्ञों के भारत दौरे का आयोजन कर अग्रणी भूमिका निभाई। फिर संस्थान के एसक्यूसी को बढ़ावा देने का कार्य धीरे-धीरे भारत के सभी औद्योगिक केन्द्रों तक शिक्षा और प्रशिक्षण, अनुप्रयुक्त अनुसंधान एवं परामर्शी सेवाओं जैसे व्यापक कार्यक्रम के अधीन फैल गया । संस्थान भारत की "गुणवत्ता परिषद्" का स्थायी सदस्य भी बन गया।

7.6 शुरुआती दिनों से, संस्थान दुनिया भर से कई अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित वैज्ञानिकों के साथ विभिन्न विषयों पर विचार-विमर्श कर रहा है। इनमें से कुछ वैज्ञानिकों ने कई महीनों या उससे भी अधिक दिनों तक संस्थान में कार्य किया है। आधुनिक सांख्यिकी के एक पथप्रदर्शक सर रोनाल्ड ए॰

फिशर एक नियमित अतिथि थे जिन्होंने संस्थान को काफी सहारा दिया। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त आनुवंशिकीविद् प्रोफेसर जे.बी.एस. हाल्डेन सन् 1957 से कई वर्षों तक संकाय सदस्य रहे । प्रख्यात गणितज्ञ नोर्बर्ट वीनर ने दो बार, 1954 और फिर 1955-56 में संस्थान का दौरा किया । अन्य शैक्षणिक व्यक्तित्व जिन्होंने संस्थान के विकास को प्रभावित किया उनमें शामिल हैं - हेरोल्ड होटलिंग, फ्रैंक येट्स, हर्मन वॉल्ड, एडविन हार्पर (जूनियर) और एच क्रेमर जैसे सांख्यिकीविद; ए.एन. कोल्मोगोरोव, यू, वी. लिनिक, जे.एल. दूब और फिर वॉन एफ.आर.जोन्स जैसे गणितज्ञ; वाल्टर श्योहार्ट और जी तागुची जैसे सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण विशेषज्ञ; साइमन कुज्नेट, पॉल ए बारां, जॉन रॉबिन्सन, जेन टिंबर्जेन, निकोलस काल्डोर, आर.एम. गुडविन, डेविड और रूथ ग्लास एवं जे.के. गालब्रेथ तथा हाल के अमर्त्य के. सेन, रॉबर्ट औमान, लोत्फी ए. ज़ादेह, जोसेफ ई. स्टिग्लिज, जेम्स ए मिर्लीस, एरिक स्टार्क मस्किन, ईआई-इची नेगिशी, अदा योनाथ जैसे अर्थशास्त्री; पामेला रॉबिन्सन जैसे भूविज्ञानी; एन. डब्ल्यू पिरी जैसे जीव रसायनज्ञानी और डी. कॉस्टिक जैसे भाषाविद् । हमेशा से संस्थान ने रोनाल्ड फिशर की इस उक्ति पर चलने का प्रयास किया है कि सांख्यिकी सभी वैज्ञानिक प्रयासों के प्रति अपनी अंतरंग प्रासंगिकता की दृष्टि से एक "प्रमुख प्रौद्योगिकी" है जिसमें प्रयोग, माप और प्रतिदर्श से पूर्ण योग का निष्कर्ष शामिल है।

शिक्षण और प्रशिक्षण प्रभाग

7.7 शैक्षणिक सत्र **2018-2019** के दौरान कुल **19166** उम्मीदवारों ने दाखिले के लिए आवेदन किया और उन्हें संस्थान द्वारा चलाए जाने वाले विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए लिखित चयन परीक्षा हेतु बुलाया गया यथा- सांख्यिकी स्नातक (प्रतिष्ठा); गणित स्नातक (प्रतिष्ठा); सांख्यिकी निष्णात; गणित निष्णात; मात्रात्मक अर्थशास्त्र में विज्ञान निष्णात (एम॰एस॰); गुणवत्ता प्रबंधन विज्ञान में विज्ञान निष्णात (एम॰एस॰); पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में विज्ञान निष्णात (एम॰एस॰); कंप्यूटर विज्ञान में प्रौद्योगिकी निष्णात; गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान में प्रौद्योगिकी निष्णात; सांख्यिकीय विधि एवं वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; कंप्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा; व्यवसाय वैश्लेषिकी में स्नातकोत्तर डिप्लोमा तथा सांख्यिकी, गणित, मात्रात्मक अर्थशास्त्र, कंप्यूटर विज्ञान; गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं संक्रियात्मक अनुसंधान, भौतिकी, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान भूविज्ञान, पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान, भाषा विज्ञान समाजशास्त्र एवं मनोविज्ञान अनुसंधान शिक्षावृत्ति। **47** विभिन्न केन्द्रों पर प्रवेश परीक्षा आयोजित की गई । अंततः कुल **12289** उम्मीदवार प्रवेश परीक्षा में शामिल हुए और कुल **1206** उम्मीदवार लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तथा उन्हें साक्षात्कार के लिए बुलाया गया। समीक्षाधीन शैक्षणिक सत्र के दौरान लिखित परीक्षा, साक्षात्कार और अकादमिक रिकॉर्ड में प्रदर्शन के आधार पर **360** उम्मीदवारों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पेशकश की गई। संस्थान का तिरपनवाँ वार्षिक दीक्षांत समारोह 10 जनवरी, 2019 को आयोजित किया गया।

संस्थान का तिरपनवाँ वार्षिक दीक्षांत समारोह 10 जनवरी, 2019 को आयोजित किया जाएगा।

7.8 7 जनवरी 2019 तक, विभिन्न विश्वविद्यालयों/संस्थानों से गणित, सांख्यिकी इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी में 170 प्रशिक्षुओं ने संस्थान की विभिन्न इकाइयों में संस्थान के विभिन्न संकाय सदस्यों के मार्गदर्शन में उन्नत कम्प्यूटिंग और माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट (एसीएमयू), कृषि और पारिस्थिक अनुसंधान इकाई (एईआरयू), एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूनिट (एएसयू), सीएसएससी के कम्प्यूटर विजद्यन पैटर्न रिकग्निकशन यूनिट (सीवीपीआरयू), इलेक्ट्रॉनिक और कम्यूनिकेशन साइंस यूनिट (ईसीएसयू), भूवैज्ञानिक अध्ययन इकाई (जीएसयू), ह्यूमन जेनेटिक्स यूनिट (एचजीयू), मशीन इंटेलिजेंस यूनिट (एमआईयू), फिजिक्स एंड एप्लाइड मैथमेटिक्स यूनिट (पीएएमयू), पीआरयूद्व सांख्यिकी ओर गणित यूनिट (एसएमयू) सैंपलिंग एंड ऑफिशियन स्टैटिस्टिक्स यूनिट (एसओएसयू) और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल (एसक्यूसी) और संचालन अनुसंधान (ओआर) इकाई चार सप्ताह/छह सप्ताह/दो महीने/तीन महीने/चार महीने और छह महीने में परियोजना प्रशिक्षण प्राप्त किया ।

अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी)

7.9 अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र (आईएसईसी) की स्थापना सन् 1950 में प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस की पहल पर की गई। यह केंद्र अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संस्थान और भारतीय सांख्यिकीय संस्थान (आईएसआई) के बीच एक समझौते के माध्यम से कोलकाता में खोला गया। फिलहाल यह केंद्र भारत सरकार के तत्वावधान में भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा चलाया जाता है। यह केंद्र एक संयुक्त निदेशक मण्डल के अधीन कार्य करता है। 60 से अधिक वर्षों के इसके इतिहास में प्रो॰ पी॰ सी॰ महालनोबिस 1950 में इस केंद्र की स्थापना से लेकर 1972 में अपनी मृत्यु तक इसके निदेशक मंडल के अध्यक्ष रहे । इसके बाद, प्रोफेसर सी.आर. राव 2015 तक निदेशक मण्डल के अध्यक्ष रहे । फिलहाल प्रोफेसर एस॰ पी॰ मुखर्जी निदेशक मण्डल के अध्यक्ष हैं। इस केंद्र का उद्देश्य मध्य पूर्व, दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया, सुदूर पूर्व एवं अफ्रीका के राष्ट्रमंडल देशों से चयनित प्रतिभागियों के लिए विभिन्न स्तरों पर सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में प्रशिक्षण प्रदान करना है। प्राथमिक प्रशिक्षण कार्यक्रम सांख्यिकी में 10 महीने का एक नियमित पाठ्यक्रम है जिसके परिणामस्वरूप सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, अलग-अलग विषयों पर अलग-अलग अवधि के विशेष पाठ्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। आईएसईसी के नियमित पाठ्यक्रम (2017-2018) का **72वाँ सत्र** 1 अगस्त, 2017 से प्रारंभ किया गया **। इस वर्ष 11 विभिन्न देशों, अर्थात् कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, इथियोपिया, फिजी, केन्या, लाइबेरिया, मलावी, नाइजर, श्रीलंका, ट्यूनीशिया, तंजानिया, ताजिकिस्तान से 14 प्रशिक्षुओं ने भाग लिया। तेरह (13)** प्रशिक्षुओं को भारत सरकार के आईटीईसी/एससीएएपी कार्यक्रम के तहत फैलोशिप द्वारा प्रोत्साहन दिया गया जबकि तीन (3) प्रशिक्षुओं को श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के

फैलोशिप द्वारा प्रोत्साहन दिया गया एवं तीन (3) प्रशिक्षुओं को टी सी एस कोलंबो प्लान फ़ेलोशिप द्वारा प्रोत्साहन दिया गया । उन्हें अंतरिम रूप से बनाई गई योजनानुसार 31 मई, 2019 को दीक्षांत समारोह में सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा द्वारा सम्मानित किया जाएगा। अबतक लगभग 90 देशों के 1667 से अधिक प्रशिक्षुओं को आईएसईसी से सांख्यिकीय प्रशिक्षण डिप्लोमा प्राप्त हुआ है।

अनुसंधान कार्य

7.10 संस्थान की अनुसंधान गतिविधियों को निम्नलिखित प्रभागों में वर्गीकृत किया गया :

सैद्धांतिक सांख्यिकी और गणित; अनुप्रयुक्त सांख्यिकी; कंप्यूटर और संचार विज्ञान; भौतिकी और पृथ्वी विज्ञान; जैविक विज्ञान; सामाजिक विज्ञान; सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संक्रियात्मक अनुसंधान; तथा पुस्तकालय, प्रलेखन और सूचना विज्ञान।

इसके अलावा और तीन केंद्र हैं यथा- कंप्यूटर एवं सांख्यिकीय सेवा केंद्र (सीएसएससी),सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान: एक राष्ट्रीय सुविधा तथा आर॰सी॰ बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलोजी एंड सिक्यूरिटी । कंप्यूटर एवं सांख्यिकीय सेवा केंद्र (सीएसएससी) का दायित्व संस्थान की आंतरिक कंप्यूटर प्रणाली का प्रबंध करना और वैज्ञानिक कामगारों को कंप्यूटिंग तथा सांख्यिकीय सेवाएं प्रदान करना है। "सॉफ्ट कंप्यूटिंग अनुसंधान केंद्र: एक राष्ट्रीय सुविधा" संस्थान के एक संबद्ध निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। आर॰सी॰ बोस सेंटर फॉर क्रिप्टोलॉजी एंड सिक्यूरिटी राष्ट्र को कूटलिपि और डाटा सुरक्षा पर शिक्षण, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान गतिविधियों की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य वित्तपोषित परियोजनाएं

7.11 सैद्धांतिक और प्रायोगिक योजना अनुसंधान के अलावा संस्थान ने निम्नलिखित सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों की लगभग एक सौ उनहत्तर विभिन्न बाह्य वित्तपोषित परियोजनाओं पर कार्य किया, यथा- सीएजीई, वारविक विश्वविद्यालय, यूके; ईएसआरसी अनुदान, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय; पैरा राज्य अनुसंधान सहायता फाउंडेशन - एफएपीईएसपीए, साओ पाउलो, ब्राजील; संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम; गोएथ विश्वविद्यालय, जर्मनी; आईबीएम; इंटेल कॉर्पोरेशन, यूएसए; इंटेल कॉर्पोरेशन, यूएसए; सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, कोरिया; गूगल कला और संस्कृति; भारतीय रिजर्व बैंक; भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, परमाणु ऊर्जा विभाग, भारत सरकार; विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार; जैव प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार; भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण; भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड; डीजीसीआई एंड एस, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार; भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद; भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी; राष्ट्रीय जांच एजेंसी; उच्च गणित राष्ट्रीय बोर्ड; राष्ट्रीय सांख्यिकी

प्रणाली प्रशिक्षण अकादमी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार; नीती अयोग; कृषि मंत्रालय,भारत सरकार; मानव संसाधन और विकास मंत्रालय, भारत सरकार; इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार; कोयला मंत्रालय, भारत सरकार; जनजातीय मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार; पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार; राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, फील्ड ऑपरेशंस डिवीजन, भारत सरकार; भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण; कृषि और ग्रामीण विकास के लिए नेशनल बैंक-अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण; नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड; ऑर्डनेंस फैक्ट्री, अंबाजारी; अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन; विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड; विश्वविद्यालय अनुदान आयोग; विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, भारत सरकार; 15 वें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार; प्रसार भारती, दूरदर्शन; विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड; जैव प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार; गुजरात सरकार; वित्त विभाग (राजस्व) पश्चिम बंगाल सरकार; अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय रायपुर, छत्तीसगढ़; एशियाटिक सोसाइटी; मदर डेयरी फल और सब्जियां, नई दिल्ली; लार्सन एंड टुब्रो, भारत; टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज; बजाज निगम; ब्रेक इंडिया; टीसीएस इनोवेशन लैब्स; सिस्को सिस्टम्स इंक .; बायोकॉन लिमिटेड, बैंगलोर; एवीटीसी लिमिटेड; ईटन इंडस्ट्रीज, पुणे; आईटीसी, पेपर बोर्ड और स्पेशलिटी पेपर डिवीजन; ग्रासिम इंडस्ट्रीज; हिंडाल्को इंडस्ट्रीज लिमिटेड; एचबीएल पावर सिस्टम्स लिमिटेड; महिंद्रा सीआईई, पुणे; मेरिटस इंटेलिएटिक्स प्रा. लिमिटेड; फिलिप्स कार्बन ब्लैक, बड़ौदा; क्वेस्ट ग्लोबल, बैंगलोर; रिलायंस पी एंड सी अकादमी; आर एस सॉफ्टवेयर (इंडिया) लिमिटेड; आरआर डोनेली, चेन्नई; सुंदरम क्लेटन, चेन्नई; सिंजिन इंटरनेशनल लिमिटेड; टीएसीओ समूह, पुणे; कीसाइट टेक्नोलॉजीज; एसईजी मोटर वाहन इंडिया प्रा. लिमिटेड; टीवीएसएम होसूर; कुमारगुरु कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, कोयंबटूर इत्यादि।

सेमिनार, कार्यशाला, सम्मेलन, गोष्ठि आदि का आयोजन

7.12 वर्ष के दौरान संस्थान ने भारत और विदेशों से प्रमुख शिक्षाविदों/वैज्ञानिकों की भागीदारी के साथ कई सेमिनार, कार्यशालाओं, सम्मेलनों, गोष्ठियों का आयोजन किया । उनमें से कुछ का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

- *विश्लेषण जनसांख्यिकी और स्वास्थ्य सांख्यिकी और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर अनुप्रयोग के लिए अग्रिम उपकरण और तकनीक पर कार्यशाला'*, जनसंख्या अध्ययन इकाई, कोलकाता, 18-20 मार्च 2018।
- पायथन के साथ प्रोग्रामिंग पर स्कूल: *'कॉस्मोलॉजी और नॉनलाइनियर डायनेमिक्स अनुप्रयोग'*, भौतिकी और अनुप्रयुक्त गणित इकाई, कोलकाता, 18-23 मार्च 2018
- *'भारत में अल्पसंख्यक सरकारों द्वारा कार्यकारी ओवररीच'* पर संगोष्ठी, अर्थशास्त्र और योजना इकाई, दिल्ली, 27 अप्रैल 2018।

• *'ग्रीष्मकालीन स्कूल गणित और सांख्यिकी'* (महिलाओं के लिए), स्टेट-मैथ यूनिट, बैंगलोर, 7 -18 मई 2018

• मल्टीस्टेट टाइम-टू-ईवेंट मॉडल ऑफ डिजीज, डिसेबिलिटी एंड डेथ ऑफ द ओल्ड पॉपुलेशन: एचआरएस डेटा अनुमान', पर गोष्ठी जनसंख्या अध्ययन इकाई, कोलकाता, 31 मई 2018

• *'व्यापार और काउंटर टेररीजद्यम एक्स्टर्नालीटज की शर्तें',* आर्थिक अनुसंधान इकाई, कोलकाता, 28 जून 2018

• *'वर्तमान डिजिटल प्रणाली में गुणवत्ता विश्लेषिकी में डेटा विज्ञान पर संगोष्ठी',* सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन अनुसंधान इकाई, कोयम्बटूर, 29 जून 2018

• *'सांख्यिकीय प्रक्रिया नियंत्रण', सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन अनुसंधान इकाई',* पर मुंबई में कार्यशाला, 29 -30 जून 2018

• *'गणितीय और सांख्यिकीय सॉफ्टवेयर'* पर राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रतिचयन और आधिकारिक सांख्यिकी इकाई, कोलकाता, 22-28 सितंबर 2018

• झारखंड में *'वित्तीय समावेशन और डिजिटल भुगतान प्रणाली'* पर संगोष्ठी", नाबार्ड, झारखंड के सहयोग से समाजशास्त्रीय अनुसंधान इकाई, गिरिडीह, 3-4 अक्टूबर 2018

• *'कॉम्प्लेक्स डायनामिक नेटवर्क (IC2DN - 2018)'* पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, भौतिकी और अनुप्रयोग गणित इकाई, कोलकाता, 4 - 5 अक्टूबर 2018 को कार्यशाला

• *'दिल्ली मैक्रोइकॉनॉमिक्स वर्कशॉप',* पर अर्थशास्त्र और योजना इकाई, दिल्ली में 25-26 अक्तूबर 2018 पर कार्यशाला,

• "कम्प्यूटेशनल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स" पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, यंत्र आसूचना यूनिट, कोलकाता, 26-27 अक्टूबर, 2018

- "इंटरनेशनल स्कूल ऑन डीप लर्निंग इन एसएआर एंड हायपर स्पैक्ट्रल रीमोट सेसिंग" सेंटर फार साफ्ट कम्पयूटिंग रिसर्च, कोलकाता, 29 अक्तूबर-2 नवंबर, 2018
- सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन काल में 'आक्सोजेन और एलाइट क्षेत्रों से साक्ष्य बायोलाजिकल एंथ्रोपोलाजी यूनिट, कोलकाता 21-24 नवंबर, 2018
- 'विश्वसनीयता थ्योरी एंड सरवाइवल एनालिसिस' पर कार्यशाला सांख्यिकीय गुणवत्ता नियंत्रण और संचालन अनुसंधान इकाई, बैंगलोर, 28-30 नवंबर 2018
- 'मैक्सिएंट एंड आर के साथ प्रजाति वितरण मॉडलिंग पर कार्यशाला' कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान इकाई, 3-9 नवंबर 2018
- वित्त में 'सांख्यिकीय विधियों' पर चौथा सम्मेलन और कार्यशाला एप्लाइड स्टैटिस्टिक्स यूनिट, चेन्नई, 17-20 दिसंबर 2018
- आईआईएम, बैंगलोर के सहयोग से ''पुस्तकालयों के भविष्य'', पुस्तकालय प्रभाग, आईएसआई, पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 11-14 जनवरी, 2019को आईआईएम, बैंगलोर में आयोजित किया गया ।

- जीव विज्ञान/सामाजिक विज्ञान और सांख्यिकी का अनुप्रयोग में अनुसंधान विधियों पर शीतकालीन स्कूल जैविक नृविज्ञान इकाई, कोलकाता 14-18 जनवरी 2019
- 'महिला श्रम के संबंध में आधिकारिक आंकड़ा में डेटा विसंगति' पर कार्यशाला भारत में आर्थिक विश्लेषण इकाई, बैंगलोर 25-26 जनवरी 2019
- 'डिजाइन और प्रयोगों का विश्लेषण' पर कार्यशाला सांख्यकीय गुणवत्ता कंट्रोल एंड ऑपरेशंस रिसर्च यूनिट, कोलकाता 28 जनवरी-2 फरवरी 2019
- 'भारत जैव विविधता मीट-2019' पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कृषि और पारिस्थितिक अनुसंधान इकाई, कोलकाता 14-16 फरवरी 2019
- 'विंटर स्कूल ऑन डेटा साइंस' पर कार्यशाला, अंत:विषय सांख्यिकीय अनुसंधान इकाई, कोलकाता 10-15 मार्च 2019

संस्थान के प्रकाशन

7.13 भारतीय सांख्यिकीय संस्थान के एक आधिकारिक प्रकाशन, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध पत्रिका *सांख्य* की नींव प्रोफेसर पी. सी. महालनोबिस ने 1932 में डाली और उनके संपादन में इसका प्रकाशन शुरू हुआ। यह संभाव्यता, गणितीय सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी में मूल शोध लेख के लिए समर्पित है। उपरोक्त क्षेत्रों में समीक्षा और वर्तमान अनुसंधान गतिविधियों पर चर्चा लेख भी इसमें प्रकाशित किए जाते हैं। सांख्य में प्रकाशन के लिए प्रस्तुत लेख की स्वीकृति के लिए एक कठोर समकक्ष समीक्षा प्रक्रिया है। संभाव्यता, सैद्धांतिक सांख्यिकी और अनुप्रयुक्त सांख्यिकी पर कई मौलिक लेख सांख्य में प्रकाशित किए गए हैं । यह पत्रिका दो अलग सिरीज में प्रकाशित होती है - सिरीज 'ए' और सिरीज 'बी' । प्रतिवर्ष फरवरी और अगस्त में प्रकाशित होने वाले सिरीज 'ए' में संभाव्यता और सैद्धांतिक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है, जबकि प्रतिवर्ष मई और नवंबर में प्रकाशित होनेवाले सिरीज 'बी' में अनुप्रयुक्त और अंतःविषयक सांख्यिकी को शामिल किया जाता है । संस्थान वर्ष 2010 से सांख्य अंतर्राष्ट्रीय संस्करण की छपाई और विपणन के लिए स्प्रिंगर के साथ प्रिंट और इलैक्ट्रानिक संख्या के लिए सहयोग कर रहा है । संपादकीय प्रक्रिया अब पूर्णतया इलैक्ट्रानिक है । लेख प्रस्तुत करने से लेकर लेखोंके लिए अंतिम संपादकीय निर्णय अब आनलाइन की जा रही है । सांख्य को अब सांख्य की वेबसाइट (sankhya.isical.ac.in) पर देखा जा सकता है ।

वैज्ञानिक लेख और प्रकाशन

7.14 वर्ष के दौरान लगभग चार सौ बावन वैज्ञानिक लेख राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के विभिन्न पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित किए गए।

विदेश में वैज्ञानिक कार्य

7.15 संस्थान के चौहत्तर वैज्ञानिकों ने या तो आमंत्रण पर या सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार और सम्मेलनों में भाग लेने के लिए विदेश स्थित कई देशों का दौरा किया। उनमें से अधिकांश ने वैज्ञानिक लेख प्रस्तुत किए और उन सेमिनार और सम्मेलनों में व्याख्यान दिए। आईएसआई के संकाय सदस्यों द्वारा जिन देशों का दौरा किया गया वे हैं - ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बांग्लादेश, ब्राजील, बेल्जियम, कनाडा, चीन, चेक गणराज्य, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, इटली, इज़राइल, जापान, कोरिया, मलेशिया, मेक्सिको, नॉर्वे, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पोलैंड, कोरिया गणराज्य, श्रीलंका, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, स्लोवेनिया, दक्षिण अफ्रीका, स्विट्जरलैंड, स्वीडन, स्पेन, थाईलैंड, यूक्रेन, यूके, यूएसए, वियतनाम।

अतिथि वैज्ञानिक

7.16 ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेल्जियम, चीन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, हंगरी, इटली, ईरान, इज़राइल, जापान, मेक्सिको, मैड्रिड, नामीबिया, नीदरलैंड, रूस, स्पेन, सऊदी अरब, सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, ताइवान, थाईलैंड, यूके, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत से एक सौ संतानबे वैज्ञानिकों ने विभिन्न कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के लिए तथा सहयोगात्मक अनुसंधान, शिक्षण और संस्थान के अन्य वैज्ञानिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए भी संस्थान का दौरा किया ।

आईएसआई वैज्ञानिकों का सम्मान

7.17 संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा बनाए रखे गए अनुसंधान के उच्च स्तर और वैज्ञानिक उत्कृष्टता की प्रशंसा और मान्यता के रूप में कई संकाय सदस्यों को ईलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स संस्थान (आईईईई), इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर मैथमैटिकल जियोसाइन्सेस (आईएएमजी), इंडियन मैथमैटिकल सोसाइटी (आईएमएस), इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी (आईएनएसए), इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई), द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज (टीडब्ल्यूएएस), जैसे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय महत्व के संगठनों द्वारा पुरस्कार, फैलोशिप प्रदान की गई। कई संकाय सदस्यों ने अमेरिका और यूरोप के विभिन्न विश्वविद्यालयों में अतिथि प्रोफेसर; भारतीय सामाजिक विज्ञान

अनुसंधान परिषद् (आईसीएसएसआर); भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी आदि में अतिथि वैज्ञानिक, मानद प्रोफेसर, अतिथि प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अलावा, कई संकाय सदस्यों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय संस्थान/ निकायों द्वारा उनकी कई समितियों/संपादकीय बोर्ड आदि में अध्यक्ष, सदस्य, मुख्य संपादक, संपादक के रूप में कार्य करने के लिए आमंत्रित किया गया। उनमें से, संकाय सदस्यों द्वारा अर्जित सबसे उल्लेखनीय मान्यताओं का उल्लेख नीचे किया जा रहा है :

- प्रोफेसर अमर्त्य कुमार दत्ता को भारतीय गणितीय सोसाइटी (आईएमएस) द्वारा 2018 गणित के इतिहास में सर्वश्रेष्ठ प्रकाशन के लिए प्रथम सतीश सी. भटनागर पुरस्कार एवं भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) द्वारा 2018 में आईएनएसए टीचर्स से सम्मानित किया गया है।
- प्रो.संघमित्र, बंधोपाध्याय को प्रधानमंत्री: विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया और द वर्ल्ड एकादमी ऑफ साइंस द्वारा-2018 के लिए पट्टिका और नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया ।
- डॉ. मलय भट्टाचार्य को इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग, 2018 द्वारा युवा अभियंता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- सोसाइटी फॉर सोशल चॉइस एंड वेलफेयर द्वारा प्रोफेसर देबाशीष मिश्रा को सोशल चॉइस और वेलफ़ेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- प्रोफेसर अरुणाव सेन को टीडब्ल्यूएएस (द वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज) द्वारा 2018 के लिए सिवेई-चेंग पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
- डॉ. अभिक घोष को गणितीय सांख्यिकी संस्थान (आईएमएस), स्वीडन द्वारा नवीन शोधकर्ता यात्रा पुरस्कार और अंतरराष्ट्रीय बॉयोमीट्रिक सोसाइटी (आईबीएस) द्वारा यात्रा पुरस्कार के लिए चयन किया गया है।
- प्रोफेसर संघमित्रा बंद्योपाध्याय को वर्ल्ड एकेडमी ऑफ साइंसेज (टीडएएस), 2018 द्वारा प्लाक और कैश अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है।
- प्रोफेसर सुष्मिता मित्रा को संयुक्त राज्य अमेरिका-इंडिया एजुकेशनल फाउंडेशन, 2018 द्वारा फुलब्राइट नेहरू अकादमिक और व्यावसायिक उत्कृष्टता फैलोशिप से सम्मानित किया गया है।
- प्रोफेसर बी.एस. दया सागर को 2018 में अंतर्राष्ट्रीय गणितीय भूगर्भ विज्ञान एसोसिएशन (आईएएमजी) द्वारा सराहना प्रमाणपत्र दिया गया है।
- डॉ. देबदुलाल दत्ता रॉय को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा *श्रम मूल्यांकन के लिए अनुसंधान गतिविधियां* से पुरस्कृत किया गया है ।
- डॉ. निलाद्री शेखर दास को ब्रिटिश अकादमी, 2018 द्वारा विज़िटिंग फेलो का चयन किया गया है और फरवरी-सितंबर 2018 के दौरान ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, यूके द्वारा लेक्सिकोग्राफी सलाहकार भी चुना गया है।

- डॉ. पार्थानिल रॉय को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा स्वर्ण जयंती फैलोशिप, 2017-2018 का चयन किया गया है।
- प्रोफेसर भार्गब बी भट्टाचार्य को इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग (आईएनएई) द्वारा अध्यक्ष प्रोफेसरशिप के रूप में चयन किया गया है।
- प्रोफेसर शंकर के. पाल को भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (आईएनएसए) द्वारा आईएनएसए विशिष्ट प्रोफेसर चेयर के रूप में चयन किया गया है।
- डॉ. ऋतुपर्णा सेन को अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकी संस्थान, 2018 का फेलो चुना गया है।
- प्रोफेसर मधुरा स्वामीनाथन को इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स द्वारा कार्यकारी समिति के सदस्य का चयन किया गया है और उन्हें यूनियन बैंक ऑफ और इंडियाके बोर्ड गैर-सरकारी निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया ।

अध्याय VIII
बीस सूत्री कार्यक्रम

8.1 बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका) वर्ष 1975 में प्रारंभ किया गया तथा वर्ष 1982, 1986 और 2006 में पुन:संरचित किया गया । 2006 में पुन:संरचित कार्यक्रम का ज़ोर समूचे देश में गरीबी हटाने और गरीब तथा शोषित जनता के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने पर है । इस कार्यक्रम में गरीबी, रोज़गार, शिक्षा, आवास, कृषि, पेयजल, वनरोपण एवं पर्यावरण सुरक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों को ऊर्जा, समाज के कमज़ोर वर्गों का कल्याण आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं को शामिल किया गया है । इस पुन:संरचित कार्यक्रम को बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006 कहा जाता है और इसका निगरानी तंत्र 1 अप्रैल 2007 से कार्य कर रहा है ।

8.2 बीसूका-2006 ने अब अपने प्रचालन के दस वर्ष पूरे कर लिए हैं । बीस सूत्री कार्यक्रम (बीसूका)-2006 में मूलरूप से 20 सूत्र और 66 मद हैं जिनकी निगरानी विभिन्न संबंधित केंद्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा अलग-अलग की जाती है । 66 मदों में से एक अर्थात् "संपूर्ण ग्रामीण रोज़गार योजना (एसजीआरवाई)" को 1 अप्रैल 2008 से "राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी अधिनियम" नामक एक अन्य मद में सम्मिलित कर दिया गया है । 31 दिसंबर, 2009 से इसका नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार सृजन अधिनियम रख दिया गया है । शेष 65 मदों में से 19 मदों की निगरानी इस समय तिमाही आधार पर की जा रही है ।

निगरानी तंत्र

8.3 कार्यक्रम के कार्यान्वयन और निगरानी की प्राथमिक जिम्मेदारी, उन अभिकरणों की होती है जिन्हें कार्यक्रम के निष्पादन का कार्य सौंपा गया है, इस संबंध में वे हैं- राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन और केन्द्रीय नोडल मंत्रालय । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों तथा केंद्रीय नोडल मंत्रालयों से प्राप्त कार्य निष्पादन रिपोर्टों के आधार पर बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल किए गए कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी करता है। मंत्रालय ने एक वेब आधारित प्रबंधन सूचना प्रणाली विकसित की है ताकि राज्य सरकारों और केंद्र के नोडल मंत्रालयों से सूचना शीघ्रतापूर्वक एकत्र की जा सके ।

निगरानी समितियां

8.4 बीसूका-2006 के लिए निगरानी तंत्र को वर्तमान केन्द्रीय राज्य तथा जिला स्तरीय निगरानी के अलावा ब्लॉक स्तरीय निगरानी को शामिल करते हुए अब और अधिक विस्तृत किया गया है । बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के तहत सभी योजनाओं/मदों के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी के लिए अधिकांश राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य, जिला, और ब्लॉक स्तर पर बीसूका-2006 के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार निगरानी समितियां गठित कर ली गई हैं ।

बीसूका-2006 की प्रबंधन सूचना प्रणाली में निम्नलिखित शामिल हैं:

8.5 इस मंत्रालय द्वारा 19 मदों के लिए सूचना तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) में तैयार की जाती है । तिमाही प्रगति रिपोर्ट रिपोर्टाधीन अवधि के लिए वार्षिक वास्तविक लक्ष्यों, संचयी लक्ष्यों और उपलब्धियों के बारे में सूचना उपलब्ध कराती है । यह कवरेज राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा 15 मदों के संबंध में और केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा 4 मदों के संबंध में अपने कार्य निष्पादन के बारे में दिए गए आंकड़ों पर आधारित होता है । निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में तिमाही आधार पर निगरानी की गई मदों/मानकों तथा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तुलनात्मक निष्पादन का आकलन करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट में विस्तृत विश्लेषण किया जाता है । चिंताजनक क्षेत्रों में समुचित कार्रवाई करने के लिए तिमाही प्रगति रिपोर्ट विभिन्न प्रयोक्ताओं तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों एवं संबंधित नोडल मंत्रालयों को भेजी जाती है ।

8.6 बीसूका-2006 संबंधी वार्षिक रिपोर्ट में कार्यक्रम के अंतर्गत रखी गई सभी मदों (उन मदों को छोड़कर जो अभी तक प्रचालन में नहीं हैं) से संबंधित सूचना शामिल हैं । इन मदों के संबंध में जानकारी केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र सरकारों द्वारा प्रदान की जाती है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 की निगरानी एवं प्रभाव मूल्यांकन

8.7 मंत्रालय के लिए बीसूका-2006 के अंतर्गत शामिल चयनित कार्यक्रमों/योजनाओं की निगरानी एवं प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन करना अनिवार्य है । मंत्रालय ने अभी तक दो प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन आरंभ किए हैं । पहला पूर्वोत्तर राज्यों के 3 चुनिंदा ज़िलों में मनरेगा के प्रभाव से संबंधित है तथा दूसरा दिल्ली, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में दीनदयाल विकलांगता पुनर्वास योजना (डीडीआरएस) के तहत विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित है । संबंधित नोडल मंत्रालयों को इन अध्ययनों के निष्कर्षों से अवगत कराया गया है ।

मंत्रालय ने केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित स्कीमों के मूल्यांकन रिपोर्टों की समालोचनात्मक जांच करने का कार्य भी शुरू किया है ।

बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक

8.8 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय अपने निगरानी तंत्र के भाग के रूप में तथा राज्य/संघ राज्यक्षेत्रों एवं केंद्रीय नोडल मंत्रालयों के साथ परामर्श के लिए भी, वार्षिक आधार पर टीपीपी-2006 की राष्ट्रीय समीक्षा बैठक आयोजित करता रहा है ताकि बीसूका के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा शामिल की गई योजनाओं/कार्यक्रमों, विशेषकर उन योजनाओं/कार्यक्रमों जिनमें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के निष्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहे हैं, के कार्यान्वयन में सुधार किया जा सके । अभी तक इस मंत्रालय द्वारा चार वार्षिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं । दिनांक 18 मार्च 2014 को आयोजित अंतिम बैठक में पूर्व की समीक्षा बैठकों पर की गई कार्रवाई/अनुपालन की स्थिति पर विचार किया गया । तत्पश्चात मंत्रालय द्वारा बीसूका संबंधी राष्ट्रीय समीक्षा बैठक को आस्थगित रखने का निर्णय लिया गया है ।

वर्ष 2017-18 के दौरान बीसूका-2006 के अंतर्गत तिमाही आधार पर निगरानी की गई मदों का निष्पादन

8.9 केन्द्रीय नोडल मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर, वर्ष 2017-18 की अवधि के लिए तिमाही आधार पर निगरानी की जाने वाली मदों के समग्र निष्पादन का विश्लेषण निम्नलिखित पैराओं तथा **अनुबंध-IV** में दिया गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान, 19 मदों की तिमाही आधार पर निगरानी की गई, जिनमें से संबंधित नोडल मंत्रालयों द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 19 पैरामीटरों वाली 13 मदों की निगरानी की गई (2 पैरामीटरों नामत: 'खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस–केवल अंत्योदय अन्न योजना तथा 'खाद्य सुरक्षा–टीपीडीएस–केवल गरीबी रेखा से नीचे', के लिए, वर्ष 2017-18 की सभी चार तिमाहियों के लिए उपलब्धियां भी प्राप्त नहीं हुई हैं) ।

8.10 ***अप्रैल 2017- मार्च 2018*** अवधि का विश्लेषण सूचित करता है कि ***15*** मदों/पैरामीटरों के अंतर्गत निष्पादन "बहुत अच्छा" (90% अथवा लक्ष्य से अधिक) रहा । ये मद/पैरामीटर हैं:

- अनुसूचित जाति उप योजना (एससीएसपी) को विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) के अंतर्गत- सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार
- पंप सेटों को बिजली
- ग्रामीण आवास–प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण (पीएमएवाई-जी)

- पौध रोपण के तहत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक और वन भूमि)
- वित्त वर्ष के दौरान प्रोन्नत (नए तथा पुनर्जीवित) स्वसहायता प्राप्त समूहों की संख्या- राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)
- रोपित पौध (सार्वजनिक और वन भूमि)
- निर्मित आवास–ईडब्ल्यूएस/एसआईजी
- वित्त वर्ष के दौरान रिवोल्विंग निधि (आरएफ) उपलब्ध कराए गए स्वसहायता प्राप्त समूहों की संख्या-एनआरएलएम
- खाद्य सुरक्षा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइड ओवर)-एनएफएसए
- समेकित बाल विकास सेवा (आईसीडीएस) क्रियाशील ब्लॉक (संचयी)
- विद्युत आपूर्ति
- खाद्य सुरक्षा- लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)
- खाद्य सुरक्षा- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य)-एनएफएसए
- क्रियाशील आंगनवाड़ियां (संचयी)
- निर्मित सड़कें- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

8.11 'अच्छा' (लक्ष्य का 80% या इससे अधिक लेकिन 90% से कम) श्रेणी के तहत 2 मदें/पैरामीटर निम्नलिखित हैं:-

- विद्यतीकृत गांव– दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)
- वित्त वर्ष के दौरान सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराए गए स्वसहायता प्राप्त समूहों की संख्या - एनआरएलएम

8.12 दो मदों/पैरामीटरों के अंतर्गत कार्य निष्पादन 'खराब' (लक्ष्य का 80% या इससे कम) रहा । ये मद/पैरामीटर निम्नलिखित हैं:-

- गुणवत्ता प्रभावित बस्तियों का कवरेज– राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)
- आंशिक रूप से शामिल की गई बस्तियां--एनआरडीडब्ल्यूपी

तिमाही रूप से निगरानी किए गए मदों/पैरामीटरों के तहत विशिष्ट उपलब्धियां

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस)

8.13 देश में गरीबी हटाने का सबसे महत्वपूर्ण तरीका लाभप्रद रोज़गार प्रदान करना है । ग्रामीण क्षेत्रों में प्रमुख रोज़गार सृजन कार्यक्रम कार्यान्वित किए जा रहे हैं। ऐसे प्रत्येक परिवार

को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में मजदूरी की गारंटी के साथ कम-से-कम एक सौ दिनों का रोज़गार प्रदान करके देश के ग्रामीण इलाकों में परिवारों की जीविका की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एनआरईजीएस), जिसका पुनर्नामकरण अब महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) किया गया है, अस्तित्व में आई है । योजना के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान, 301.15 लाख जॉब कार्ड जारी किए गए जिससे 217 करोड़ रोज़गार श्रम दिवस सृजित किए गए एवं 39190 करोड़ रूपए मजदूरी के रूप में दिए गए ।

राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन (एनआरएलएम)

8.14 वर्ष 2014-15 से स्वर्णजयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) की जगह एनआरएलएम ने ले ली है । एनआरएलएम को तीन पैरामीटरों (i) बढ़ावा दिए गए स्वसहायता समूहों (नए तथा पुन: क्रियाशील) की संख्या (ii) रिवाल्विंग निधि उपलब्ध कराए गए स्वसहायता समूहों की संख्या और (iii) सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराए गए स्वसहायता समूहों की संख्या, के अंतर्गत मॉनीटर किया जाता है । वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान 6.92 लाख के लक्ष्य की तुलना में 7.92 लाख स्वसहायता समूहों को बढ़ावा दिया गया जो लक्ष्य का 114% है और 4.73 लाख के लक्ष्य की तुलना में 4.84 लाख स्वसहायता समूहों को रिवॉल्विंग निधि उपलब्ध कराई गई जो लक्ष्य का 102% है । लाख स्वसहायता समूहों द्वारा उपलब्ध कराई गई सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) 3.04 लाख थी तथा इसकी तुलना में 2.50 लाख स्वसहायता समूहों को सामुदायिक निवेश निधि उपलब्ध कराई गई जो लक्ष्य का 82% है ।

भूमिहीनों को परती भूमि का वितरण

8.15 वास्तविक कृषकों एवं भूमिहीन ग्रामीण गरीबों के लिए सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के एक उपाय के रूप में कृषि संबंधी सुधारों का किया जाना ग्रामीण पुनर्निर्माण का मुख्य मुद्दा है। ग्रामीण भूमिहीन गरीब लोगों को भूमि की उपलब्धता में वृद्धि करना, गरीबी उन्मूलन की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटक है । भूमि सुधार का मुख्य उद्देश्य कृषि संबंधों को पुन: कायम करना है ताकि समतावादी सामाजिक संरचना को प्राप्त किया जा सके, भूमि से संबंधित शोषण को खत्म किया जा सके एवं कृषकों को भूमि देने के चिरकालीन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, ग्रामीण गरीबों का भूमि आधार बढ़ाया जा सके, कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके और स्थानीय संस्थाओ में समता की भावना लाई जा सके । वर्ष 2017-18 के दौरान, 3793 हेक्टेयर बंजर भूमि विकसित करके भूमिहीनों को वितरित की गई ।

न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फार्म श्रमिक सहित)

8.16 भारत जैसी अतिरिक्त श्रमिक वाली अर्थव्यवस्था में, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण एवं प्रवर्तन से श्रमिकों को विशेषकर असंगठित ग्रामीण श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सकता है । न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 केन्द्र एवं राज्य सरकारों दोनों को उनके अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित रोज़गार में मजदूरी की न्यूनतम दर के निर्धारण की समीक्षा, संशोधन एवं लागू करने का अधिकार देता है। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर जुर्माना अथवा कारावास की कार्रवाई या दोनों ही किए जा सकते हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान, केन्द्र तथा राज्य सरकारों के कर्मचारियों द्वारा 184660 निरीक्षण किए गए और 8051 अनियमितताएं पाई गईं । वर्ष 2016-17 के दौरान लंबित, दायर एवं निर्णीत अभियोजन के मामले क्रमश: 4661, 877 और 721 थे ।

खाद्य सुरक्षा

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)

8.17 लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के अंतर्गत प्रत्येक गरीब परिवार सब्सिडी प्राप्त दरों पर अनिवार्य वस्तुओं को विशेष मात्रा में पाने का हकदार है । इसमें समाज के ग्रामीण क्षेत्रों में वास्तविक रूप से गरीब और दुर्बल वर्ग जैसे भूमिहीन कृषि श्रमिकों, सीमांत कृषकों, शिल्पकारों/दस्तकारों (कुम्हार, टैपर्स, बुनकर, लोहार, बढ़ई इत्यादि) एवं शहरी क्षेत्रों के अनौपचारिक क्षेत्रों में झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वालों एवं दैनिक मजदूरों (कुली, रिक्शा चालक एवं हाथ गाड़ी चलाने वाले, फुटपाथों पर फल एवं फूल बेचने वाले, इत्यादि) को शामिल करने पर ज़ोर दिया गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्यों को 552.86 लाख टन खाद्यान्न आबंटित करने का लक्ष्य था । तथापि, इस आबंटन की तुलना में राज्यों ने कुल 540.49 लाख टन खाद्यान्न उठाया जो आबंटन का 98% था ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (सामान्य)

8.18 इस पैरामीटर को तिमाही आधार पर मॉनीटर किए गए पैरामीटरों में 2015-16 से शामिल किया गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान 524.97 लाख टन खाद्यान्न आवंटन के लक्ष्य की तुलना में वास्तव में 512.20 लाख टन खाद्यान्न ही उठाया गया जो लक्ष्य का 98% था ।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (टाइड ओवर)

8.19 इस पैरामीटर को भी तिमाही आधार पर मॉनीटर किए गए पैरामीटरों में 2015-16 से शामिल किया गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान 27.88 लाख टन खाद्यान्न आवंटन के लक्ष्य की तुलना में वस्तुत: 28.28 लाख टन खाद्यान्न उठाया गया है जो लक्ष्य का 101% था ।

ग्रामीण आवास - इंदिरा आवास योजना (आईएवाई)/प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

8.20 ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) एक अग्रणी योजना है। इस योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों को आवास मुहैया कराने का प्रावधान है । इंदिरा आवास योजना का उद्देश्य मुख्यत: गरीबी रेखा से नीचे की श्रेणी के अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, मुक्त किए गए बंधुआ मजदूरों, अल्पसंख्यकों के सदस्यों तथा गरीबी रेखा से नीचे के अन्य गैर अ.जा./अ.ज.जा. ग्रामीण परिवारों को एकमुश्त वित्तीय सहायता उपलब्ध कराते हुए आवासों के निर्माण/उन्नयन में सहायता प्रदान करना है । योजना के अंतर्गत आवास निर्माण के लिए बिना घर वाले बीपीएल परिवारों को मैदानी क्षेत्रों में 70,000/- रु. तथा पहड़ी/दुर्गम क्षेत्रों/एकीकृत कार्य योजना (आईएपी) जिलों में 75,000/- रु. की सहायता दी जाती है । इंदिरा आवास योजना, केन्द्रीय रूप से प्रायोजित योजना होने के कारण, केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के बीच 75:25 के अनुपात में लागत शेयरिंग के आधार पर वित्त पोषित की जाती है । तथापि, पूर्वोत्तर राज्यों एवं सिक्किम के मामले में भारत सरकार तथा इन राज्यों के बीच 90:10 के अनुपात में वित्त पोषण किया जाता है तथा संघ राज्यक्षेत्रों में, इस योजना के अंतर्गत सम्पूर्ण निधि भारत सरकार द्वारा प्रदान की जाती है । 2016-17 से इंदिरा आवास योजना को नवीकृत करके प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का रूप दे दिया गया है । आईएवाई स्कीम के अंतर्गत, वर्ष 2017-18 के दौरान 3230293 आवासों के लक्ष्य की तुलना में 3867343 लाख आवासों का निर्माण कराया गया जो लक्ष्य का 120% है ।

शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास

8.21 आवास तथा शहरी कार्य मंत्रालय (पूर्व आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्रों में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग वाले लोगों की आवासीय जरूरतों को देखते हुए एक अतिरिक्त उपाय के रूप में ब्याज सब्सिडी योजना तैयार की है । इस योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग व निम्न आय वर्ग के लोगों को घर खरीदने अथवा निर्माण करने में समर्थ बनाने के लिए ब्याज सब्सिडी का प्रावधान है । इस योजना में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग/निम्न आय वर्ग के व्यक्तियों को घर के अधिग्रहण के लिए, तथा ऐसे लाभग्राहियों को घर के निर्माण के लिए भी, केन्द्र सरकार की सब्सिडी के साथ गृह ऋण दिया जाएगा जिनके पास अपने नाम पर अथवा अपनी पत्नी/अपने पति अथवा आश्रित बच्चे के नाम

पर घर नहीं है । इस योजना के अंतर्गत ऐसे लाभग्राहियों को भी शामिल किया जाएगा जिनके पास किसी शहरी क्षेत्र में भूमि है किंतु अपने नाम पर अथवा अपने पति/अपनी पत्नी अथवा किसी आश्रित बच्चे के नाम पर कोई पक्का घर नहीं है । वर्ष 2017-18 के दौरान, 238024 ईडब्ल्यूएस/एलआईजी घरों के निर्माण के लक्ष्य की तुलना में 249155 घरों का निर्माण किया गया तथा उपलब्धि 105% थी ।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम-ग्रामीण क्षेत्र

8.22 एक पृथक मंत्रालय अर्थात् ''पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय'' जुलाई, 2011 में सृजित किया गया है । त्वरित ग्रामीण पेय जलापूर्ति कार्यक्रम (एआरडब्ल्यूएसपी) योजना को भी बदलकर ''राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम'' (एनआरडीडब्ल्यूपी) कर दिया गया है तथा टीपीपी-2006 के तहत् मॉनीटरिंग पैरामीटरों को भी बदल कर अप्रैल, 2011 से ''शामिल बसावटें (आंशिक रूप से शामिल)'' तथा ''जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों का कवरेज'' कर दिया गया है । वर्ष 2017-2018 के दौरान, 59770 बसावटों (आंशिक रूप से शामिल) को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, इस कार्यक्रम के तहत 17928 बसावटों को शामिल किया गया है । यह लक्ष्य का 30% है । साथ ही, इस अवधि के दौरान जल गुणवत्ता की समस्याओं वाली 9000 बसावटों को शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में, 5466 बसावटों को शामिल किया गया जो लक्ष्य का केवल 61% है ।

ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम

8.23 ग्रामीण स्वच्छता राज्य सरकार का विषय है। राज्यों के प्रयासों को केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम (सीआरएसपी) के अंतर्गत केन्द्र सरकार तकनीकी एवं वित्तीय सहायता देती है। यह कार्यक्रम वर्ष 1986 में शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य ग्रामीण लोगों की जीवनशैली में सुधार लाना एवं महिलाओं को प्राइवेसी एवं मान मर्यादा प्रदान करना था । कार्यक्रम के घटकों में शामिल हैं: गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों के लिए वैयक्तिक तौर पर स्वच्छ शौचालयों का निर्माण, शुष्क शौचालयों को जलवाहित शौचालयों के रूप में बदलना, महिलाओं के लिए गांव में स्वच्छता परिसरों का निर्माण, सेनिटरी मार्ट्स एवं उत्पादन केन्द्रों की स्थापना करना, जागरूकता पैदा करने एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए गहन अभियान, इत्यादि । एक प्रमुख घटक के रूप में स्कूलों में स्वच्छता कार्यक्रम शुरू किया गया है ताकि ग्रामीण जनता में स्वच्छता के प्रति अधिकाधिक जागरूकता आए । वर्ष 2017-18 के दौरान 30326535 परिवारों में व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण किया गया ।

संस्थागत प्रसव

8.24 माननीय प्रधानमंत्री द्वारा 12 अप्रैल, 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत "जननी सुरक्षा योजना" शुरू की गई । यह योजना गरीब महिलाओं में संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देकर मातृ एवं शिशु मृत्यु दर घटाने के दोहरे उद्देश्य को पूरा करती है । गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के लाभार्थियों और गांव से जुड़े कार्यकर्ताओं/आशा कार्यकर्ताओं को भी, प्रसव हेतु संस्थान में आने के लिए नकद लाभ एवं परिवहन की लागत इत्यादि दी जाती है । लाभ को श्रेणियों में बांटा गया है और यह उच्च निष्पादन वाले राज्यों एवं निम्न निष्पादन वाले राज्यों में तथा साथ ही ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भी भिन्न-भिन्न होते हैं । यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्र द्वारा प्रायोजित है । यह आरसीएच फ्लैक्सी पूल के माध्यम से वित्तपोषित होती है । इस योजना के अंतर्गत मॉनीटरिंग पैरामीटर विशिष्ट संस्थानों में हुए प्रसवों की संख्या है । वर्ष 2017-18 के दौरान, देश भर में 16625868 हजार प्रसव संस्थानों में हुए ।

सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार

8.25 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जाति (अ.जा.) की आबादी देश की कुल आबादी की 16.6% है । उनके उत्थान के लिए बनाई गई कार्यनीति में शामिल हैं: (i) राज्यों एवं केन्द्रीय मंत्रालयों की विशेष संघटक योजना, (ii) विशेष केन्द्रीय सहायता, तथा (iii) राज्यों में अनुसूचित जाति निगमों के माध्यम से सहायता ।

8.26 वर्ष 2015-16 से 'सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार' मद को दो पैरामीटरों के अंतर्गत मॉनीटर किया जाता है, जिनके नाम हैं (i) एससीएसपी को एससीए तथा एनएसएफडीसी के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई (ii) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत अनुसूचित जाति के छात्र को सहायता की गई । वर्ष 2017-18 की अवधि के दौरान एससीएसपी को एससीए तथा एनएसएफडीसी के तहत 181000 के लक्ष्य की तुलना में 1028663 अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता प्रदान की गई, जो लक्ष्य का 568% है तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत 4201287 हजार अनुसूचित जाति छात्रों को सहायता प्रदान की गई ।

आईसीडीएस योजना का सार्वभौमीकरण

8.27 समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) की संकल्पना माता एवं शिशु को महत्व देते हुए उनके संपूर्ण विकास के लिए अत्यंत व्यावहारिक माध्यम के रूप में की गई थी । महिलाओं एवं बच्चों के अभीष्ट विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में, बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति-1974 एवं बच्चों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना द्वारा निर्देशित किया जा रहा है

एवं आगे बढ़ाया जा रहा है। लक्षित जनसंख्या में गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली माताएं, 6 वर्ष की आयु तक के बच्चे एवं नवयुवतियां शामिल हैं । इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख इंटरवेंशन पैकेज हैं- पूरक पोषाहार, स्कूल पूर्व शिक्षा, रोग प्रतिरक्षण, स्वास्थ्य की जांच, रेफरल सेवाएं एवं पोषाहार तथा स्वास्थ्य शिक्षा । इसके अतिरिक्त, योजना द्वारा इंटर-सेक्टोरल सेवाओं को आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रभावपूर्ण ढंग से मिलाने की भी संकल्पना की गई है। समेकित बाल विकास सेवा योजना के तहत लाभार्थी निर्धनतम परिवारों के होते हैं । वर्ष 2017-18 के दौरान, 7075 आईसीडीएस ब्लॉकों (संचयी) को शुरू करने के लक्ष्य की तुलना में 7074 ब्लॉक (संचयी) शुरू किए गए जो लक्ष्य का 100% प्रतिशत है ।

क्रियाशील आंगनवाड़ियां

8.28 समेकित बाल विकास सेवाओं (आईसीडीएस) के अंतर्गत, आंगनवाड़ी ऐसी प्राथमिक इकाई है जो राष्ट्रीय स्तर पर संस्तुत मानकों तथा बच्चों एवं महिलाओं के औसत आहार के बीच कैलोरी के अंतराल को पूरा करने के लिए पूरक पोषाहार जैसी सेवाएं प्रदान करती है । गर्भवती महिलाओं एवं छोटे बच्चों की देखभाल के प्रति व्यवहार में अधिक सुधार लाने के लिए, आंगनवाड़ियां गर्भवती महिलाओं एवं 4 से 6 महीने की आयु के शिशुओं की माताओं के साथ संपर्क के अवसर भी प्रदान करती हैं । पूरे देश में, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं में सहायता करते हैं । वर्ष 2017-18 का लक्ष्य 14 लाख आंगनवाड़ियों (संचयी) को क्रियाशील बनाना था और इसकी तुलना में 13.43 लाख आंगनवाड़ियों (संचयी) को क्रियाशील बनाया गया जो लक्ष्य का 96 प्रतिशत है ।

सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहनीय लागत पर मकान, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार

8.29 शहरी मलिन बस्तियां, विशेषकर हमारे देश के बड़े शहरों में, मानवीय दुर्गति और पतन की तस्वीर पेश करती हैं । शहरीकरण आधुनिकीकरण एवं आर्थिक विकास की एक अपरिहार्य प्रक्रिया है । शहरी क्षेत्र के विकास में संरचनात्मक असमानताओं के परिणामस्वरूप मलिन बस्तियां बढ़ती हैं । भूमि एवं आवास के उच्च मूल्य एवं कम क्रय शक्ति के कारण, शहरी निर्धन लोगों को सस्ते आश्रय के लिए मलिन बस्तियों में रहना पड़ता है अथवा शहर में, जहां भी खाली जमीन/क्षेत्र मिलती है, कब्ज़ा जमाना पड़ता है । मलिन बस्तियों में रहने वाले लोगों की आवश्यकताओं का विशेष ध्यान रखने के विचार से, शहरी निर्धन परिवारों को सात सूत्री चार्टर अर्थात् (i) भूमि पट्टा (ii) वहनीय लागत पर मकान (iii) जल (iv) साफ-सफाई (v) स्वास्थ्य (vi) शिक्षा एवं (vii) सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्रदान की जाती है । अप्रैल 2015 से यह लक्ष्य निर्धारण योग्य नहीं रह गया है । वर्ष 2017-18 के दौरान 15.11 लाख निर्धन परिवारों को सहायता प्रदान की गई ।

वनरोपण:

- **(i) रोपण के तहत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)**
- **(ii) रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)**

8.30 यह कार्यक्रम देश में हरित क्षेत्र को बढ़ाने के लिए शुरू किया गया है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत दो प्रमुख मदों को मासिक आधार पर मॉनीटर किया जा रहा है अर्थात् (i) वन भूमि सहित सार्वजनिक भूमि के संबंध में रोपण के तहत शामिल क्षेत्र, तथा (ii) सार्वजनिक एवं वन भूमि पर रोपित पौध । वर्ष 201718 के दौरान 14.73 लाख हेक्टेयर सार्वजनिक एवं वन भूमि को रोपण के तहत शामिल करने के लक्ष्य की तुलना में 16.89 लाख हेक्टेयर भूमि पर रोपण किया गया जो 115% की उपलब्धि को दर्शाता है । इसी प्रकार, वर्ष के दौरान सार्वजनिक एवं वन भूमि पर 9571.38 लाख पौध लगाने का लक्ष्य था जबकि इसकी तुलना में उपलब्धि 10731.01 लाख पौध रोपण रही है जो लक्ष्य का 112% है ।

ग्रामीण सड़कें - प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)

8.31 भारत के राष्ट्रपति ने 25 फरवरी, 2005 को संसद में दिए अपने अभिभाषण में ग्रामीण भारत के पुननिर्माण हेतु भारत निर्माण नामक प्रमुख योजना की घोषणा की थी । सरकार ने भारत निर्माण के छह घटकों में से एक घटक के रूप में ग्रामीण सड़कों की पहचान की है और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) द्वारा 1000 की जनसंख्या वाले (पर्वतीय अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 500) सभी गांवों को 2009 तक में सभी तरह के मौसमों के अनुकूल सड़कों का निर्माण करके जोड़ने का उद्देश्य निर्धारित किया है । ग्रामीण सड़कों के विकास एवं विस्तार को उच्चतम प्राथमिकता देने की दृष्टि से ग्रामीण सड़क (ग्रामीण सड़कों) को शामिल किया गया है क्योंकि सम्पर्क के माध्यम से ही विकास के परिणामों के लाभ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच सकते हैं । वर्ष 2017-18 का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में 51000 कि.मी. सड़कें बनाने का था जबकि उपलब्धि 48749 कि.मी. सड़क निर्माण की रही जो लक्ष्य का 96% है ।

दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)

8.32 ग्रामीण विद्युतीकरण अवसंरचना तथा घरेलू विद्युतीकरण संबंधी यह योजना अप्रैल 2005 में शुरू की गई है ताकि चार वर्षों की अवधि में सभी ग्रामीण घरों को विद्युत सुलभ कराने संबंधी राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके । कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युत निगम (आरईसी) है । वर्ष 2017-18 के लिए

4492 गांवों के विद्युतीकरण के लक्ष्य की तुलना में 3736 गांवों में विद्युतीकरण किया गया जो लक्ष्य का 83% है ।

पम्पसेटों को बिजली प्रदान करना

8.33 ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत की केवल घरेलू एवं कृषि के प्रयोजनों के लिए ही नहीं बल्कि सिंचाई के लिए भी इसकी आवश्यकता होती है । कृषि के लिए सिंचाई सुविधाएं प्रदान करने के लिए पम्पसेटों को बिजली प्रदान की जाती है । वर्ष 2017-18 के दौरान 432859 पम्पसेटों को बिजली प्रदान करने के लक्ष्य की तुलना में 596134 पम्पसेटों को बिजली प्रदान की गई जो लक्ष्य का 138% है ।

विद्युत की आपूर्ति

8.34 सरकार ने राष्ट्रीय विद्युत नीति अधिसूचित की है जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ विद्युत क्षेत्र का त्वरित विकास करना, सभी क्षेत्रों को विद्युत की आपूर्ति करना तथा उपभोक्ताओं एवं अन्य पक्षकारों के हितों की रक्षा करना है । इस नीति की मुख्य विशेषताएं हैं- बिजली की आपूर्ति एवं उपलब्धता । वर्ष 2017-18 के दौरान 1192151 मिलियन यूनिट (एमयू) बिजली की मांग की तुलना में 1183666 मिलियन यूनिट बिजली की आपूर्ति की जा सकी जो मांग का 99% है ।

अध्याय-IX
आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी

9.1 आधारी संरचना तथा परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) संबंधित मंत्रालय/विभाग तथा उनके केन्द्रीय क्षेत्र के सार्वजनिक उद्यमों (सीपीएसई) द्वारा 16 आधारी संचरना क्षेत्रों में ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की कार्यान्वयन स्थिति की निगरानी करता है । विभिन्न परियोजनाओं और योजनाओं का सफल क्रियान्वयन विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण शर्त है । नियमित निगरानी के न्यायसंगत तालमेल वाला कारगर समन्वय एक महत्वपूर्ण तत्व है जिससे अधिक तीव्रता और कमतर लागत के साथ परियोजनाओं को अधिक दक्षता से सफलतापूर्वक पूरा किया जाना सुनिश्चित होता है ।

परियोजना निगरानी के उद्देश्य

- परियोजना कार्यान्वयन की कारगरता को बढ़ाना;
- प्रभावी-निर्णय लेने के लिए सूचना प्राप्त करने को सुसाध्य बनाना;
- कार्यान्वयन संबंधी बकाया मुद्दों का समाधान करना;
- प्रणाली में सुधार लाना; और
- श्रेष्ठ प्रबंधन पद्धतियों का विकास करना

निगरानी की प्रणाली:

9.2 आईपीएमडी **ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली (ओसीएमएस)** के तंत्र के माध्यम से ₹150 करोड़ से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करता है ।

- ओसीएमएस सरकार-से-सरकार (जी2जी) ओरेकल आधारित फ्रंट एंड डी2के युक्त अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर है;
- यह परियोजना संबंधी रिपोर्टों तथा पूछताछ परिणामों को देखने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, नीति आयोग तथा सभी प्रशासनिक मंत्रालयों को संपर्क सुविधा उपलब्ध कराता है;
- यह विभिन्न परियोजना निष्पादन एजेंसियों को आवधिक आधार पर वेब-आधारित इंटरफेस के माध्यम से परियोजना के प्रगति संबंधी आंकड़ों को दर्ज करने तथा उन पर नजर रखने में सक्षम बनाता है;

- आंकड़ा प्रस्तुतीकरण प्रक्रिया को तीन-स्तरीय सत्यापन तथा अनुमति से गुजरना होता है;
- ओसीएमएस में असंख्य लक्ष्य सृजित किए जा सकते हैं तथा उनका रख-रखाव किया जा सकता है;
- परियोजना एजेंसियां कुछ पूर्व-ढांचागत कारणों से विलंबों के कारणों का पता लगा सकती हैं अथवा/इसके अलावा परियोजना एजेंसियां विलंब के नए कारणों अथवा अपने अनुभव को भेज सकती हैं;
- तब किसी अवधि के लिए प्रस्तुत किए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया जाता है तथा उनके द्वारा सभी चल रही केन्द्रीय क्षेत्र की अवसंरचना परियोजनाओं की नवीनतम स्थिति का विस्तृत विवरण उपलब्ध कराते हुए उन्हें प्रकाशित किया जाता है;
- किसी भी प्रकार के फाइल (चित्र, मैप, एक्सल शीटों, पीडीएफ, पीईआरटी/सीपीएम चार्ट आदि) को ओसीएमएस पर अपलोड किया जा सकता है;
- इसके तहत समझौता ज्ञापन लक्ष्यों/मानदंडों की निगरानी भी की जाती है;
- यह प्रशासनिक मंत्रालय तथा परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के बीच संचार माध्यम भी उपलब्ध कराता है;
- अधिकतर मंत्रालयों जैसे विद्युत, कोयला, दूरसंचार और पेट्रोलियम आदि ने ओसीएमएस को अपनाया है;
- वास्तविक निष्पादन को लक्ष्यों के संदर्भ में आंका जाता है; और
- आईपीएमडी के निरंतर आग्रह से सूचना देने में सुधार हुआ है तथा अब अधिकतर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ऑनलाइन सूचना दे रहे हैं । तथापि, लक्ष्यों से संबंधित आंकड़े तथा समय व लागतवृद्धि के कारण अभी भी पूर्ण विस्तार के साथ सूचित नहीं किए जा रहे हैं ।

9.3 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त फीडबैक के अनुसार आईपीएमडी ओसीएमएस में सुधार करता रहा है और ओसीएमएस प्रशिक्षण तथा विचार-विमर्शों के दौरान स्पष्टीकरणों के माध्यम से उनकी समस्याओं का समाधान करता रहा है । अब सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को ऑनलाइन सूचना भेजने के लिए प्रोत्साहित करने पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है ।

9.4 परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन में सहायक

आईपीएमडी का एक महत्वपूर्ण योगदान समय-समय पर परियोजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन को सुगम बनाने के लिए क्रमबद्ध सुधार लाना रहा है ।

आईपीएमडी, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा परियोजनाओं की आवधिक समीक्षा बैठकों में समय-सारणी से पीछे चल रही अथवा लागतवृद्धि का सामना कर रही परियोजनाओं को रेखांकित/प्रदर्शित करने में सहायक/कार्यसाधक रहा है । यह प्रत्येक परियोजना की बाधाओं को पहचानने में प्रशासनिक मंत्रालयों को सक्षम बनाता है तथा इन बाधाओं को हटाने के लिए उपचारात्मक उपाय भी करता है ।

9.5 वर्ष 2018-19 के दौरान परियोजना कार्यान्वयन की स्थिति

दिनांक 1 फरवरी, 2019 तक की स्थिति के अनुसार, ₹21,44,298.86 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 1423 परियोजनाएं मंत्रालय की निगरानी पर थीं । निगरानी के प्रयोजनार्थ, परियोजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया है, अर्थात् (i) मेगा परियोजनाएं जिनमें प्रत्येक की लागत ₹ 1000 करोड़ और उससे अधिक है तथा (ii) ₹ 150 करोड़ और उससे अधिक लागत वाली किन्तु ₹ 1000 करोड़ से कम लागत वाली बड़ी परियोजनाएं । केन्द्रीय क्षेत्र की चल रही 1423 परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा नीचे पाई–चार्ट में दिया गया है:

चल रही अवसंरचना परियोजनाओं का क्षेत्र-वार ब्यौरा

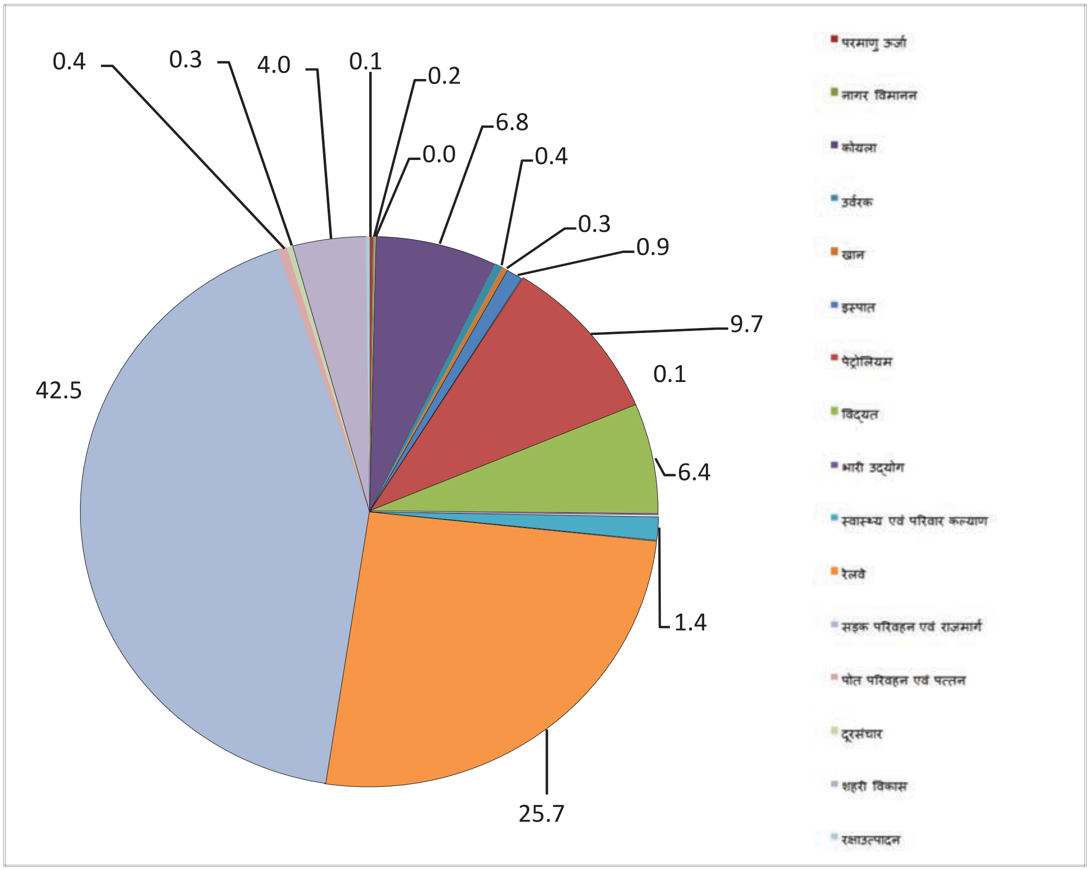

दिनांक 01 फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक श्रेणी में परियोजनाओं का विवरण नीचे तालिका 9.1 में दिया गया है ।

परियोजनाओं की आवृत्ति (01 फरवरी 2019 की स्थिति के अनुसार)

तालिका 9.1

क्र. सं.	क्षेत्र का नाम	मेगा परि-योजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	बड़ी परियोजनाओं की संख्या	मूल लागत (₹ करोड़ में)	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)
1.	परमाणु ऊर्जा	0	0.00	0.00	4	67120.00	74849.00
2.	नागर विमानन	1	314.61	441.33	0	0.00	0.00
3.	कोयला	83	34713.03	34183.73	15	62755.83	62756.63
4.	रक्षा उत्पाद	2	453.64	453.64	0	0.00	0.00
5.	उर्वरक	6	1781.92	1793.57	0	0.00	0.00
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20	8129.23	8246.52	0	0.00	0.00
7.	भारी उद्योग	0	0.00	0.00	2	3272.00	5381.30
8.	खान	4	1538.62	1538.62	1	5540.00	5540.00
9.	पेट्रोलियम	89	38405.01	37317.03	50	195340.65	199957.56
10.	विद्युत	44	17054.31	18205.14	48	276605.54	337391.29
11.	रेलवे	200	82081.34	96748.31	166	403504.69	601007.67
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	469	210826.97	211749.02	136	200332.48	213634.95
13.	पोत परिवहन एवं पत्तन	5	2330.89	2768.92	2	4226.40	4226.40
14.	इस्पात	6	2399.31	2544.71	7	30130.34	29772.34

15.	दूरसंचार	3	865.36	864.16	2	15445.17	26675.17
16.	शहरी विकास	45	12914.05	13249.35	13	147652.02	153002.50
कुल		977	413808.29	430104.05	446	1411925.12	1714194.81

9.6 परियोजनाओं की क्षेत्रीय तथा भू-भौतिकीय आधार पर निगरानी की जाती हैं । निगरानी की गई परियोजनाओं की मुख्य वित्तीय मानदंडों को तालिका 9.2 में दर्शाया गया है:

राज्यों के बीच केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं में निवेश परिदृश्य
(सभी लागत/व्यय करोड़ ₹ में)

तालिका- 9.2

राज्य का नाम	परियोजनाओं की सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	संचयी व्यय
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	2,385.01	2,492.59	156.31
आंध्र प्रदेश	69	1,07,461.29	1,11,208.37	18,939.58
अरुणाचल प्रदेश	31	16,421.02	33,547.53	17,755.48
असम	45	27,704.18	33,843.20	17,466.67
बिहार	91	76,252.26	1,11,749.59	52,313.67
छत्तीसगढ़	45	78,684.04	82,285.57	37,212.72
दादर और नगर हवेली	1	6,086.08	5,842.31	4,513.89
दिल्ली	22	55,263.55	62,738.78	43,964.21
गोवा	10	4,292.52	4,292.52	295.35
गुजरात	49	51,576.03	57,483.90	30,924.66
हरियाणा	29	21,083.41	22,987.06	11,417.18
हिमाचल प्रदेश	13	17,058.17	26,566.39	10,649.16
जम्मू और कश्मीर	9	23,449.96	48,898.96	29,601.02
झारखंड	48	47,744.98	52,545.65	20,271.93
कर्नाटक	47	82,362.96	88,262.78	30,061.93

केरल	25	39,778.48	41,953.10	7,548.49
मध्य प्रदेश	60	67,550.02	72,708.48	33,113.08
महाराष्ट्र	128	1,85,529.12	1,97,693.64	76,027.80
मणिपुर	2	4,670.86	14,025.69	8,402.11
मेघालय	7	4,484.97	9,578.51	1,882.21
मिजोरम	4	3,406.61	5,981.14	2,672.62
बहु राज्य	160	3,40,790.26	4,44,636.07	1,32,690.43
नगालैंड	21	13,711.07	14,384.55	696.02
ओडिशा	84	97,034.62	1,02,058.71	31,194.27
पंजाब	33	17,042.04	17,146.31	5,074.63
राजस्थान	56	46,045.92	48,245.10	25,194.09
सिक्किम	9	3,476.73	6,281.03	433.90
तमिलनाडु	76	1,19,890.58	1,37,033.24	63,134.97
तेलंगाना	41	34,378.10	37,015.07	8,884.51
त्रिपुरा	9	4,422.36	8,345.05	6,592.70
उत्तर प्रदेश	110	1,34,449.08	1,36,016.3	55,436.22
उत्तराखंड	28	33,689.40	39,554.65	11,676.94
पश्चिम बंगाल	53	57,557.73	66,897.02	28,648.61
कुल	**1,423**	**18,25,733.41**	**21,44,298.86**	**8,24,847.36**

वर्ष 2018-19 के दौरान पूरी की गई परियोजनाएं

9.7 वर्ष **2018-19** (1 फरवरी 2019 तक) के दौरान 107 परियोजनाओं के पूरा होने की सूचना दी गई । पूरी की गई परियोजनाओं की सूची **अनुबंध-V** में दी गई है ।

9.8 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की समयवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका 9.3 में दर्शाया गया है ।

तालिका 9.3

मूल अनुसूची के संदर्भ में ₹150 करोड़ तथा इससे अधिक वाली परियोजनाओं में समयवृद्धि की सीमा (सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)									
						समयवृद्धि वाली परियोजनाएं			
क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजना-ओं की संख्या	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि ^ %	सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	टी.ओ.आर की सीमा (महीनों में)
1	परमाणु ऊर्जा	4	67,120.00	74,849.00	11.52	4	67,120.00	74,849.00	36 - 133
2	नागर विमानन	1	314.61	441.33	40.28	1	314.61	441.33	21 - 21
3	कोयला	98	97,468.86	96,940.36	-0.54	36	20,727.79	20,687.07	12 - 144
4	उर्वरक	6	1,781.92	1,793.57	0.65	2	680.64	692.29	14 - 29
5	खान	5	7,078.62	7,078.62	0.00	0	0.00	0.00	-
6	इस्पात	13	32,529.65	32,317.05	-0.65	10	26,773.72	26,561.12	9 - 49
7	पेट्रोलियम	139	2,33,745.66	2,37,274.59	1.51	33	87,238.71	92,111.65	1 - 81
8	विद्युत	92	2,93,659.85	3,55,596.43	21.09	57	1,95,058.30	2,38,053.57	1 - 147
9	भारी उद्योग	2	3,272.00	5,381.30	64.47	0	0.00	0.00	-
10	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20	8,129.23	8,246.52	1.44	6	1,673.14	1,772.92	6 - 83
11	रेलवे	366	4,85,586.03	6,97,755.98	43.69	99	1,23,852.80	2,02,478.25	1 - 324
12	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	605	4,11,159.45	4,25,383.97	3.46	104	90,619.80	93,602.74	1 - 131
13	पोत परिवहन एवं पत्तन	7	6,557.29	6,995.32	6.68	2	750.00	857.90	29 - 155
14	दूरसंचार	5	16,310.53	27,539.33	68.84	3	13,781.10	25,109.90	4 - 58
15	शहरी विकास	58	1,60,566.07	1,66,251.85	3.54	21	1,07,815.96	1,08,432.95	2 - 77
16	रक्षा उत्पादन	2	453.64	453.64	0.00	0	0.00	0.00	-
कुल		**1423**	**18,25,733.41**	**21,44,298.86**	**17.45**	**378**	**7,36,406.57**	**8,85,650.69**	

9.9 **समयवृद्धि के कारण**

(1) केन्द्रीय मंत्रालयों संबंधी मुद्दे

(i) पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव स्वीकृतियां
(ii) पारि संवेदनशील जोन स्वीकृतियां
(iii) वृक्ष कटाई अनुमतियां
(iv) कार्य करने संबंधी अनुमति प्रदान करना
(v) निजी रेलवे साइडिंग निर्माण संबंधी अनुमोदन
(vi) औद्योगिक लाइसेंस अनुमति
(vii) पाइप लाइनों/ट्रांसमिशन लाइनों द्वारा सड़क पार करना
(viii) रास्ते के अधिकार संबंधी अनुमति
(ix) जनोपयोगी सुविधाओं का स्थानांतरण

(2) राज्य सरकारों संबंधी मुद्दे

(i) भूमि अधिग्रहण संबंधी मुद्दे
(ii) अतिक्रमणों को हटाना
(iii) सहायता एवं पुनर्वास योजना
(iv) वन अधिकार अधिनियम के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र
(v) विद्युत एवं जलापूर्ति
(vi) प्रतिष्ठान की स्थापना तथा संचालन हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्वीकृति
(vii) सरकारी भूमि का हस्तांतरण
(viii) कानून और व्यवस्था संबंधी मुद्दे
(ix) रास्ते के अधिकार संबंधी अनुमति
(x) वन भूमियों का अन्यत्र प्रयोग

9.10 ओसीएमएस संबंधी (पूरी की गई परियोजनाओं को छोड़कर) कार्यान्वयनाधीन परियोजनाओं की लागतवृद्धि का क्षेत्र-वार विश्लेषण तालिका 9.4 में दर्शाया गया है ।

तालिका 9.4

मूल अनुसूची के संदर्भ में 150 करोड़ रूपए और इससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं में लागतवृद्धि की सीमा (क्षेत्र-वार) (सभी लागत/व्यय ₹ करोड़ में)									
						लागतवृद्धि वाली परियोजनाएं			
क्र. सं.	क्षेत्र	परियोजनाओं की सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)	सं.	मूल लागत	अनुमानित लागत	लागत वृद्धि (%)
1.	परमाणु ऊर्जा	4	67,120.00	74,849.00	11.52	2	14,951.00	22,680.00	51.70
2.	नागर विमानन	1	314.61	441.33	40.28	1	314.61	441.33	40.28
3.	कोयला	98	97,468.86	96,940.36	-0.54	10	19,631.17	20,970.49	6.82
4.	उर्वरक	6	1,781.92	1,793.57	0.65	1	197.79	209.44	5.89
5.	खान	5	7,078.62	7,078.62	0.00	0	0.00	0.00	0.00
6.	इस्पात	13	32,529.65	32,317.05	-0.65	1	343.00	488.40	42.39
7.	पेट्रोलियम	139	2,33,745.66	2,37,274.59	1.51	17	24,201.74	33,407.72	38.04
8.	विद्युत	92	2,93,659.85	3,55,596.43	21.09	38	1,70,271.18	2,32,207.76	36.38
9.	भारी उद्योग	2	3,272.00	5,381.30	64.47	1	1,718.00	3,827.30	122.78
10.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	20	8,129.23	8,246.52	1.44	3	1,076.25	1,193.54	10.90
11.	रेलवे	366	4,85,586.03	6,97,755.98	43.69	207	1,72,037.48	3,95,094.22	129.66
12.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	605	4,11,159.45	4,25,383.97	3.46	49	29,654.32	44,654.88	50.58
13.	पोत परिवहन एवं पत्तन	7	6,557.29	6,995.32	6.68	3	760.89	1,541.02	102.53
14.	दूरसंचार	5	16,310.53	27,539.33	68.84	1	13,334.00	24,664.00	84.97
15.	शहरी विकास	58	1,60,566.07	1,66,251.85	3.54	11	22,711.08	28,405.75	25.07
16.	रक्षा उत्पादन	2	453.64	453.64	0.00	0	0.00	0.00	0.00

कुल योग	**1423**	**18,25,733.41**	**21,44,298.86**	**17.45**	**345**	**4,71,202.51**	**8,09,785.85**	**71.86**

9.11 **लागत वृद्धि के कारण**

(1) नीति संबंधी मुद्दे

(i) विदेशी विनिमय की दरों में बदलाव
(ii) सांविधिक शुल्क/कर
(iii) सामान्य मूल्य वृद्धि/मुद्रास्फीति

(2) अन्यः

(i) पर्यावरण संबंधी सुरक्षोपायों एवं पुनर्वास उपायों की अधिक लागत
(ii) परियोजनाओं के कार्यक्षेत्र में बदलाव
(iii) स्थितियों में व्यवधान
(iv) मूल लागत का कम आकलन करना
(v) भूमि अधिग्रहण की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि
(vi) विक्रेताओं द्वारा उपस्कर संबंधी सेवाओं का एकाधिकारी मूल्य निर्धारण ।

परियोजनाओं में समय और लागतवृद्धि – रूझान का विश्लेषण

9.12 मूल समयवृद्धि के संबंध में विगत 10 सालों का समयवृद्धि- विश्लेषण दर्शाता है कि समयवृद्धि मार्च 2009 में 48.11% की समयवृद्धि से कम होकर जनवरी 2018 में 26.56% हो गई है । सरकार की विभिन्न नीतियों तथा प्रभावी उपायों के कारणों से समय-वृद्धि में कमी आई है । इन वर्षों के दौरान समय-वृद्धि की रूझान निम्नलिखित ग्राफ में देखी जा सकती हैः

मूल समय अनुसूची के संबंध में समय से पीछे चल रही परियोजनाओं का रूझान

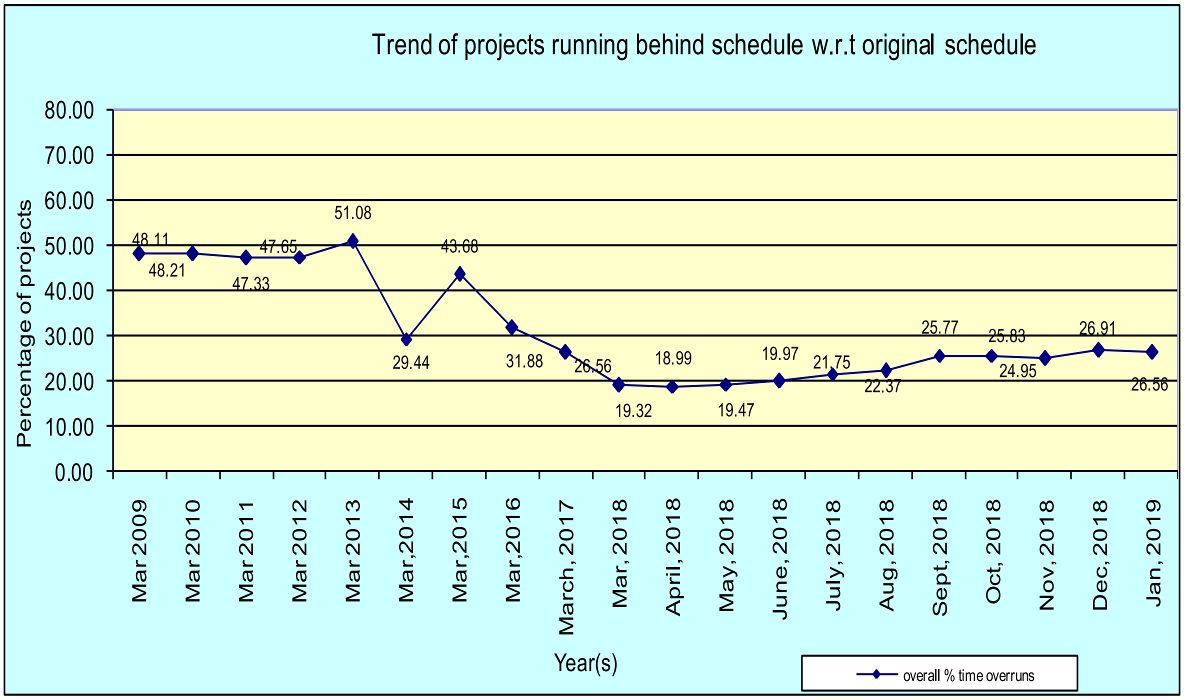

9.13 मूल लागतवृद्धि के संबंध में विगत 10 सालों का लागतवृद्धि विश्लेषण दर्शाता है कि लागतवृद्धि मार्च 2009 में 13.45% से बढ़कर जनवरी 2019 में 17.45% हो गई है । सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नियंत्रण उपायों तथा नीतियों के कारण लागत वृद्धि हुई है । पिछले वर्षों में लागत वृद्धि संबंधी रूझान निम्नलिखित ग्राफ में देखे जा सकते हैं:

मूल लागत के संबंध में लागत से अधिक का रूझान

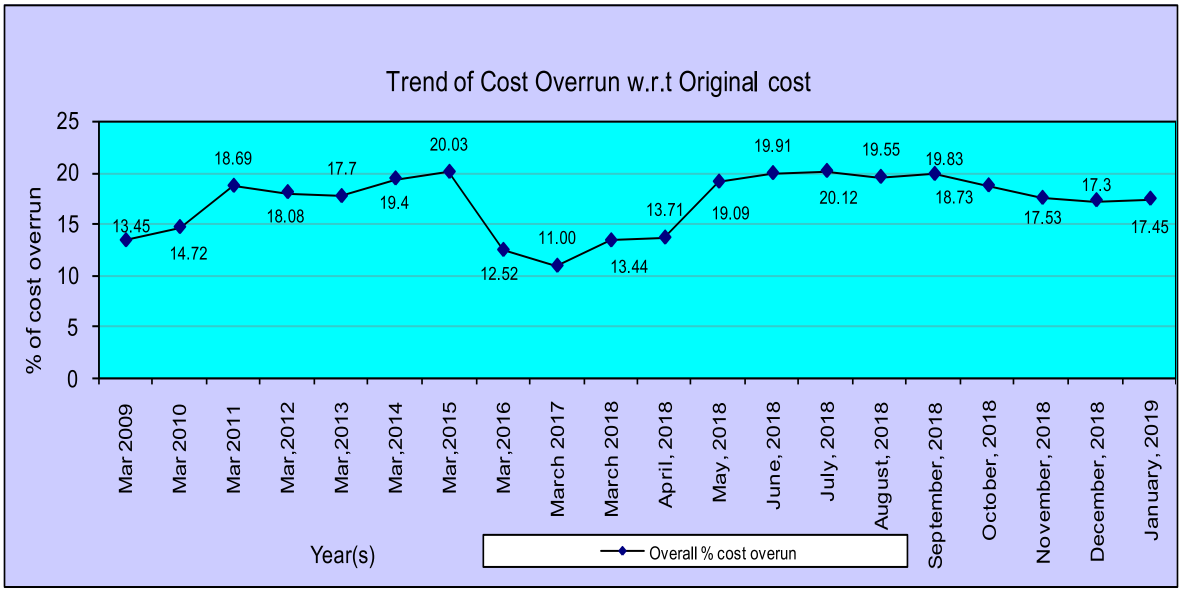

उपचारात्मक उपाय/व्यवस्थागत सुधार

9.14 आधारी संरचना परियोजना निगरानी प्रभाग (आईपीएमडी) द्वारा समय-समय पर परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब को कम करने के लिए व्यवस्थागत सुधार लाए गए, इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) ₹ 150 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली परियोजनाओं के समय तथा लागत वृद्धि की नियमित निगरानी;

(ii) त्रैमासिक आधार पर परियोजनाओं की विस्तृत समीक्षा;

(iii) समय और लागत वृद्धि के लिए जवाबदेही का निर्धारण करने हेतु संबंधित मंत्रालयों/विभागों में सरकार द्वारा अपर सचिव की अध्यक्षता में स्थाई समिति का गठन करना;

(iv) परियोजनाओं का सख्ती से मूल्यांकन;

(v) कम्प्यूटर नेटवर्क पर आधारित निगरानी को अपनाना; और

(vi) सीपीएसयू के परियोजना प्रबंधन तथा इसके परियोजना प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान करने पर ज़ोर देना ।

(vii) प्रमुख परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन को सरल बनाने तथा रुकावटों को हटाने के लिए मुख्य सचिवों के अधीन राज्यों में केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समितियों (सीएसपीसीसी) का गठन करना ।

वर्ष के दौरान की गई पहलें

9.14.1 केंद्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति (सीएसपीसीसी): मंत्रालय राज्य सरकारों को उनके राज्यों में सीपीएसयू द्वारा सामना किए जा रहे परियोजना संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय क्षेत्र परियोजना समन्वय समिति गठित करने की सलाह दे चुका है । अब तक सताईस राज्य इस प्रकार की सीएसपीसीसी का गठन कर चुके हैं । सीएसपीसीसी तंत्र राज्य सरकारों से संबंधित भूमि अधिग्रहण, जन उपयोगी सुविधाओं के स्थानान्तरण और पुनर्स्थापन तथा कानून एवं व्यवस्था की समस्याओं जैसे मुद्दों को सुलझाने में बहुत प्रभावी रहा है ।

9.14.2 मंत्रालयों के सामने मामले उठाना/क्षेत्रों की समीक्षा: वर्ष के दौरान, विभिन्न क्षेत्रों की परियोजनाओं के कार्यान्वयन की प्रगति और विलंबित परियोजनाओं से संबंधित मुख्य-मुख्य बातें रेल मंत्रालय तथा सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाई गई थी ।

9.14.3 <u>समझौता ज्ञापन/समीक्षा/ईबीआर बैठकों में सक्रिय सहभागिता</u>: आईपीएमडी सीपीएसई के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा आयोजित एमओयू वार्ता-बैठकों में समय व लागत वृद्धि एवं परियोजना प्रबंधकों की क्षमता विकास के मुद्दों को सक्रिय रूप से उठाता रहा है ।

9.14.4 <u>ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकास</u>: मंत्रालय ओसीएमएस की पुनः डिजाइनिंग और पुनर्विकास कर रहा है । विद्यमान ओसीएमएस को विभिन्न स्टेकहोल्डरों की आवश्यकताओं की पूर्ति के उद्देश्य से एनआईसी के पर्यवेक्षण में एनईटी और एसक्यूएल में अपग्रेड किया जा रहा है । नया सॉफ्टवेयर प्रयोगकर्ताओं के लिए और अधिक अनुकूल होगा तथा इसमें डैशबोर्ड, ग्राफिक्स आदि जैसी अद्यतन विशेषाएं होगी ।

9.14.5.1 <u>अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करना</u>: मंत्रालय बेहतर निगरानी के उद्देश्य से डिजिटल इंडिया की सहायता से अवसंरचना कार्य निष्पादन के लिए सॉफ्टवेयर विकसित करने की प्रक्रिया में है ।

9.14.5.2 <u>आईपीएमडी, एमओएसपीआई द्वारा अध्ययन</u>:- पीएमआई-केपीएमडी ने एमओएसपीआई की सहायता से "रिवेम्पिंग मैनेजमेंट प्रैक्टिसिज" पर एक अध्ययन का संचालन किया है ।

परियोजना प्रबंधन के अंतर्गत प्रशिक्षण

9.15 2018-19 के दौरान रेलवे मुख्यालय के विभिन्न स्थलों पर रेलवे अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है । दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में एक दिन परियोजना प्रबंधन पर प्रशिक्षण तथा दूसरे दिन ओसीएमएस सॉफ्टवेयर संबंधी, प्रशिक्षण शामिल था जिसमें रेलवे के विभिन्न आंचलिक कार्यालयों से 50 प्रतिभागियों ने भाग लिया ।

आधारी संरचना निगरानी

9.16 देश में महत्वपूर्ण आधारी संरचना क्षेत्रों की निगरानी प्रणाली निर्णय लेने वाले प्राधिकारियों के समक्ष निष्पादन की झलक एवं उपलब्धियों के संदर्भ में किसी प्रकार की कमी, यदि कोई हो, को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से तैयार की गई है । यह मंत्रालय आधारी संरचना के ग्यारह प्रमुख क्षेत्रों अर्थात् विद्युत, कोयला, इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस रेलवे, पत्तन,

सड़क और दूरसंचार के निष्पादन की निगरानी करता है । इन क्षेत्रों के निष्पादन का विश्लेषण किसी माह विशेष तथा किसी संचयी अवधि के लिए पूर्व-निर्धारित लक्ष्यों एवं पिछले वर्ष के तदनुरूपी माह और संचयी अवधि के दौरान की उपलब्धियों के संदर्भ में किया जाता है ।

9.17 आधारी संरचना निष्पादन की रिपोर्ट आधारी संरचना क्षेत्र के कार्य-निष्पादन संबंधी पुनरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से दी जाती है ।

आधारी संरचना क्षेत्र का समग्र कार्य-निष्पादन

9.18 पिछले तीन वर्षों और 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आधारी संरचना क्षेत्र के उत्पादन कार्य के निष्पादन का विवरण **अनुबंध-VI** में दिया गया है ।

वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान आधारी संरचना निष्पादन

9.19 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन में वृद्धि के सकारात्मक रुझान सामने आए हैं । उर्वरक, कच्चा तेल, तथा प्राकृतिक गैस के उत्पादन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के निष्पादन के मुकाबले सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई । तथापि, अप्रैल-जनवरी, 2018 की अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में विद्युत उत्पादन, रिफाइनरी उत्पादन, एयरपोर्टों के घरेलु टर्मिनलों पर माल ढुलाई तथा यात्रियों की आवाजाही को छोड़कर अधिकतर क्षेत्र इस अवधि में उनके लिए निर्धारित लक्ष्यों से पीछे रहे हैं । पिछले तीन वर्षों तथा वर्ष **2018-19** (अप्रैल-जनवरी) के दौरान समग्र आधारी संरचना निष्पादन में बढ़ोतरी संबंधी रुझान **अनुबंध-VI** पर दिए गए हैं । क्षेत्र-वार ब्यौरा निम्नलिखित पैराग्राफ में दिया गया है ।

विद्युत

9.20 विगत पांच वर्ष के दौरान समग्र विद्युत उत्पादन परिदृश्य में लगातार वृद्धि दिखाई दी है, जैसा कि संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है । (अप्रैल-मार्च) वर्ष 2017-2018 के दौरान विद्युत उत्पादन में 1308.15 बिलियन यूनिट (बी.यू.) की वृद्धि दर्ज की गई, जो वर्ष 2016-2017 के विद्युत उत्पादन की तुलना में 5.35% अधिक है । गत वर्ष (2016-2017) के दौरान प्राप्त वृद्धि 5.80% की तुलना में

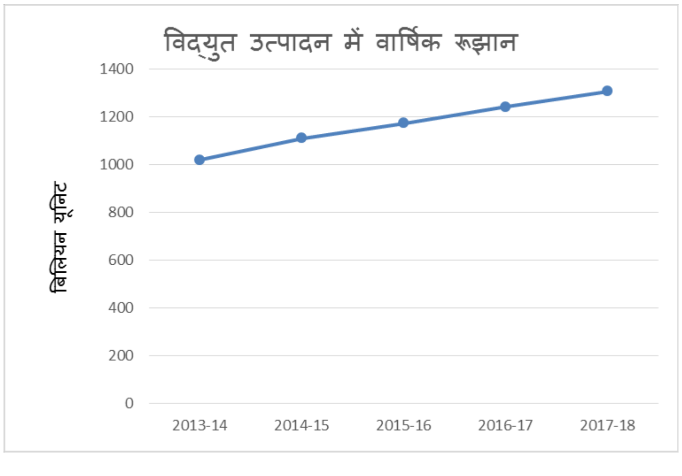

5.35% की बढ़ोतरी कम थी । वर्ष 2017-18 के दौरान तापीय विद्युत स्टेशनों (टीपीएस) का अखिल भारतीय संयंत्र भार कारक (पीएलएफ) 60.72% था, जो वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्त **59**.81% पीएलएफ की तुलना में अधिक था ।

9.21 वर्ष **2018-19** (अप्रैल-जनवरी) के दौरान देश में विद्युत उत्पादन 1158.00 बी.यू. था जो इस अवधि के लिए निर्धारित 1058.12 बी.यू. के लक्ष्य से 9.44% अधिक था तथा इसमें विगत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान विद्युत उत्पादन की तुलना में 5.84% की वृद्धि दर्ज हुई है ।

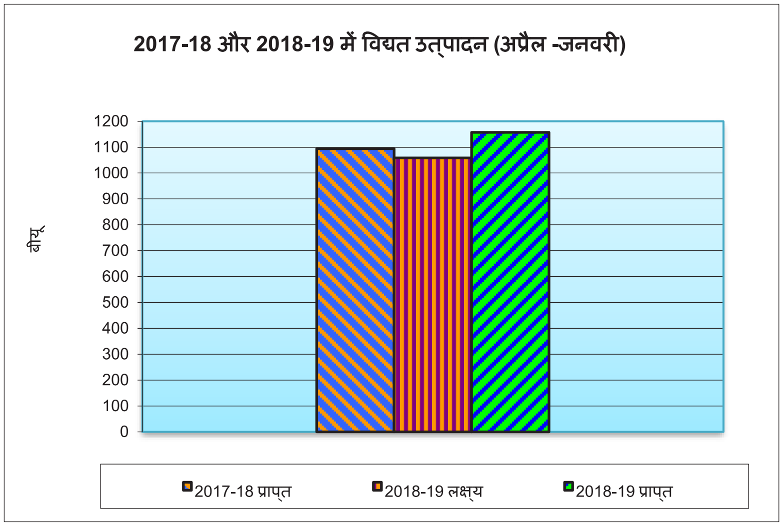

संलग्न चार्ट लक्ष्य की तुलना में विद्युत उत्पादन की स्थिति एवं पिछले वर्ष की उपलब्धि को दर्शाता है । तापीय विद्युत उत्पादन 895.78 बी.यू. रहा और इसमें 4.35% की वृद्धि दर्ज हुई, लेकिन यह उक्त अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य 907.50 बी.यू. से 1.29% कम था । पीएलएफ 61.06% पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 59.25% के पीएलएफ से अधिक था । जहां तक क्षेत्र-वार तापीय विद्युत उत्पादन का संबंध है, केन्द्र क्षेत्र में उत्पादन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों की तुलना में 4.82% अधिक था लेकिन राज्य और निजी क्षेत्र में उत्पादन से क्रमश: 3.77% और 4.56% कम था । 119.09 बीयू पर जल विद्युत उत्पादन अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्यों से अधिक था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन क्रमशः 3.59% तथा 4.98% अधिक रहा । परमाणु विद्युत उत्पादन 31.58 बी.यू. था जो अवधि के लिए निर्धारित लक्ष्य से 1.83**%** अधिक था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उत्पादन से 0.71% कम था ।

कोयला

9.22 वर्ष 2017-18 के दौरान कोयला उत्पादन 676.48 मिलियन टन (मि.टन) रहा जो वर्ष 2016-17 के दौरान हुए 657.87 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 2.83%

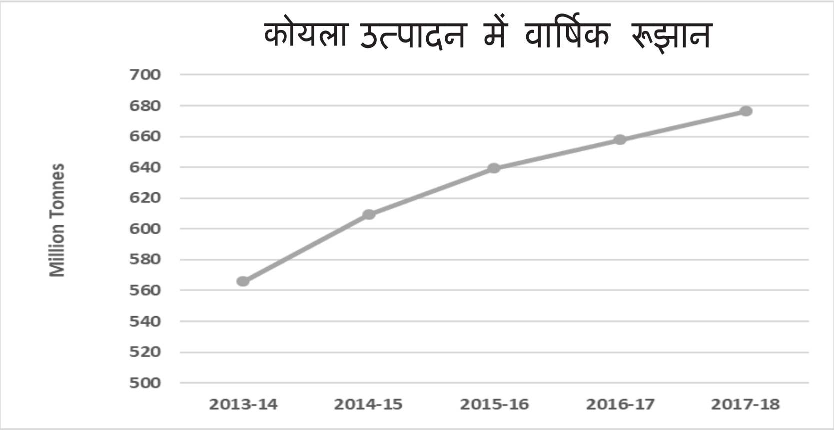

अधिक था । पिछले पांच वर्षों के दौरान कोयला उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है ।

9.23 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान समग्र कोयला उत्पादन 568.68 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य से 1.11% कम था किंतु इसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 575.05 एमटी उत्पादन की तुलना में 7.59% की वृद्धि दर्ज हुई । कोकिंग कोल का उत्पादन 32.80 एमटी रहा और इसमें 5.23% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई किंतु वास्ड कोल का उत्पादन 1.04 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 30.27% कम था । वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कोयले का समग्र प्रेषण 599.71 एमटी रहा जो इस अवधि के लिए 654.90 एमटी के लक्ष्य से 8.43% कम लेकिन यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए प्रेषण की तुलना में 6.06% अधिक था ।

इस्पात

9.24 वर्ष 2017-2018 के दौरान तैयार इस्पात का समग्र उत्पादन 117.90 एमटी था, जिसमें वर्ष 2016-2017 के दौरान 115.91 एमटी उत्पादन की तुलना में 1.71% की वृद्धि दर्ज की गई । गत पांच वर्षों के दौरान तैयार इस्पात में उत्पादन का रुझान संलग्न ग्राफ में दर्शाया गया है ।

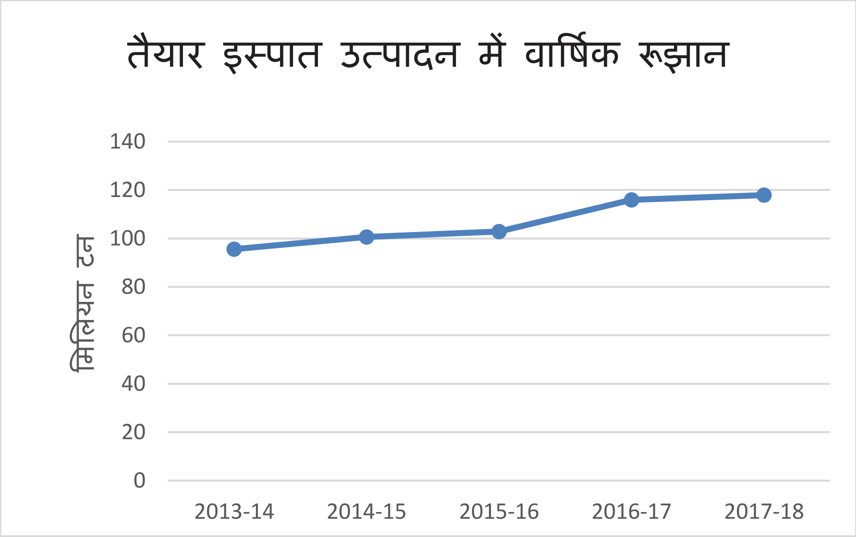

9.25 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान तैयार इस्पात का उत्पादन 109.17 एमटी रहा जिसमें पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 104.56 मि.टन के उत्पादन की तुलना में 4.41% की सकारात्मक वृद्धि हुई ।

सीमेंट

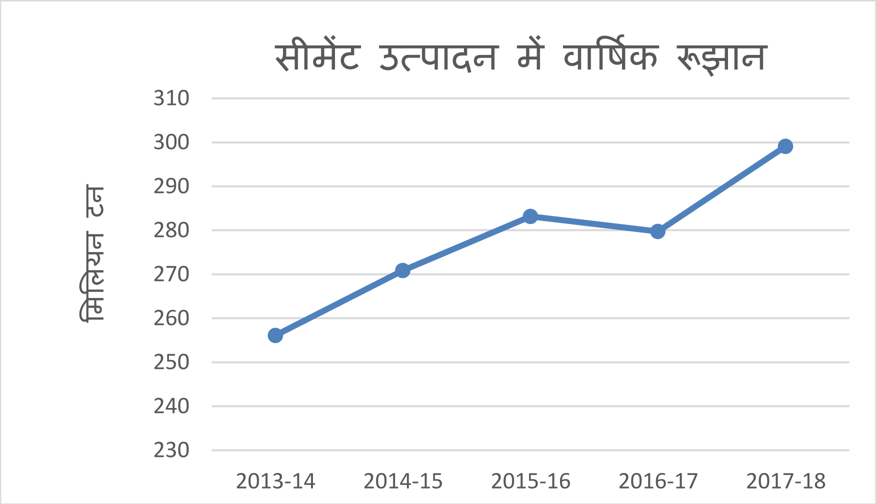

9.26 वर्ष 2017-2018 के दौरान सीमेंट का उत्पादन 299.12 एमटी रहा जो विगत वर्ष के दौरान 279.72 मि.टन के उत्पादन से 6.94% अधिक रहा । वर्ष 2016-2017 के दौरान (-) 1.22% की तुलना में वृद्धि दर बढ़कर 6.94% रही । पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए सीमेंट उत्पादन का रुझान साइड चार्ट में दर्शाया गया है ।

9.27 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान सीमेंट का उत्पादन 275.69 एमटी रहा जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 245.06 मि.टन के उत्पादन से 12.50% अधिक था ।

उर्वरक

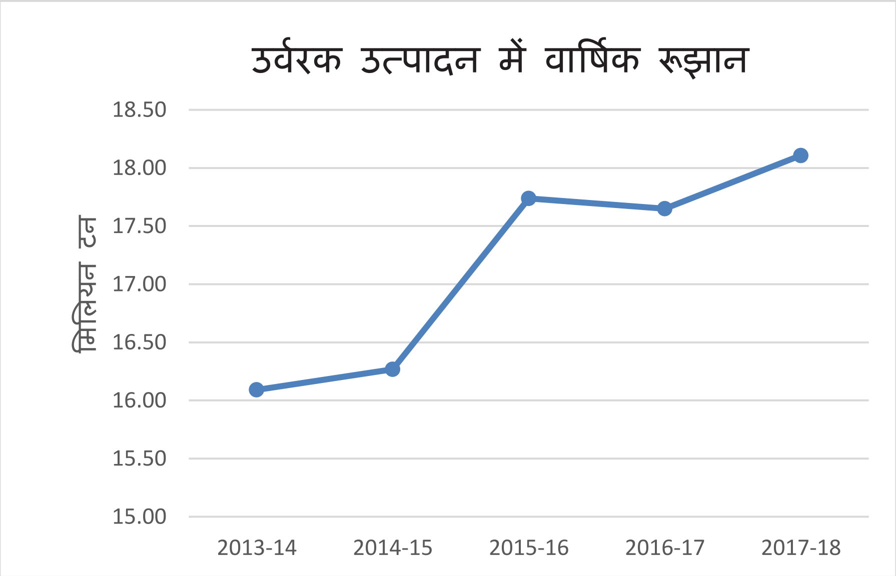

9.28 वर्ष 2017-18 के दौरान उर्वरकों (नाइट्रोजन एवं फॉस्फेट) का समग्र उत्पादन 18.11 (एमटी) था जो वर्ष 2016-2017 के दौरान हुए उत्पादन की तुलना में 0.89% अधिक था । वर्ष के दौरान, समग्र क्षमता उपयोग (नाइट्रोजन +फॉस्फेट) 95.60% था जो वर्ष 2016-2017 के दौरान 94.80% के क्षमता उपयोग से अधिक था ।पिछले पांच वर्षों के दौरान हुए उत्पादन सामान को साइड चार्ट में दर्शाया गया है ।

9.29 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान उर्वरक उत्पादन 14.86 मि.टन रहा जो उस अवधि के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में क्रमशः 15.70% तथा 1.91% कम था । समग्र क्षमता उपयोग 91.40% था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपयोग की गई क्षमता (93.20%) से कम था । नाइट्रोजन का उत्पादन 11.07 एमटी था जो इस अवधि के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में क्रमशः 7.73% तथा 0.46% कम था । फास्फेट उर्वरक का उत्पादन 3.78 एम टी था जो इस अवधि के लक्ष्य से कम तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान लक्ष्य तथा उत्पादन से क्रमशः 32.69% तथा 5.92% कम था । वर्ष 2016-17 और 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान उर्वरक (नाइट्रोजन और फॉस्फेट) का उत्पादन साइड ग्राफ में दर्शाया गया है ।

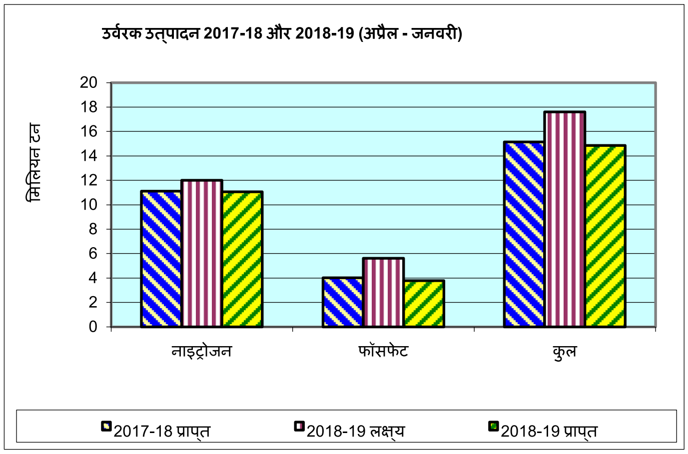

पेट्रोलियम

9.30.1 **कच्चा तेल:** वर्ष 2017-18 के दौरान, कच्चे तेल का उत्पादन 35.68 (एमटी) रहा जो 37.44 एमटी के लक्ष्य तथा 36.01 एमटी के उत्पादन की तुलना में वर्ष 2016-2017 के दौरान क्रमशः 4.68% तथा 0.90% कम था । पिछले पांच वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादन का रुझान संलग्न चार्ट में दिया गया है ।

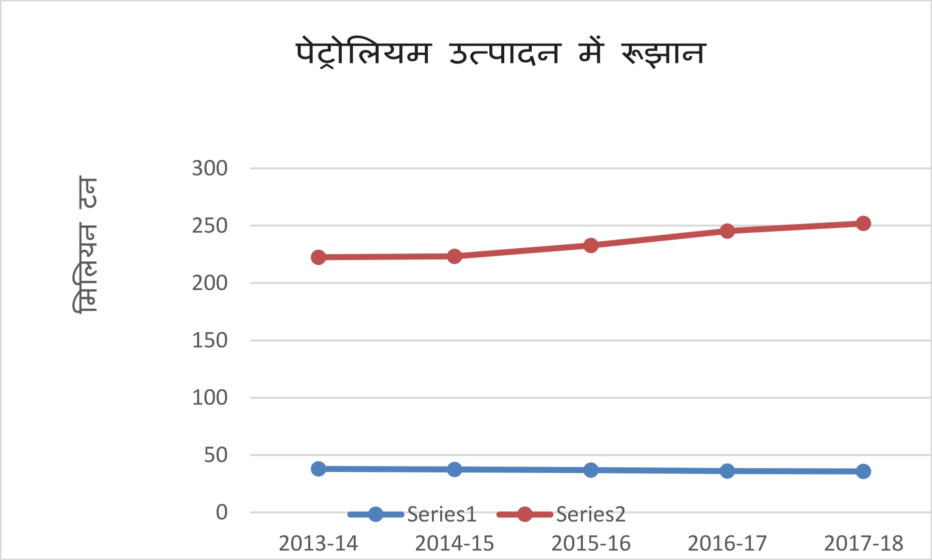

9.30.2 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान कच्चे तेल का उत्पादन 28.79 एमटी रहा जो इस अवधि के दौरान 30.77 एमटी के लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 29.91 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 6.46% और 3.76% कम रहा ।

9.31.1 **रिफाइनरी उत्पादन**: वर्ष 2017-18 के दौरान रिफाइनरी उत्पादन (कच्चे थ्रूपुट के संदर्भ में) 251.94 एमटी रहा जो 246.00 एमटी के लक्ष्य की तुलना में तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान 245.36 एमटी के उत्पादन की तुलना में क्रमशः 2.41% और 2.68% अधिक था । वर्ष 2017-18 के दौरान समग्र क्षमता उपयोग 101.8% था जो पिछले वर्ष में प्राप्त 106.7% की उपलब्धि से अधिक था ।

9.31.2 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान रिफाइनरी उत्पादन 214.63 एमटी था जो 212.70 एमटी के लक्ष्य से 0.90% अधिक था, यह पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 210.73 एमटी के उत्पादन की तुलना में भी 1.85% अधिक था । इस अवधि के लिए समग्र क्षमता उपयोग 103.41**%** था जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के 107.42**%** क्षमता उपयोग से कम था । उपर्युक्त चार्ट कच्चे तेल तथा रिफाइनरी उत्पादन के लक्ष्य और उपलब्धि को दर्शाता है ।

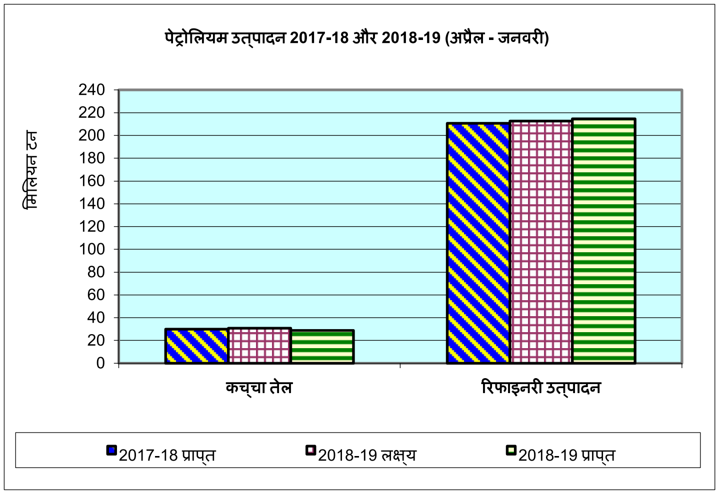

9.32.1 **प्राकृतिक गैस:** वर्ष 2017-18 के दौरान कुल मिलाकर 32,649 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) प्राकृतिक गैस का उत्पादन हुआ जो 35,134 मि.क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से 7.07% कम लेकिन वर्ष 2016-2017 के दौरान हुए 31,897 मिलियन क्यूबिक मीटर उत्पादन की तुलना में 2.36% अधिक था ।

9.32.2 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, प्राकृतिक गैस का उत्पादन 27,492 मिलियन क्यूबिक मीटर (एमसीएम) था, जो 29,695 मिलियन क्यूबिक मीटर के लक्ष्य से 7.42% कम था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान हुए 27,383 मिलियन क्यूबिक मीटर के उत्पादन से 0.40% अधिक था ।

सड़कें

9.33 सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) तथा राज्य लोक निर्माण विभाग एवं सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) राजमार्गों के निर्माण एवं उन्नयन में लगे हुए हैं । एनएचएआई ने वर्ष 2017-18 के दौरान, 6000.00 कि.मी.

के लक्ष्य तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान 2628.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में चार/छः/आठ लेनों के 3071.00 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण/सुदृढ़ीकरण किया है । राज्य लोक निर्माण विभाग और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 158.26 कि.मी. को चार/छः/आठ लेन का और 2249.25 कि.मी. को दो लेन का बनाया है तथा 2157.31 कि.मी. के वर्तमान कमजोर पैदल मार्गों को सुदृढ़ बनाया है । इसके अतिरिक्त, उन्होंने 3357.36 कि.मी. राजमार्ग की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया है । राजमार्गों के उन्नयन के एक भाग के रूप में, 61 पुलों का भी पुनर्स्थापन /निर्माण किया गया ।

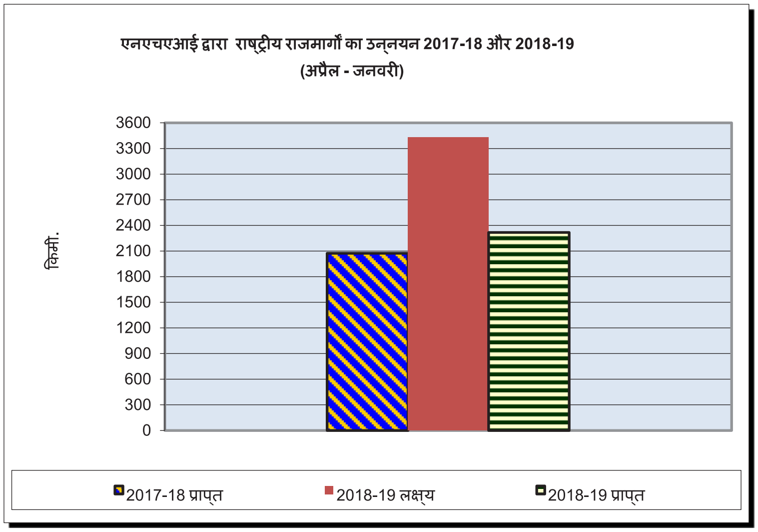

9.34 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने 3432.00 कि.मी. के लक्ष्य तथा गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 2073.00 कि.मी. की उपलब्धि की तुलना में, 2316.00 कि.मी. राजमार्ग को चौड़ा/सुदृढ़ बनाया । राष्ट्रीय राजमार्गों के उन्नयन का रुझान साइड ग्राफ में दिया गया है । राज्य पीडब्ल्यूडी और सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) ने 72.39 कि.मी. को चार/छह/आठ लेन का बनाया, 2929.10 कि.मी. को दो लेन का बनाया और मौजूदा 1390.59 कि.मी. कमजोर पैदल मार्ग का सुदृढ़ीकरण किया। उन्होंने राजमार्गों के 1342.84 कि.मी. की राइडिंग क्वालिटी में भी सुधार किया । उन्नयन के एक भाग के रूप में, इस अवधि के दौरान 36 पुलों के लक्ष्य के मुकाबले 32 पुलों का सुदृढ़ीकरण/निर्माण भी किया गया ।

रेलवे

9.35 वर्ष 2017-2018 के दौरान रेलवे ने 1161.66 एमटी राजस्व अर्जक मालभाड़े की ढुलाई की जिससे वर्ष 2016-2017 के मालभाड़ा ढुलाई की तुलना में 4.77% की वृद्धि दर्ज हुई लेकिन यह इस वर्ष के 1167.50 एमटी के लक्ष्य से 0.50% कम था । गत पांच वर्षों के दौरान माल भाड़े ढुलाई का वार्षिक रुझान चार्ट में दिया गया है ।

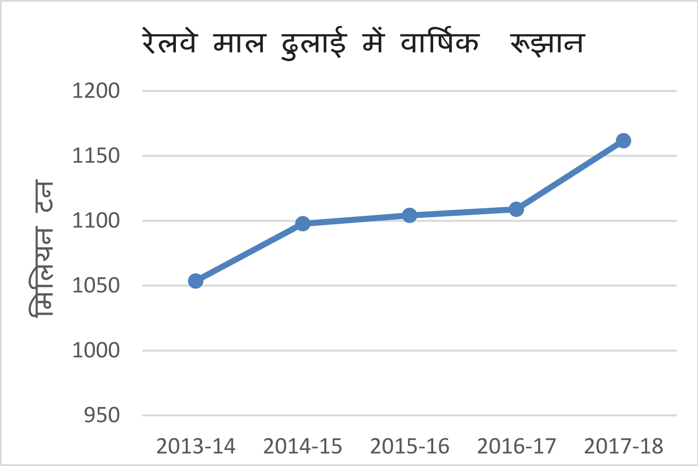

9.36 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान रेलवे द्वारा ढोया गया माल 1003.57 एमटी था जो निर्धारित लक्ष्य 1000.82 एमटी से 0.27% अधिक था तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 953.50 एमटी माल ढुलाई की तुलना में 5.25% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज हुई। पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान प्राप्त 4.94% की तुलना में वृद्धि दर अधिक थी । संलग्न चार्ट इस अवधि हेतु लक्ष्य तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान उपलब्धि की तुलना में रेलवे के कार्य निष्पादन को इंगित करता है ।

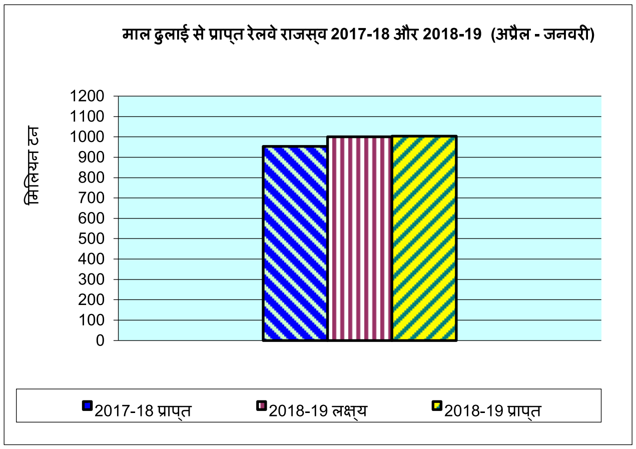

पोत परिवहन एवं पत्तन

9.37 वर्ष 2017-18 के दौरान देश के प्रमुख बंदरगाहों पर 679.36 एमटी कार्गो ढोया गया जो पिछले वर्ष की उपलब्धि से 4.77% अधिक था । मुख्य बंदरगाहों पर ढोए गए कार्गो का रुझान साथ के चार्ट में इंगित किया गया है ।

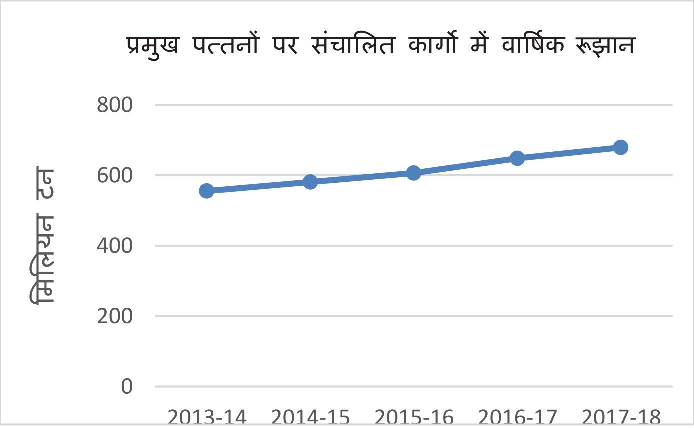

9.38 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर 578.86 एमटी कार्गो ढोया गया जिससे पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोये गये 561.39 एमटी कार्गो की तुलना में 3.11% की वृद्धि दर्ज हुई ।

9.39 वर्ष 2017-18 के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर कोयला (तापीय तथा कोकिंग) की ढुलाई 145.82 एमटी थी जो पिछले वर्ष की 139.24 एमटी ढुलाई की तुलना में 4.72% अधिक रही । वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान प्रमुख बंदरगाहों पर, कोयले की समग्र ढुलाई 134.33 एमटी थी जो पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 119.26 एमटी ढुलाई की तुलना में 12.64% अधिक रही ।

नागर विमानन

9.40 वर्ष 2017-18 के दौरान सभी हवाई अड्डों द्वारा 12,40,129 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य से तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान ढोए गए कार्गो से क्रमश: 10.66% और 13.25% अधिक था । इस अवधि के दौरान, इन हवाई अड्डों द्वारा 9,03,839 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान ढोए गए आयात कार्गो से क्रमश: 16.22% और 18.93% अधिक था । साइड ग्राफ हवाई अड्डे पर आवाजाही संबंधी लक्ष्य तथा उपलब्धियां दर्शाता है ।

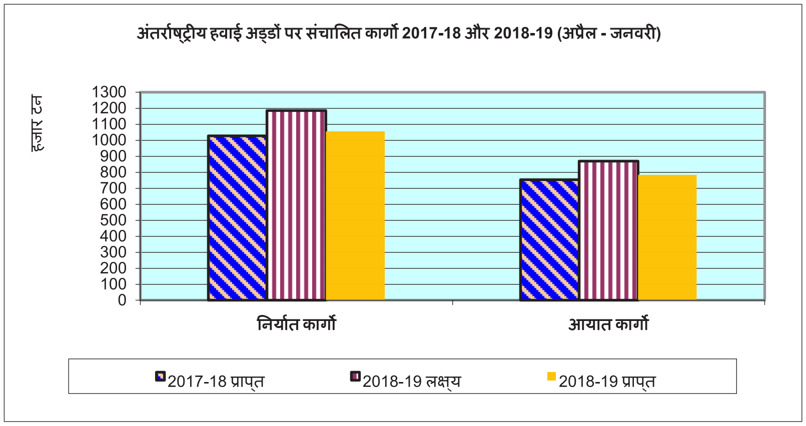

9.41.1 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, सभी हवाई अड्डों द्वारा 10,54,940 टन निर्यात कार्गो ढोया गया जो 11,85,129 टन के लक्ष्य से 10.99% कम लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोए गए 10,28,015 टन निर्यात कारगों की तुलना में 2.62% अधिक था । इसके अतिरिक्त, इस अवधि के दौरान इन हवाई अड्डों द्वारा 7,83,367 टन आयात कार्गो ढोया गया जो इस अवधि के लक्ष्य 8,69,356 टन से 9.89% कम था लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान ढोए गए 7,52,990 टन कार्गो से 4.04% अधिक था ।

9.41.2 वर्ष 2017-18 के दौरान सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 654.76 लाख यात्रियों ने यात्रा की, जो लक्ष्य से 2.28% कम लेकिन 2016-2017 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों की तुलना में 10.46% अधिक थी । वर्ष 2017-18 के दौरान इन हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 2432.78 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्यों तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से क्रमश: 4.41% और 18.26% अधिक था ।

9.42 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान इन हवाई अड्डों के अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनलों से 579.85 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो लक्ष्य से 2.95% कम था
लेकिन पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों से 6.75% अधिक था । हवाई अड्डों के घरेलू टर्मिनलों से 2310.01 लाख यात्रियों ने यात्रा की जो उस अवधि के लक्ष्य से 0.22% कम तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान यात्रा किए गए यात्रियों की तुलना में 15.75% अधिक था । हवाई अड्डों पर यात्रियों की आवाजाही संबंधी लक्ष्यों और उपलब्धियों को साइड ग्राफ में दर्शाया गया है ।

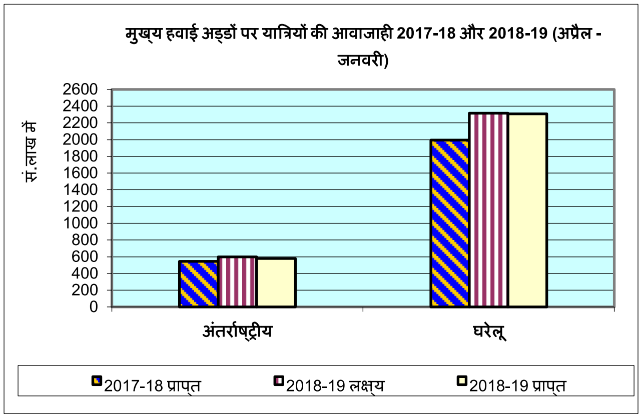

दूरसंचार

9.43 वर्ष 2017-18 के दौरान टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में राष्ट्रीय स्तर पर 40.55 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई और 2016-2017 के दौरान भी 5147.504 लाख लाइनें जोड़ी गई/कनेक्ट की गई थी। वर्ष 2017-18 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 0.13 लाख नए नेट फिक्स्ड (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए तथा 2016-2017 के दौरान भी 2.91 कनेक्शन जोड़े गए थे । जबकि सार्वजनिक क्षेत्र ने 2017-18 के दौरान, 15.37 लाख कनेक्शन लौटा दिए । वर्ष 2017-18 के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 110.15 लाख नए (नेट) सेलफोन (मोबाइल) कनेक्शन लगाई/प्रदान किए तथा वर्ष 2016-17 के दौरान भी 146.43 लाख सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए/जोड़े गए थे। जबकि निजी क्षेत्र में 73.83 कनेक्शन जोड़े गए और 2016-

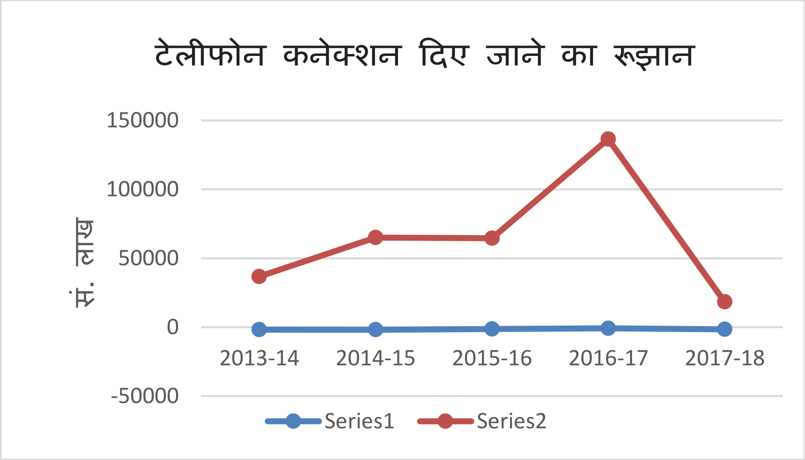

2017 के दौरान भी 1218.36 लाख सेलफोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे । वर्ष 2017-18 के दौरान कुल 168.74 लाख कनेक्शन (फिक्सड+सेलफोन) प्रदान किए गए तथा वर्ष 2016-2017 के दौरान भी 1356.55 लाख फोन कनेक्शन प्रदान किए गए थे। पिछले पांच वर्षों के दौरान लैंडलाइन तथा सेल फोन कनेक्शन प्रदान करने संबंधी वार्षिक रुझान उपर्युक्त चार्ट में दर्शाया गया है ।

9.44 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर टेलीफोन एक्सचेंजों की स्विचिंग क्षमता में से 7.60 लाख लाइनें हटाई गई तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 5.26 लाख लाइनें हटाई गई थी । 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, निजी क्षेत्रों ने 0.9 लाख नेट फिक्स्ड (वायर्ड) टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर किए जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 1.40 लाख कनेक्शन दिए गए । इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र के 10.08 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए साथ ही पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 14.71 लाख कनेक्शन भी सरेंडर किए गए थे । साइड में दिया गया ग्राफ वायरलाइन (फिक्स्ड) फोन कनेक्शनों संबंधी उपलब्धियों का रुझान दर्शाता है ।

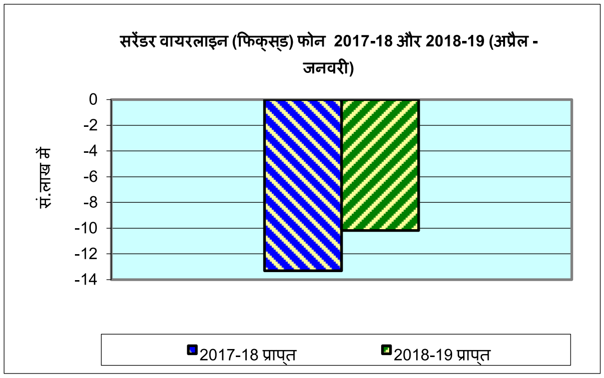

9.45 वर्ष (अप्रैल-जनवरी) 2018-19 के दौरान, निजी क्षेत्र ने 98.02 लाख नए (नेट) सैलफोन कनेक्शन सरेंडर किए तथा पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 255.11 लाख कनेक्शन सरेंडर किए गए थे । इस अवधि के दौरान, सार्वजनिक क्षेत्र ने 29.34 लाख सेल फोन प्रदान किए जबकि तदनुरूपी अवधि के दौरान भी 70.10 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे । साइड में दिया गया ग्राफ वायरलेस (सेल) फोन कनेक्शनों की उपलब्धियों का रूझान दर्शाता है ।

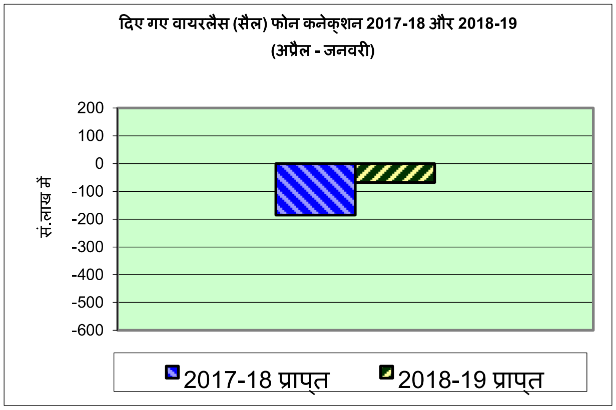

9.46 वर्ष 2018-19 (अप्रैल-जनवरी) के दौरान, कुल 78.85 लाख टेलीफोन कनेक्शन सरेंडर किए जबकि पिछले वर्ष की तदनुरूपी अवधि के दौरान 198.31 लाख कनेक्शन प्रदान किए गए थे।

अध्याय X

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) भारत सरकार द्वारा 23 दिसंबर, 1993 में शुरू की गई थी ताकि स्थायी सामुदायिक परिसंपत्तियों के सृजन के लिए विकासात्मक प्रकृति के कार्यों की अनुशंसा करने एवं उनके निर्वाचन क्षेत्रों/राज्यों में शुरू किए जाने के लिए स्थानीय रूप से महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामुदायिक अवसंरचना सहित बुनियादी सुविधाओं का प्रावधान किया जा सके । शुरूआत में, एमपीलैड्स ग्रामीण विकास मंत्रालय के नियंत्रण में थी। एमपीलैड्स से संबंधित विषय को अक्तूबर, 1994 में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था । योजना, दिशानिर्देशों के एक सेट द्वारा संचालित की जाती है जिन्हें समय-समय पर व्यापक रूप से संशोधित किया गया है । वर्तमान दिशानिर्देश जून, 2016 में जारी किए गए थे ।

10.1 एमपीलैड योजना की मुख्य विशेषताएं:

(क) एमपीलैड्स एक केन्द्रीय योजना स्कीम है जो भारत सरकार द्वारा पूर्णत: वित्त पोषित की जाती है जिसके अंतर्गत निधियां प्रत्यक्ष रूप से जिला प्राधिकारियों को सहायता अनुदान के रूप में जारी की जाती हैं ।

(ख) स्कीम के अंतर्गत जारी की गई निधियां अव्यपगत हैं अर्थात किसी वर्ष विशेष में जारी नहीं की गई निधियों को पात्रता के अध्यधीन आगामी वर्षों में ले जाया जाता है । वर्तमान में, प्रति संसद सदस्य/निर्वाचन क्षेत्र वार्षिक पात्रता ₹ 5 करोड़ है ।

(ग) एमपीलैड्स के अंतर्गत, संसद सदस्य की भूमिका कार्यों को सिफारिश करने तक सीमित है । तत्पश्चात, संसद सदस्यों द्वारा सिफारिश किए गए कार्यों को निर्धारित समयावधि के भीतर स्वीकृत, क्रियान्वित और पूर्ण करने का दायित्व जिला प्राधिकारी का है ।

(घ) निर्वाचित लोक सभा सदस्य कार्यों की सिफारिश अपने संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कर सकते हैं । राज्य सभा के निर्वाचित सदस्य अपने निर्वाचन वाले राज्य में कहीं भी कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं । लोक सभा और राज्य सभा के मनोनीत सदस्य देशभर में कहीं भी कार्यों के क्रियान्वयन की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ङ) सरकारी कार्यों के क्रियान्वयन के संबंध में कोई सीमा नहीं है । तथापि, न्यासों/सोसाइटियों के लिए किए जाने वाले कार्यों के मामले में प्रत्येक न्यास/सोसाइटी के जीवनकाल के लिए ₹ 50 लाख की सीमा है । एक संसद सदस्य न्यासों/सोसाइटियों से संबंधित कार्यों के लिए एमपीलैड्स निधियों में से एक वित्तीय वर्ष में केवल ₹ 100 लाख तक की निधियों की सिफारिश कर सकता है ।

(च) बाढ़, चक्रवात, ओलावृष्टि, बर्फीले तूफान, बादल फटने, कीटों के आक्रमण, भूस्खलन, रेतीले तूफान, भूकंप, अकाल, सुनामी, आग और जैविक, रासायनिक, विकिरणीय संकटों आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित क्षेत्रों में एमपीलैड्स कार्यों का क्रियान्वयन किया जा सकता है । राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के गैर-प्रभावित क्षेत्रों के संसद सदस्य भी उस राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के प्रभावित क्षेत्र (क्षेत्रों) के लिए ₹ 25 लाख की अधिकतम सीमा तक अनुमत्य कार्यों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(छ) देश के किसी भी भाग में गहन प्राकृतिक आपदा (जो भारत सरकार द्वारा निर्णीत और घोषित की गई है) के मामले में एक संसद सदस्य प्रभावित जिले के लिए अधिकाधिक ₹ 1 करोड़ तक के कार्यों की सिफारिश कर सकता है । इस मामले में निधियां संबंधित संसद सदस्य के नोडल जिला प्राधिकारी द्वारा प्रभावित जिले के प्राधिकारी को अनुमत्य कार्यों के निष्पादन के लिए जारी की जाएंगी ।

(ज) अनुसुचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की बसावट वाले क्षेत्रों की तरफ विशेष ध्यान दिए जाने के उद्देश्य से एमपीलैड्स निधियों का 15% अनु.जाति आबादी वाले क्षेत्रों तथा 7.5% अनु. जनजाति आबादी वाले क्षेत्रों में उपयोग में लाया जाना है ।

(झ) यदि एक निर्वाचित संसद सदस्य अपने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र के बाहर अथवा राज्य में निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अथवा दोनों हेतु एमपीलैड्स निधियों का योगदान देने के आवश्यकता महसूस करता है तो सांसद इन दिशानिर्देशों के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में पात्र कार्यों के लिए अधिकाधिक ₹ 25 लाख तक की सिफारिश कर सकता है । संसद सदस्य का यह कृत्य लोगों में राष्ट्रीय एकता, सौहार्द तथा भाईचारे की भावना को निचले स्तर तक बढ़ावा देगा ।

(ञ) संसद सदस्य तिपहिया साइकिल (मोटर चालित तिपहिया साइकिल सहित) बैटरी से चलने वाली मोटर चालित पहिएदार कुर्सी तथा कृत्रिम अंगों और दृष्टि एवं श्रवणबाधित व्यक्तियों के लिए सहायक उपकरणों की खरीद के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के सहायतार्थ प्रतिवर्ष अधिकतम ₹ 20 लाख तक सिफारिश कर सकता है ।

(ट) संसद सदस्य सहायता-प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के लिए अपनी एमपीलैड्स निधियों की अनुशंसा कर सकते हैं जो राज्य सरकार से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हों और स्कूलों के मामले में जो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से तथा कॉलेजों के मामले में जो राज्य/केंद्रीय विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हों और छात्रों से व्यावसायिक शुल्क की वसूली नहीं कर रहे हों । इस प्रकार की सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाएं दिशा-निर्देशों के अंतर्गत सभी अनुमत्य मदों के लिए बिना किसी उच्चतम सीमा के एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं । **सहायता-प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त** शिक्षण संस्थान जो किसी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड/विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त हैं और **न्यासों/सोसाइटियों द्वारा संचालित** किए जा रहे हैं, दिशानिर्देशों के तहत अनुमत्य सभी मदों के लिए एमपीलैड्स निधियां प्राप्त करने के पात्र हैं; संबंधित शिक्षण संस्थान का

संचालन करने वाले न्यास/सोसाइटी विशेष पर दिशानिर्देशों के तहत न्यासों/सोसाइटियों पर लगाई गई अधिकतम सीमा अर्थात ₹ 50 लाख की शर्त लागू होगी ।

(ठ) ऊर्जा किफायती सामुदायिक गोबर गैस सयंत्रों, शवदाहगृहों और कब्रिस्तानों/शवदाह भूमियों पर निर्माणों तथा सामुदायिक प्रयोग के लिए गैर-पारंपरिक ऊर्जा प्रणालियों/उपकरणों को भी अन्य बातों के साथ-साथ दिशानिर्देशों में शामिल किया गया है ।

(ड) संसद सदस्य 'स्वच्छ भारत अभियान' जैसी स्कीम जिसमें व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण का प्रावधान है, के लिए निधियों में बढ़ोतरी के उद्देश्य से एमपीलैड्स दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अध्यधीन एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ढ) संसद सदस्य शैक्षणिक संस्थानों, गांवों और चुनिंदा स्थलों पर वाई-फाई प्रणाली की संस्थापना के लिए एमपीलैड्स निधियों की सिफारिश कर सकते हैं ।

(ण) एमपीलैड स्कीम के उद्देश्य से प्रत्येक सांसद के मामले में भारत सरकार द्वारा जारी की गई निधियां जिला प्रशासनों द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंकों (आईडीबीआई बैंकों सहित)/क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (ग्रामीण बैंकों) जो उनके प्रायोजक के रूप में राष्ट्रीयकृत बैंकों के कोर बैंकिंग प्लेटफार्म पर हैं, में जमा कराई जाती हैं ।

(त) एमपीलैड स्कीम के क्रियान्वयन के उद्देश्य से केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, जिला प्राधिकारियों और क्रियान्वयनकर्ता एजेंसियों की भूमिका एमपीलैड संबंधी दिशानिर्देशों में स्पष्ट रूप से निर्धारित की गई है ।

10.2 **प्रभाव**

योजना ने प्रारंभ से ही स्थानीय लोगों को उनकी विभिन्न विकासात्मक प्रकृति की आवश्यकताओं को पूरा करके जैसे पेयजल सुविधा, शिक्षा, बिजली, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सिंचाई, गैर परंपरागत ऊर्जा, सामुदायिक केंद्र, सार्वजनिक पुस्तकालय, बस स्टैंड/स्टाप, सड़कें, फुटपाथ और पुल, खेल इत्यादि से लाभान्वित किया है । इन कार्यों को एमपीलैड्स के दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकृत, क्रियान्वित और मॉनीटर किया जाता है ।

10.3 **योजना का निष्पादन**

10.3.1 वास्तविक निष्पादन

योजना की शुरूआत से, जिलों से प्राप्त रिपोर्टों के संकलन के अनुसार:-

- स्कीम की शुरूआत से लेकर **23,47,456** कार्य अनुशंसित किए गए ।
- स्कीम की शुरूआत से लेकर **20,77,151** कार्य स्वीकृत किए गए ।
- स्कीम की शुरूआत से लेकर **18,50,228** कार्य पूरे किए गए ।

- स्कीम की शुरूआत से स्वीकृत कार्यों की तुलना में पूरे किए गए कार्यों का प्रतिशत **89.07** है ।
- वर्तमान वित्त वर्ष में **1,42,313** कार्यों की अनुशंसा की गई, **1,27,740** कार्य स्वीकृत किए गए (पिछले वर्षों के दौरान अनुशंसित किए गए कार्यों सहित) और **1,05,167** कार्य पूरे किए गए (पिछले वर्षों के दौरान स्वीकृत किए गए कार्यों सहित) ।

10.3.2 वित्तीय निष्पादन

- योजना की शुरूआत से ₹ **50462.25 करोड़** जारी किए जा चुके हैं ।
- योजना की शुरूआत से ₹ **48997.07 करोड़** का व्यय हुआ है ।
- स्कीम की शुरूआत से लेकर 31 मार्च 2019 तक जारी निधि की तुलना में व्यय का प्रतिशत **97.10% है ।**
- वर्ष 2018-19 में **₹3950** करोड़ की संपूर्ण आवंटित धनराशि जारी की गई है जो पिछली बार 2008-09 में संभव हुआ था । इस अवधि के दौरान **₹5012.13 करोड़** (इसमें पिछले वर्षों में खर्च न की जा सकी अग्रेनीत राशि शामिल है) का व्यय हुआ ।

10.3.3 **योजना की शुरूआत से इसके अंतर्गत वर्ष-वार जारी की गई निधि नीचे दी गई है:-**

वर्ष	**जारी की गई निधियां (₹ करोड़ में)**	**जारी संचयी निधि (₹ करोड़ में)**
1993-1994	37.80	37.80
1994-1995	771.00	808.80
1995-1996	763.00	1571.80
1996-1997	778.00	2349.80
1997-1998	488.00	2837.80
1998-1999	789.50	3627.30
1999-2000	1390.50	5017.80
2000-2001	2080.00	7097.80
2001-2002	1800.00	8897.80
2002-2003	1600.00	10497.80
2003-2004	1682.00	12179.80
2004-2005	1310.00	13489.80
2005-2006	1433.90	14923.70
2006-2007	1451.50	16375.20
2007-2008	1470.55	17845.75

2008-2009	1580.00	19425.75
2009-2010	1531.50	20957.25
2010-2011	1533.32	22490.57
2011-2012	2507.68	24998.25
2012-2013	3722.00	28720.25
2013-2014	3937.00	32657.25
2014-2015	3350.00	36007.25
2015-2016	3502.00	39509.25
2016-2017	3499.50	43008.75
2017-2018	3504.00	**46512.75**
2018-19	**3949.50**	**50462.25**

10.3.4 **योजना का तुलनात्मक निष्पादन:**

विभिन्न समयावधियों पर तुलनात्मक स्थिति निम्नानुसार है:-

वर्ष	2017-18	2018-19
अवधि के दौरान जारी निधि (₹ करोड़ में)	3504.00	3949.50
अवधि के दौरान निधि का व्यय (₹ करोड़ में)	4076.29	5012.13
जारी निधि की तुलना में निधि का उपयोग (% में)	116.33	126.90
कार्यों की स्वीकृति (संख्या में)	101281	127740
कार्यों का समापन (संख्या में)	94288	105167

10.4 **एमपीलैड स्कीम संबंधी एकीकृत सॉफ्टवेयर**

एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइट अंत: निर्मित सुरक्षा उपायों के साथ आधुनिक प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म पर विकसित की गई है । यह नई वेबसाइट राज्य और जिला अधिकारियों को एमपीलैड्स स्कीम की प्रभावी और कुशल निगरानी तथा पर्यवेक्षण में सहायता प्रदान करेगी ।

नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल् स्कीम के क्रियान्वयन में अधिक पारदर्शिता तथा जवाबदेही पर भी बल देता है तथा ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देता है । एमपीलैड्स वेबसाइट www.mplads.gov.in निम्नलिखित रिपोर्टें/सुविधाएं प्रदान करती हैं:

- निधियों की निर्मुक्ति संबंधी विवरण (ब्यौरा एवं सार)
- मंत्रालय व्यय रिपोर्ट (ब्यौरा एवं सार)
- प्राथमिकता क्षेत्र रिपोर्टें
- राज्य और जिला प्रोफाइल

- नागरिक सुझाव
- एमपीलैड्स दिशानिर्देश एवं परिपत्र
- कार्य निगरानी प्रणाली (डब्ल्यूएमएस) रिपोर्ट
- वार्षिक रिपोर्ट
- ई-बुक
- समाचार एवं घटनाएं

नया एकीकृत एमपीलैड्स पोर्टल निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान करता रहा है:

- अंत: सरकारी जी2जी समाधान राज्य सभा और लोक सभा पोर्टल से सदस्यों के विवरण को स्वत: शामिल करने सहित जिला स्तर पर निधियों के यथासमय उपयोग के लिए लघु/बृहत (कार्यों, निर्मुक्ति और व्यय) स्तर पर रिपोर्टिंग और निगरानी सुनिश्चित करता है ।
- नागरिक केन्द्रित सी2जी समाधान लोक सुझावों का संसद सदस्यों की ऑनलाइन सिफारिशों में रुपांतरण उपलब्ध कराता है तथा सदस्यों और जिला प्राधिकारियों के बीच मैसेजिंग/ब्लॉक, ऑफलाइन संचार भी प्रदान करवाएगा ।
- सभी स्टेकहोल्डरों- संसद सदस्यों, जिलों, राज्यों, मंत्रालय और आम जनता के लिए एकल संदर्भ बिंदु ।

- नोडल जिलों और कार्यान्वयनकर्ता जिलों में उपलब्ध कुल शेष धनराशि का पता लगाता है, इस प्रकार जिलों में उपलब्ध उपयोग न की जा सकी निधियों की यथासमय निगरानी सुनिश्चित करता है ।
- किसी परियोजना की समस्त महत्वपूर्ण उपलब्धियों जैसेकि परियोजना स्वीकृति, निधियों की निर्मुक्ति आदि के संबंध में ई-मेल की सहायता से आवश्यक सचेतक/सूचना प्रदान करता है ।

इस पोर्टल के माध्यम से जिलों (नोडल प्राधिकारियों) में कार्य प्रवाह प्रणाली स्थापित की गई है तथा इसे भारत सरकार की निर्मुक्ति प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है । वास्तविक समय आधार पर नियमित रूप से अद्यतन किए जाने पर स्वीकृति आदेश और एमपीआर स्व-चालित या हस्त चालित रूप से तैयार की जा सकती है । इसके अतिरिक्त, एमपीआर की ऑनलाइन उपलब्धता ने अन्य अपेक्षित पात्र दस्तावेजों की उपलब्धता के अध्यधीन निधियों की यथासमय निर्मुक्ति को सुसाध्य बनाया है ।

10.5 **निगरानी**

- राज्यों में वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की गई गहन समीक्षा तथा दौरों के फलस्वरूप एमपीलैड्स के कार्यान्वयन में सुधार हुआ है ।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में स्कीम के क्रियान्वयन का जायजा लेने तथा निधियों की निर्मुक्ति की निगरानी के संबंध में राज्य नोडल विभागों के सचिवों के साथ नियमित तौर पर वार्षिक पुनरीक्षा बैठकें आयोजित की जा रही हैं ।
- राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को तकनीकी सहायता प्रदान की जा रही है ताकि योजना के बेहतर कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने के लिए जिला अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें । मंत्रालय नई विकसित एकीकृत एमपीलैड्स वेबसाइटों को क्रियाशील बनाने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है ।

बाह्य एजेंसियों द्वारा वास्तविक निगरानी से स्कीम के बेहतर कार्यान्वयन के लिए प्रणालीगत परिवर्तनों में सहायता मिली है । एमपीलैड स्कीम के क्रियान्वयन में समग्र सुधार का श्रेय वर्षों के दौरान प्राप्त सामंजस्य तथा प्रचालनात्मक अनुभव, सामुदायिक सहभागिता तथा निगरानी को जाता है ।

अध्याय-XI
राजभाषा हिन्दी का प्रगामी प्रयोग

11.1 संघ की राजभाषा नीति के अनुसार और राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए वार्षिक कार्यक्रम के अनुसरण में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, मंत्रालय और उसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा के रुप में हिन्दी का प्रचार और प्रसार करने के लिए निरंतर और ठोस प्रयास कर रहा है । मंत्रालय का राजभाषा अनुभाग, राजभाषा अधिनियम, 1963 और राजभाषा नियमावली, 1976 में यथा निर्धारित सांविधिक उपबंधों एवं नीतियों के कार्यान्वयन की निगरानी और देख-रेख के लिए उत्तरदायी है । मंत्रालय के प्रशासन प्रभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2019 तक, मंत्रालय के सभी अधिकारी/कर्मचारी हिन्दी में प्रवीणता प्राप्त हैं या हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान रखते हैं । सभी 12 आशुलिपिक हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं । एमटीएस कर्मचारियों को भी हिंदी टंकण के प्रशिक्षण हेतु नियमित रूप से नामित किया जाता है ।

राजभाषा कार्यान्वयन समिति

11.2 संयुक्त सचिव (प्रशासन) की अध्यक्षता में राजभाषा कार्यान्वयन समिति मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा अधिनियम, 1963 एवं राजभाषा नियमावली, 1976 के उपबंधों के अनुपालन और हिन्दी के प्रयोग में हुई प्रगति की तिमाही समीक्षा करती है । प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, इस समिति की बैठकें नियमित अंतरालों पर आयोजित की गईं । मंत्रालय में राजभाषा के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही और वार्षिक रिपोर्टें राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय को नियमित रूप से प्रेषित की जाती हैं ।

निरीक्षण

11.3 मंत्रालय के अधिकारी हिन्दी के प्रगामी प्रयोग की स्थिति का जायज़ा लेने के लिए सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और मंत्रालय के अनुभागों का समय-समय पर निरीक्षण करते हैं और उनमें पाई गई कमियों को दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश देते हैं ।

इस वर्ष मंत्रालय के निम्नलिखित संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का निरीक्षण किया गया:

1. डाटा प्रोसेसिंग सेंटर, गिरिडीह
2. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, अजमेर
3. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, उदयपुर
4. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय, क्षेत्र संकार्य प्रभाग, भुवनेश्वर

इस वर्ष मंत्रालय के निम्नलिखित प्रभागों/अनुभागों का निरीक्षण किया गया:

1. समन्वय एवं संसद अनुभाग
2. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
3. एमपीलैड्स प्रभाग

पुरस्कार एवं प्रोत्साहन

11.4 पिछले वर्षों की तरह हिन्दी में मूल टिप्पण/आलेखन के लिए **प्रोत्साहन योजना** इस वर्ष भी जारी रही । सितम्बर, 2018 माह के दौरान मंत्रालय तथा इसके सम्बद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में **हिन्दी माह/पखवाड़े** का आयोजन किया गया । मंत्रालय में दिनांक 14 सितंबर 2018 से 28 सितंबर 2018 की अवधि तक **"हिन्दी पखवाड़ा"** मनाया गया । इस पखवाड़े में मंत्रालय के राजभाषा अनुभाग द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया जिसमें अधिकारियों और कर्मचारियों ने बढ़-चढ़ कर अपनी भागीदारी दर्ज की । इन प्रतियोगिताओं में उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के पश्चात्, मंत्रालय के कुल 40 विजेता प्रतिभागियों को विभिन्न श्रेणियों में नकद पुरस्कार प्रदान किए गए ।

मंत्रालय में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए इस वर्ष भी दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के साथ-साथ डाटा एंट्री ऑपरेटरों के लिए अलग से प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं तथा 16 विजेता प्रतिभागियों को नकद पुरस्कार दिए गए ।

हिन्दी प्रशिक्षण एवं कार्यशालाएं

11.5 मंत्रालय के प्रशासन प्रकोष्ठ से प्राप्त सूचना के अनुसार, चूंकि मंत्रालय में सभी आशुलिपिक/सहायक अनुभाग अधिकारी हिंदी आशुलिपि/टंकण में प्रशिक्षित हैं अत: वर्ष 2018-19 के दौरान प्रशिक्षण हेतु किसी को भी राजभाषा विभाग की हिंदी शिक्षण योजना के अंतर्गत नामित नहीं किया गया ।

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा निरीक्षण

11.6 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, संसदीय राजभाषा समिति की तीसरी उप-समिति द्वारा मंत्रालय के एनएसएसओ, एफओडी, मैसूर का दिनांक 19.06.2018 को राजभाषायी निरीक्षण किया गया ।

11वां विश्व हिन्दी सम्मेलन

11.7 विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मॉरीशस में 18-20 अगस्त, 2018 तक 11वें विश्व हिन्दी सम्मेलन का आयोजन किया गया । इस संबंध में, विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार के लगभग सभी मंत्रालयों तथा अन्य पात्र संगठनों को एक पत्र जारी किया था जिसमें उनसे इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भाग लेने का अनुरोध किया गया था । इसके उत्तर में, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने भी संयुक्त सचिव (प्रशासन) और सहायक निदेशक (रा.भा.) को इस गौरवपूर्ण ओर प्रतिष्ठित सम्मेलन में भाग लेने के लिए नामित किया था ।

गृह पत्रिका "परिदृश्य" का प्रकाशन

11.8 प्रतिवेदनाधीन वर्ष के दौरान, मंत्रालय की गृह पत्रिका "परिदृश्य" के 9वें अंक के प्रकाशन से संबंधित सभी कार्यों को पूरा कर लिया गया है और इसकी प्रतियां छपाई के लिए भेजी जा चुकी हैं ।

****

अध्याय-XII

अन्य कार्यकलाप

12.1 मंत्रालय का सतर्कता प्रकोष्ठ, संयुक्त सचिव एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी की देख-रेख में निम्नलिखित कार्यों को संभालता है:-

- ग्रुप 'क','ख' और 'ग' अधिकारियों के संबंध में सतर्कता मामले जैसे भ्रष्टाचार, कदाचार तथा सत्यनिष्ठा की कमी संबंधी मामले;
- विविध उद्देश्यों के लिए विभिन्न श्रेणियों के अधिकारियों की सतर्कता निकासी पर काम करना/जारी करना;
- केंद्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियमावली, 1964 का कार्यान्वयन;
- सतर्कता मामलों की मासिक रिपोर्ट प्रोबिटी पोर्टल पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत करना;

12.2 सतर्कता प्रकोष्ठ निम्नलिखित कार्यकलापों को भी देखता है:-

- प्रक्रियाओं की समीक्षा करना तथा इसे सुव्यवस्थित बनाना जिसमें भ्रष्टाचार या कदाचार से निपटने के प्रावधान शामिल हों तथा भ्रष्टाचार एवं अन्य प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए अन्य उपाय खोजना एवं मंत्रालय तथा इसके संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों के भ्रष्ट पदाधिकारियों को दण्डित करना;
- "संदिग्ध सत्यनिष्ठा" (ओडीआई) वाले अधिकारियों की सूची तैयार करना/सहमति सूची तैयार करना तथा असंवेदनशील क्षेत्रों में उनकी तैनाती करना;
- संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता अधिकारियों की नियुक्ति करना ।

12.3 व्यक्तियों तथा अन्य संगठनों यथा सीबीआई/सीवीसी/प्रधानमंत्री कार्यालय/मंत्रिमंडल सचिवालय/संघ लोक सेवा आयोग आदि से प्राप्त शिकायतों की जांच संबंधित प्रशासनिक प्रभागों, संबद्ध तथा अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त तथ्यात्मक रिपोर्ट के आधार पर की जाती है । आरंभिक जांच-पड़ताल शिकायतों के गुण-दोष का पता लगाने के लिए की जाती है। शिकायतों का यदि कोई आधार पाया जाता है तो उन पर नियमित विभागीय कार्रवाई की जाती है ।

12.4 वर्ष 2018-19 (अप्रैल 2018 - मार्च 2019) के दौरान बत्तीस (32) नई शिकायतें प्राप्त हुईं तथा उपयुक्त कार्रवाई हेतु जांच की गई । पूर्वोक्त अवधि के दौरान सतर्कता प्रभाग में बीस (20) अनुशासनात्मक कार्रवाई संबंधी मामलों पर कार्रवाई की गई जो जांच/छानबीन के विभिन्न स्तरों पर हैं ।

12.5 अवधि (अप्रैल 2018 - मार्च 2019) के दौरान, दो (2) बड़ी शास्ति तथा एक (1) छोटी शास्ति चार्जशीट जारी की गई है ।

12.6 उपर्युक्त के अतिरिक्त, संघ लोक सेवा आयोग/सीवीसी से परामर्श कर चार (4) अनुशासनात्मक मामलों में बड़ी/छोटी शास्ति लगाई गई हैं ।

12.7 वर्ष 2018-19 के दौरान, 1945 से अधिक सतर्कता निकासी मामलों पर कार्रवाई की गई/जारी किए गए तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत 12 आरटीआई अभ्यावेदन/5 प्रथम अपील प्राप्त हुई थी और इनका निर्धारित समय-सीमा के भीतर निपटान किया गया ।

12.8 **29 अक्तूबर 2018 से 03 नवंबर 2018** की अवधि के दौरान मंत्रालय के अधिकारियों तथा कर्मचारियों के बीच जागरूकता लाने के लिए सतर्कता जागरुकता सप्ताह मनाया गया । यह शपथ ग्रहण समारोह के साथ आरंभ हुआ । इस साल के सतर्कता जागरूकता सप्ताह का विषय ***"इरेडिकेट करप्शन–बिल्ड ए न्यू इंडिया"*** **("भ्रष्टाचार मिटाओ--नया भारत बनाओ")** था । सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने से संबंधित बैनर बिल्डिंग में प्रमुख जगहों पर लगाए गए ।

लोक शिकायत निवारण

12.9 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों का सेवाओं की डिलीवरी से संबंधित जनसाधारण से संपर्क नगण्य है । तथापि, इस मंत्रालय में नोडल अधिकारी (लोक शिकायत) के पर्यवेक्षण में शिकायत निवारण तंत्र कार्य कर रहा है ।

12.10 शिकायतें मंत्रालय के जन शिकायत पोर्टल या विभिन्न नोडल एजेंसियों जैसे कि प्रधान मंत्री कार्यालय (पीएमओ), राष्ट्रपति सचिवालय, प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग(डीएआरपीजी), पेंशन और पेंशन भोग कल्याण मंत्रालय (डीओपीपीडब्लयू) आदि से प्राप्त होती हैं । मंत्रालय के पीजी पोर्टल (सीपीजीआरएएमएस) तथा पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (सीपीईएनजीआरएएमएस) के माध्यम से लोक शिकायतों की मंत्रालय के नोडल अधिकारी द्वारा नियमित तौर पर निगरानी की जाती है । 1 दिसंबर 2017 की स्थिति के अनुसार 44 शिकायतें लंबित थी । 1 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक की 16 माह की अवधि के दौरान कुल 702 शिकायतें प्राप्त हुईं और 719 शिकायतों (इनमें अग्रेषित लंबित शिकायतें भी शामिल हैं) का निपटारा किया गया । सभी लोक शिकायतों संबंधी मामलों पर प्राथमिकता आधार पर निगरानी एवं जांच उनके शीघ्र निपटान के लिए मंत्रालय के संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों/प्रभागों को नियमित तौर पर अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । मंत्रालय में संयुक्त सचिव

स्तर पर मासिक पुनरीक्षा बैठक तथा सचिव स्तर पर तिमाही समीक्षा बैठकों का आयोजन भी नियमित आधार पर किया जाता है ।

12.11 मंत्रालय के पीआईजीआर प्रकोष्ठ ने ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल/पीजी पोर्टल के प्रचालन के संबंध में राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय के अंतर्गत विशेषकर आंचलिक/क्षेत्रीय स्तर के कार्यालयों में सामान्य कर्मचारियों और सीपीआईओ/एफएए के लिए विशेष प्रशिक्षण अवसर उपलब्ध कराने की पहल की है । इससे मंत्रालय के सुशासन के दो अत्यंत महत्वपूर्ण साधनों नामत: ''सूचना का अधिकार अधिनियम 2005'' और 'लोक शिकायत निवारण तंत्र' को मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रभावी और कुशल तरीके से लागू करने में मदद मिलेगी । तदनुसार, इस मंत्रालय के पीआईजीआर प्रकोष्ठ द्वारा अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल/पीजी पोर्टल संबंधी आवधिक कार्यशालाएं/प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं ।

<u>आंचलिक कार्यालय, कोलकाता में आयोजित कार्यशाला के दौरान लिया गया समूह चित्र</u>

<u>अदालती मामले</u>

12.12 1 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक 16 माह की अवधि के दौरान विभिन्न अदालतों में लंबित न्यायिक मामलों की संख्या इस प्रकार है:-

माह	दिसंबर 2017	जनवरी 2018	फरवरी 2018	मार्च 2018	अप्रैल 2018	मई 2018	जून 2018	जुलाई 2018
संख्या	**239**	**240**	**237**	**241**	**247**	**254**	**265**	**256**

माह	अगस्त 2018	सितंबर 2018	अक्तूबर 2018	नवंबर 2018	दिसंबर 2018	जनवरी 2019	फरवरी 2019	मार्च 2019
संख्या	**265**	**277**	**240**	**238**	**248**	**253**	**253**	**241**

<u>सूचना का अधिकार संबंधी मामले</u>

12.13 सूचना का अधिकार संबंधी सभी आवेदन/अपील सामान्यत: मंत्रालय के पीआईजीआर अनुभाग के आरटीआई प्रकोष्ठ में प्राप्त किए जाते हैं और तब इन्हें निपटान हेतु संबंधित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों(सीपीआईओ)/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी (एफएए) को भेजा जाता है । मंत्रालय ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत 37 प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा उपसचिव स्तर के एक अधिकारी को आरटीआई नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया है । मंत्रालय ने 80 अधिकारियों को केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (सीपीआईओ) के रूप में मंत्रालय तथा इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों के विभिन्न प्रभागों/अनुभागों के लिए नामित किया है । इसके अतिरिक्त, इस मंत्रालय के नियंत्रणाधीन एक स्वायत्त निकाय भारतीय सांख्यिकी संस्थान (आईएसआई) के लिए एक प्रथम अपीलीय प्राधिकारी तथा एक सीपीआईओ नामित किया है । आरटीआई अधिनियम 2005 के अंतर्गत 1 दिसंबर 2017 से 31 मार्च 2019 तक 16 माह की अवधि में प्राप्त अनुरोधों और अपीलों की संख्या इस प्रकार हैं:

आरटीआई अधिनियम, 2005 के तहत वर्ष 2018-19 के दौरान प्राप्त अनुरोध/अपील/सीआईसी के नोटिसों की संख्या

क्र.सं.	माह का नाम	अनुरोध/आवेदन				अपील				सीआईसी से प्राप्त नोटिसों की संख्या
		सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	सीएफ	प्राप्त	निपटान	लंबित	
1	दिसंबर- 17	37	59	60	36	6	6	5	7	-
2	जनवरी-18	36	107	32	111	7	5	3	9	2
3	फरवरी- 18	111	143	80	174	9	10	7	12	1
4	मार्च- 18	174	125	54	245	12	13	5	20	3
5	अप्रैल- 18	245	116	83	278	20	10	4	26	-
6	मई- 18	278	119	301	96	26	9	3	32	2
7	जून- 18	96	126	81	141	32	11	3	40	-
8	जुलाई- 18	141	115	180	76	40	22	24	38	1
9	अगस्त-18	76	163	176	63	38	11	9	40	3
10	सितंबर- 18	63	118	145	36	40	18	8	50	2
11	अक्तूबर- 18	36	182	197	21	50	13	9	54	1
12	नवंबर-18	21	135	123	33	54	16	9	61	-
13	दिसंबर-18	33	119	101	51	61	16	6	71	-
14	जनवरी 19	51	182	156	77	71	16	9	78	-
15	फरवरी 19	77	150	135	92	78	10	16	72	-
16	मार्च 19	92	140	180	52	72	24	8	88	-
	कुल	**37***	**2099**	**2084**	**52****	**6***	**210**	**128**	**88****	**15**

सीएफ= पिछले माह के लंबित से अग्रेणित (कैरी फारवार्ड)

प्राप्त=माह के दौरान प्राप्त

निपटान=माह के दौरान निपटाए गए

* = 01 दिसंबर, 2017 की स्थिति के अनुसार अग्रेणित लंबित

** = 31 मार्च, 2019 को लंबित

अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण

12.14 अंतर्राष्ट्रीय समन्वय और प्रशिक्षण एकक अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग (यूएनएसडी), संयुक्त राष्ट्र एशिया प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग (यूएनईएससीएपी), अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ), विश्व बैंक, एशिया विकास बैंक (एडीबी), खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ), एशिया एवं प्रशांत सांख्यिकीय संस्थान (एसआईएपी) और अंतर्राष्ट्रीय श्रम कार्यालय (आईएलओ) के साथ विभिन्न सांख्यिकीय मामलों में संपर्क बनाए रखता है, जिसमें सांख्यिकीय आसूचना का आदान-प्रदान, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सेमिनारों, कार्यशालाओं में भाग लेना तथा सांख्यिकीय प्रणाली की क्षमता के विकास के लिए प्रशिक्षणों और सांख्यिकी मामलों के लिए क्लीयरिंग हाउस के तौर पर कार्य कर रहा है । भारत अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय संगठन, वूरबर्ग, नीदरलैंड का पदेन सदस्य भी है ।

12.15 1 दिसंबर, 2017 से 31 मार्च 2019 की अवधि के दौरान, इस मंत्रालय के 45 अधिकारी 34 अंतराष्ट्रीय बैठकों/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग ले चुके हैं और इस मंत्रालय के 35 अधिकारियों ने, 31 अंतर्राष्ट्रीय कार्यशालाओं/प्रशिक्षण कार्यक्रमों/पाठयक्रमों में भाग लिया ।

12.16 **स्वच्छ भारत मिशन:-**

(क) स्वच्छ भारत मिशन के सफल कार्यान्वयन और स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय समग्र प्रयास कर रहा है तथा समय-समय पर विशेष स्वच्छता अभियान चलाता रहता है ।

(ख) इन स्वच्छता अभियानों के दौरान किए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्यकलाप निम्नानुसार हैं:-

- शौचालयों, सामान्य गलियारे, सीढ़ियां, लिफ्ट इत्यादि जैसे आम जगहों सहित कार्यालय परिसर का नियमित रखरखाव एवं साफ-सफाई ।
- कार्यालय परिसर के आसपास के क्षेत्र या पार्किंग व पैदल रास्ते आदि सहित कार्यालय भवन का रखरखाव एवं साफ-सफाई ।
- कार्यस्थलों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए नियमित और निरंतर स्वच्छता कार्यकलाप ।
- मंत्रालय ने अपने सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में स्वच्छता कार्यकलापों की निगरानी के लिए समुचित स्तर के अधिकारियों को नामित किया है ।
- सभी पुराने रिकार्डों की छंटाई करने तथा कॉरिडोरों और सार्वजनिक स्थलों से स्क्रैप हटाने के सभी प्रयास किए गए हैं । सभी सीढ़ियों से सभी अवरोधों को दूर कर दिया गया है । अधिकारियों तथा कर्मचारियों को अपने कमरों में अपनी फाइलों और रिकार्डों

को साफ-सुथरे तथा सुव्यवस्थित ढंग से रखने तथा परिवेश को समुचित रूप से साफ रखने के लिए कहा गया है ।

12.17 **ई-अधिप्रापण:-** निविदा की ई-अधिप्रापण और ई-प्रकाशन विधि मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में पूर्ण रूप से प्रचलन में है ।

12.18 **सरकारी ई-मार्किट प्लेस:-** जीईएम के तहत उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के प्रापण हेतु सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को जीईएम पोर्टल पर पंजीकृत किया जा चुका है । उत्पादों और सेवाओं का प्रापण पूर्ण रूप से प्रचलन में हैं तथा मांग-पत्र धारकों, माल प्राप्तकर्ताओं, डीडीओ को जीईएम के अंतर्गत उपलब्ध वस्तुओं के प्रापण के लिए नामित किया जा चुका है ।

12.19 **ई-ऑफिस परियोजना:-** सरकारी प्रकिया और सेवा प्रदान करने के तंत्र की तत्परता में सुधार लाने के लिए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मॉड परियोजना में ई-ऑफिस परियोजना शामिल है । सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने दिसंबर 2018 माह तक फिजिकल फाइलों का 60% डिजीटलीकरण कर लिया है और 31 मार्च 2019 तक 80% लक्ष्य प्राप्त किया जाना परिकल्पित है ।

अनुबंध–I क

संगठन चार्ट

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

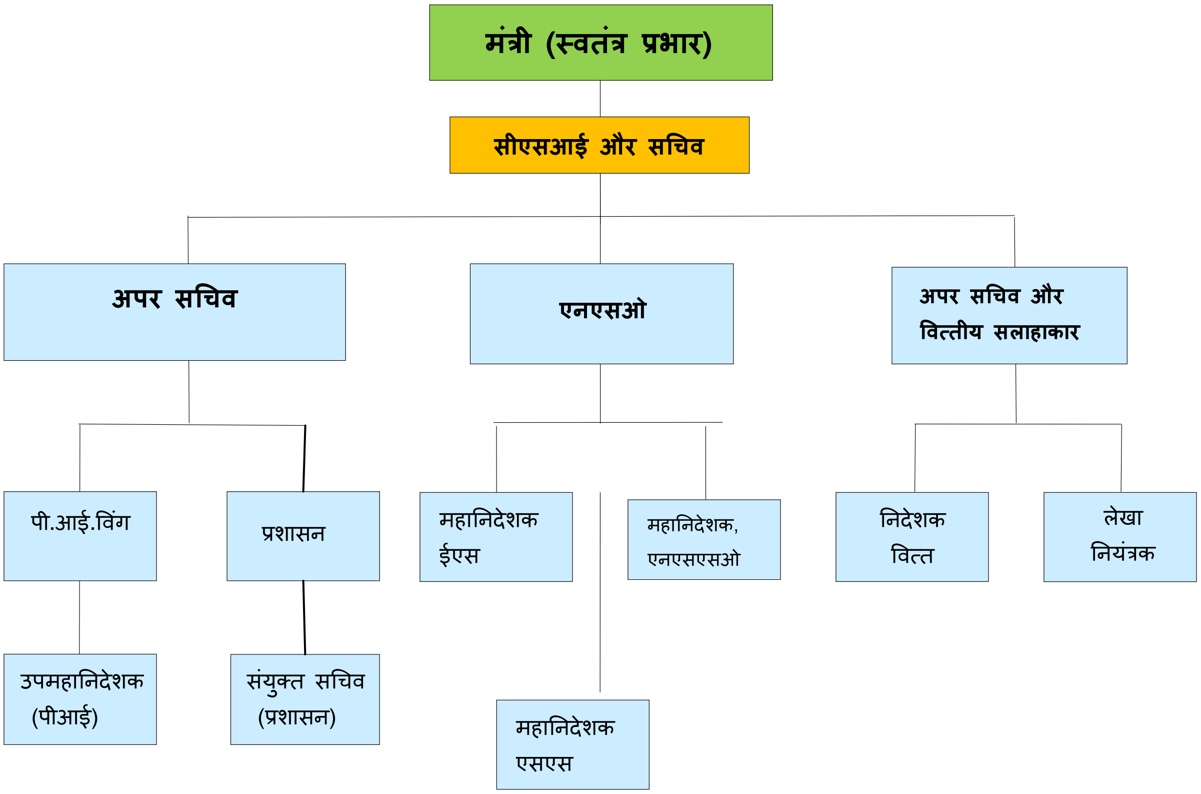

संगठन चार्ट

सांखियकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

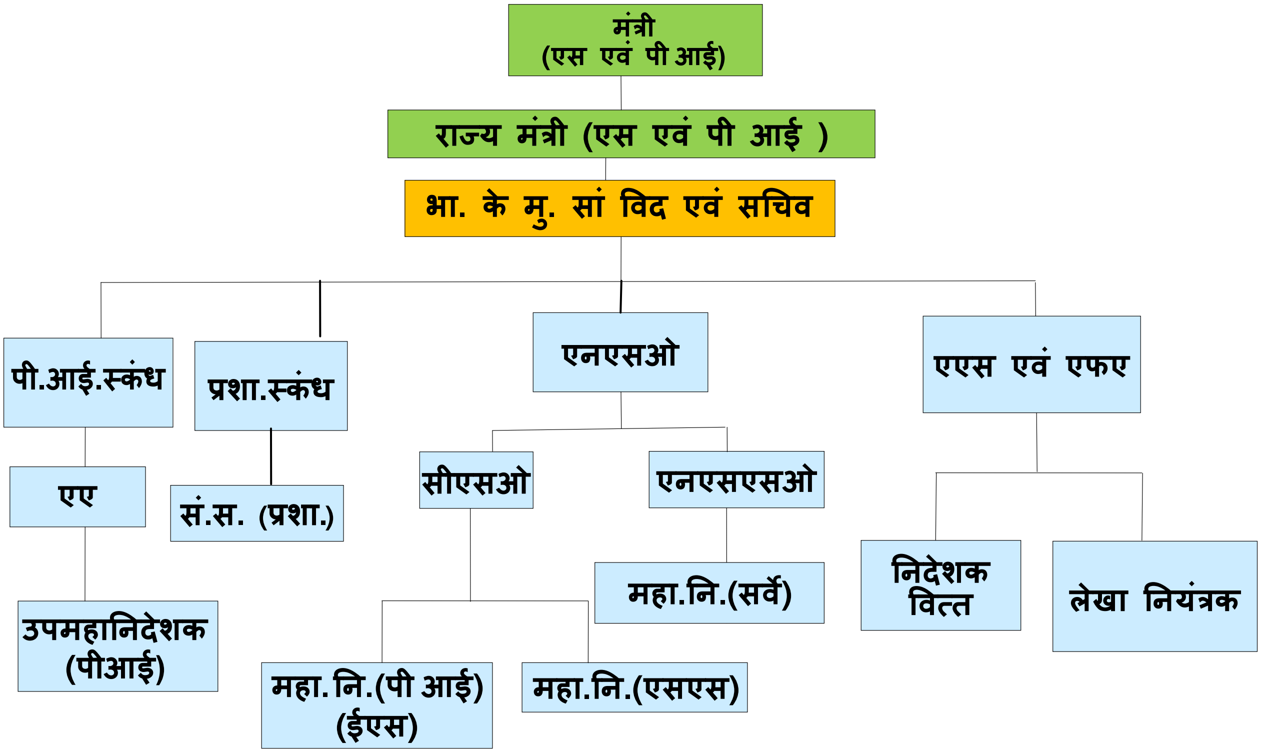

अनुबंध-Iख

संगठन चार्ट
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग

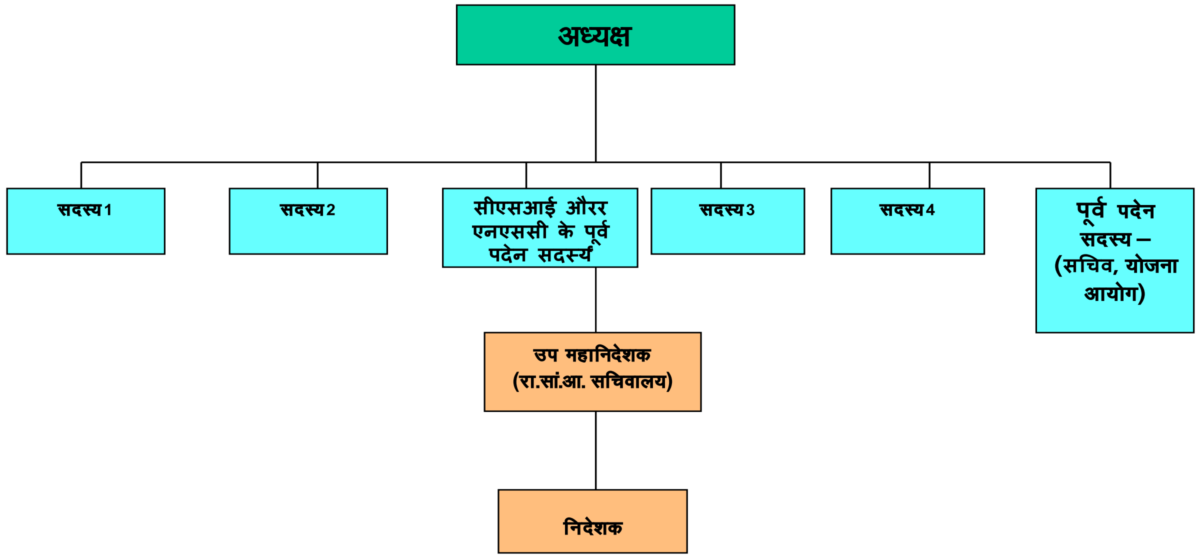

रा.सां.आ.	राष्ट्रीय सांख्यिकीय आयोग
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद

प्रयुक्त संक्षिप्त रूप

एएस व एफए	अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार
एएसआई	औद्योगिक वार्षिक सर्वेक्षण
स.नि.	सहायक निदेशक
सीएसआई	भारत के मुख्य सांख्यिकीविद्
के.सां.का.	केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय
स.प्र.प्र.	समन्वय और प्रकाशन प्रभाग
स.एवं प्र.	समन्वय एवं प्रशासन
सम.	समन्वय
महा.एवं सीईओ	महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नि.	निदेशक
उ.महा	उप महानिदेशक
डे.अ.	डेस्क अधिकारी
स.वि.प्र.	समंक विधायन प्रभाग
उ.स.	उप सचिव
उ.स..	उप सचिव
उ.स.	उप सलाहकार
उ.ले..नि.	उप लेखा नियंत्रक
उ.नि.	उप निदेशक
उ.वि.स.	उप वित्त सलाहकार
प.सां.प्र.	पर्यावरण सांख्यिकी प्रभाग
क्षे.सं..प्र.	क्षेत्र संकार्य प्रभाग
वि.	विभागाध्यक्ष
का.प्र.	कार्यालय प्रमुख
सं. सलाहाकार	संयुक्त सलाहाकार
स.नि.	संयुक्त निदेशक
सं.प.तं.	संयुक्त परामर्शदात्री तंत्र
स.नि.	संयुक्त निदेशक
अ.स.एवं प्र.	अंतर्राष्ट्रीय समन्वय एवं प्रशिक्षण
आ.पी.एम.डी.	आधारी संरचना और परियोजना प्रबोधन प्रभाग
औ.सां.प्र.	औद्योगिक सांख्यिकी प्रभाग
भा.सां.सं.	भारतीय सांख्यिकीय संस्थान
भा.सां.से.	भारतीय सांख्यिकीय सेवा
भा.सां.विं	भारतीय सांख्यिकीय विंग
आं.का.अ.यू.	आंतरिक कार्य अध्ययन यूनिट
स.वि.ल.	सहस्राब्दि विकास लक्ष्य
एमपीलैडस	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास स्कीम
रा.ले.प्र.	राष्ट्रीय लेखा प्रभाग
एनसीएमपी	राष्ट्रीय सांझा न्यूनतम कार्यक्रम
रा.सां.आ.	राष्ट्रीय साख्यिकीय आयोग
रा.प्र.स.का.	राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय
रा.भा.	राजभाषा
सं. एवं प.	संगठन और पद्धति
वे.एवं ले.का.	वेतन एवं लेखा कार्यालय
मू.एवं जी. ला.	मूल्य एवं जीवनयापन लागत
लो.शि.	लोक शिकायत
अ. एवं प्र.	अनुसंधान एवं प्रकाशन
सू.काअ.	सूचना का अधिकार
अ.जा./ज.जा.	अनुसूचित जाति/जनजाति
स.अ.अ.प्र.	सर्वेक्षण अभिकल्प एवं अनुसंधान प्रभाग
सा.सां.प्र.	सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग
बी.सू.का.	बीस सूत्री कार्यक्रम
प्रशि..	प्रशिक्षण
अ.स.	अवर सचिव
अ.सां.से.	अधीनस्थ सांख्यिकीय सेवा

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को आबंटित कार्य

I. सांख्यिकी स्कंध

1. देश में सांख्यिकीय प्रणाली के समेकित विकास की योजना बनाने के लिए एक नोडल अभिकरण के रूप में कार्य करता है ।

2. भारत सरकार के विभागों और राज्य सांख्यिकीय ब्यूरो (एसएसबी) के संबंध में सांख्यिकीय कार्य का समन्वयन करना ताकि आंकड़ों की उपलब्धता में अन्तरालों तथा सांख्यिकीय कार्य में दोहरीकरण की पहचान की जा सके और आवश्यक सुधारात्मक उपाय सुझाना ।

3. सांख्यिकी के क्षेत्र में मापदण्ड और मानक बनाना और उनका अनुरक्षण, आंकड़ा संग्रहण की अवधारणाएं, परिभाषाएं और कार्यप्रणाली विकसित करना, आंकड़ों का संसाधन और परिणामों का प्रचार-प्रसार ।

4. सांख्यिकीय कार्यप्रणाली तथा आंकड़ों के सांख्यिकीय विश्लेषणों पर भारत सरकार के विभागों को सलाह देना ।

5. राष्ट्रीय लेखा तैयार करना तथा राष्ट्रीय आय, सकल/निवल घरेलू उत्पाद, सरकारी और निजी अन्तिम उपभोग व्यय, पूंजी निर्माण, बचतों, पूंजी स्टॉक तथा उपभोग स्थाई पूंजी के वार्षिक अनुमान, सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान तैयार करना एवं उन्हें प्रकाशित करना, राष्ट्रीय इनपुट-आउटपुट लेन-देन तालिका, घरेलू उत्पाद एवं अधि-क्षेत्रीय क्षेत्रों के स्थाई पूंजी निर्माण के राज्य स्तरीय अनुमान तैयार करना, प्रचलित मूल्यों पर राज्य घरेलू उत्पाद के तुलनीय अनुमान तैयार करना ।

6. त्वरित अनुमानों के रूप में प्रत्येक माह औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन एवं प्रकाशन, वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (एएसआई) का आयोजन तथा सांख्यिकीय सूचना प्रदान करना ताकि संगठित विनिर्माणकारी (कारखाना) क्षेत्र के विकास, गठन एवं संरचना में परिवर्तनों का आकलन और मूल्यांकन हो सके ।

7. पर्यावरण सांख्यिकी का विकास, कार्यप्रणाली और अवधारणाओं का विकास तथा भारत का राष्ट्रीय संसाधन लेखा तैयार करना ।

8. अखिल भारतीय आर्थिक गणना तथा अनुवर्ती प्रतिदर्श सर्वेक्षण का आवधिक आयोजन व संचालन।

9. रोजगार, उपभोक्ता व्यय, आवास स्थिति, ऋण एवं निवेश, भूमि एवं पशुधन होल्डिंग, साक्षरता, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, असंगठित विनिर्माणकारी एवं सेवाओं आदि जैसे विभिन्न समाजार्थिक पहलुओं पर राष्ट्रव्यापी प्रतिदर्श सर्वेक्षणों का आयोजन ताकि विकास, अनुसंधान, नीति-निर्माण एवं आर्थिक आयोजना हेतु अपेक्षित आंकड़ा आधार प्रदान किया जा सके ।

10. तकनीकी संवीक्षा एवं प्रतिदर्श जांचों के माध्यम से सांख्यिकीय सर्वेक्षणों और डाटा सेटों की गुणवत्ता जांच एवं लेखा परीक्षा का आयोजन तथा यदि आवश्यक हो तो, शुद्धि कारक और वैकल्पिक अनुमान तैयार करना ।

11. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन तथा केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन द्वारा विभिन्न सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षणों और आर्थिक गणना का अनुवर्ती सर्वेक्षण एवं वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के माध्यम से संगृहीत सर्वेक्षण-आंकड़ों का संसाधन करना ।

12. अनेक नियमित अथवा तदर्थ प्रकाशनों के माध्यम से सरकारी, अर्ध-सरकारी अथवा निजी आंकड़ा प्रयोक्ताओं/अभिकरणों को सांख्यिकीय सूचना का प्रचार-प्रसार तथा संयुक्त राष्ट्र के अभिकरणों जैसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग, एशिया एवं प्रशान्त आर्थिक एवं सामाजिक आयोग, अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और अन्य संगत अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों को अनुरोध पर आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करना ।

13. पंजीकृत गैर-सरकारी संगठनों और प्रतिष्ठित अनुसंधान संस्थाओं को विशेष अध्ययन अथवा सर्वेक्षण करने, सांख्यिकीय रिपोर्टों के मुद्रण हेतु सहायता अनुदान देना तथा सरकारी सांख्यिकी के विभिन्न विषय क्षेत्रों से संबंधित संगोष्ठियों, कार्यशालाओं और सम्मेलनों का वित्तपोषण करना ।

14. प्रशिक्षण, कैरियर नियोजन तथा जनशक्ति नियोजन से संबंधित सभी मामलों सहित भारतीय सांख्यिकीय सेवा के प्रबन्धन के सभी पहलुओं पर कार्य करना और संवर्ग नियन्त्रक प्राधिकारी के रूप में कार्य करना ।

15. भारतीय सांख्यिकीय संस्थान अधिनियम, 1959(1959 का 57) के उपबंधों के अनुसार भारतीय सांख्यिकीय संस्थान का कार्यपालन सुनिश्चित करना ।

16. शहरी गैर-श्रम कर्मचारियों के लिए मासिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का संकलन और प्रकाशन करना ।

17. लघु क्षेत्र-अनुमानों सहित बेहतर प्रतिचयन तकनीकें और आकलन प्रक्रियाएं विकसित करने के लिए कार्य प्रणालीगत अध्ययन और प्रायोगिक सर्वेक्षण करना ।

II. कार्यक्रम कार्यान्वयन स्कंध

18. बीस सूत्री कार्यक्रम पर निगरानी रखना ।
19. ₹150 करोड़ अथवा उससे अधिक धनराशि की परियोजनाओं पर निगरानी रखना।
20. आधारी संरचना क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन पर निगरानी रखना ।
21. संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना (एमपीलैडस) ।
22. अन्य मंत्रालयों/विभागों को आबंटित क्षेत्रक नीतियों को छोड़कर राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम से संबद्ध नीतिगत मुद्दे और समन्वय करना ।

*****

बजट अनुमान (एसबीई) का विवरण-वार्षिक योजना 2018-19

मंत्रालय/विभाग: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

(रू. करोड़ में)

क्र.सं.	स्कीम	वार्षिक योजना 2018-19 (बीई))			पूर्वोत्तर राज्यों के लिए निर्धारित परिव्यय 2018-19 (बीई)
		सकल बजट सहायता (जीबीएस)	आंतरिक एवं बाह्य बजट संचालन (आईईबीआर)	कुल	
1	2	3	4	5	6
(क) केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें (सीएस)					
1	क्षमता विकास	208.00	0.00	208.00	20.80
2	भारतीय सांख्यिकी संस्थान, कोलकाता को सहायता अनुदान	279.42	0.00	279.42	4.10
कुल (क)		**487.42**	**0.00**	**487.42**	**24.90**
(ख) ब्लॉक अनुदान					
1	संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना	3950.00	0.00	3950.00	0.00
कुल (क+ख)		**4437.42**	**0.00**	**4437.42**	**24.90**

<u>अनुबंध-III-ख</u>

क. उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए 2017-18 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

रु. लाख में

<table>
<tr><th rowspan="2">योजना स्कीम का नाम</th><th colspan="3"><u>2017-18 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान</u></th><th rowspan="2">उत्तर पूर्वी राज्य</th><th rowspan="2">व्यय</th></tr>
<tr><th>बीई</th><th>आरई</th><th>वास्तविक व्यय</th></tr>
<tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td></tr>
<tr><td>1. क्षमता विकास (कुल)</td><td>1680.00</td><td>1680.00</td><td>1243.81</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="5">(क) क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान)</td><td rowspan="5">1480.00</td><td rowspan="5">1480.00</td><td rowspan="5">1079.89</td><td>अरूणाचल प्रदेश</td><td>399.35</td></tr>
<tr><td>मणिपुर</td><td>258.45</td></tr>
<tr><td>मिजोराम</td><td>121.16</td></tr>
<tr><td>सिक्किम</td><td>40.16</td></tr>
<tr><td>त्रिपुरा</td><td>224.69</td></tr>
<tr><td rowspan="2">(ख) सांख्यिकी सुदृढ़ीकरण हेतु सहायता</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>सिक्किम</td><td>124.25</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td>मिजोरम</td><td>75.75</td></tr>
<tr><td>2. आईएसआई, कोलकाता को सहायता अनुदान, कोलकाता</td><td>800.00</td><td>200.00</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>कुल योग</td><td>2480.00</td><td>1880.00</td><td>1279.89</td><td></td><td></td></tr>
</table>

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए 2018-19 (बीई और आरई) हेतु कुल योजना सकल बजटीय सहायता (जीबीएस)

रु. लाख में

योजना स्कीम का नाम	2018-19 के दौरान उत्तर पूर्व क्षेत्र के लिए प्रावधान			उत्तर पूर्वी राज्य	व्यय
	बीई	आरई	वास्तविक व्यय		
1	2	3	4	5	6
1. क्षमता विकास (एनएसएसओ का क्षमता विकास - उत्तर पूर्व क्षेत्र में केंद्रीय एनएसएस प्रतिदर्श कार्य के क्रियान्वयन हेतु राज्यों को सहायता अनुदान)	2080.00	2080.00	2670.15	अरूणाचल प्रदेश	368.38
				मणिपुर	258.88
				मिजोरम	80.97
				सिक्किम	117.80
				त्रिपुरा	290.63
				नागालैंड	178.20
				मेघालय	363.54
				असम	1011.75
2. आईएसआई कोलकाता को सहायता अनुदान(*)	410.00	410.00	410.00		
कुल योग	2490.00	2490.00	3080.15		

अप्रैल, 2017 से मार्च, 2018 के दौरान बीस सूत्री कार्यक्रम-2006 के अन्तर्गत मासिक प्रबोधित मदों का निष्पादन

क्र.सं.	मद का नाम	ईकाई	लक्ष्य	उपलब्धियां	लक्ष्य के संदर्भ में प्रतिशत उपलब्धियां
			अप्रैल, 2017-मार्च, 2018	अप्रैल, 2017-मार्च, 2018	
1	2	3	4	5	6
एमजीएनआरईजीएस के अंतर्गत सृजित रोजगार					
1	जारी जॉब कार्डों की सं.	000 संख्या	@	30115	-
2	सृजित रोजगार	000 श्रम दिवस	@	2165411	-
3	दी गई मजदूरी	लाख रूपए	@	3918964	-
राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम)					
4	वित्तीय वर्ष के दौरान प्रमोट किए गए एसएचजी की संख्या (नए तथा पुनर्जीवित*)	संख्या	691650	791850	114
5	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें चक्रीय निधि (आरएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	473422	484499	102
6	वित्तीय वर्ष के दौरान उन एसएचजी की संख्या जिन्हें सामुदायिक निवेश निधि (सीआईएफ) उपलब्ध कराई गई	संख्या	304347	250185	82
भूमिहीनों को बंजर भूमि का वितरण					
7	वितरित भूमि	हेक्टेयर	@	3793	-
न्यूनतम मजदूरी प्रवर्तन (फॉर्म श्रमिकों सहित)					
8	किए गए निरीक्षणों की संख्या	संख्या	@	184660	-
9	पता लगाई गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	8051	-
10	दूर की गई अनियमितताओं की संख्या	संख्या	@	8815	-
11	फाइल किए गए दावों की संख्या	संख्या	@	553	-
12	निपटाए गए दावों की संख्या	संख्या	@	540	-
13	लंबित अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	4661	-
14	फाइल किए गए अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	877	-
15	निर्णीत अभियोजन मामलों की संख्या	संख्या	@	721	-
खाद्य सुरक्षा : लक्षित जन वितरण प्रणाली (टीपीडीएस)					
16	**खाद्य सुरक्षा: टीपीडीएस (एपीएल+बीपीएल+एएवाई)**	टन	55286066	54049081	98
खाद्य सुरक्षा: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)					
17	**एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा: सामान्य**	52497223	51220458	98	52497223
18	**एनएफएसए के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा: टाइड ओवर**	2788843	2828624	101	2788843
ग्रामीण आवास - प्रधान मंत्री आवास योजना (ग्रामीण)					
19	निर्मित आवासों की संख्या	संख्या	3230293	3867343	120
शहरी क्षेत्रों में ईडब्ल्यूएस/एलआईजी आवास					
20	निर्मित आवासों की संख्या	संख्या	238024	249155	105
राष्ट्रीय ग्रामीण पेय जलापूर्ति कार्यक्रम (एनआरडीडब्ल्यूपी)					

21	आंशिक रूप से शामिल बसावटें	संख्या	59770	17928	30
22	जल गुणवत्ता प्रभावित बसावटों की कवरेज	संख्या	9000	5466	61
ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता कार्यक्रम					
23	निर्मित व्यक्तिगत पारिवारिक शौचालयों की संख्या	संख्या	@	30326535	-
सांस्थानिक प्रसव					
24	संस्थानों में प्रसवों की संख्या	संख्या	@	16625868	-
सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवारों की संख्या					
25	एससीए के अंतर्गत एससीएसपी व एनएसएफडीसी वाले सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति परिवार	संख्या	181000	1028663	568
26	मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के अंतर्गत सहायता प्राप्त अनुसूचित जाति के छात्र	संख्या	@	4201287	-
आईसीडीएस योजना को सभी जगह लागू करना					
27	चालू किए गए आईसीडीसी ब्लॉक (संचयी)	संख्या	7075	7074	100
क्रियाशील आंगनवाड़ियां					
28	क्रियाशील आंगनवाड़ियों (संचयी)	संख्या	1400000	1343339	96
सात सूत्री चार्टर अर्थात् भूमि का पट्टा, वहन योग्य लागत पर आवास, जल, साफ-सफाई, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवारों की संख्या					
29	सात सूत्री चार्टर के तहत सहायता प्राप्त शहरी निर्धन परिवार	संख्या	@	1510669	-
वनीकरण					
30	वृक्षारोपण के अंतर्गत शामिल क्षेत्र (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	हेक्टेयर	1472510	1688507	115
31	रोपित पौध (सार्वजनिक एवं वन भूमि)	संख्या लाख	9571	10731	112
प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)					
32	निर्मित सड़क की लंबाई	किलोमीटर	51000	48749	96
दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई)					
33	विद्युतीकृत गांव	संख्या	4492	3736	83
पंपसेटों को बिजली					
34	बिजली प्रदान किए गए पंपसेटों की संख्या	संख्या	432859	596134	138
विद्युत आपूर्ति					
35	आपूर्ति विद्युत	मिलियन यूनिट	1192151	1183666	99
@ कोई लक्ष्य तय नहीं किया गया था					

अनुबंध-V

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
अप्रैल 2018				
	इस्पात			
1	बीएसएल में वैकल्पिक गैस नेटवर्क स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) [एन12000093]	255.19	03/2018	177.21
	पेट्रोलियम			
2	एननोर टर्मिनल (भारत पेट्रोलियम कोर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000224]	393.00	04/2018	281.45
	विद्युत			
3	उत्तरी क्षेत्र में फाइबर ओप्टिक कम्यूनिकेशन की स्थापना (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड) - [एन18000123]	198.63	09/2014	127.13
4	पश्चिम एवं पूर्व क्षेत्र में (भाग-ग)अंतर क्षेत्रीय प्रणाली सुदृढ़ीकरण योजना (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000179]	6,517.36	04/2018	3,772.80
5	एसएस वेमगिरी 400 केवी में 400 केवी बेयस एक्सटेंशनों के कमियों को हटाना (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000210)	207.88	07/2018	17.00
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
6	एम्स -आरएई बरेली -आवास (होस्पिटल सर्विसेस कंसल्टेंसी कॉर्पोरेशन लिमिटेड [एन10000006]	159.50	11/2013	158.65
	रेलवे			
7	विद्युतीकरण के साथ विल्लुपुरम -डिंडीगुल (रेल विकास निगम लिमिटेड)-(एन22000189)	822.39	-	1,713.20
8	नई कूचबिहार से समुक्तला (उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे)- (एन 22000197)	209.77	-	620.04
9	देलंग -पूरी दोहरीकरण (ईस्ट कोस्ट रेलवे)-(22000320)	165.16	03/2015	226.35
10	पोनमलई से पहले बाई पास लाइन के साथ तंजावूर-पोनमलई (1.13 किमी) (रेल विकास निगम लिमिटेड) [एन 22000322]	190.10	-	320.41

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
	सड़क परिवहन तथा राजमार्ग			
11	तालेगाव -अमरावती पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000140]	567.00	11/2013	1,055.94
12	मुरादाबाद -बरेली पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000140]	1,267.00	06/2013	2,667.96
	शिप्पिंग एवं पतन			
13	कामराजपुर पोर्ट लिमिटेड में कोयला बर्थ-3 के निर्माण (एन्यूटी) (कामराजर पोर्ट लिमिटेड - (एन25000065)	198.94	06/2017	255.02
14	कामराजपुर पोर्ट लिमिटेड में कैपिटल ड्रेड्जिंग चरण-III (कामराजपुर पोर्ट लिमिटेड)[एन18000153]	274.85	04/2017	251.64
	शहरी विकास			
15	करवार में आईआईटी कानपूर (चरण-I) के लिए स्थाई आवास का विकास, एनएच-65, जोधपुर, राजस्थान केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाएं (केंद्रीय सार्वजनिक कार्य विभाग) [एन 2900001]	350.02	03/2015	452.35
	मई, 2018			
	पेट्रोलियम			
16	20 फीडर गैस लाइन (ऑइल इंडिया लिमिटेड) [एन16000192]	228.64	12/2016	149.73
17	पाराद्वीप रिफाइनरी में पेटकोक निकास परियोजना (इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000201]	238.50	03/2017	203.98
18	छह लाइन प्रतिस्थापन परियोजना केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएं (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000214]	181.02	01/2017	174.88
19	गुजरात रिफाइनरी में फ्यूल गुणवत्ता उन्नयन (डीएचडीटी/डीएचडीएस) परियोजना(इंडियन ऑल कॉरपोरेशन लि.) [एन16000245]	931.00	07/2017	684.74
	विद्युत			
20	पारे जल विद्युत परियोजना (नॉर्थ ईस्ट इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन [एन18000045]	573.99	08/2013	1,637.60
	रेलवे			

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	परियोजना का नाम	मूल लागत (₹ करोड़)	शुरू करने की मूल तारीख	संचयी व्यय (₹ करोड़)
21	गड़वाल -रायचूर (एनएल) एससीआर (दक्षिण केंद्रीय रेलवे) [220100270]	92.63	02/2011	319.43
22	जग्गयापेट-मेललचेरुवु (दक्षिण केंद्रीय रेलवे)[220000304]	313.24	01/1999	578.00
	जून 2018			
	विद्युत			
23	ग्रीन एनर्जी कोरिडोर्स इंटर स्टेट ट्रांसमिशन स्कीम (आईएसटीएस)-भाग-ए (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड [एन180000197]	1,479.30	04/2017	897.12
24	दक्षिण क्षेत्र में परिवर्तन क्षमता का उन्नयन, (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड [एन180000237]	167.75	04/2019	86.62
	रेलवे			
25	रांची-लोहारडागा (जीसी) एसईआर (दक्षिण पूर्वी रेलवे) [220100214]	194.07	06/2004	194.07
26	भोपाल बिना तीसरी लाइन दोहरीकरण (रेल विकास निगम लिमिटेड)	687.20	03/2010	1,033.77
	जुलाई 2018			
	इस्पात			
27	भिलाई इस्पात प्लांट के विस्तार (स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल) [एन12000057]	17,265.00	03/2013	19,855.23
	पेट्रोलियम			
28	सी -26 क्लेस्टर क्षेत्रों के विकास (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000133]	2,592.17	05/2014	2,049.26
29	जीजीएस -नाडा में एक ईटीपीएस के निर्माण (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000134]	200.69	07/2014	109.58
30	मेहसाणा में तीन ईटीपीसों का निर्माण (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000214]	260.74	11/2014	83.44
31	पाइपलाइन प्रतिस्थापन परियोजना, अहमदाबाद (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000159]	202.25	07/2016	130.21
32	वासिष्टा तथा एस 1 क्षेत्रों में एकीकृत विकास (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000172]	4,124.35	04/2016	5,347.49

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
33	एमएच उत्तर पुनर्विकास चरण III (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000188]	5,706.47	05/2017	5,724.54
34	सोनामुरा जीजीएस और पाइप लाइन परियोजना त्रिपुरा-क में 5.1 एमएमएमसीएमडी गैस के उत्पादन के लिए समग्र योजनाओं के भाग (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000246]	215.38	06/2017	198.98
	विद्युत			
35	बोकारो ताप विद्युत स्टेशन-क (दामोदर वाली कॉर्पोरेशन [एन18000199]	2,313.00	12/2011	3,965.00
36	रघुनाथपुर ताप विद्युत स्टेशन चरण-I (दामोदर वाली कॉर्पोरेशन [एन18000202]	4,122.00	02/2011	8,479.00
	सितंबर 2018			
	पेट्रोलियम			
37	मनाली रिफ़ाइनेरी तक नए कच्चा तेल पाइपलाइन परियोजना मनाली रिफाइनरी से चेन्नई पोर्ट तक (चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000199]	257.87	11/2016	243.30
38	नवागम -कोयाली पाइपलाइन परियोजना केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजना (ऑयल एंड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000211]	195.63	09/2018	174.68
39	कोचची रिफाइनरी में संबंधित सुविधाओं के साथ हीट ट्रेस्ड पाइपलाइन को बिछाना (भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड) [एन16000264]	337.06	08/2018	167.16
	विद्युत			
40	आंध्र प्रदेश भाग-ग में श्रीकाकुलम क्षेत्र में ईस्ट कोस्ट तथा एनसीसी विद्युत परियोजनाओं से संबंधित सामन्य प्रणाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000143]	514.20	06/2015	605.50
41	दक्षिण क्षेत्रीय ग्रिड में प्रणाली सुदृढ़ीकरण पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000169]	288.49	02/2017	276.10
42	कर्नाटक चरण-I में तमकुरा (पवागडा) में अल्ट्रा मेगा सोलार पवर के लिए पारेषण प्रणाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000220]	810.48	12/2018	528.50
43	एनटीपीसी (भाग -क) केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं के गदरवा एसटीपीएस (2X800 मेगावाट) के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000254]	2,525.00	11/2017	2,015.38

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
44	एनटीपीसी (भाग -ख) केंद्रीय क्षेत्रीय परियोजनाओं के गदरवा एसटीपीएस (2X800 मेगावाट) के साथ जुड़े पारेषण प्रणाली पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) [एन18000255]	2,225.00	01/2018	1,655.02
	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग			
45	चंबल पुल एनएच -76(राजस्थान-5 (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000068]	275.00	02/2010	252.25
46	देओली कोटा पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000148]	593.00	07/2013	1,073.73
47	खगरिया पीएस -पूर्णिया पीपीपी के साथ 2 लाइनिंग (अनन्यूटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000184]	664.00	02/2014	654.59
48	भीलवाड़ा पीएस -लोदपुरा सेक्शन के साथ 2 लाइनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000240]	240.10	03/2016	194.69
49	बाड़मेर डबल लेन पेव्ड शोल्डर–संचोर—गुजरात सीमा (गंधव पुल तक) सैक्शन-एन (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000337]	538.08	02/2018	335.24
50	जैसलमर -बाड़मेर (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000348]	482.27	02/2018	308.83
51	एनएच-114 के जोधपुर -पोखरान सेक्शन के पेव्ड शोल्डर्स के साथ दो लाइन (नई एनएच सं -50) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000352]	455.60	07/2017	202.68
52	पैकेज-1 के जोधपूर -बाड़मेर सेक्शन (पैकेज-1) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000354]	264.72	04/2017	98.18
53	उत्तर प्रदेश /हरियाणा सीमा -यमुना नगर -साहा -बरवाला -पंचकुला (पैकेज-2) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000358]	562.34	04/2018	109.07
54	छह लाइन पूर्वी पेरिफरल एक्सप्रेसवे का विकास (पैकेज-VI) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000433]	768.56	03/2018	774.99
55	छह लाइन पूर्वी पेरिफरल एक्स्प्रेसवे का विकास (पैकेज-V) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000436]	664.53	03/2018	702.97
56	छह लाइन पूर्वी पेरिफरल एक्स्प्रेसवे का विकास (पैकेज-IV) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000440]	789.31	03/2018	867.54
57	ओडिशा /छत्तीसगढ़ सीमा-औरंग सेक्शन के चार लैनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000481]	1,232.00	08/2015	1,091.17

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
58	एनएच-21 के खरर -खुरली के चार लैनिंग (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000484]	239.23	12/2017	123.47
59	कैथल -राजस्थान सीमा के चार लैनिंग पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000487]	1,393.00	-	1,917.40
60	शिवपुरी -गुना के चार लाइनिंग पैकेज-1पीपीपी (बीओटी) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000500]	830.36	07/2018	326.23
61	उत्तर प्रदेश /हरियाणा सीमा -यमुना नगर -साहा -बरवाला -पंचकुला (पैकेज-1) (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण)- [एन24000597]	600.85	05/2018	109.84
	अक्तूबर 2018			
	<u>कोयला</u>			
62	नवेली सोलर पॉवर प्रोजेक्ट 130 मेगावाट (नवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन) - [एन06000151]	687.28	06/2017	758.30
	<u>पेट्रोलियम</u>			
63	डीजल जलविद्युत केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएँ (न्यूमालीहारा लिमिटेड) - [एन16000207]	1,031.37	01/2018	562.77
	<u>रेलवे</u>			
64	बिजली के साथ उधना-जलगांव (डबलिंग) (परे) (वेस्टर्न रेल) - [एन22000122]	1,389.62	03/2014	2,140.08
	<u>रोड परिवहन एवं राजमार्ग</u>			
65	पडी-दाहोड (भारत का राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000353]	279.14	05/2017	212.40
	दूरसंचार			
66	उत्तर प्रदेश (पूर्व) एकॉट लॉट 1 (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000112]	169.45	08/2018	78.34
	शहरी विकास			

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
67	1003 नं. 900 नं. टाइप 2 और 54 नं. टाइप3 और 33 नं. टाइप3 और 33 नं. टाइप 5 और 16 नं. टाइप 5 फेमिली ईपीसी (केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग) का निर्माण - [एन28000095]	164.00	11/2018	123.90
	नवंबर 2018			
	नागर विमानन			
68	पकयोंग (सिक्किम) हवाई अड्डे पर नए हवाई अड्डे का निर्माण (भारतीय नागर विमानन प्राधिकरण लि.)-[एन04000050]	309.46	01/2011	546.69
	पेट्रोलियम			
69	मुंबई रिफाइनरी में असिंचित सुविधाओं के साथ हीट ट्रेस्ड पाइप लाइन की मरम्मत (भारत पेट्रो कॉर्पोरेशन लिमिटेड) - [एन16000262]	193.40	01/2019	106.79
	रेलवे			
70	गोएलकेरा -मनोहरपुर, (एलडी)(एसईआर) (रेल विकास निगम लि.) - [एन22000045]	261.70	02/2006	393.23
71	टिनपहाड़ – साहिबगंज (ईआर) (पूर्वी रेलवे) - [एन22000115]	167.73	03/2012	238.53
72	बंदेल - नेहाटी नई रेल ब्रिज के नं। (ईआर) (ईस्टर्न रेलवे) के निर्माण में नया मार्ग - [एन22000119]	207.52	12/2012	335.35
73	विरमगाम-सुरेन्द्रनगर (डीएल) (परे) - [एन22000146]	279.40	-	334.93
74	प्लासी-जियागंज डबलिंग (पूर्वी रेलवे) - [एन22000220]	248.07	03/2015	266.25
75	सेनथिया -तारापिथ तीसरी लाइन (पूर्वी रेलवे) - [एन22000237]	193.44	-	280.68
76	कटवा-पातुली अहमदपुर-कटवा जीसी (पूर्वी रेलवे) के लिए नए एमएम के साथ प्रदर्शन - [एन22000245]	423.66	03/2017	652.79
	दूरसंचार			

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
77	महाराष्ट्र एक्सेस (लॉट 1) केंद्रीय क्षेत्र परियोजना (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000109]	212.70	05/2018	37.25
78	गुजरात एक्सेस (लॉट 1) केंद्रीय क्षेत्र परियोजना (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000111]	171.54	05/2018	72.46
	शहरी विकास			
79	प्लॉट नंबर सी- 41-43 जी ब्लॉक बांद्रा (केंद्रीय लोक निर्माण विभाग) पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए कार्यालय का निर्माण - [एन28000068]	241.33	03/2016	357.50
	दिसंबर 2018			
	कोयला			
80	राजमहल ओसी एक्स. (ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड) - [एन06000056]	153.82	03/2014	131.07
	पेट्रोलियम			
81	पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइप लाइन (भारतीय तेल निगम लिमिटेड) - [एन16000148]	913.00	06/2018	1,323.53
82	पाइप लाइन रिप्लेसमेंट परियोजना -4 (तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड) - [एनजीटी 2000000]	2,899.93	05/2017	2,183.66
83	अंकलेश्वर बरोदा पाइप लाइन परियोजना (गेल) - [एन16000232]	199.95	03/2018	156.83
	विद्युत			
84	पलटना जीबीपीपी और बीपीटीएस के साथ जुड़ी संचरण प्रणाली। (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000080]	2,144.00	12/2012	2,669.96
85	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना- III (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000100]	1,272.80	11/2012	1,473.05
86	वेस्टर्न रीजन (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) में स्टेटकॉम की स्थापना - [एन18000185]	1,071.24	09/2017	649.26

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
87	12वीं योजना अवधि के दौरान दिल्ली एनसीटी (पार्ट-बी1) (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) में 400 / 220 केवी सबस्टेशन का निर्माण - [एन18000195]	780.33	10/2018	499.05
88	ग्रीन एनर्जी कोरीडोर्स : इंटर स्टेट ट्रांसमिशन योजना (आईएसटीएस) – पार्ट-सी (पावर ग्रिड कॉर्पोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000200]	2,247.37	07/2018	1,531.89
89	एनटीपीसी (पार्ट बी) (पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के विंध्याचल-वी परियोजना के साथ जुड़े ट्रांसमीशन सिस्टम के लिए एस / एस विस्तार - [एन18000221]	287.99	06/2018	164.22
90	पूर्वी क्षेत्र सुदृढ़ीकरण योजना XIV (पावर ग्रिड कॉर्पोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000224]	167.01	11/2018	119.23
91	उत्तरी क्षेत्र (पावर ग्रिड कॉर्पोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) में श्रृंखला रिएक्टर उपलब्ध कराना- [एन18000232]	177.52	02/2019	87.48
92	नागापट्टीनम/कुड्डलोर क्षेत्र के आईपीपीएस के साथ प्रसारण प्रणाली एक केंद्रीय क्षेत्र की परियोजनाएं (पावर ग्रिड कॉर्पोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000253]	955.00	12/2015	1,247.66
93	विन्ध्याचल वी सेंट्रल सेक्टर प्रोजेक्ट्स (भारत के पावर ग्रिड कॉर्पोरिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) के साथ जुड़े ट्रांसमिशन सिस्टम की संरचना - [एन18000256]	1,750.00	06/2018	1,335.04
	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण			
94	एनसीआई एम्स झज्जर रेजिडेंशियल हरियाणा (हास्पिटल सर्विसेज कंसल्टेंसी कॉरपोरेशन लि.) - [एन21000014]	312.99	08/2018	318.00
	रेलवे			
95	ब्रह्मपुत्र बोगीबिल ब्रिज और लिंक लाइन एनएफईआर(उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे) - [220100201]	3,230.02	04/2008	5,298.09
96	रानी-मारवाड़ जंक्शन पैच डबलिंग (उत्तर पश्चिम रेलवे) - [एन22000156]	288.97	11/2018	315.60
97	नई कूचबिहार-गुमनीहाट पैच डबलिंग परियोजना (उत्तर पूर्वी फ्रंटियर रेलवे) - [एन22000198]	283.55	03/2019	480.81

2018-2019 के दौरान ₹150 करोड़ तथा अधिक लागत वाली पूरी की गई परियोजनाओं की माह-वार सूची				
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**मूल लागत (₹ करोड़)**	**शुरू करने की मूल तारीख**	**संचयी व्यय (₹ करोड़)**
98	बोवईचांदी खाना 24 से नई लाइन के विस्तार के लिए बांकुरा दामोदर घाटी नदी 96 किमी (दक्षिण पूर्व रेलवे) - [एन22000491]	1,027.40	03/2022	195.00
	रोड परिवहन एवं राजमार्ग			
99	मैबांग से लुमडिंग (एएस-27), 40.000 किमी से 60.500 किमी. (भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [240106281]	200.00	04/2009	248.60
100	जालंधर - अमृतसर (भारत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) - [एन24000351]	523.85	01/2016	170.68
	दूरसंचार			
101	महाराष्ट्र नोडल (लॉट 1) केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएं (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000107]	159.30	04/2018	60.27
	जनवरी 2019			
	विद्युत			
102	प्रसारण प्रणाली को अलूस्टंग (श्रीनगर) के साथ जोड़ा गया है - द्रास- कारगिल-खालस्ती-लेह परियोजना (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन1852215]	1,788.41	09/2017	1,727.37
103	पश्चिम क्षेत्र सुदृढीकरण योजना - XVI (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000229]	150.99	07/2018	97.16
104	400केवी डी/सी तिस्ता III – किशनगंज प्रसारण लाइन (जेवी) (पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड) - [एन18000270]	771.00	02/2013	1,577.20
	रेलवे			
105	पेडापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद एनएल (एससीआर) (दक्षिण केंद्रीय रेलवे) - [220100106]	124.43	-	1,022.21
106	गुलबर्गा-बिदर, एससीआर (एनएल) (दक्षिण मध्य रेलवे) - [220100254]	242.42	-	1,172.64
	दूरसंचार			
107	महाराष्ट्र कोर (लॉट 1) केंद्रीय क्षेत्र परियोजनाएं (भारत संचार निगम लिमिटेड) - [एन26000108]	167.68	04/2018	32.44

अनुबंध- VI

अधिसंरचनात्मक क्षेत्र निष्पादन
मुख्य-मुख्य बातें
अप्रैल 2018 - जनवरी 2019
और गत तीन वर्षों (अप्रैल-जनवरी) की अवधि के दौरान प्राप्त वृद्धि

क्रम सं.	क्षेत्र	उपलब्धि					वृद्धि प्रतिशत			
		अप्रैल 2014-जनवरी 2015	अप्रैल 2015-जनवरी 2016	अप्रैल 2016-जनवरी 2017	अप्रैल 2017-जनवरी 2018	अप्रैल 2018-जनवरी 2019	अप्रैल 2015-जनवरी 2016	अप्रैल 2016-जनवरी 2017	अप्रैल 2017-जनवरी 2018	अप्रैल 2018-जनवरी 2019
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
1	विद्युत (बीयू)	933.698	977.817	1038.616	1094.152	1157.998	4.73	6.22	5.35	5.84
2	कोयला (एमटी)	483.136	507.647	520.723	526.805	568.680	5.07	2.58	1.17	7.95
3	इस्पात (तैयार इस्पात) (एमटी)	84.094	84.557	95.854	104.562	109.169	0.55	13.36	9.08	4.41
4	सीमेंट (एमटी)	224.51	230.87	233.06	245.06	275.69	2.83	0.95	5.15	12.50
5	उर्वरक (एमटी)	13.748	14.785	15.160	15.146	14.857	7.54	2.54	-0.09	-1.91
6	पेट्रोलियम									
	i) कच्चा तेल (एमटी)	31.359	30.984	30.121	29.911	28.785	-1.20	-2.79	-0.70	-3.76
	ii) रिफाइनरी (एमटी)	186.360	191.977	204.999	210.734	214.626	3.01	6.78	2.80	1.85
	iii) प्राकृतिक गैस (एमसीएम)	28286	27145	26624	27383	27492	-4.03	-1.92	2.85	0.40
7	**सड़कें #**									
	राजमार्गों को चौड़ा करना एवं सुदृढीकरण									
	i) एनएचएआई (कि.मी)	1105.00	1532.00	2008.00	2073.00	2316.00	38.64	31.07	3.24	11.72
	ii) राज्य पीडब्ल्यूडी तथा बीआरओ (कि.मी)	946.16	1159.88	1772.53	2778.41	4392.08	22.59	52.82	56.75	58.08
8	**अर्जित रेलवे राजस्व (एमटी)** **माल भाड़ा आवाजाही**	906.37	914.80	908.62	953.50	1003.57	0.93	-0.68	4.94	5.25
9	**पोत परिवहन एवं पत्तन**									
	i) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कार्गो (एमटी)	483.018	499.686	536.417	561.392	578.858	3.45	7.35	4.66	3.11
	ii) प्रमुख पत्तनों पर संचालित कोयला (एमटी)	97.206	127.348	117.865	113.917	134.328	31.01	-7.45	-3.35	17.92
10	**नागर विमानन**									
	i) प्रमुख विमानपत्तन पर संचालित निर्यात कार्गो (टन)	771232	805351	892823	1028015	1054940	4.42	10.86	15.14	2.62
	ii प्रमुख विमानपत्तन पर (टन) संचालित आयात कार्गो	511562	561469	621697	752920	783367	9.76	10.73	21.11	4.04
	iii) अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही (लाख)	423.135	453.735	493.586	543.178	579.855	7.23	8.78	10.05	6.75
	iv अंतर्राज्यीय टर्मिनल पर यात्रियों की आवाजाही (लाख)	1150.162	1382.682	1707.341	1995.746	2310.009	20.22	23.48	16.89	15.75

11	**दूरसंचार**									
	i) स्विचिंग क्षमता में वृद्धि (फिक्सड प्लस वॉयरलेस= जीएसएम)	3687.956	3543.793	4753.885	-526.337	-760.419				
	ii) न्यू नेट फिक्सड/वायरलाइन कनेक्शन ('000 नं.)	-1631.184	-1274.842	-881.153	-1331.344	-1017.148				
	iii) न्यू नेट सेलफोन (वायरलेस+जीएसएस) कनेक्शन ('000 नं.)	47735.372	48937.395	116777.442	-18500.098	6867.681				

बीयु : बिलियन यूनिट एमसीएम : मिलियन क्यूबिक मीटर

एमटी: मिलियन कि.मी. : किलोमीटर

: इसमें केवल चार/छठ/आठ लेन और दो लेन बनाकर चौड़ा करना तथा मौजूदा कमजोर मार्गों का सुदृढ़ीकरण शामिल है।

अनुबंध-VII

सीएसओ/एनएसएसओ तथा पीआई स्कंध के विभिन्न प्रभागों द्वारा जारी किए जा रहे प्रकाशनों की सूची

क. बीस सूत्री कार्यक्रम प्रभाग

क्र.सं.	प्रकाशन	अवधि	महीना/वर्ष
1	बीस सूत्री कार्यक्रम 2006 संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्ट	तिमाही	चार प्रगति रिपोर्टें (2017-18)

ख. I. राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय

एनएसएस रिपोर्ट सं. 580 एनएसएस 72वें दौर पर आधारित	भारत में घरेलू पर्यटन
एनएसएस रिपोर्ट सं. 581 एनएसएस 73वें दौर पर आधारित	भारत में अनिगमित, गैर-कृषिय उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की कार्यात्मक विशेषताएं
एनएसएस रिपोर्ट सं. 582 एनएसएस 73वें दौर पर आधारित	भारत में अनिगमित, गैर-कृषिय उद्यमों (निर्माण को छोड़कर) की आर्थिक विशेषताएं

II. सर्वेक्षण

- 'सर्वेक्षण' का 105वां और 106ठा अंक मुद्रित हो चुका था और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया गया है ।

III. पूलिंग केंद्रीय और राज्य प्रतिदर्श आंकडों के सभी पद्धतिय पहलुओं को कवर करने वाला मैनुअल ।

IV. जनवरी-मार्च 2018, अप्रैल-जून 2018, जुलाई-सितंबर 2018 और अक्तूबर 2018 - दिसंबर 2018 तिमाहियों के लिए आरपीसी बुलेटिन (ग्रामीण भारत में मूल्य और मजदूरी) क्रमश: जून, सितंबर, दिसंबर 2018 और मार्च 2019 के दौरान जारी किए गए ।

ग. वर्ष 2018-19 में सामाजिक सांख्यिकी प्रभाग के प्रकाशनों की सूची

1.	भारत में स्त्री और पुरूष 2017	वार्षिक	जनवरी 2018	स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेना, महिला सशक्तिकरण में सामाजिक बाधाएं इत्यादि पर स्त्री पुरूष विसमूहन आंकडें ।
2.	एनवी स्टैटस इंडिया	वार्षिक	मार्च 2018	पर्यावरण संबंधी सांख्यिकी ।
3.	भारत में बच्चे -एक सांख्यिकीय मूल्यांकन 2018	तदर्थ	अप्रैल 2018	प्रकाशन भारत में बच्चों की स्थिति पर समेकित तथा अद्यतन सांख्यिकी प्रदान करता है ।

4.	भारत में आंक़डें 2018-एक सांख्यिकीय मूल्यांकन	वार्षिक	जून 2018	प्रकाशन सामाजिक-आर्थिक संकेतकों,गरीबी, अवसंरचना, शिक्षा, स्वच्छता, ऊर्जा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों की वृहद् विभिन्नताओं को सम्मिलित करते हुए आंकडों का स्नैपशॉट्स को कवर करता है ।
5.	एनवी स्टैटस इंडिया - पर्यावरण लेखे	वार्षिक	सितंबर 2017	पर्यावरण संबंधी सांख्यिकी ।
6.	सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) राष्ट्रीय संकेतक फ्रेमवर्क (एनआईएफ) बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16	वार्षिक	मार्च 2019	यह अनंतिम एसडीजी एनआईएफ बेसलाइन रिपोर्ट 2015-16 आंकड़ों का स्नैपशॉट्स, स्त्रोत, मेटाडाटा तथा राष्ट्रीय संकेतकों को कवर करता है ।
7.	सार्क सामाजिक चार्टर-भारत देश रिपोर्ट 2018	द्विवार्षिक	मार्च 2019	वैकल्पिक वार्षिक आधार पर प्रकाशित, सार्क के मूल लक्ष्यों के अनुपालन में सामाजिक और आर्थिक विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने में प्राप्त सफलता को मापने के लिए सांख्यिकीय उपकरण प्रदान करना ।
8.	एनवी स्टैटस इंडिया 2019; खंड I-पर्यावरण सांख्यिकी	वार्षिक	मार्च 2019	पर्यावरण सांख्यिकी ।
9.	भारत 2018 में महिलाएं व पुरूष	वार्षिक	मार्च 2019	स्वास्थ्य, शिक्षा,अर्थव्यवस्था में भागीदारी, निर्णय लेना, महिला सशक्तिकरण इत्यादि पर सामाजिक बाधाएं जैसे विभिन्न सामाजिक आर्थिक पहलुओं पर अलग-अलग आंकड़ें ।

घ. अनुसंधान एवं प्रकाशन एकक

अनुसंधान और प्रकाशन एकक नियमित तौर निम्नलिखित प्रकाशन निकालता है:

(i) सांख्यिकीय वार्षिक पुस्तिका, भारत– वार्षिक
(ii) आंकड़ों में भारत- एक सुलभ संदर्भ–वार्षिक

<u>ड. राष्ट्रीय लेखा प्रभाग</u>

क्र.सं.	प्रकाशन/जारी आंकड़े/रिपोर्ट का विवरण	जारी करने का तरीका
1.	राष्ट्रीय आय 2018-19 का प्रथम अग्रिम अनुमान	प्रेस विज्ञप्ति
2.	राष्ट्रीय आय, उपभोक्ता व्यय, संचय और पूंजी निर्माण 2017-18 के प्रथम संशोधित अनुमान	प्रेस विज्ञप्ति
3.	राष्ट्रीय आय 2018-19 के द्वितीय अग्रिम अनुमान और तीसरी तिमाही (अक्तूबर-दिसंबर) 2017-18 के लिए सकल घरेलू उत्पाद के तिमाही अनुमान	प्रेस विज्ञप्ति
4.	वार्षिक राष्ट्रीय आय 2017-18 के अनंतिम अनुमान और 2017-	प्रेस विज्ञप्ति

	18 की चौथी तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के तिमाही अनुमान	
5.	नए आधार वर्ष 2011-2012 (2011-12 से 2016-17), 2019 के साथ कृषि और सहयोगी क्षेत्रों से उत्पादन मूल्य के राज्यवार और मदवार अनुमान	ई-प्रकाशन
6.	राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी - 2019	ई-प्रकाशन
7.	वर्ष 2018-19 की प्रथम तिमाही (अप्रैल-जून) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	प्रेस विज्ञप्ति
8.	वर्ष 2018-19 की द्वितीय तिमाही (जुलाई-सितंबर) के लिए सकल घरेलू उत्पाद के अनुमान	प्रेस विज्ञप्ति
9.	भारत में पे-रोल रिपोर्टिंग: एक रोजगार परिदृश्य (मासिक)	प्रेस विज्ञप्ति

अनुबंध-VIII

वर्ष 2018-19 के दौरान की गई कार्रवाई नोट (एटीएन) की स्थिति

क्र.स.	वर्ष	पैरा/पीए रिपोर्टों की सं. जिन पर एटीएन को लेखा परीक्षक की जांच के बाद लोक लेखा समिति (पीएसी) को भेजा गया है	पैरा/पीए रिपोर्टों के ब्यौरे जिन पर एटीएन लंबित है		
			एटीएन की संख्या जो मंत्रालय द्वारा पहली बार भी नहीं भेजे गए हैं	उन एटीएन की संख्या जो भेजे गए थे किन्तु टिप्पणियों के साथ लौटाए दिए गए तथा जिनकी मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत करने के बाद लेखा परीक्षा होनी है	उन एटीएन की संख्या जिनकी लेखा परीक्षक द्वारा अंतिम रूप से जांच कर ली गई है किंतु मंत्रालय द्वारा लोक लेखा समिति (पीएसी) को नहीं भेजे गए हैं
1.	वर्ष 2017 की सीएजी रिपोर्ट (एक पैरा शामिल करते हुए)	कोई नहीं	शून्य	5 फरवरी 2019 को पुन: प्रस्तुत किया गया ।	शून्य
2	वर्ष 2018 की सीएजी रिपोर्ट सं.4 (एक पैरा शामिल करते हुए)	निपटान किया गया ।	शून्य	शून्य	शून्य
3	एमपीलैडस संबंधी पीएसी रिपोर्ट नं.31 (12 पैरा शामिल करते हुए)	कोई नहीं	शून्य	महानिदेशक लेखापरीक्षा की पुनरीक्षण टिप्पणियों को शामिल कर लिया गया है ।	शून्य

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

MOS&PI MOS&PI MOS&PI MOS&PI MOS&PI